बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ० प्र०) में मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का–आलोचनात्मक अध्ययन

EDUCATIONAL CONTRIBUTION OF MISSIONARY SCHOOLS IN BUNDELKHAND REGION (U.P.) AN ANALYTICAL STUDY

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शिक्षा-
-शास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलासफी
की उपाधि हेतु प्रस्तुत–

शोध–प्रबन्ध



निर्देशक
डॉ० जे० एल० वर्मा
एम० ए०, एम० एड०, पी.एच.डी.
रीडर (शिक्षण प्रशिक्षण विभाग)
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय,
झाँसी

शोधकर्ता
शिवाकान्त तिवारी
एम० एस० सी०, एम० एड०

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
2001-2002

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का - आलोचनात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
के शिक्षा-शास्त्र में, डॉक्टर ऑफ
फिलॉसफी की उपाधि हेतु
प्रस्तुत-

शोध-प्रबन्ध



निर्देशक
डॉ० जे० एल० वर्मा
एम०ए०, एम०एड०, पी०एच०डी०
रीडर (बी०एड० विभाग)
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी

शोधकर्ता
शिवाकान्त तिवारी
एम०एस०सी०, एम०एड०

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
2001 - 2002

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तुत शोध – प्रबन्ध शीर्षक ''बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का – आलोचनात्मक अध्ययन'' को शिवाकान्त तिवारी ने, मेरे निर्देशन व परिवीक्षण में वाँछित वर्षों के अभ्यन्तर पूर्ण किया है। यह शोध कार्य पूर्णतया अनुदित है । इनका प्रस्तुत कार्य मौलिक है ।

निर्देशक

जाइटलालवर्मा

दिनाँक

डॉ० जे०एल० वर्मा

रीडर (शिक्षक प्रशिक्षण विभाग)

बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी ।

घोषणा-पत्र

मैं, शिवाकान्त तिवारी घोषणा करता हूँ, कि मैने अपना शोध-प्रबन्ध-''बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का-आलोचनात्मक अध्ययन'' - डॉ० जे०एल० वर्मा, रीडर, (बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी) के निर्देशन में पूरा किया है । यह मेरा अपना मौलिक प्रयास है, जो इससे पूर्व अन्यत्र कहीं न तो प्रकाशित हुआ है और न प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त घोषणा के साथ, यह शोध-प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शिक्षाशास्त्र में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत है ।

शोधकर्ता

दिनाँक

शिवाकान्त तिवारी

शिवाकान्त तिवारी

प्राक्कथन/आभार

शिक्षा के प्रयास से अभिप्राय है, विकास का होना, और विकास के परिणाम स्वरूप भी शिक्षा के अभाव का अर्थ होगा, व्यक्ति को सुखद अनुभव प्रदान करके, पीड़ा पहुँचाना। व्यक्ति को अपने इरादे मजबूत रखना चाहिए, इसे निम्न शब्दों में भी कह सकते हैं -

"हर मील के पत्थर पर, लिख दो यह इबादत भी ।
नाकाम इरादों से मिलती नहीं, मन्जिल भी" ।।

इसके तदन्तर विश्व की विचार धारा एवं परिस्थितियाँ सदैव गतिशील रहती हैं । शैक्षिक जगत में जो विचार धारा कल तक ग्राह्य थी, वह आज त्याज्य हो रही है। उनके स्थान पर नवीन शैक्षिक सिद्धॉन्तों की स्थापना हो रही है । साथ ही साथ इस वैचारिक जगत में, कोई अन्तिम वाक्य नहीं होता, कोई अन्तिम निष्कर्ष और निर्णय नहीं होता, सोचने विचारने का यह क्रम निरन्तर चलता रहता है, और चलते रहना चाहिए । इन्हीं शैक्षिक निष्कर्षों एवं सिद्धॉन्तों के श्रंखला की एक कड़ी हेतु यह प्रयास, मेरा प्रस्तुत शोध कार्य है ।

मेरी नज़र में- तमन्नाओं के घर, न उम्मीदी नहीं आ सकती ।
मजबूत इरादों ने मुकद्दर को, बिठाया है पहरे पर ।।

इस प्रयास के लिए, मुझे जिन स्नेही महानुभावों से प्रेरणा एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना, मैं अपना धर्म समझता हूँ । मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । सर्व प्रथम मैं हृदय से आभारी हूँ, परमपूज्य "पिता" श्री ईश्वर प्रसाद तिवारी, पूर्व प्राचार्य (राजकीय इण्टर कॉलेज सैद नगर, जालौन) एवं पूर्व साधिकार नियंत्रक (अमरचन्द इण्टर कॉलेज, कोंच, बुन्देलखण्ड इण्टर कॉलेज, कोटरा जालौन) और सरल, स्नेही, त्याग की प्रतिमूर्ति, परम पूज्यनीया "माँ" श्रीमती कौशल्या देवी तिवारी का, जिनके त्याग एवं आशीर्वाद का ही सुफल है, जो मैं आज इस पायदान पर पहुँच सका हूँ । मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों (अग्रज रमाकान्त तिवारी, अधिवक्ता-भाभी जी, श्रीमती सरिता तिवारी) का, हृदय से आभारी हूँ । यह सभी मेरे प्रेरणा पुंज रहे हैं ।

विशेष रूप से, बहिन अर्चना तिवारी एवं भतीजी दीक्षा तिवारी का जिनका त्याग आशीर्वाद एवं कर्तव्य निष्ठा मुझे सदैव ऊर्जा प्रदान करती रही । मैं आभारी हूँ अपने अनुज कृष्णकान्त तिवारी का, जिसने मेरे शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया ।

मैं हृदय से आभारी हूँ अपने निर्देशक एवं श्रद्धेय गुरू डॉ० जे०एल० वर्मा, रीडर (शिक्षक प्रशिक्षण विभाग), बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी का, जिनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से यह अध्ययन निर्विघ्न सम्पन्न हो सका ।

मैं अपने अग्रज डा० कमलेश शर्मा, अनुभाग अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी, का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी पुण्य प्रेरणा एवं बहुविधि सहयोग से, मैं इस शोध योग्य बन सका हूँ । पुनः मैं अपने अग्रज डा० बाबूलाल तिवारी, सीनियर प्रवक्ता, बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी एवं अखिलेश त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारी, झाँसी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने हर लम्हे पर पथ प्रर्दशक का कार्य कर प्रत्येक मोड़ पर सहायता की है ।

मैं आभारी हूँ विद्वान मनीषी श्री हरगोविन्द कुशवाहा (प्रान्तीय महासचिव, समाजवादी पार्टी) का, सत्य प्रकाश पटसारिया (जिलाध्यक्ष-बी०एड० बेरोजगार शिक्षक संघ), का, अफसर खांन, चिरगांव एवं अपने इष्ट मित्रों का जिन्होंने मुझे साहित्य उपलब्ध कराने के साथ-साथ मेरे कार्यों में सहयोग किया । अतः इन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ ।

मैं उन विद्वान लेखकों, साहित्यकारों, रचनाकारों का भी आभार एवं धन्यवाद ब्यक्त करना, अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिनके ग्रन्थों, पुस्तकों, रचनाओं से मेरा यह शोध कार्य पूर्ण हो सका ।

तदन्तर, मैं हृदय से आभारी हूँ, कम्पोजर मोहम्मद इकबाल, बी०आई०सी०रोड, झाँसी का, जिन्होंने मेहनत एवं लगन के साथ त्रुटि विहीन कम्पोजिंग करके अपना अमूल्य समय देकर, मेरा कार्य समय पर पूर्ण किया ।

अन्त में, पुनश्च एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले महानुभावों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, बन्दन करता हूँ ।

शिवाकान्त तिवारी

(शिवाकान्त तिवारी)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का – आलोचनात्मक अध्ययन

अध्यायीकरण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का – आलोचनात्मक अध्ययन

पृष्ठ–सूची



अध्याय - प्रथम

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में, मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का - आलोचनात्मक अध्ययन

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना-

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनता है । मनुष्य के जन्म से ही यह कार्य प्रारम्भ हो जाता है । प्रारम्भिक शिक्षा परिवार से ही प्रारम्भ होती है । किसी भी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है । प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार एवं प्रतिमान होते हैं एवं सामाजिक कार्यों को सम्पादित करने की विधियां होती हैं और इस संरचना, व्यवहार, प्रतिमानों तथा कार्य विधियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है । जिसके कारण समाज में गतिशीलता बनी रहती है। किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज का शैक्षिक स्तर क्या है उस क्षेत्र एवं समाज में शिक्षा के क्या -क्या साधन हैं । सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है शैक्षिक अवसरों का उपलब्ध होना, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जाति, धर्म, स्थान आदि सभी चीजों से ऊपर उठकर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराये जायें । यदि समाज में सभी को शिक्षा गृहण करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये जाते तो समाज में विभेद पैदा हो जाता है एवं समाज कई वर्गों में विभक्त हो जाता है, जो कि आज भारत वर्ष के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में देखने को मिलता है । समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान होता है एवं विद्यालय में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में जाने के अवसर भी उपलब्ध कराये जायें । यह तभी सम्भव है, जब शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति हो एवं सभी प्रान्तों में समान रूप से एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जाये, प्रत्येक क्षेत्र में स्कूलों एवं कॉलेजों का समान वितरण हो ।

मैं अपने शोध "बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का आलोचनात्मक अध्ययन" के विषय में विस्तृत अध्ययन कर उसके परिणामों को न्यायोचित ढंग से प्रदर्शित करने का प्रयत्न करूँगा ।

भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास पुराना है। 18वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय समाज वस्तुतः सामन्तवादी था। भारतीय शासकों ने शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली थी और न जनता की शिक्षा के लिए व्यापक प्रयत्न ही किये थे । भारत वर्ष में सन 1854

के लगभग मिशनरी शिक्षा का उद्गम प्रारम्भ हुआ, ईसाई मिशनरियों की मूल प्रेरणा चाहे धर्म का प्रचार करना रही हो, किन्तु यह बात सत्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी अग्रणी रहे । प्रारम्भ में ईसाई मिशनरियों ने यह विद्यालय धर्म परिवर्तित व्यक्तियों के लिए ही चलाये प्रारम्भ में जिन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, वें हिन्दू समाज के निम्न वर्गों के थे ।

इसी प्रकार बुन्देलखण्ड में **1804** में बैसीन की सन्धि से ब्रिट्रिश सत्ता की स्थापना हुई थी। प्रारम्भिक वर्षों में अंग्रेजी शासक इस क्षेत्र के जमीदारों, राजाओं और महाराजाओं को दबाकर शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में व्यस्त रहे । क्योंकि विदेशी शासक अधिक से अधिक राजस्व की बसूली तथा शोषण में रूचि रखते थे । अतः स्वभाविक था, कि वे बुन्देलखण्ड के कल्याण अथवा शिक्षा आदि के लिए दिलचस्पी नहीं रखते थे । यही कारण था, कि **1804** से **1858** तक इस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए किसी भी सुनियोजित नीति का पालन नहीं हुआ ।

मिशनरी शिक्षा के क्षेत्र में **1813** के चार्टर अधिनियम ने एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया । उन्हें इसके द्वारा भारत में धर्म प्रचार और शिक्षण कार्य की स्वतन्त्रता मिली। अतः मिशनरियों ने अपना जाल बिछा दिया । जनरल बेपटिस्ट मिशनरी सोसायटी, लन्दन मिशनरी सोसायटी, चर्च मिशनरी सोसायटी, बैसलियन मिशन और स्कॉच मिशनरी सोसायटी इसके अतिरिक्त जर्मन व अमरीकी मिशनरी संस्थाओं की भी स्थापना हुई । यह अभियान **1833** में प्रारम्भिक विद्यालयों तक ही सीमित रहा । परन्तु **1833** से **1853** के बीच उनकी नीति में परिवर्तन हुआ । इस नीति में प्रमुख योगदान एलैग्जेन्डर डफ का नाम प्रमुख है । जिसने **1830** में कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय स्थापित किया। मिशनरियों का क्रिया कलाप सभी जगह एक समान नहीं था। मुम्बई एवं बंगाल में पैर जमाने के बाद उन्होंने मध्य भारत और उत्तर पश्चिम प्रान्तों में अपना प्रभाव बढ़ाया ।

1858 में विद्रोह समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजी अधिकारियों ने बुन्देलखण्ड के विभिन्न अंचलों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करनी प्रारम्भ की । स्कूल स्थापना के पीछे उनका उदेश्य जनता को यह दिखाना था कि सरकार उनका कल्याण चाहती है । **1858** में झाँसी, पिछोर, मोंठ, गरौठा, मऊ और पंडवाहा में स्कूल खोले गये एवं गांवों में भी स्कूल खोले गये । झाँसी जिले में यह संख्या **28** के लगभग थी, इसके पश्चात् ललितपुर, महरौनी,

मड़ोरा में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना हुई । 1861 में नये तहसील स्कूल मऊरानीपुर, बरूआसागर एवं चिरगांव में प्रारम्भ हुये । 1862 तक झाँसी जिलें में तहसील स्कूलों की संख्या 11 थी । 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक झाँसी जिलें में स्कूलों की संख्या 167 हो गई थी ।

स्त्री शिक्षा की दृष्टि से बुन्देलखण्ड अत्यन्त पिछड़ा हुआ था । 1866 में सर्व--प्रथम स्त्री शिक्षा का प्रारम्भ हुआ । इसी वर्ष ललितपुर में एक कन्या स्कूल की स्थापना हुई और यह प्रयास सफल रहा । इसके विपरीत झाँसी में यह योजना असफल रही । 1872 में पुनः झाँसी में एक कन्या विद्यालय की स्थापना हुई । किन्तु सहयोग न मिलने के कारण 7 में से 6 स्कूलों को बन्द करना पड़ा ।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लोगों ने कन्या विद्यालय के महत्व को समझा । उस समय तक ब्रिटिश दमन की नीति की याद भी बिस्मृत हो चुकी थी । अतः झाँसी एवं ललितपुर को मिलाकर 146 कन्या विद्यालय स्थापित किये गये, बांदा एवं जालौन में भी यही स्थिति रही । किन्तु 1867 में गांवों के स्कूलों को पुनः घटाना पड़ा । अतः यह भी कहा जा सकता है कि बुन्देलखण्ड में जो सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन मिला, वह मिशनरियों के लिए वरदान साबित हुआ ।

मै अपने शोध में मिशनरियों की शैक्षिक गतिविधियों को बुन्देलखण्ड की शिक्षा में योगदान के परिप्रेक्ष्य में निरूपित करने का प्रयत्न करूँगा । मैंने अपने शोध को 9 अध यायों में बांटा है। प्रथम अध्याय में शिक्षा का महत्व एवं भारतीय शिक्षा का विकास में - मैं शिक्षा के महत्व की विस्तृत रूप से व्याख्या करने की कोशिश करूँगा एवं भारतीय शिक्षा के विकास एवं उसका इतिहास को विस्तार पूर्वक निरूपित करने का प्रयास करूँगा । समस्या के परिभाषीकरण नामक बिन्दु पर-शोध विषय के प्रत्येक शब्द की व्याख्या की जायेगी, एवं उसके व्यापक अर्थ को प्रतिबिंम्बित करने का प्रयत्न होगा । अध्ययन की न्यायदर्शिता के विषय में - मैं अपने शोध को वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों एवं जानकारियों को शत् प्रतिशत प्रमाणिकता के आधार पर शोध में स्थान दूँगा । अध्ययन के उद्देश्यों में - मेरे अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं- बुन्देलखण्ड में मिशनरियों की शिक्षा का इतिहास, उनका विकास, उनकी आन्तरिक भावना एवं सामाजिक धारणा को जानने की कोशिश करना । अध ययन की परिकल्पना नामक शीर्षक में - बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों द्वारा ईसाइयत का प्रसार हुआ है, मिशनरी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का पाश्चात्यीकरण हुआ है,

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मिशनरियों द्वारा शिक्षा का विकास हुआ है । इन सब परिकल्पनाओं को लेकर शोध प्रारम्भ किया जायेगा । अतः यह भी कहा जा सकता है कि मिशनरी संस्थाओं द्वारा मिशनरी भावना का विकास हुआ है । अध्ययन का सीमांकन में- शोध समस्या को यदि सीमाबद्ध न किया जाये, तो उसका आकार प्रकार विस्तृत हो जायेगा जिसमें समय, शक्ति एवं धन अधिक व्यय होगा । उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्षेत्र को सीमित कर बुन्देलखण्ड का उ० प्र० क्षेत्र ही लिया गया है । "तथ्य संकलन" नामक शीर्षक में शोध से संबंधित तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं गौण स्रोतों से किया जायेगा एवं मिशनरी संस्थाओं का व्यापक सर्वेक्षण कर उनके प्रत्येक क्षेत्र के विषय में समस्त जानकारियाँ एकत्रित की जायेगीं । आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण नामक शीर्षक में संकलित तथ्यों को सांख्यकीय विधि से विश्लेषित किया जायेगा एवं विश्लेषण से प्राप्त तथ्य, शोध के परिणाम में सहायक होंगे ।

शोध के द्वितीय अध्याय में, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठ भूमि में- बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सीमा विस्तार, जिसमें (भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं कमिश्नरी के विषय में अध्ययन) धरातलीय संरचना में उत्तर का मैदानी भाग दक्षिण का पठारी भाग बिखरी हुई पहाड़ियों का वर्णन, भौतिक भूगोल के कारकों में, जल प्रवाह (नदियों का वर्णन) मिट्टियाँ (नवीन एवं प्राचीन मिट्टियों का वर्णन) जलवायु में- (तापमान, वर्षा, ॠतुओं का वर्णन) खनिजों का वर्णन- सांस्कृतिक भूगोल के कारकों में, जनसंख्या (बुन्देलखण्ड की जिलावार जनसंख्या का वर्णन) कृषि में- (कृषि योग्य भूमि, उत्पादकता, फसल आदि का वर्णन) उद्योगो में - (कृषि आधारित उद्योग, वनोनज आधारित उद्योग, खनिज अधारित उद्योगों का वर्णन) यातायात में - रेल यातायात, सड़क यातायात में - (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य स्तरीय मार्ग एवं स्थानीय मार्गों आदि का वर्णन) किया जायेगा

शोध के तृतीय अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में- सर्व प्रथम बुन्देलखण्ड का सामान्य परिचय जिसमें प्राचीन काल, वैदिक काल (रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैनकाल गुप्त एवं हर्ष काल का संक्षिप्त इतिहास) पूर्व मध्य काल **650** ई० से **1250** ई० तक उत्तर मध्य काल **1250** ई० से **1700** ई० तक, मराठा एवं ब्रिटिश काल **1700** से **1947** ई० तक, फिर बुन्देलखण्ड का नाम करण, फिर मराठा शासन, ब्रिटिश शासन, स्वतन्त्रता संग्राम, **1857** का इतिहास, ऐतिहासिक विभूतियों में कुशल शासक

सेनापति, योद्धा, साहित्यकार एवं कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सभी की चर्चा संक्षेप में करने का प्रयास किया जायेगा । चतुर्थ अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के शैक्षिक विकास में मिशनरियों की गतिविधियों के इतिहास का संक्षिप्त उल्लेख एवं शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयासों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रयास, इस प्रयास में बुन्देलखण्ड में फैले तमाम मिशनरी विद्यालयों का व्यापक सर्वेक्षण, इन सर्वेक्षणों में कैथलिक, प्रोटेस्टेन्ट संस्थाओं का विभेद, विद्यालयों के विषय में लगभग 100 प्रश्नों की सूची बनाकर उनके विषय में जानकारियाँ एकत्रित की जायेगीं उसमें विद्यालय के स्थापना वर्ष से आज तक के सफर में विद्यालय की प्रगति एवं विद्यालय के ह्रास का विस्तृत वर्णन एवं बुन्देलखण्ड की जनता को इससे क्या लाभ हुये । बुन्देलखण्ड के शैक्षिक विकास में इनका क्या योगदान है आदि बिन्दु उभर कर सामने आयेंगे । जो शोध का सम्पूर्ण सार होगा ।

पंचम अध्याय में शोध विधि नामक शीर्षक - में सर्व प्रथम तृतीय अध्याय तक ऐतिहासिक शोध विधि द्वारा वर्णन किया गया । चतुर्थ अध्याय में ऐतिहासिक सर्वेक्षण विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया एवं इन सभी विधियों द्वारा अपने शोध को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । षष्ठम अध्याय में - आंकड़ों का संकलन, इतिहास ग्रन्थों, प्राचीन लेखों, सर्वेक्षणों प्राथमिक एवं गौण स्रोतों से किया जायेगा, जिससे शोध विषय पूरा हो सकेगा । शोध ग्रन्थों के निष्कर्षों को भी स्थान दिया जायेगा । शोध के सप्तम अध्याय में- आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या शीर्षक में - मिशनरीज विद्यालयों के लिए जो प्रश्न सूची तैयार की गई, उसे सर्वेक्षण विधि द्वारा पूरा किया गया एवं स्थापना वर्ष से वर्तमान तक उनके प्रत्येक क्षेत्र के विषय में जानकारियाँ एकत्रित की गईं । सम्मिलित रूप से उनका व्यापक विश्लेषण किया जायेगा एवं विश्लेषित आंकड़ों की व्यापक व्याख्या कर सांख्यकीय विधि से उनकी सार्थकता एवं सत्यता की जाँच कर शोध की परिकल्पना एवं शोध विषय के निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकेगा । शोध के अष्ठम् अध्याय में - निष्कर्ष एवं सुझाव शीर्षक में- आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या से निष्कर्ष प्राप्त होंगे,जो शोध के वास्तविक, यथार्थ एवं शुद्ध परिणाम होंगे । इसके बाद आने वाले स्तम्भ में होने वाले अग्रिम शोधों के लिये एवं शोधार्थियों के लिये सुझाव होंगे । भविष्य में यदि शोधार्थियों ने इस विषय क्षेत्र में शोध किये तो जो परेशानियां एवं समस्याऐं मेरे सामने रहीं वे उन शोध ार्थियों के सामने उपस्थित न हों एवं उनका शोध सरल पूर्वक सम्पन्न हो सके ।

नवम् अध्याय में अध्ययन का संक्षिप्तीकरण शीर्षक में शोध के विस्तृत रूप को संक्षिप्त कर उसकी संक्षिप्तिका निकाली जायेगी । ताकि यदि प्रस्तुत शोध के विषय में जानकारी करना हो तो, शोध की संक्षिप्तिका को पढ़कर उस शोध का पूरा अर्थ उभरकर सामने आ जाये एवं पूरे शोध के अध्ययन की आवश्यकता न पड़े ।

अन्त में संदर्भ ग्रन्थ सूची को दिया जायेगा । जिससे यह ज्ञात होगा कि शोध को पूरा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तथ्यों की प्रमाणिकता को जांचने के लिये कौन से संदर्भ शोधों को आधार बनाया गया है एवं किन संदर्भ ग्रन्थों के आधार पर शोध को पूरा किया गया है । सभी संदर्भ ग्रन्थों के सार तथ्यों का इस शोध में समावेश किया गया है ।

शिक्षा का महत्व एवं भारतीय शिक्षा का विकास

शिक्षा एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है । अतीत काल से मनुष्य ने जागरूकता का परिचय देते हुए शिक्षा का जैविक आवश्यकता के रूप में उपयोग किया । क्योंकि मनुष्य जैविकी एवं शरीर विज्ञान की रचना से अपनी मूल प्रवृत्तियों एवं कमजोरियों के कारण अपना विकास करने में धीरे-धीरे सफल हो सका ।

वातावरण से निरन्तर संघर्ष कर उसने जीना सीखा एवं अपने संघर्ष से प्राप्त अनुभव की पूँजी से उत्तरोत्तर बृद्धि के साथ अपनी इच्छाओं को पहचाना एवं अभिव्यक्त करना सीखा । सतत् संघर्षशील रहकर, अपनी मानसिक शक्तियों का विकास किया तथा वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया में विकासात्मक परिवर्तन का रूख अख्तियार किया ।

यदि अतीतकाल से देखा जाये तो शिक्षा मनुष्य समुदाय की स्वाभाविक विशेषता रही है । अतः शिक्षा का विकास कभी अवरूद्ध नहीं हुआ और समयानुसार शिक्षा ने मनुष्य के सर्वोच्च्व आदर्शों को प्रवाहित किया । शिक्षा ने इतिहास के प्रवाह मार्ग को काफी सच्चाई से अंकित किया है ।

अतीत में शिक्षा का स्वरूप जटिल एवं प्रक्रिया सरल थी । जो मनुष्य को सहजीवी बनाने तक ही सीमित थी । मनुष्य अतीत की घटनाओं को सुनकर ऋृतु परिवर्तनों को देखकर, स्वाभाविक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता था ।

देश समय समाज की आवश्यकताऐं समय समय पर बदलती रहती हैं । समाज के परिवर्तन ढांचे, मूल्यों आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है ।

प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था । इसका एक प्रमाण यह है, कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्योति ज्ञान, चक्षु और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था । उस युग के भारतीयों का विचार था, कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्तियों के सब संशयों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करता है । शिक्षा से प्राप्त अन्तर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में बृद्धि करती है । शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शाक्ति से सम्पन्न करती है । उसके सुख एवं समृद्धि में योग देती है । उसे जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे भव सागर को पार करके मोक्ष-प्राप्ति में सहायता देती है ।

शिक्षा के महत्व के संबंध में उपर्युक्त अंकित और अनेक धारणायें व्यक्त करके भारतीयों ने यह विश्वास व्यक्त किया, कि शिक्षा - कामधेनु या कल्पतरू के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसका सर्वागीर्ण विकास करती है। उनमें इसी विश्वास के आधार पर डा० ए० एस० अल्तेकर ने अपना यह मत अक्षर बद्ध किया ।

शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है । जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और अध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरन्तर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है ।

शिक्षा से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है एवं शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता है । बल्कि वह अपने हित के साथ समाज का भी हित करता है वह कार्यों को सफलतापूर्वक करने के साथ समाज में उन्नति प्राप्त करता है ।

शिक्षा का महत्व व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कराने तथा देश के औद्योगिक विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । क्योंकि शिक्षा मनुष्य को कुशल बनाती है । इससे दोहरा लाभ होता है, एक तो वह शीघ्र कार्य प्राप्त करने में सफल होते हैं तथा देश उत्पादन बढ़ोत्तरी में सहायक होते हैं । फल स्वरूप जीविकोपार्जन की समस्या हल हो जाती है । शिक्षा मनुष्य को भौतिक सम्पन्नता प्राप्त कराने में सहायता करती है । आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का विशेष महत्व है ।

आज के भौतिकवादी युग में शिक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है । कि शिक्षा उत्तम नागरिकों का निर्माण करे । ताकि धर्म निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो एवं उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास भावी जीवन की तैयारी में सहायक हो ।

शिक्षा व्यक्ति की अनुभव शक्ति, अनुभवों का पुनर्गठन और पुनर्रचना एवं वातावरण से अनुकूलन के कार्यों के लिये प्रोत्साहित करती है साथ ही वातावरण परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित करने में सहायक है ।

अतः यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन में शिक्षा समाज के सदस्यों की उन सब शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करती है, जिससे वे निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सकें ।

आज का मानव शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से देख रहा है । क्योंकि आज का शिक्षा विकास आर्थिक विकास की अगुवाई कर रहा है । अतः शिक्षा इतिहास में प्रथमवार मनुष्य को उस समाज के लिए तैयार कर रही है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ ।

शिक्षा अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का उत्तम कार्य करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है । यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम कार्य करती है । यह ज्ञान और शक्ति के वर्तमान संग्रह में बृद्धि करके और इस प्रकार भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की सम्भावना का सर्वोत्तम कार्य करती है । शिक्षा उन प्रथागत् विधियों तथा क्षमताओं के ज्ञान को सम्प्रेषित करती है । जिनको समाज अपने दीर्घजीवन और प्रगति के लिए अनिवार्य समझता है । ज्ञान तथा क्षमतायें प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा समाज में नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्वों को भी सम्प्रेषित करती है । इस दृष्टिकोंण से मानव समाज के पुनुरूत्थान तथा प्रगति दोनों के लिए सारभूत रूप से आवश्यक है । शिक्षा का महत्व इसलिए भी है कि व्यक्ति को जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना है जिससे उसके हितों का समाज के हितों के साथ न्यूनतम् संघर्ष हो, और वह समाज के आदर्शों के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके । साथ ही आदर्शों का उन्नयन करके समाज के स्वस्थ तथा वाँछित विकास में योग प्रदान कर सके । शिक्षा मनुष्य को समाज में स्वीकृत एवं अस्वीकृत आचरणों का भी ज्ञान कराती है । क्योंकि मानव के व्यक्तित्व का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज से अनुकूलन करने का अन्य पहलू । अतः शिक्षा का महत्व यह है कि यह मानव के व्यक्तित्व को विकसित करने और इसके साथ ही व्यक्ति का समाजीकरण करने तथा इस प्रकार उसको समाज की नैतिक तथा भौतिक संरचना के अनुकूल बनाने में सहयोग देती है ।

अतः कहा जा सकता है कि :-

" ज्ञान तृतीय मनुजस्यं नेत्रं समस्त तत्वार्थ विलोक दक्षम् "

भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत के पूर्व हुआ । प्राचीन काल के मनीषी शिक्षा को व्यक्ति के सर्वागीण विकास, समाज के चतुर्मुखी, सर्वागीण विकास एवं उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति मानते थे । वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का

प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है । यथा, विद्या, ज्ञान , बोध और विनय । आधुनिक शिक्षा शास्त्री, शिक्षा को मानव विकास का मूल साधन मानते हैं । शिक्षा द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला, कौशल में बृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाता है । समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है । अपने वास्तविक अर्थ में शिक्षा, समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है । अतः शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चा पथ प्रदर्शन करती है ।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ-

शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष्- धातु में "अ" प्रत्यय लगने से बना है शिक्षा का अर्थ सीखना और सिखाना, इसीलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने एवं सिखाने की क्रिया ।

शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजूकेशन का अर्थ यह है कि एजूकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजूकेटम शब्द से बना है और एजूकेटम शब्द उसी भाषा के "ए" तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है "ए" का अर्थ है अन्दर से, डयूको का अर्थ है आगे बढ़ाना । इसीलिए एजूकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की अन्तरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ।

शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका, दार्शनिकों, समाज शास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने अदा की है इन सभी ने शिक्षा को अपने-अपने दृष्टिकोंणो से देखा एवं परखा और परिभाषित किया है ।

शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय के अनुसार शिक्षा मनुष्य को विचार केन्द्र मानकर दी जाती है । दार्शनिक मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने और उसके जीवन का अन्तिम उद्देश्य निश्चित करने का प्रयत्न करते हैं । मानव जीवन के अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मार्ग निश्चित करने में भी दार्शनिकों की रूचि होती है और इन सबके ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए शिक्षा आवश्यक मानते हैं ।

जगत गुरू शंकराचार्य की दृष्टि से - शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाये ।

"सःविद्या या विमुक्तये "

भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानन्द, मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते थे और शिक्षा के द्वारा उसे अपनी पूर्णता की अनुभूति करने योग्य बनाने पर बल देते थे । उनके शब्दों में - "मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णतः को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है ।"

युग पुरूष महात्मा गांधी ने शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान बल दिया है उनके शब्दों में - "शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वागीण एवं सर्वोकृष्ट विकास से है" ।

प्लेटो के शिष्य अरस्तू मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं । उनका विश्वास था कि उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास होने पर ही मनुष्य आत्मा की अनुभूति कर सकता है उनके अनुसार शिक्षा -"स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है" ।

हरवर्ट स्पेंसर की दृष्टि से शिक्षा अन्तः एवं वाह्रय जीवन में सम्बन्ध स्थापित करें शिक्षा का अर्थ - "अन्तः शक्तियों का बाह्रय जीवन से समन्वय स्थापित करना
है" ।

शिक्षा के समाज शास्त्रीय सम्प्रत्यय के अनुसार समाज शास्त्रियों का विचार केन्द्र समाज होता है । वे व्यक्ति को समाज के परिपेक्ष्य में देखते, समझते हैं । वे शिक्षा को व्यष्टि एवं समाज के विकास का साधन मानते हैं । समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा पांच बिन्दुओं पर केन्द्रित है जैसे - शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, शिक्षा अविरल प्रक्रिया है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है, समाज शास्त्रियों में टी० रेमन्ट ने शिक्षा के इस तथ्य को सामने रखकर परिभाषित किया । उनके शब्दों में- "शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशवकाल से प्रौढ़ाकाल तक विकास करता है, जिसके द्वारा धीरे-धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है" ।

शिक्षा के राजनैतिक सम्पत्यय के अनुसार शिक्षा का विचार केन्द्र राज्य और उसका शासन तंत्र होता है, वे व्यष्टि एवं समाज दोनों को राज्य और उसके शासन तंत्र

के परिपेक्ष में देखते, समझते हैं, शिक्षा को वे राष्ट्र निर्माण का साधन मानते हैं । क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, श्रेष्ठ नागरिकों से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है शिक्षा द्वारा । उनकी दृष्टि से- ''वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है'' ।

शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय के अनुसार शिक्षा शास्त्रियों का विचार केन्द्र समाज के आर्थिक स्रोत और आर्थिक तंत्र होता है । वे व्यक्ति एवं समाज की समस्त क्रियाओं को आर्थिक परिप्रेक्ष में देखते समझते हैं । उनकी दृष्टि से- ''शिक्षा वह आर्थिक निवेश है, जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है । इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढाई जाती है और उनका आर्थिक विकास किया जाता है'' ।

शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय के अनुसार शिक्षा शास्त्रियों का विचार केन्द्र मनुष्य का वाह्य स्वरूप और उसका अन्तःकरण दोनों होते हैं । मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य की वाह्य इन्द्रियों एवं अन्तःकरण का प्रशिक्षण है, फ्रोबेल के अनुसार- ''शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आन्तरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है'' ।

''शिक्षा के वैज्ञानिक सम्प्रत्यय के अनुसार शिक्षा का अर्थ अन्तः शक्तियों का वाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है''- (हरवर्ट स्पेंसर) । अतः शिक्षा के सभी सम्प्रत्ययों से निष्कर्ष निकलता है कि - शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान, कला, कौशल में बृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है । इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज निरंतर विकास करते हैं ।

शिक्षा के कार्य :- शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है जिसके द्वारा व्यष्टि, समाज और राष्ट्र सभी का विकास होता है । शिक्षा के निम्न कार्य हैं - **1-** शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उनका मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण करती है । **2-** शिक्षा मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है । **3-** शिक्षा मनुष्य का सामाजिक विकास करती है । **4-** शिक्षा मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं

विकास करती है । 5- शिक्षा मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करती है । 6- शिक्षा मनुष्य में व्यावसायिक कुशलता का विकास करती है । 7- शिक्षा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करती है । अतः शिक्षा के कार्यों को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है यह मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों से संबंधित है अपने वास्तविक रूप में शिक्षा सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन दोनों का एक सशक्त साधन है ।

भारतीय शिक्षा का विकास :– विश्व में शिक्षा का विकास तभी से माना जाता है जब से मानव सभ्यता का विकास पृथ्वी पर हुआ । इसीलिए शिक्षा को मानव का ऐसा अलंकार कहा जाता है जो मानव व्यवहार को पशु जगत से सर्वथा भिन्न प्रदर्शित करता है, यही वह माध्यम है जिसके माध्यम से आदि काल से आज तक मानव अपनी श्रेष्ठता को पशु जगत पर प्रमाणित करता रहा । मानव सभ्यता के साथ ही शिक्षा का विकास हुआ है, संसार जिस समय मनुष्य बनने का प्रयत्न कर रहा था उस समय हमारे पूर्वज देवत्व प्राप्त कर चुके थे । अतः आज से लगभग चार हजार वर्ष पूर्व सुदूर अतीत में भारतीय शिक्षा का बीजारोपण हो गया था । सर्व प्रथम वैदिक काल प्रारम्भ हुआ इसमें शिक्षा पर ब्राह्मणों का आदिपत्य था, इसलिए कुछ लेखकों ने वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय तथा कुछ ने हिन्दू शिक्षा की संज्ञा दी ।

वैदिक युग के महर्षियों ने धर्म के अनुसार आचरण करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्धारित किया । इस जीवन लक्ष्य की साधना के लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की । शिक्षा व्यक्ति के सर्वागीण विकास सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए अनिवार्य है । भारतवासियों ने शिक्षा के इस महत्व को समझ लिया था, इसी के फलस्वरूप भारत के सुदूर अतीत में शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था की गई थी । भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा और ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के मौलिक विचारकों एवं विद्वानों को जन्म दिया । जिससे इस देश का मस्तिष्क आज भी यश और गौरव से उन्नत है हमारे देश में ज्ञान के प्रति प्रेम बहुत ही प्राचीन समय से प्रारम्भ हुआ वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश का स्रोत कहा गया है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करती है । वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अन्तर्ज्योति तथा शक्ति से था। जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, वौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। वैदिक युगीन

शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास, उत्तम चरित्र का निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसाद था । वैदिक काल में शिक्षा गुरू गृह, गुरूकुल व आश्रम में दी जाती थी । वैदिक काल की शिक्षा वर्ण के अनुसार दी जाती थी, जिसमें ब्राहमणों को धर्म कर्म, क्षत्रियों को युद्ध विद्या, व राजनीत, वैश्यों को वाणिज्य व कृषि विज्ञान की तथा शूद्रों को हस्त कलाओं की शिक्षा दी जाती थी । वैदिक काल में शिक्षा का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था, तथा अध्ययन काल दस वर्ष का होता था शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर पौष मास की पूर्णिमा को समाप्त होता था । गुरूकुल किसी नगर या ग्राम के समीप होते थे उस समय शिक्षा निःशुल्क थी एवं शिक्षण विधि मौखिक थी अध्यापक छात्रों से पुत्रवत व्यवहार करते थे एवं विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दंड भी दिया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था ।

ईसा की छठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने एक नवीन शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया । जो वैदिक कालीन शिक्षा के समान होते हुए भी कुछ बातों में भिन्न थी बौद्धकाल में शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक विषयों में विभक्त था जैसे- बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, दर्शन शास्त्र, आध्यात्म विद्या, तर्क शास्त्र, संस्कृत, पाली, नक्षत्र फल, गणन विद्या, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, न्याय शास्त्र, राज्य व्यवस्था और प्रशासन आदि । शिक्षण विधि भी मौखिक थी एवं प्राथमिक शिक्षा छः वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती थी तथा शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी ।

वौद्ध काल में नालन्द, बल भी विक्रमशील जगदल ओदन्तपुर मिथला और नाबिया उच्च्य शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे । इन केन्द्रों में प्रवेश के समय पवज्जा संस्कार होता था, चाण्डालों के अतिरिक्त सभी जातियों को शिक्षा दी जाती थी । 20 वर्ष की आयु में उपसंपिदा संस्कार होता था, एवं अध्ययन काल 22 वर्ष का था, शिक्षा का माध्यम देश की प्रचलित भाषाऐं थीं, शिक्षा की पद्धति सामाजिक थी, एवं स्त्री शिक्षा पुरूष शिक्षा की अपेक्षा निम्न थी बौद्ध काल में औद्योगिक शिक्षा के अलावा उन्नीस शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी ।

ईसा की आठवीं शताब्दी में भारत का शासन मुसलमानों के हाथ में आया मुस्लिम शासकों की धार्मिक कट्टरता एवं दीर्घकालीन शासन के कारण भारतीय संस्कृति

एवं सभ्यता पूर्णतः परिवर्तित हो गई । मुस्लिम काल में पाठशालाओं को तुड़वाकर मकतबों एवं मदरसों का निर्माण हुआ एवं मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया । मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान का प्रकाश, इस्लाम धर्म का प्रचार, एक विशिष्ट नैतिकता का प्रचार, मुस्लिम कानूनों एवं सामाजिक प्रथाओं का प्रचार, सांसारिक एश्वर्य की प्राप्ति, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना, मुसलमानों को धर्म परायण बनाना आदि थे । मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मकतबों में थी । प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह की रस्म संपादित की जाती थी । प्रारम्भिक काल में लिखना, पढ़ना तथा गणित का ज्ञान कराया जाता था एवं नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था । मुस्लिम काल में भी शिक्षण विधि मौखिक थी । उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी इसके पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया था । लौकिक शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा । इसमें स्वाध्याय की आदत का विकास किया जाता था तथा अध्ययन की समाप्ति के पश्चात् छात्रों को उपाधियां दी जाती थीं । किन्तु इस युग में शिक्षा की व्यापकता का अभाव था ।

मुस्लिम युग की समाप्ति के पश्चात् नवमीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित देशी शिक्षा व्यवस्था की जांच तीन प्रान्तों में की गई । अंग्रेजी शासन काल में मद्रास में एक प्राइमरी स्कूल था, किन्तु विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत कम थी, पांच वर्ष की आयु में विद्यालयों में प्रवेश होता था, एवं पाठ्य विषयों में कविताऐं, कहानियां, साधारण गणित आदि थे । कुछ विद्यालयों में तमिल, तेलगू, संस्कृत, मराठी, ज्योतिष, अर्थ शास्त्र, तर्क शास्त्र और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी ।किन्तु इन विद्यालयों में शिक्षक अयोग्य एवं अदीक्षित थे । इसी प्रकार मुंबई के विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत ही कम थी और अधिकांश शिक्षक ब्राहमण थे । पाठ्य विषयों में लिखना पढ़ना एवं गणित विषय सम्मिलित थे, किन्तु शिक्षण सामग्री का पूर्ण अभाव था ।

एडम महोदय की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में प्रत्येक **100** व्यक्तियों के लिए एक ग्रामीण पाठशाला थी । एडम की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार थाना नाटौर की शिक्षा का वर्णन है,यहां **27** प्राथमिक पाठशालायें थीं एडम की तृतीय रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद, वीर भूमि, वर्दवान, दक्षिणी बिहार तथा तिरहुत के शिक्षा संबंधी आंकड़े दिये हैं इन पांचों स्थानों में **2567** विद्यालय थे। जिनमें बंगला, हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी । बंगाल में उच्च शिक्षा के लिए वर्धमान में **190** विद्यालय

थे जिनमें 1358 विद्यार्थी पढ़ते थे । मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए दक्षिणी विहार में 291 विद्यालय थे । हिन्दुओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मद्रास में पर्याप्त विद्यालय थे । मुंबई में उच्च शिक्षा देने के लिए अहमद नगर में 16 पूना में 164 विद्यालय थे । बोहरा जाति के मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए सूरत में एक विद्यालय था । इस काल में देशी शिक्षा व्यवस्था का पतन ब्रिटिश शिक्षा नीति के कारण हुआ इसमें अंग्रेजों ने अपनी भाषा शिक्षा को प्रोत्साहित किया और देशी शिक्षा को संरक्षण नहीं दिया । इसके बाद विदेशी कम्पनियों का भारत आगमन हुआ । प्रारम्भ में कम्पनियों का उद्‌देश्य व्यापार एक धर्म प्रचार था । 1813 के घोषणा पत्र में विदेशी कम्पनियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दे दी गई । विदेशी कम्पनियों ने धर्म प्रचार का कार्य 1614 से ही प्रारम्भ कर दिया था । 1659 में कम्पनी संचालकों ने भारतवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की इच्छा व्यक्त की । 1698 के घोषणा पत्र में विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया, तभी से मुंबई में दान आश्रित विद्यालय खोले गये । मद्रास में 1673 में प्रथम माध्यमिक विद्यालय खोला जा चुका था । 1715 में सेन्ट मैरीज चेरिटी स्कूल यूरोपियन बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया । 1717 में भारतीय बच्चों के लिए कडलौर में एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल का निर्माण हुआ एवं सन्डे स्कूल 1812 में प्रारम्भ हुआ । मुंबई में प्रथम दान आश्रित विद्यालय 1719 में स्थापित हुआ ।

1765 के बाद जब कम्पनी को राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुई, तब 1780 में कलकत्ता मदरसा और 1791 में बनारस संस्कृत कालेज का निर्माण करके कम्पनी ने मुसलमान एवं हिन्दुओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया कम्पनी के तरूण कर्मचारियों को शिक्षा देने के लिए 1800 में फोर्ड बिलियम कालेज का शिलान्यास हुआ । वहीं 1787 में कैम्पबेल ने मद्रास में महिला आश्रम एवं एण्डमबेल ने बालकों के लिए आश्रम खोला । अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में बालकों और बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गये ।

श्रीरामपुर के बेप्टिस्ट मिशनरियों ने सीरामपुर, कलकत्ता आदि में 1817 तक 115 विद्यालयों का प्रबन्ध किया ।

1813 के शिक्षा संबंधी आज्ञा पत्र के बाद बंगाल में लोक शिक्षा समिति ने प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, कलकत्ता, आगरा एवं दिल्ली में कालेज खोले

इसके उपरांत संचालकों के आदेशानुसार इनमें अंग्रेजी की कक्षाऐं खोल दी गईं । पूना में संस्कृत कालेज का निर्माण हुआ, मद्रास में एक नार्मल स्कूल, 61 तहसीली स्कूल और 9 जिला स्कूल खुले । वहीं बंगाल में वैप्टिस्ट मिशनरियों ने बालकों एवं बालिकाओं के लिए स्कूल खोले, और डफ ने स्काटिश चर्च कॉलेज खोला, मुंबई में मिशनरियों ने स्कूलों का प्रबन्ध किया, इसी प्रकार मद्रास में चर्च मिशनरी सोसायटी ने स्कूलों का निर्माण किया ।

बंगाल में राजाराम मोहन राय के प्रयास से हिन्दू कालेज का शिलान्यास हुआ एवं कलकत्ता स्कूल समिति ने शिक्षा को लोकप्रिय बनाया, समिति ने स्कूल तथा चिकित्सा एवं इंजीनियरी की कक्षाऐं खोलीं । मद्रास में मैसूर का राजा बंगलौर के स्कूल को आर्थिक सहायता देता था । उ०प्र० एवं दिल्ली में दान से प्राप्त धन से स्कूल एवं कालेजों का निर्माण हुआ।

1834 में मैकाले भारत आया और लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया । 1845 में अपने विवरण पत्र में प्राच्य साहित्य की निन्दा कर उसने अंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा का समर्थन किया । 17 मार्च 1835 के आज्ञा पत्र में उसने शिक्षा नीति की घोषणा की । इसके बाद आकलैण्ड ने शिक्षा संबंधी विवाद को खत्म कर जिले में एक जिला विद्यालय स्थापित किया । हार्डिग्ज ने अंग्रेजी स्कूलों एवं प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया, डलहौजी ने अनुदान प्रणाली आरम्भ करके प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । शिक्षा परिषद ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किये एवं प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया । 1853 तक मिशनरियों ने 22 स्कूल निर्मित किये । वहीं मुंबई भारतीय शिक्षा समिति ने 1840 तक 115 जिला प्राथमिक विद्यालय खोले एवं सरकार ने एल्फिस्टन इंस्टीट्यूशन स्थापित किया और पुरन्दर ताल्लुका में 63 प्राइमरी स्कूल खोले । 1841 में मद्रास नगर में एक हाई स्कूल खोला गया एवं 1852 में, उसमें कॉलेज विभाग खोला गया, शिक्षा बोर्ड ने भी दो अंग्रेजी स्कूल स्थापित किये । 1852 तक मिशनरियों ने 1185 स्कूलों का निर्माण किया पच्चप्पा से प्राप्त धन से 1842 में एक स्कूल खोला गया । मथुरा के जिलाधीश अलैक्जैण्डर ने हल्का बन्दी स्कूल की योजना बनाई, 1854 में इस प्रकार के 758 स्कूल थे । 1849 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए सरकार ने अमृतसर में एक स्कूल खोला तथा एक स्कूल लाहौर में भी खोला गया । 1850 में बरेली हाई स्कूल एवं 1853

में बनारस के जय नारायण घोषाल स्कूल को कॉलेज बना दिया गया । 1835 में कलकत्ता मेडीकल कॉलेज की नींव पड़ी । 1851 में मद्रास में मेडीकल स्कूल को कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया । 1854 में मुंबई में ग्राण्ट मेडीकल कॉलेज स्थापित किया गया, 1854 में पूना में इंजीनियरिग कक्षा तथा एक यंत्र शास्त्र का विद्यालय स्थापित किया गया । 1854 में रूड़की में टामसन इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ एवं 1856 में कलकत्ता में एक इंजीनियरिग कॉलेज का शिलान्यास हुआ । 1842 में कलकत्ता हिन्दू विद्यालय में कानून की शिक्षा की व्यवस्था की गई । मद्रास एवं मुंबई में कानून की शिक्षा का प्रबन्ध 1855 में किया गया ।

1853 में कम्पनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण हुआ, जिसके आधार पर बुड का घोषणा पत्र जारी हुआ । जिसमें निम्न सिफारिशें की गईं – भारतीयों की बौद्धिक एवं चारित्रिक उन्नति करना एवं राज्य के लिए शिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना, पाठ्यक्रम में प्राच्य साहित्य एवं विज्ञानों को स्थान दिया जाये, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाऐं हों । माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी का माध्यम हो, प्रत्येक प्रान्त में जन शिक्षा विभाग हो । लंदन विश्व विद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जायें, हाई स्कूलों में मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाये, सब प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए अनुदान प्रणाली प्रचलित की जाये, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों का प्रबन्ध किया जाये, स्त्री शिक्षा को सरकार द्वारा उदारतापूर्ण सहायता दी जाये, व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये, पुस्तकें देशी भाषा में लिखवाईं जायें, सरकारी नौकरियों में शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये ।

1857 की क्रान्ति के बाद शासन सत्ता का हस्तांतरण हुआ एवं ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली । 1856 तक सब प्रांतों में शिक्षा विभागों का निर्माण हो गया था और उनको प्रान्तीय शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया गया था । 1858 में सरकारी कर्मचारियों के लिए इतने कड़े नियम बना दिये कि उन्हें वैयक्तिक रूप से शिक्षण संस्थायें स्थापित करने की स्वतंत्रता नहीं रह गई । मिशनरियों के धर्म प्रचार पर अंकुश लग गया इस परिणाम स्वरूप भारतियों ने शिक्षा का प्रसार कर राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया । इसके बाद स्टेनले के आदेश पत्र से प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय कर लगा दिये गये । इस आदेश पत्र के बाद

माध्यमिक शिक्षा की आशातीत उन्नति हुई । वहीं उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास एवं पंजाब में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये । इसका प्रबंध सीनेट के द्वारा किया जाता था । उच्च शिक्षा के लिए सरकार, मिशनरियों और भारतियों ने अनेक कालेजों की स्थापना की । इसी समय व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत चिकित्सा,कानून, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, वन विभाग, कला और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई एवं अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रबन्ध किया गया ।

1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई । जिसने शिक्षा के सभी अंगो के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये – प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण के व्यवहारिक जीवन के लिए लाभप्रद बनाया जाये, शिक्षा का माध्यम देशी भाषाऐं हों, प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सोंप दिया जाये एवं स्थानीय कोष केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाये, देशी विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाये, माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया जाये एवं हाई स्कूल शिक्षा को और ब कोर्स में विभक्त कर दिया जाये । आयोग के सुझावों के फल स्वरूप भारतीय शिक्षा की निश्चित नीति का सूत्र पात हुआ और उसका प्रवाह तीब्र हो गया देश में प्राथमिक शिक्षा का जाल सा बिछ गया अंग्रेजी स्कूलों तथा कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ । अतः यह कहा जाये कि समाज के सभी वर्गों के शिक्षा का विकास हुआ । इसके परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा आयोग के सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया । इन संस्थाओं ने **1882** से **1902** तक प्राथमिक शिक्षा व्यय को बढ़ा दिया । इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की संतोषजनक प्रगति हुई और माध्यमिक शिक्षा की प्रगति में उच्च शिक्षा के विकास में योगदान दिया, भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयासों से अनेक कॉलेजों का निर्माण हुआ जैसे फर्ग्यूसन कॉलेज, दयानन्द एंग्लोवैदिक कॉलेज और सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज का निर्माण हुआ । इस काल में भी स्त्री शिक्षा की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई । मुस्लिम शिक्षा को सरकार ने विशेष प्रोत्साहन दिया इससे शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ साथ ही भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार ने हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया । इन जातियों के लिए बिशिष्ट स्कूलों का निर्माण किया गया, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों द्वारा पढ़ने के लिए प्रलोभित किया गया । सरकार ने इस काल में व्यवसायिक शिक्षा का भी विस्तार किया।

1899 में लार्ड कर्जन ने गवर्नर जनरल के रूप में इस देश में पदार्पण किया। उस समय यहां राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हो चुका था । कर्जन की शिक्षा में विशेष रूचि थी । अतः 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ । 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में सिफारिश की गई, कि विश्वविद्यालय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की सीमा में रहेंगे साथ ही माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया । मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आर्थिक सहायता दी गई और उनके निरीक्षण का प्रबन्ध कर दिया गया । लार्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बृद्धि करने एवं शिक्षण स्तर को उँचा उठाने की दिशा में सराहनीय कार्य किये साथ ही कृषि, कला और नैतिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया ।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत देश के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की । राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ भारतीय शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग प्रबल होती गई, राष्ट्रीय शिक्षा को छः सिद्धान्तों पर आधारित किया गया जिनमें भारतीय नियंत्रण, स्वदेश प्रेम की शिक्षा, दास अनुकरण का अंत, पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञानों का अध्ययन, अंग्रेजी प्रभुत्व का अंत एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल ।

1905 से 1919 तक बंगाल में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण किया गया । 1911 में बंगाल विभाजन के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन का भी अन्त हो गया । 1920 में जामियां मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्या पीठ , काशी विद्या पीठ, गुजरात विद्या पीठ आदि का निर्माण हुआ । लगभग सभी प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हुई । 1913 में शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सुधार हेतु अनेक सुझाव दिये गये । किन्तु उसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण यह क्रियान्वित न हो सके । 1916 से 1921 तक भारत में 7 नये विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ । सरकार ने इनको उदार आर्थिक सहायता दी । फल स्वरूप ये शिक्षण कार्य में कुशलता प्राप्त करने लगे । 1911 से 1921 तक 69 कॉलेजों की स्थापना हुई एवं सरकार से पर्याप्त सहायता मिलने के कारण इनका शिक्षण स्तर उच्च हो गया साथ ही इस काल में माध्यमिक शिक्षा की आशातीत प्रगति हुई । 1921 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7530 थी । इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, किन्तु अंग्रेजी माध्यम होने के कारण भारतीय भाषाओं का

विकास रूक गया । 1911 तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में बहुत तीब्रता रही । 1913 के सरकारी प्रस्ताव के फल स्वरूप सभी प्रान्तों में जिला परिषदों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण किया गया । परन्तु फिर भी प्राथमिक शिक्षा की संतोषजनक प्रगति नहीं हुई । सर्वप्रथम 1906 में बड़ौदा नरेश ने प्राथमिक शिक्षा को बड़ौदा राज्य के लिए अनिवार्य बनाया । वहीं 16 मार्च 1911 को केन्द्रीय धारा सभा में गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया पर वह पास न हो सका । 1918 के प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा मुंबई नगर के अतिरिक्त सभी नगर पालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया । 1919 में पंजाब संयुक्त प्रान्त बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अधिनियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई । 1913 के सरकारी प्रस्ताव के सुझावों के फल स्वरूप प्रत्येक स्तर पर स्त्री शिक्षा की प्रगति हुई । 1921 में 1263 लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं । अतः यह कहा जा सकता है कि 1905 से 1921 तक के काल में समाज के हर वर्ग एवं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई ।

1919 के अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित हो गया । शिक्षा विभाग को भारतीय मंत्रियों की अध्यक्षता में हस्तांतरित कर दिया गया । फलस्वरूप अनेक कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा का सराहनीय विस्तार हुआ । 1929 में हर्टांग समिति की नियुक्ति हुई, इस समिति ने भारतीय शिक्षा के सभी अंगो का अध्ययन किया एवं उसकी उन्नति के लिये अमूल्य सुझाव दिये इससे इस काल में उच्च शिक्षा की आशाजनक उन्नति हुई, दिल्ली, नागपुर, आंध्र, आगरा और अन्नमलई विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ एवं पुराने विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन किया गया । इस काल में माध्यमिक शिक्षा की भी उन्नति हुई तथा हर्टांग समिति ने सिफारिश की, कि हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं व्यापारिक विषयों को स्थान दिया जाये । प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किये गये। जिससे मुंबई, आसाम, संयुक्त प्रांत और बंगाल में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इस काल में व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा एवं अन्य जातियों की शिक्षा का भी विकास हुआ । राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए कुछ कर्मठ भारतीयों ने विशिष्ट शिक्षा संस्थायें स्थापित कीं । इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, विश्व भारती, गुरूकुल विश्वविद्यालय, दारूल उलूम, दारूल उलम, नन्द बत्तुल उलेमा

आदि । प्रौढ़ शिक्षा इस काल की प्रमुख विशेषता रही 1917 से पूर्व प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया । 1920 तक केवल मद्रास, मुंबई और बंगाल में रात्रि विद्यालय संचालक थे । 1921 के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया । प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना के बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम को अप्रैल 1937 में कार्यान्वित किया गया । संरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों का भेद समाप्त हो गया केन्द्रीय सरकार ने भी शिक्षा की ओर ध्यान दिया और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय, केन्द्रीय सूचना कार्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान समिति का संगठन किया ।

ऐवट एण्ड वुड रिपोर्ट जून 1937 में प्रस्तुत की गई, इसमें सामान्य शिक्षा एवं उसके संगठन के सम्बन्ध में बुड द्वारा अनेक सुझाव दिये गये । ऐवट ने व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए सुझाव दिये । इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा का अत्यधिक विस्तार हुआ । इसी समय त्रावणकोर, उत्कल, सागर और राजपूताना विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया । इस काल में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति सामान्य रही एवं प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अधिनियम पारित किये गये । व्यावसायिक शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा का विकास हुआ । इस काल में प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया डा० सैयद महमूद की अध्यक्षता में वयस्क साक्षरता के संबंध में एक समिति गठित की गई एवं आसाम में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य शिक्षा विभाग को सौंपा गया, बंगाल में ग्राम सभाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध किया गया, बिहार में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सबसे अधिक कार्य किया गया । स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये, पुलिस बंदी एवं चौकीदारों को साक्षर बनाया गया। मुंबई में प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया गया, पंजाब में प्रौढ़ शिक्षा की निशुल्क पुस्तकें वितरित की गईं , सिर्फ उ०प्र० में 725000 वयस्कों को साक्षर बनाया गया, मैसूर राज्य में भी साक्षरता अभियान चलाया गया ।

वहीं प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में नवीन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई । 1938 -39 में मध्य प्रान्त में विद्या मंदिर योजना को क्रियान्वित किया गया । इस योजना के अन्तर्गत उन ग्रामों में जहां 40 बालक-बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने योग्य थे, विद्या मंदिर स्कूल खोले गये, प्रत्येक विद्या मंदिर को भवन और 200 रू० वार्षिक आय की भूमि दी गई ।सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग 80 विद्या मंदिर

स्थापितें किये गये । वालण्टरी स्कूल योजना 1938 में मुंबई प्रान्त में कार्यान्वित की गई। इसके अन्तर्गत समितियों या व्यक्तियों द्वारा स्थापित किये गये स्कूलों को प्रोत्साहित किया गया। 1947 तक पूरे प्रान्त में 6684 बालण्टरी स्कूलों का संचालन किया जा रहा था । 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ और गांधी जी ने उनके समक्ष अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की, यही योजना बेसिक शिक्षा योजना के नाम से विख्यात हुई । जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया । 1938 में बेसिक शिक्षा योजना मध्य प्रान्त, उ०प्र०, बिहार, मुंबई, उड़ीसा और कश्मीर में कार्यान्वित की गई । 1944 में सार्जेण्ट शिक्षा योजना लागू की गई । जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करती है । इसकी मुख्य विशेषता इसकी व्यापकता है इसकी अभिधारणायें अत्यन्त निर्भीक हैं जो शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों पर सभी छात्रों को शिक्षा का समान अवसर देती हैं ।

1952–53 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करके केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की । अतः भारत सरकार ने मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । सरकार द्वारा आयोग के सुझावों का कार्यान्वयन करते हुए बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण उच्च्य शिक्षा समिति, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना, कृषि शिक्षा का विस्तार, इंजीनियरिंग कालेजों एवं प्राविधिक विद्यालयों का निर्माण एवं माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्यापन आदि लागू किया गया । अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 4 नवम्बर 1940 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया ।

भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग की नियुक्ति की । जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है । आयोग ने विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत सुझाव दिये, जिसमें शिक्षा और राष्ट्र लक्ष्य, शिक्षा की संरचना तथा स्तर, जिसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा तीन वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स, 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स, 2 या 3 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स, की सिफारिश की गई । शिक्षा की स्थिति अध्यापक

शिक्षा, छात्र संख्या और शैक्षिक अवसरों की समानता, विद्यालय शिक्षा का विस्तार विद्यालय पाठ्यक्रम, विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण, शिक्षा विधियां, मार्ग दर्शन और मूल्यांकन, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, व्यस्क शिक्षा इत्यादि के विषय में विस्तृत रिपोर्ट पेशकर क्रियान्वित करने की पुरजोर वकालत की।

1948 में ताराचन्द्र समिति ने माध्यम के स्कूलों को बहुमुखी बनाने की वकालत की। वहीं 1979 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति हेतु, राष्ट्रीय खुले विद्यालय की स्थापना की। 1981-82 में इस विद्यालय से 1672 छात्र सम्बन्धित थे। परन्तु 1989 में इनकी संख्या 51 हजार हो गई इन छात्रों में 37 प्रतिशत स्त्रियाँ, 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्र थे। इन छात्र छात्राओं का 75 प्रतिशत भाग 17 वर्ष से अधिक आयु का था। 1988 में 23691 छात्र-छात्राओं ने माध्यमिक स्कूल परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 1 जनवरी 1990 में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा खुले विद्यालयों के छात्रों ने प्रथमवार दी। राष्ट्रीय खुला विद्यालय 23 नवम्बर 1989 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत हुआ।

1992 में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कार्य योजना बनाई गयी। जिसमें निम्न बातों पर बल दिया गया। इसमें विशेषकर विज्ञान, व्यावसायिक तथा वाणिज्य के विषयों में लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की अधिकतम भागीदारी पर बल दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को पुनर्गठित करने, उन्हें स्वायत्ता प्रदान करने पर बल दिया गया है। 1992 में गठित कार्य दल को 1993 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, एवं राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को सलाह दी गयी कि वे आठवीं योजना अवधि के दौरान इसकी सिफारिशों को लागू करें।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 169 करोड़ रूपये व्यय किये, दूसरी योजना में 307 करोड़ रू० व्यय किये गये, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 418 करोड़ रूपये व्यय किये गये इसमें 9 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था का लक्ष्य रखा। चौथी योजना में शिक्षा पर 1213 करोड़ रूपये व्यय किये गये। इस योजना के उद्देश्य थे, कि 1975-76 तक 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना, सब बच्चों को 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा देना। 14 वर्ष तक प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना एवं प्रत्येक स्तर के बाद रोजगार के द्वार खोलना।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 1726 करोड़ रू० व्यय किये जाने का प्रस्ताव एवं शिक्षा के समान अवसरों की व्यवस्था, शिक्षा का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यों से सम्बन्ध शिक्षा का विकास एवं रोजगार से सम्बन्ध एवं शिक्षा की गुणात्मक उन्नति का लक्ष्य रखा गया । छठी योजना में शिक्षा पर प्रस्तावित व्यय 2524 करोड़ रूपये के साथ शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा आध्यात्मिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया ।

सातवीं योजना में शिक्षा पर प्रस्तावित व्यय 6382 करोड़ रू० था । इसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, साथ ही 15 - 35 वर्ष के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का लक्ष्य था । स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त 150 से अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । इस समय देश में 188 विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थायें हैं । 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई ।

वैदिक काल से लेकर नई सहस्त्राब्दि के पूर्व तक शिक्षा की स्थिति में समय-समय पर उतार चढ़ाव आते रहे । समय समय पर शिक्षाविदों एवं बुद्धजीवियों ने आयोगों के माध्यम से शिक्षा के सुधार एवं व्यापक बनाने हेतु सुझाव दिये । आज के परिवेश में यदि भारत की शिक्षा को विकासपरक, उद्देश्यपरक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा न कह सकें, तो सामान्य कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी । अतः अब आवश्यक है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए सम्पूर्ण साक्षरता हो, जिसे हम आज तक पूरा नहीं कर सके, जिससे अपना राष्ट्र समुन्नत राष्ट्रों के सामने अपना सिर उँचा कर सके।

समस्या का परिभाषीकरण

बुन्देलखण्ड बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है तथा इसमें शिक्षा का पूर्ण रूप से अभाव रहा है इसके पिछड़ेपन के कारणों में यहाँ संसाधनों का अभाव मुख्य रूप से रहा है फिर भी बुन्देलखण्ड का इतिहास अत्यधिक रोचक व रोमाचंकारी है। प्राचीन पांचालदेशीय इतिहास को छोड़कर भारत के किसी अन्य प्रदेश का इतिहास जोजांक भुक्ति (बुन्देलखण्ड) के साथ होड़ नहीं कर सकता है, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, प्राकृतिक, भौगोलिक तथा धार्मिक दृष्टियों से बुन्देलखण्ड अत्यन्त सौभाग्यशाली रहा है ।

बुन्देलखण्ड की कामनीय बसुन्धरा पर बाल्मीकि, वेद व्यास, भवभूमि, करूणरसपुरोधा, महाप्राण जगनिक के सपनों के घनश्याम, तुलसी, काव्यप्रेत केशव,बिहारी,पदमाकर, ईश्वरी, मुंशी अजमेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, घासी राम ब्यास तथा डा० व्रन्दावन लाल वर्मा , सेठ गोविन्द दास आदि साहित्य देवताओं ने साहित्य सुमन की वर्षा कर अधिक सुबासित तथा गौरान्वित बनाया और विश्व के कोने-कोने में यश दुन्दभी मचा दी ।

शिक्षा एक महत्वपूर्ण और सर्वव्यापी विषय है । अतीत काल से मनुष्य ने जागरूकता का परिचय देते हुये शिक्षा का जैविक आवश्यकता के रूप में उपयोग किया। क्योंकि मनुष्य जैविकी एवं शरीर विज्ञान की रचना से अपनी मूल प्रवृत्तियों एवं कमजोरियों के कारण अपना विकास करने में धीरे-धीरे सफल हो सका । यदि अतीत काल से देखा जाये तो शिक्षा, मनुष्य समुदाय की स्वाभाविक विशेषता रही है । अतः शिक्षा कभी अवरूद्ध नहीं रही । समयानुसार शिक्षा ने मनुष्य के सर्वोच्च आदर्शों को प्रवाहित किया है । देश, समय, समाज की आवश्यकतायें समय-समय पर बदलती रहती हैं । समाज के परिवर्तन ढांचे , मूल्यों, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है । शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों तथा समस्याओं का निरन्तर एवं सामंजस्य पूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है, और उसे उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा मानव दृष्टि को व्यापक बनाती है, और उनमें सामान्यीकरण एवं सूक्ष्म चिंतन की शक्ति बढ़ाती है, यह मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने की योग्यता देती है । शिक्षित लोग समय आने पर नेतृत्व करते हैं । शिक्षा उचित ढंग से नागरिक ही नहीं बनाती, अपितु लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है । शिक्षा उन सब शक्तियों, क्षमताओं और गुणों का विकास करती है, जिससे वे निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ सकें ।

आज का मानव शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि आज का शिक्षा का विकास आर्थिक विकास की अगुवाई कर रहा है । अतः शिक्षा इतिहास में प्रथम वार मनुष्य को उस समाज के लिए तैयार कर रही है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ अतः आवश्यक हो जाता है कि सभी को समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाये । जबकि संविधान में स्वयं **14** वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है । अतः आवश्यक है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए सम्पूर्ण साक्षरता हो, जिससे अपना राष्ट्र समुन्नत राष्ट्रों के सामने अपना सिर उँचा कर सके। अतः आवश्यक है कि शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाये



बुन्देलखण्ड का मानचित्र

पैमाना - 1 सेमी० = 11.7 किमी० लगभग

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०):- बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) की चर्चा करने पर मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि बुन्देलखण्ड क्या है, कितना है, कैसा है, कहाँ है इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान भूगोल के गर्भ में है । स्वाभाविक है, इस शोध ग्रन्थ में बुन्देलखण्ड का उ०प्र० क्षेत्र सीमाँकित है । अतः भौगोलिक दृष्टिकोंण से बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० को परिभाषित करना अति आवश्यक है ।

बुन्देलखण्ड यद्यपि एक ऐतिहासिक नाम है किन्तु निर्विवाद रूप से यह एक भौगोलिक इकाई है । भारत वर्ष के हृदय स्थल में स्थित बुन्देलखण्ड भारत के प्राचीनतम इतिहास के साथ अपना परिचय प्रस्तुत करता है तथा वर्तमान में भारत और उसकी राज्य सीमाओं को देखते हुए यह दो राज्यों में विभाजित है । मध्य प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड की सीमाओं और विस्तार के संबंध में विवाद हो सकता है, किन्तु उ०प्र० में स्थित बुन्देलखण्ड जोकि इस शोध प्रबन्ध का विषय क्षेत्र है निर्विवाद है । इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में दो मण्डलीय मुख्यालय झाँसी मण्डल एवं चित्रकूट मण्डल हैं जिसमें सात जिले - झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, कर्वी हैं । झाँसी मण्डल के अन्तर्गत झाँसी, ललितपुर एवं जालौन तीन जिले हैं, जबकि बाँदा (चित्रकूट मंण्डल) में चार जिले- हमीरपुर, महोबा, बाँदा एवं कर्वी हैं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० में **52** तहसील, **47** ब्लॉक, **44** नगर (कस्बे), **5234** गांव हैं, इस सम्पूर्ण भू-भाग का भौगोलिक क्षेत्रफल **29,520** वर्ग किलोमीटर है, जोकि सम्पूर्ण उ०प्र० का **10** प्रतिशत है , जबकि सन् **1991** की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या **61,09184** है और जनसंख्या घनत्व **228** व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । सन् **1991** में की गयी जनगणना के अनुसार झाँसी जिले की कुल जनसंख्या **14,29,678** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **8,63,342** थी तथा झाँसी जिले में कुल आवाद ग्रमों की संख्या **760** थी । ललितपुर जिले की कुल जनसंख्या **7,22,043** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **6,46,495** थी एवं आबाद ग्रामों की संख्या **689** थी । जालौन जिले की कुल जनसंख्या **12,19,377** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **95,0180** थी एवं आबाद ग्रामों की संख्या **942** थी । हमीरपुर एवं महोबा की कुल जनसंख्या **14,66,491** थी, जिनमें **12,11,846** ग्रामीण जनसंख्या थी, तथा आबाद ग्रामों की संख्या **917** थी । बांदा एवं चित्रकूट धाम कर्वी की कुल जनसंख्या **18,62,139** थी जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **16,22,718** थी, एवं आबाद ग्रामों की संख्या **1207** थी ।

दोनों मण्डलों में **22,79,150** व्यक्ति साक्षर थे । जिनमें पुरूषों की साक्षरता **49.90%** तथा महिलाओं की साक्षरता **20.34%** थी ।

मिशनरी :- ईसाई समुदाय के लोग मिशनरी कहलाते हैं पूर्वकाल में भारतवर्ष में ईसाई समुदाय के लोग नहीं थे यह लोग विदेशों से आकर भारतवर्ष में आये इतिहास से पता चलता है कि ईसाई लोग भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पहले आये और हिन्दुस्तान में एक कार्य योजना यानि मिशन बनाकर आये, उनकी कार्य योजना के पीछे उद्देश्य जो भी रहा हो, किन्तु ईसाइयों ने भारतवर्ष की गरीब, पिछड़ी एवं अशिक्षित जनसंख्या को चिकित्सा एवं शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अपनी कार्य योजना को अंजाम दिया । अपनी कार्य योजना के तहत उन्होंने चिकित्सालय एवं शिक्षालय खोले । इनकी इस कार्य योजना को मिशन कहा गया एवं संचालित करने वालों को मिशनरी कहा गया । आज पूरे भारतवर्ष में मिशनरियों के दो समुदायों द्वारा चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में बृहद स्तर पर चिकित्सालय एवं शिक्षालय कार्य कर रहे हैं प्रारम्भ से वर्तमान तक मिशनरियों ने अपने सेवा भाव से हिन्दुस्तानियों को अपनी ओर आकर्षित किया एवं उनकी सहानुभूति अर्जित की । बुन्देलखण्ड में मुख्य रूप से ईसाई समुदाय को दो भागों में बाटा गया है यह समुदाय कैथलिक एवं प्रोटेस्टेन्ट कहलाते है । अंग्रेजी शासन के विरूद्ध जब घृणा की भावना भारतीयों के मन में घर कर चुकी थी उस समय मिशनरियेां ने भारतीयों के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए एवं सहानुभूति अर्जित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा का सहारा लिया एवं अपनी सेवा भावना के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। बुन्देलखण्ड की अशिक्षा एवं गरीबी, भुखमरी तथा पिछड़ापन ईसाइयों के लिए उर्बरक क्षेत्र साबित हुआ और ईसाइयों का प्रभाव बढ़ता गया ईसाई समुदाय के लोग विभिन्न देशों से यहां आये जैसे अमेरिका, रोमन, जापान, ब्रिटेन आदि । अमेरिका के ईसाइयों को प्रोटेस्टेन्ट, मैथाडिस्ट जापान के, ब्रिटेन के प्रेस ब्रिटेनियन, रोम के रोमन कैथलिक आदि कहलाये एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्य प्रारम्भ किया उनका यह कार्य मिशन कहलाया और इस कार्य को करने वाले लोग मिशनरी कहलाये । आज जो भी क्रिश्चियन समुदाय है, वह आज मिशनरी के नाम से जाना जाता है ।

मिशनरी विद्यालय :- मिशनरी विद्यालयों से तात्पर्य ऐसे विद्यालयों से है जो प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च्य स्तर तक मिशनरियों द्वारा संचालित एवं स्थापित हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र

में मिशनरियों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है । **1858** में विद्रोह समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजी अधिकारियों ने बुन्देलखण्ड के विभिन्न अंचलो में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करनी प्रारम्भ की । **1858** में झॉसी, पिछोर, मोंठ, गरौठा, मऊ और पण्डवाहा में प्राथमिक स्कूल खोले गये, बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी छावनियां भी थीं । यहां कार्यरत सैनिक अधिकारियों के बच्चों को पाश्चात्य शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी साथ ही झॉसी रेलवे का प्रमुख केन्द्र था यहां भी काफी संख्या में ईसाई नौकरी आदि में आ चुके थे । अतः इन सभी की शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना आवश्यक थी । अतः उन्होंने बुन्देलखण्ड पर अपना ध्यान केन्द्रित कर बांदा जिले में प्रथम विद्यालय खोला था। मिशनरियों ने सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया । क्यों कि उनके द्वारा खोली गयी विभिन्न शिक्षण संस्थायें प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित थीं, आज की स्थिति में मिशनरी शिक्षा का प्रबन्धन झॉसी जिले में सबसे अधिक केन्द्रित है , यहां मिशनरियों के द्वारा संचालित अनेक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं । बुन्देलखण्ड में मुख्य रूप से दो प्रकार की मिशनरी शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही हैं ये शिक्षण संस्थायें रोमन, कैथलिक एवं प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों द्वारा संचालित हैं यहां मिशनरियों के द्वारा संचालित अनेक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र मे अपना योगदान दे रहे हैं । इन सभी मिशनरी संचालित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही है । अंग्रेजी शासन काल के बाद लोगों में अंग्रेजी के प्रति रूझान अवश्य हुआ, उसी का परिणाम है, कि आज भी भारत देश में लोग पश्चिमी शिक्षा की ओर दौड़ लगा रहे हैं । आज के परिवेश में जबकि लोकतंत्र हमारे ही हाथों में है हम अंग्रेजियत से उभर नहीं पा रहे हैं आज जन मानस का रूझान मिशनरी विद्यालयों की ओर बढ़ रहा है क्योंकि प्रत्येक अभिभावक अपने पाल्यों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और इन अभिभावकों की आकाक्षांओं को मिशनरी विद्यालय काफी हद तक पूरा कर रहे हैं । अतः लोग मिशनरी शिक्षा की ओर जा रहे हैं । इस शिक्षा से सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में मिशनरी शिक्षा की बुन्देलखण्ड की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है ।

बुन्देलखण्ड में क्षेत्र के हिसाब से मिशनरी विद्यालयों का जाल सा फैला हुआ है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां पर मिशनरी विद्यालय नहीं है, चाहे वह प्रोटेस्टेन्ट मिशनरी विद्यालय हो या कैथलिक मिशनरी । वर्तमान में बुन्देलखण्ड में संचालित प्रभावी

मिशनरी विद्यालय इस प्रकार हैं- चित्रकूट एवं झाँसी दोंनो मण्डलों में :- मानिकपुर में-1, कर्वी में -1, अतर्रा में -1, बांदा में - 2, कबरई में - 1, महोबा में -2 , चरखारी मे -1, कुलपहाड़ में - 1, राठ में -1, हमीरपुर में -2, उरई में -2, जालौन में -1, झाँसी में लगभग -15, मऊ में -1, बी०एच०ई०एल० में -1, बबीना में -1, ललितपुर मे -2, जाखलौन में -1, महरौनी में -1, इत्यादि लगभग विद्यालय हैं । इसमें कैथलिक मिशनरियों द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या ज्यादा है, जबकि प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियें द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या कम है, इनमें अधिकांश विद्यालय स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही स्थापित किये जा चुके थे । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित विद्यालयों में 90 प्रतिशत विद्यालयों ने उच्चतम विकास किया है । आज मिशनरी विद्यालयों में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध ा हैं । जबकि अन्य विद्यालयों में संसाधनों का अभाव है, यही कारण है कि जनमानस अपने पाल्यों को संसाधन पूर्ण विद्यालयों में शिक्षा हेतु भेज रहे हैं ।

शैक्षिक योगदान :- मिशनरी शिक्षा का बुन्देलखण्ड में बहुत बड़ा योगदान है बुन्देलखण्ड में मिशनरियों की शिक्षा का स्थान गौरवपूर्ण है यह केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया अपितु इसलिए भी कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का सूत्रपात किया और भारत के भावी भाग्य विधाताओं के समक्ष शिक्षा का भार वहन करने का आदर्श उपस्थित किया । इन कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था जन साधारण में ज्ञान का प्रसार करना । विदेशी परतंत्रता एवं मुस्लिम शासन की दीर्घावधि ने यहां की शिक्षा व्यवस्था को डगमगा दिया था, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच पली मुस्लिम शिक्षा पद्धति सामान्य जनता के ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकी । इस विषय में विदेशी मिशनरियों ने निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाकर भारी संख्या में व्यक्तियों को ज्ञान का रसास्वादन कराकर पथ प्रदर्शक का कार्य किया । यद्यपि बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण स्वतंत्रता के पूर्व से ही सरकार ने इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया और यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाये, तो पूर्व काल से ही यहां शिक्षण संस्थाओ का अभाव रहा और आज भी है । 1858 में विद्रोह समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजी अधिकारियों ने बुन्देलखण्ड के विभिन्न अंचलों में प्राथमिक स्कूलोंकी स्थापना की, मिशनरियों ने सर्वप्रथम झाँसी सम्भाग में प्राथमिक स्कूल खोले, जिनकी संख्या लगभग 28 थी । जनसंख्या के दृष्टिकोंण से यह स्कूल आवश्यकता से बहुत कम थे । धीरे-धीरे स्कूलों का विकास हुआ और 20वीं शताब्दी तक आते-आते इन स्कूलों

की संख्या 167 हो गई, इसके अलावा 39 प्राइवेट स्कूल भी स्थापित किये जा चुके थे । बुन्देलखण्ड में धीरे-धीरे मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए अनेक विद्यालय स्थापित किये। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झाँसी में मिशनरियों ने शिक्षण संस्थाओं का सबसे अधिक विकास किया, जो आज भी विकास की ओर अग्रसर हैं, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा कम है जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरियों द्वारा संचालित एक भी महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर पर मिशनरी शिक्षा का प्रयास कम दिखाई देता है बुन्देलखण्ड में आज भी शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के छात्रों को अच्छी एवं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है यद्यपि आज शिक्षण संस्थाओं में बढ़ोत्तरी हुई है, किन्तु आज यदि मिशनरी विद्यालयों को नजर अंदाज कर दिया जाये, तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत व्यक्ति, प्राथमिक शिक्षा से, एवं 30 से 40 प्रतिशत व्यक्ति माध्यमिक शिक्षा से, वंचित हो जायेंगे । अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । क्योंकि यदि मिशनरी विद्यालयों को अलग कर दिया जाये, तो बुन्देलखण्ड की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जायेगा । इसका कारण यह है, कि बुन्देलखण्ड के लगभग सभी शहर एवं कस्बों में मिशनरी विद्यालयों ने अपने पैर जमा लिये हैं, एवं यहां की जनता की भावनाओं को समझकर अपने विद्यालयों का विकास किया है । यह बात अलग है, कि इनके विद्यालय केवल माध्यमिक स्तर तक ही है अभी तक बुन्देलखण्ड में एक भी मिशनरी महाविद्यालय स्थापित नहीं हो सका है ।

समस्या का महत्व :- समस्या के महत्व एवं औचित्य को स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है । समस्या का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मिशनरियों के शिक्षा के प्रयास स्वतंत्रता के पूर्व 18वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुये थे, विदेशी हुकूमत ने भारत देश की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और मुख्य रूप से बुन्देलखण्ड पिछड़ा क्षेत्र रहा पूर्व में ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहां आये थे । उन्होंने अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही शिक्षण संस्थाओं का सहारा लिया जिसमें वे सफल हुए । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जन मानस को अपनी ओर आकर्षित करने

में मिशनरियों ने कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है । आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० में मिशनरियों की बहुत सी शिक्षण संस्थायें कार्य कर रही हैं । इन मिशनरी संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के मिशनरियों द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

आज का मानव शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से देख रहा है, आज की शिक्षा का विकास, आर्थिक विकास की अगुवाई कर रहा है । अतः शिक्षा इतिहास में प्रथम बार मनुष्य को उस समाज के लिए तैयार कर रही है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है । शिक्षा उन प्रथागत विधियों तथा क्षमताओं के ज्ञान को सम्प्रेषित करती है, जिनको समाज अपने दीर्घ जीवन और प्रगति के लिए अनिवार्य समझता है, साथ ही व्यक्ति को जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना है, जिससे उसके हितों का समाज के हितों के साथ न्यूनतम संघर्ष हो एवं वह समाज के आदर्शों के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सके ।

उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एवं पाश्चात्य सभ्यता की अन्धी दौड़ में मनुष्य अपने भविष्य को मिशनरी विद्यालयों में पूरा होता देख रहा है । इसीलिए इस क्षेत्र की जनता का रूझान मिशनरी संस्थाओं की ओर बढ़ रहा है । समाज को मिशनरी शिक्षा से काफी सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं । वैसे भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरियों का योगदान काफी बढ़ गया है । शिक्षण संस्थाओं का क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ मिशनरी शिक्षण संस्थाओं का तेजी से विकास भी हो रहा है ।

उपर्युक्त सभी विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, मिशनरी शिक्षण संस्थाओं के योगदान, आज के परिवेश में उनकी प्रासांगिकता तथा पाश्चात्य शिक्षा की ओर ले जाने के प्रयासों का अध्ययन करने की दृष्टि से ही मिशनरी शिक्षा को चुना है ।

अध्ययन की न्यायदर्शिता

मिशनरी शिक्षा के उद्‌देश्यों को स्पष्ट करते हुए मिशनरी शिक्षा की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता यानि सार्थकता का पता लगाना, कि मिशनरी विद्यालयों ने बुन्देलखण्ड के विकास में कहां तक सहयोग दिया है । अपने अध्ययन की नयायदर्शिता में आवश्यक आंकड़ों के संकलन में मिशनरी शिक्षण संस्थाओं का निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन करेंगे जो निम्न हैं - विद्यालय की स्थापना, संचालित करने वाली संस्था, विद्यालय का स्तर, भवन की स्थिति, शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या, संचालित विद्यालय की मान्यता, शिक्षण का माध्यम, प्रत्येक कक्षा का तीन वर्ष का परीक्षाफल, परीक्षाफल का प्रतिशत, विद्यालय

में प्रवेश की प्रक्रिया, विद्यालय को शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्ववित्त पोषित सहायता, विद्यालय के आर्थिक स्रोत, विद्यालय भवन के कक्षों का विवरण, फर्नीचर की स्थिति, शासन के माप दण्डों का आंकलन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि अन्य बहुत से बिन्दुओं पर संस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है साथ ही मिशनरी शिक्षण संस्थाओं के विषय में आम जनमानस की धारणाओं को जानकर उसका निष्कर्ष निकाला जायेगा जिससे यह ज्ञात होगा कि इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी शिक्षा की कितनी उपयोगिता एवं अनुपयोगिता है यानि सार्थकता का पता लगाना । प्रस्तुत शोध से यह भी ज्ञात होगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास में मिशनरी शिक्षण संस्थाओं ने कहां तक सहयोग एवं योगदान दिया है ।

मेरा प्रयास होगा कि शोध में आवश्यक आंकड़ों को ही संकलित किया जाये जिससे की परिणामों को सार्थकता की कसौटी पर कस कर रखने पर शुद्ध एवं निश्चित परिणाम प्राप्त हों । शोध को समष्टि के अनुरूप ही करने का प्रयास होगा । इसमें पक्षपात की भी सम्भावना नहीं होगी । मेरा प्रयास है, कि मेरे अध्ययन में वास्तविकता का प्रतिबिम्ब प्रदर्शित हो इसीलिए अपने अध्ययन में मैंने मिशनरियों की सभी संस्थाओं एवं विभिन्न प्रकार के मिशनरियों द्वारा संचालित संस्थाओं को समान रूप से अपने शोध में स्थान दिया है ।

अध्ययन के उद्‌देश्य

मनुष्य के मन में अनेकानेक विचार एवं कल्पनायें आती है जिसके अनुसार मनुष्य क्रियाशील होता है, उसके कार्य उद्‌देश्य परक होते हैं जिनसे वह अपने लिए सुख साधन तथा समस्याओं के निराकरण के हल खोजता है इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्‌देश्य हैं – **1-** प्राचीन काल से लेकर स्वातांत्रोत्तर बुन्देलखण्ड में मिशनरी शिक्षा के योगदान के विषय में ज्ञात करना , प्राचीन काल से बुन्देलखण्ड क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है पिछड़ा होने के कारण किसी ने भी इस क्षेत्र की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, स्वतंत्रता के पूर्व इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही डवां डोल रही । 18वीं शताब्दी में मिशनरियों ने इस क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं को प्रारम्भ किया किन्तु पूर्व में मिशनरियों का उद्‌देश्य इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपने धर्म का प्रयार करना ही था ।

2- मिशनरी विद्यालयों के संचालन, संस्थापना, आय-व्यय एवं आर्थिक सहायता के विषय में ज्ञात करना । मिशनरी विद्यालय मिशनरियों की किस संस्था के द्वारा संचालित हैं एवं

विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई विद्यालय के आय-व्यय एवं आर्थिक सहायता के स्रोतों के विषय में जानकारी करना ।

3- मिशनरी शिक्षा में भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय जनता के योगदान के विषय में ज्ञात करना । इन मिशनरी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए क्या योगदान दिया जाता है एवं प्रदेश सरकार तथा स्थानीय जनता का इन शिक्षण संस्थाओं को किस प्रकार का योगदान प्राप्त होता है का मूल्यांकन करना एवं वस्तु स्थिति का आंकलन करना ।

4- मिशनरी विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्यों का पता लगाना । मिशनरी विद्यालय स्थापित करने के पीछे मिशनरियों की क्या भावना रही एवं भविष्य में किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है ।

5- मिशनरी विद्यालयों की संख्या एवं उनका वर्गीकरण कर अध्ययन करना । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरियों द्वारा कितनी संस्थायें संचालित हैं उनकी संस्थाओं का पता लगाना एवं वर्गीकरण करना ।

6- मिशनरी विद्यालयों के प्रकारों, प्रबन्ध तंत्रों एवं संचालकों के विषय में अध्ययन करना ।

7- मिशनरियों की संस्थाओं की सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से तुलना करना।

8- इस क्षेत्र में मिशनरी शिक्षा के वर्तमान ढ़ाचे एवं परिवर्तनों के बारे में आवश्यक विचार प्रस्तुत करना ।

9- मिशनरी विद्यालयों का स्थानीय जनता के प्रति उपलब्धियों का पता लगाना ।

10- मिशनरी विद्यालयों के योगदान एवं शैक्षिक विकास का विधिवत् मूल्यांकन करना ।

प्रस्तुत शोध उपर्युक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है ।

अध्ययन की परिकल्पना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों द्वारा ईसाइयत का प्रसार हुआ है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों द्वारा शिक्षा का पाश्चात्यीकरण हुआ है । बुन्देखण्ड क्षेत्र में मिशनरी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है।

अतः यह कहा जा सकता है कि मिशनरी विद्यालयों द्वारा बुन्देलखण्ड में मिशनरी भावना का विकास हुआ है । मिशनरियों ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का

विस्तार इसलिए किया क्यों कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्धनता एवं पिछड़ापन अपना विस्तार कर चुका था । अतः मिशनरियों के लिए यह क्षेत्र उर्वरक एवं उत्पादक क्षेत्र सिद्ध हुये । इसके लिए मिशनरियों ने इस क्षेत्र के लिए चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा का सहयोग लिया अनाथालय खोले तथा इस क्षेत्र की भोली भाली जनता की सहानुभूति अर्जित कर इसके माध्यम से धर्म का प्रचार-प्रसार किया ।

प्रस्तुत शोध कार्य का नियोजन समय, धन एवं श्रम को दृष्टिगत रखकर किया जायेगा । शोध के आठ अध्याय होंगे । प्रथम अध्याय में प्रस्तावना के रूप में शोध का महत्व, भारतीय शिक्षा का विकास, समस्या की व्याख्या, अध्ययन की न्यायदर्शिता, शोध के उद्देश्य, शोध की परिकल्पना, शोध का सीमांकन, शोध के तथ्यों का संकलन, आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण आदि । द्वितीय अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि को लिया गया है, इसमें कृषि जलवायु संसाधनों आदि का विवरण दिया जायेगा । तृतीय अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत किया जायेगा । चतुर्थ अध्याय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के शैक्षिक विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एवं बाद से लेकर आज तक की स्थितियों का विवरण दिया जायेगा । पांचवे अध्याय में शोध विधि के विषय में विस्तार से वर्णन किया जायेगा । छठे अध्याय में आंकड़ों को एकत्रित किया है । सातवें अध्याय में आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या की है । आठवें अध्याय में शोध से प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किये जायेगें, एवं नवीन शोधों के लिए सुझाव भी दिये जायेगे । नौवें अध्याय में पूरे शोध का संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया जायेगा । एवं दसवे अध्याय में संदर्भ ग्रन्थों की सूची भी दी जायेगी ।

Repeated

अध्ययन का सीमांकन

शोध समस्या को यदि सीमाबद्ध न किया जाये तो उसका आकार प्रकार बड़ा विस्तृत हो जायेगा जिसमें समय, शक्ति एवं धन अधिक व्यय होगा उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है ।

विदेशी कम्पनियों के भारत आगमन एवं **1813** के घोषणा पत्र में विदेशी कम्पनियों को धर्म प्रचार की स्वतंत्रता देने के बाद से मिशनरियों की शिक्षा में प्रगति हुई तब से लेकर बुन्देलखण्ड में मिशनरी शिक्षा का गांवो, कस्बों एवं शहरों में विकास हुआ एवं मिशनरी शिक्षा का बुन्देलखण्ड की शिक्षा में योगदान बढ़ता गया आज की स्थिति में

इनके योगदान एवं विकास को नजर अंदाज कर यदि बुन्देलखण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र की शिक्षा का आंकलन किया जाये तो यहां की शिक्षा अधूरी है उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि मिशनरी शिक्षा की बुन्देलखण्ड के विकास में अहम भूमिका है । अतः स्वतन्त्रता पूर्व से आज तक मिशनरी शिक्षा के विकास तथा मिशनरी विद्यालयों के योगदान के विषय में विस्तृत अध्ययन अपने शोध में किया है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछड़ा होने के साथ-साथ अनेक समस्याओं से जूझ रहा है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र एक ओर जहां नदियों, पहाड़ों जलवायु एवं मिट्टियों आदि सम्पदाओं से धनी क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में सिचाई के साधनों का पूर्ण अभाव है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र अविकसित है । औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास नहीं हो पा रहा है जिससे यहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी सुलभ नहीं हो पा रहे हैं न ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यातायात एवं पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है अतः यह क्षेत्र देशकी प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर सका। क्योंकि पूर्व काल से शासकों ने इस क्षेत्र के विकास में कोई सहयोग नहीं दिया । स्वतंत्रता के बाद भी अभी तक की सरकारों ने इस क्षेत्र को विकसित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई । अतः यह क्षेत्र शिक्षा के विकास में भी पिछड़ता गया । आज भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षा के परम्परागत शिक्षण संस्थानों के अलावा विकसित शिक्षा के क्षेत्र अविकसित हैं साथ ही निरक्षरता, बेरोजगारी एवं भुखमरी इस क्षेत्र की शिक्षा एवं विकास के बाधक तत्व हैं ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र दो राज्यों में विभाजित है अतः समय एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए बुन्देलखण्ड के उत्तर प्रदेश क्षेत्र को ही लिया है यह बुन्देलखण्ड उ०प्र० वर्तमान में दो मण्डलीय मुख्यालयों चित्रकूट एवं झॉसी मण्डल में स्थित है जिसमें सात जिले -झॉसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एवं चित्रकूट धाम कर्वी जिले हैं इस क्षेत्र में **52** तहसील, **47** ब्लॉक, **44** नगर और **5234** गांव हैं तथा इसका भौगोलिक क्षेत्रफल **29,520** वर्ग किमी० है इसकी कुल जनसंख्या **61,09184** है तथा जनसंख्या घनत्व **228** व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है अतः उक्त क्षेत्र को ही लिया गया है । प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की प्रथम कड़ी है अतः मिशनरी विद्यालय इसमें कहां तक सार्थक हैं इसका पता जन मानस के रूझान एवं परिणाम तय करेंगे । आज मानव का प्रत्येक कर्म कल से संकलित है अतः मिशनरी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा कल के भविष्य का निर्माण कर रही है । कल यही बालक देश का भविष्य होंगे ।

तथ्य संकलन (आँकड़ों का संकलन)

शोध से संबंधित तथ्यों का संकलन प्राथमिक स्रोतों एवं गौण स्रोतों से किया जायेगा। प्राथमिक स्रोतों में दस्तावेजों , आलेखों, रिपोर्टों आदि को लिया है एवं गौण स्रोतों में प्राचीन इतिहास ग्रन्थ कोष आदि शिक्षा का महत्व एवं भारतीय शिक्षा का विकास को संकलित करने के लिए शिक्षा शास्त्र की पुस्तकों से शोध सम्बन्धित अंश छाँट एवं इस बिन्दु को विस्तार से वर्णित किया । समस्या के परिभाषीकरण के लिए सम्बन्धित शोध शीर्षक की शब्दों के आधार पर व्याख्या की । समस्या की न्यायदर्शिता हेतु सम्बन्धित शोध शीर्षक को लाभ - हानि, पक्ष-विपक्ष, तर्क - वितर्क आदि कसौटियों पर तौलकर शोध की न्यायदर्शिता को निरूपित किया है।

अध्ययन के उद्देश्य - मिशनरी शिक्षा के योगदान का वर्णन, मिशनरी विद्यालयों के संचालन, संस्थापन, आय-व्यय आर्थिक सहायता, शिक्षा का स्तर, आदि का वर्णन, मिशनरी विद्यालयों की, अन्य विद्यालयों से तुलना की । मिशनरी शिक्षा के वर्तमान ढांचे एवं परिवर्तनों के बारे में आवश्यक विचार इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर तथ्य संकलित कर शोध का निर्माण किया गया ।

अध्ययन की परिभाषा शीर्षक में - प्रस्तुत शोध का नियोजन समय एवं श्रम को दृष्टिगत रखकर किया एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के (उ०प्र०) भू-भाग को ही लिया एवं इसी क्षेत्र के तथ्यों का संकलन इस शोध में किया । अध्ययन का सीमांकन - शोध के सीमाबद्ध आंकड़े उ०प्र० के बुन्देलखण्ड क्षेत्र से ही संकलित किये गये । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इतिहास को विभिन्न संदर्भ ग्रन्थों एवं ऐतिहासिक ग्रन्थों से संकलित किया गया । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भौगोलिक इतिहास का सम्बन्धित मानचित्रों, संदर्भ ग्रन्थों एवं सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर तथ्यों को एकत्रित किया । बुन्देलखण्ड क्षेत्र के शैक्षिक विकास हेतु सभी मिशनरी विद्यालयों से तथ्यों का संकलन प्रश्न सूची विधि से किया । जिसमें एक प्रश्न सूची बनाकर उसके माध्यम से बांछित सूचनाऐं एकत्रित कर शोध में सम्मिलित की गई ।

बुन्देलखण्ड के शैक्षिक विकास को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से आज वर्तमान तक सभी दृष्टिकोणो से देखा पूर्व के संसाधनों एवं वर्तमान संसाधनों में अपेक्षा से अधिक बृद्धि शैक्षिक विकास का ही परिणाम है । अतः उक्त तथ्यों को अपने शोध में संकलित किया । शोध विधि में अध्याय एक से लेकर तृतीय अध्याय तक, एवं चतुर्थ अध्याय के पूर्व तक ऐतिहासिक विधि से सूचनायें एवं संदर्भ ग्रन्थों का सहारा लेकर

प्राथमिक एवं गौण स्रोतों से शोध को पूर्ण किया । चतुर्थ अध्याय को सर्वेक्षण विधि द्वारा एवं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पूर्ण किया । सर्वेक्षण के द्वारा मिशनरी विद्यालयों का व्यापक सर्वे किया एवं सर्वे के लिये समय प्रश्न सूची बनाकर उनसे बांछित सूचनायें एकत्रित की । इस प्रकार शोध में एतिहासिक विधि सर्वेक्षण विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि तीनों विधियों का समावेश किया गया तभी शोध में संदर्भ सूचनाये निष्कर्ष एवं परिणाम सामने आये तथ्यों को जांचने एवं परखने के लिए, सांख्यिकीय विधि द्वारा उनकी सत्यता की जांच की गई। ताकि शोध में त्रुटि की सम्भावना नगण्य हो एवं शोध परिणाम शत् प्रतिशत सत्य एवं यथार्थ हो ।

आंकड़ो का सांख्यकीय विश्लेषण

शोध एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सार्थकता एवं सत्यता का विशेष महत्त्व है । यदि शोध में सत्यता एवं सार्थकता नहीं हो तो शोध अर्थहीन हो जाता है । अतः आवश्यक है, कि शोध में हम जो भी जानकारी सम्मिलित कर रहे हैं, वह यथार्थ है या नहीं । उसकी सत्यता के लिए हम प्राथमिक एवं गौढ़ स्रोतों का सहारा लेते हैं एवं उसकी सत्यता की जांच के लिए संदर्भ ग्रन्थों का सहारा लेते हैं, संदर्भ ग्रन्थों का आधार लेने पर इस बात की सम्भावना नगण्य होती है, कि प्रस्तुत विचार किसी व्यक्ति विशेष की सोच तो नहीं क्यों कि संदर्भ ग्रन्थों में दी गई सूचनायें या विचार सभी की सन्तुष्टि एवं यथार्थ का प्रतिबिम्ब होते हैं । इसमें सभी की सहमति होती है, क्योंकि ग्रन्थों का निर्माण तार्किक विवेचन विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निर्णीत विचार होता है । अतः ऐतिहासिक सूचनाओं के लिए तो उपर्युक्त विधि सबसे उपयुक्त होती है । इसके अतिरिक्त नये आंकड़ों को जो हम सर्वेक्षण या प्रश्नोंत्तर द्वारा प्राप्त करते हैं की, सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रतिदर्श विधि द्वारा उनकी जांच करते हैं, उनका व्यापक विश्लेषण करने के बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ।

आंकड़ों का साख्यकीय विश्लेषण करने पर त्रुटि की सम्भावना शून्य रह जाती है शोध में आंकड़ों के सांख्यकीय विधि से विश्लेषण का बहुत ही महत्व है क्यों कि सांख्यकीय विधि द्वारा ही हम परिणामों की प्रमाणिकता की जांच सूक्ष्मतम् रूप में कर सकते हैं । अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, कि शोध के लिए प्राप्त आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक है, इसके बिना शोध की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकती है।



अध्याय - द्वितीय

अध्याय - द्वितीय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठ भूमि

भूमिका :- बुन्देलखण्ड के शैक्षणिक जगत में मिशनरी विद्यालयों के योगदान की चर्चा करने से पहले मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, कि बुन्देलखण्ड क्या है, कितना है, कैसा है, कहाँ है । इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान भूगोल के गर्भ में है । स्वाभाविक है, कि इस शोध ग्रन्थ का द्वितीय अध्याय बुन्देलखण्ड के भूगोल से सम्बन्धित है ।

बुन्देलखण्ड यद्यपि एक ऐतिहासिक नाम है, किन्तु निर्विवाद रूप से यह एक भौगोलिक ईकाई है । भारतवर्ष के हृदय स्थल में स्थित बुन्देलखण्ड भारत के प्राचीनतम इतिहास के बाद अपना परिचय प्रस्तुत करता है, तथा वर्तमान में भारत और उसकी राज्य सीमाओं को देखते हुए यह दो राज्यों मे विभाजित है । मध्य प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड की सीमाओं और बिस्तार के सम्बन्ध में विवाद हो सकता है, किन्तु उत्तर प्रदेश में स्थित बुन्देलखण्ड जोकि इस शोध प्रबन्ध का विषय क्षेत्र है, निर्विवाद है ।

इस बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वर्तमान में दो मण्डलीय मुख्यालय चित्रकूट धाम मण्डल एवं झाँसी मण्डल है जिसमें **7** जिले, **52** तहसील, **47** ब्लॉक, **44** नगर और **5234** गांव हैं । इस सम्पूर्ण भू-भाग का क्षेत्रफल **29520** वर्ग किमी० है, जोकि सम्पूर्ण उ०प्र० का **10** प्रतिशत है । जबकि सन् **1991** के जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या **61,09,184** है, और जनसंख्या घनत्व **228** व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है यह भू-भाग पृथ्वी के भौतिक उच्चावत, अपवाह, स्थिति, जलवायु, मृदा तथा वनस्पति आदि के साथ सम्बन्धों की चर्चा करता है, जोकि सीधे तौर पे किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था और उसके समाज को प्रभावित करता है । किसी भी नगर या क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हमें वहां के भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों की जानकारी हो। इन्हीं सब तथ्यों को लेते हुए उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अध्ययन - बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित है बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ० प्र० **24°11'** उत्तर **26°27'** उत्तरी अक्षांश **78°10'** से **81°34'** पूर्व में स्थित है । इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी से निर्धारित होती है, जबकि इसकी दक्षिण एवं पश्चिम की सीमा मध्य प्रदेश के अन्तर्गत पड़ती है, इसकी पूर्वी सीमा पर उ० प्र० इलाहाबाद पड़ता है । यह क्षेत्र उ०प्र०

का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है एवं अर्द्धविकसित क्षेत्रों के अन्तर्गत गिना जाता है यहां की जलवायु एवं सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र, में विभिन्नताऐं हैं, दूसरी ओर इसका इतिहास में अलग स्थान है ।

बुन्देलखण्ड के समस्त जिलों का सीमांकन इस प्रकार है- जालौन जिले की सीमा में माधौगढ़, रामपुरा, जगम्मनपुर, नदीगांव, कोंच के बाद दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में कानपुर जिला, पूरब में हमीरपुर का भाग एवं दक्षिण पूर्व की सीमा झाँसी जिले से लगी हुई है ।

झाँसी जिले की सीमा - उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश को छूती है यानि दो दिशाऐं मध्य प्रदेश से लगी हुई हैं एवं दो दिशाओं में हमीरपुर, महोबा एवं जालौन जिला लगा हुआ है एवं पश्चिम का कोना ललितपुर से घिरा है ललितपुर जिले की सीमा - ललितपुर जिले की सीमाऐं, पूरब में कुछ भाग झाँसी जिले की सीमा को छूता है एवं शेष भाग एवं दिशाऐं मध्य प्रदेश से घिरी हुई हैं ।

महोबा जिले की सीमा - महोबा के उत्तर में हमीरपुर जिला, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा, पूरब में बांदा जिले की सीमा, एवं पश्चिम में झाँसी जिले की सीमा है ।

हमीरपुर जिले की सीमा - हमीरपुर के उत्तर में कानपुर देहात लगा है, दक्षिण में महोबा जिला, पूरब में बांदा, और पश्चिम में जालौन जिला लगा हुआ है ।

बांदा जिले की सीमा - बांदा जिले के उत्तर में फतेहपुर, पूरब में चित्रकूट, पश्चिम में महोबा एवं हमीरपुर, एवं दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश की सीमा है ।

चित्रकूट जिले की सीमा - दक्षिण दिशा में फतेहपुर की सीमा को छूती है एवं पूरब में इलाहाबाद तथा कौसाम्वी नगर को छूती है पश्चिम दिशा में बांदा जिले की सीमा को छूती है ।

वर्तमान का बुन्देलखण्ड प्राचीनकाल में विभिन्न नामों से जाना जाता था इसकी भौगोलिक पृष्ठ भूमि प्राचीन समय में भी निर्धारित थी । भारत के मध्य भाग नर्मदा के उत्तर और यमुना के दक्षिण, विन्ध्यांचल पर्वत की शाखाओं से समाकीर्ण और यमुना की सहायक नदियों के जल से सिंचित सृष्टि सौन्दर्याक्रलंत जो भाग है उसे ही बुन्देलखण्ड कहते हैं । [1]

1. बुन्देलखण्ड का इतिहास - श्री गोरेलाल तिवारी, अध्याय -1, पृष्ठ -2

प्राचीन काल में ओरछा राज्य का विस्तार उत्तर में यमुना से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, और पश्चिम मे चंबल से, पूर्व में टोंस तक था । इस प्रदेश की सीमा राज्य के आधार पर घटती बढ़ती रही है, और नाम भी समय समय पर बदलते रहे । [1]

अभी तक बुन्देलखण्ड की सीमाओं का निर्धारण जो समय समय पर बदलता रहा है, उसे भूगोल बेत्ताओं ने अपने अपने दृष्टिकोंण से निर्धारित किया है । प्रसिद्ध भूगोल बेत्ता श्री एम०एस०अली के पुराणों के आधार पर बिन्ध्य क्षेत्र के तीन जनपदों विदिसा, दशार्ण एवं करूष की स्थिति का परिचय दिया उन्होंने विदिसा का ऊपरी बेतवा के बेसिन से, दशार्ण का धसान, और उसकी धाराओं की प्रमुख गहरी घाटियों द्वारा चीरा हुआ सागर प्लेटों तक फैले प्रदेश से तथा करूष का सोन नदियों के बीच के समतलीय मैदान से समीकरण किया है, तथा त्रिपुरी जनपद जबलपुर की नर्मदा घाटी से लेकर मण्डला नरसिंहपुर जिलों के कुछ भाग को बुन्देलखण्ड माना है । [2]

जयचन्द्र विद्यालंकार ने भी बुन्देलखण्ड सीमाओं का निर्धारण इस प्रकार से किया है । विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड को तीसरा प्रांत माना है, जिसमें बेतवा, धसान और केन के नदी क्षेत्र एवं नर्मदा की ऊपरी घाटी और पंचमणी के अमरकण्टक तक का पर्वतीय क्षेत्र शामिल किया है । इसकी पूर्वी सीमा टोंस नदी है । यह सीमा पुराणों के अनुसार है । [3]

श्री गोरेलाल तिवारी ने इस क्षेत्र को संकुचित करते हुए यह माना है, कि इस भू-भाग में यमुना का प्रचण्ड प्रवाह, पश्चिम में मन्द-मन्द बहने वाली चंबल औरसिन्धु नदियां, और दक्षिण में नर्मदा नदी तथा पूर्व में बघेलखण्ड है । यही उनकी दृष्टि से बुन्देलखण्ड क्षेत्र है । [4]

बुन्देलखण्ड की सीमाऐं निर्धारित करने के लिए उस क्षेत्र के मानचित्र को ध्यान में रखें, तथा इस दोहे को भी ध्यान में रखें ।

इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस ।
छत्रसाल सो लरन की, रही न काहू हौंस ।।

तो स्पष्ट होता है कि यमुना, नर्मदा, चंबल, टोंस यही मध्य भाग को बुन्देलखण्ड का

1- भूगोल के देशी राज्य अंक, पृष्ठ -79
2- दि जॉग्रफी ऑफ दि पुराणाज, लेखक-एस०एम० अली, संस्करण 1966, पृष्ठ - 159-60
3- भारत भूमि और उसके निवासी, लेखक- जयचन्द्र विद्यालंकार, संस्करण -1931, पृष्ठ -65
4- बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, लेखक-गोरेलाल तिवारी, संस्करण सम्बत 1980, पृष्ठ -1

क्षेत्र माना जाता रहा है । पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंगा से दक्षिण, इलाहाबाद तथा मिर्जापुर जिलों के भाग और चंबल से पूर्व ग्वालियर, भोपाल आदि के भाग तथा सागर, दमोह, जबलपुर जिले आते हैं । इसी प्रकार चंबल से पश्चिम ग्वालियर राज्य के उत्तरी भाग भी आते हैं । आगरा के बटेश्वर में चंदेलों के लेख हैं । अल्वेरूनी नें इस नगर को जेज्जाक मुक्ति के अन्तर्गत माना है । विक्रम सिंह के लेख में उस राज्य वंश का चंदेलों का माण्डलिक होना लिखा गया । यह लेख ग्वालियर से **76** मील दक्षिण पश्चिम दूध कुण्ड ग्राम में मिला है । इसीलिए जुझौतिया क्षेत्र को बुन्देलखण्ड माना जा सकता है । [1]

बुन्देलखण्ड को बिन्ध्य पर्वत माला प्राप्त है, और यह पर्वतों का एक समतल नीचा पठार है । जो भारत के मध्य में कर्क रेखा पर स्थित है । बुन्देलखण्ड भारत वर्ष का ह्रदय माना जाता है । इसका अंक्षाश **26.23** के लगभग, देशान्तर **78.82** के लगभग है । प्राकृतिक दृष्टिकोंण से इस प्रदेश को विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों और पुण्य सरिताओं का वरदान प्राप्त है । समुद्र तल से इसकी उँचाई **400** फुट से **3000** फुट तक है, इसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक **366** मील तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम **280** मील है, समुद्र इसकी सीमा से पूर्व और पश्चिम दोनों ओर **300** मील से अधिक दूर है, प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोंण से बुन्देलखण्ड सब प्रकार के विपरीत तत्वों का एक बड़ा सजीव क्षेत्र है । इसकी सीमा पड़ोसी उत्तर में जमुना पार के बृज कन्नौज और अबध जनपद दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य पूर्व बघेलखण्ड और छत्तीसगढ़ जनपद, और पश्चिम में मालवा जनपद और राजस्थान राज्य हैं । [2]

बुन्देलखण्ड की प्रकृति बहुत ही विविधतापूर्ण तथा मानव जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल व रमणीय है इसकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक सीमाऐं परिपूर्ण और सम्पन्न है और यह आवादी और क्षेत्रफल में भारत के कितने ही प्रांतों से आगे है हमारा वैभवशाली क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों में बंटा हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के **7** जिले तथा मध्य प्रदेश के **22** जिले सम्मिलित हैं । [3]

....

1- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन – श्री गोरेलाल तिवारी, संस्करण सम्वत् 1989 पृष्ठ सं० – 15
2- बुन्देलखण्ड का इतिहास – लेखक श्री मोतीलाल त्रिपाठी ''अशान्त'' संस्करण 1991 पृष्ठ सं० – 2
3- बुन्देलखण्ड का इतिहास – लेखक श्री मोतीलाल त्रिपाठी ''अशान्त'' संस्करण 1991 पृष्ठ सं० – 3 -4

इस क्षेत्र में गर्मी, सर्दी तथा वर्षा ऋतु के मौसम होते हैं कुछ स्थानों में समानता है तथा कुछ स्थानों में इसकी भिन्नता है, जहां पहाड़ अधिक हैं, वहां गर्मी एवं सर्दी ज्यादा पड़ती है । यहां वनस्पतियाँ एवं खद्यान्न अच्छी मात्रा में होते हैं इस क्षेत्र की भूमि में भी विभिन्नता है । [1]

इस क्षेत्र के समस्त मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद इस क्षेत्र का क्षेत्रफल **48.310** वर्ग मील ज्ञात हुआ । बुन्देलखण्ड के सभी जिलों का अलग-अलग क्षेत्रफल इस प्रकार है - बांदा - **7624.00** वर्ग किमी०, हमीरपुर - **4098** वर्ग किमी०, जालौन - **4565.00** वर्ग किमी०, चित्रकूट - **3513.00** वर्ग किमी०, झाँसी - **5024.00** वर्ग किमी०, ललितपुर - **5039.00** वर्ग किमी०, महोबा - **3068.00** वर्ग किमी० है । [2]

मुंशी श्यामलाल ने इसका क्षेत्रफल **30817** वर्ग मील माना है, मध्य भारत के गजेटियर में **9852** वर्ग मील, तथा **11600** वर्ग मील लिखा है, दो हजार वर्ग मील का अन्तर इलाहाबाद और मिर्जापुर के जिलों के अंशों का है, जिसमें गजेटियर में बुन्देलखण्ड का अंश माना है । [3]

आजादी के बाद यह क्षेत्र कुछ दिनों तक बिन्ध्य प्रदेश में रहा और संयुक्त प्रांत में रहा । प्रांतों का पुनर्निमार्ण होने के बाद इसके **7** जनपद उ०प्र० में झॉसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल **29418** वर्ग किमी० है इसमें झॉसी मण्डल का क्षेत्रफल **-14628** वर्ग किमी, एवं बांदा मण्डल का क्षेत्रफल **14790** वर्ग किमी० है । झाँसी मण्डल के अन्तर्गत, झाँसी कमिश्नरी मुख्यालय है, जिसके अन्तर्गत तीन जिले झॉसी, ललितपुर एवं जालौन हैं, चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत कमिश्नरी मुख्यालय बांदा है, जिसके अन्तर्गत चार जिले -हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट धाम कर्वी हैं । [4]

धरातलीय संरचना :- बुन्देलखण्ड की धरातलीय संरचना विन्ध्याचल की पर्वत श्रंखलाओं से अच्छादित होने के कारण पहाड़ी एवं पठारी है । बुन्देलखण्ड में कुछ मैदानी जनपद भी हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र का झाँसी जनपद में पहाड़ी, पठारी एवं असमतलीय ध रातलीय संरचना है, जो अपर्याप्त आकार वाले वर्षा जल को भी संचित करने में समर्थ नहीं है । बुन्देलखण्ड **24"=00** से **26"=00** उत्तरी अक्षांश एवं **77".5** से **79".5** पूर्वी

1- बुन्देलखण्ड का इतिहास - लेखक श्री मोती लाल त्रिपाठी अशांत संस्करण 1991 पृष्ठ संख्या -4 -6
2- सांख्यकीय पत्रिका - झाँसी मण्डल झाँसी - 1993 एवं मानचित्र, उत्तर प्रदेश (बुन्देलखण्ड)
3- बुन्देलखण्ड का इतिहास - भाग एक, लेखक- दीवान प्रतिपाल सिंह, पृष्ठ संख्या - 7
4- सांख्यकीय पत्रिका - झाँसी मण्डल झाँसी - 1993

देशान्तर के मध्य कुछ लम्बाकार बटा भू-भाग है, जिसके पूर्व में बघेलखण्ड, पश्चिम में भिण्ड भदावर, उत्तर में अन्तवेद और दक्षिण में मालवा और गौडवाना आदि सांस्कृतिक इकाइयाँ स्थित हैं । बुन्देलखण्ड की बोली बुन्देली है जो यमुना, नर्मदा के मध्य की ताली सिन्धु पहूज, बेतवा, जामुनी, धसान, नीला बेरमा, सोनार, हिरन और केन के कछारी भू-भाग के ग्रामीण अंचलों में बोली और समझी जाती है, जिसका केन्द्रीय स्थल झाँसी है । यहां बुन्देलखण्ड की अधिकांश भूमि पठारी, पथरीली और कंकरीली है, जिसे राँकड़ कहा जाता है । उत्तरी एवं दक्षिणी बुन्देलखण्ड की कुछ भूमि काली किस्म की है, जबकि मध्य भाग की भूमि ऊँची नीची टौरियाड है । उत्तरी दक्षिणी पट्टियों की भूमि समतल एवं उपजाऊ है । मध्य बुन्देलखण्ड की टौरियाड भूमि में भी यत्र तत्र मोटी पटरूआ काँकर काबर मार पड़ुवा, छापर और छिनकी जैसी विभिन्न प्रकार की भूमि प्राप्त है, जो जल के बहाव और ठहराव के आधार पर निर्मित होती रहती है । यहां की नीची और समतल भूमि कृषि कार्य और ऊँची टौरियाऊ भूमि आवास के उपयोग में लाई जाती है । दो टौरियों अथवा पहाड़ियों के मध्य नीची भूमि में पत्थरों से सफलतापूर्वक तालाब और बन्धियां बना लेना यहाँ की विशेषता है । पहाड़िया सुरक्षित और सुरम्य दुर्गों के निर्माण में भी उपयोगी हैं । [1]

बुन्देलखण्ड का ढाल उत्तर की ओर है, इस कारण वर्षा का समूचा जल टौरियों एवं पहाड़ियों के मध्य के ढालों से दक्षिण से, उत्तर दिशा की ओर, प्रभावित होता रहता है । यहाँ की प्रमुख नदियों में यमुना, सिन्धु, पहूज, बेतवा, धसान, वीला, केन, वाछिन, सोनार, बेरमा, हिरन, जामुनी, जमडार, सजनाम, उर उर्मिल, पटनै और नर्मदा है । केवल नर्मदा कछार का ढाल उत्तर से दक्षिण को है, यहाँ की नदियाँ पठारी होने से तेज प्रवाही हैं, अधिकतर राज्यों जिलों एवं गांवों की सीमायें नदियों और नालों से प्राकृतिक बनी हुई हैं, बुन्देलखण्ड का अधिकांश भाग विशेषकर मध्य की पठारी भूमि वनाच्छादित है । [2]

बुन्देली क्षेत्र की सभी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है, और बहाव उत्तर प्रदेश के बुन्देली सम्भाग में, इस कारण इन नदियों पर बाँध बनवाने के लिए दो राज्य

1- बुन्देलखण्ड का इतिहास - लेखक श्री मोती लाल त्रिपाठी अशांत संस्करण 1991 पृष्ठ संख्या -6-7
2- बुन्देलखण्ड का इतिहास - लेखक श्री मोती लाल त्रिपाठी अशांत संस्करण 1991 पृष्ठ संख्या -7-8

सरकारों की सहमति होना आवश्यक है, इस कारण कई योजनाऐं सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गईं हैं । इस कारण सिचाई के अभाव में विशाल उर्वरक भू-भाग बेकार पड़ा है, उद्योग स्थापना की सम्भावना भी बिजली पानी की सुविधा के बिना सम्भव नहीं है ।

भौतिक भूगोल के कारक

जल प्रवाह :- बुन्देलखण्ड में मुख्य रूप से चार नदियाँ ऐसी हैं जो बुन्देलखण्ड की सीमा का निर्धारण करतीं हैं, इन नदियों के नाम यमुना(सोन), धसान बेतवा, सिन्धु है । इन चारों नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही, बुन्देलखण्ड माना जाता है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में धसान और केन जैसी नदियां हैं बहुत सी सहायक नदियों से इन नदियों में जल आता है कुछ क्षेत्रों को लेकर यह समूचा प्रदेश पहाड़ों से घिरा है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर इस क्षेत्र का ढाल है । इसी कारण सभी नदियों का प्रवाह इसी ओर है । बड़ी-बड़ी नदियां देश के दक्षिण भाग से निकलकर विन्ध्याचल श्रेणी को तोड़ती-जोड़ती जाकर यमुना में मिली हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि विन्ध्याचल पर्वत एक दीवाल की तरह है दक्षिण की ढाल को उत्तर की ओर मोड़ देती है, इन नदियों का प्रवाह तेज है, यह उँची-उँची चट्टानों से टकराती मैदानों में आती है । वर्षा ॠतु में इन नदियों में बहुत तेजी से बाढ़ आती है, बाढ़ समाप्त होने के बाद इन नदियों में बालू और पत्थर रह जाते हैं इन नदियों से कृषि को फायदा उस समय तक नही हुआ जब तक बांध नहीं बना दिये गये । वर्तमान समय में इन नदियों में जगह-जगह बाँध बनाये गये हैं, इनसे नहर निकालकर सिचाई की जाती है इस क्षेत्र की बड़ी-बड़ी नदियां यमुना, नर्मदा, चंबल, टौंस महानदी, केन, बेतवा, सिन्धु बागे, सुनाड़, देवास, उर्मिल और पहूज है, यह नदियाँ विभिन्न स्थानों से प्रवाहित होकर इस देश को हरा भरा बनाने में सहायक है । प्रमुख नदियों का वर्णन इस प्रकार है-

यमुना:- बुन्देलखण्ड की जलापूर्ति के लिए यमुना प्रमुख नदी है, जबलपुर से लेकर भोपाल तक नर्मदा के किनारे तक का पानी बहकर यमुना में पहुँचता है, यह नदी देश की उत्तरीय भाग में जालौन, हमीरपुर, बांदा आदि की सीमा पर बहती है । चम्बल, सिन्ध,

बेतवा, धसान, बागैं, केन, पयस्विनी आदि बड़ी नदियाँ यमुना में जाकर मिलती हैं जालौन जिले के उत्तर पश्चिम सीमान्त, जगम्मनपुर जागीर के सितौरा गॉंव के निकट आकर ग्वालियर भिण्ड जिले के उत्तर पश्चिम में इस नदी की सीमा पर पहुँचती है। सितौरा के निकट सिन्धु मिलती है यहाँ से यमुना इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है।

बेतवा :- यह नदी भोपाल राज्य में नर्मदा के किनारे के पर्वतों से निकली है कुछ लोगों का अनुमान है कि यह भोपाल ताल से निकली है यह नदी ४०० मील लम्बी है मालवा और बुन्देलखण्ड में प्रवाहित होती हुई यमुना में मिल जाती है। प्राचीन काल में इस नदी को मालवा नदी के नाम से पुकारा जाता था। इस नदी के किनारे भोपाल राज्य सागर, ग्वालियर, ललितपुर, झाँसी, ओरछा, जालौन, हमीरपुर आदि पड़ते हैं। इस नदी के किनारे भेलाना, देवगढ़, चन्देरी आदि बहुत से प्राचीन नगर हैं बीना, नारायण, जामने जर्यान इसकी सहायक नदियाँ हैं। धसान भी हमीरपुर जिले के राठ तहसील के सैदीना गाँव के पास जहाँ झाँसी जिले की सीमाऐं मिलती हैं, इसी में आ मिली।

धसानः- यह नदी भोपाल राज्य के सिड़मउ पहाड़ी से निकली है, और बुन्देलखण्ड की मुख्य नदियों में से एक है, इसके मार्ग में भोपाल, सागर, झाँसी, ओरछा, बिजावर, बीढ़र, सिगनी, गरौली आदि पड़ते है। झॉसी के निकट चन्दवारी गांव के पास यह बेतवा में मिल जाती है इसको पार करने के लिए वर्तमान समय में कई पुल इस क्षेत्र में बना दिये गये हैं इसके पहले इस नदी को पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था।

केनः- यह नदी जबलपुर जिले के पश्चिमी कैमूल पहाड़ों से निकलती है यह नदी थोड़ी दूर बहकर आगे चली जाती है। यह नदी पूरे बुन्देलखण्ड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। बाँदा में, बाँदा जिले के चिल्लाघाट में आकर यमुना से मिल जाती है। इसके रास्ते में पन्ना, छतरपुर आदि पड़ते हैं, यह मिरवां के निकट बांदा में दाखिल होती है। चरखारी और गौरिहार की सीमाओं में बहती हुई चिल्ला में यमुना से मिलती है बांदा जनपद के जसपुरा गांव के पास यह नदी घूमकर फिर सीध में आई है। इसके संबंध में

यह कहावत है कि एक लुटेरे सरकार हिमायुँ ने झझरी गाँव में एक किला बनवाया था, और पलानी के निकट नदी की धारा को बांध कर उसका पानी अपने किले के नीचे बहाकर लाया था, फिर फकीर के श्राप से यह बाँध टूट गया, यह बात जांच करने पर सत्य पाई गई । इस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती अथवा शुक्तमती था, इस संबंध में भी एक कथा प्रचलित है । वर्षा के समय आज भी कई स्थानों पर इसे नांव द्वारा पार किया जाता है । वर्तमान समय में इसमें कई स्थानों पर सड़क और रेल के पुल बने हैं गंगमउ और दरियापुर बाँध भी, इसी नदी में बने हुये है । सुनाड़, ज्यार, श्यामरी, उर्मिल आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं ।

बागैं नदी :- यह नदी पन्ना राज्य के गौहारी गांव के निकट एक पहाड़ी से निकली है, और कमासिन तहसील जिला बांदा में विलास गांव के सीप यमुना से मिल जाती है बांदा में इस पर रेल का पुल है अब इसे पार करने के लिए पक्का पुल बन गया है । इस नदी के किनारे कुछ दूर पर कालिंजर दुर्ग बना है इसके किनारे हीरे की खाने भी हैं।

पैसनी :- यह नदी पाथर कछार राज्य से निकली है यह पाथर, कछार तथा चौवें जागीरों को बांदा से अलग करती है । मझगवां गांव के पास बहुत गहरी हरी घाटियाँ हैं, और कगारें हैं । नदी के संबंध में एक किबंदन्ती है, कि रामचन्द्र जी ने भरद राक्षस को मारकर इसमें फेक दिया था, उसी वजह से नदी में बड़े-बड़े गढ्ढे हो गये हैं । भरत कुण्ड के संबंध में भी यही कथा कही जाती है, इसके जल प्रपात वर्षा में बड़े सुन्दर लगते हैं । अनुसुइया और फटिक सिला इसके किनारे हैं, भगवान रामचन्द्र जी ने कुछ समय तक इस नदी के किनारे व्यतीत किया था । कर्वी के पास इस नदी का पुल है । पैसनी का नाम मंदाकिनी भी है, यहां पर कुण्ठार नामक एक गहरा नाला भी है जिसे सीमापुर में पन्ना के राजा अमार सिंह ने खुद बनवाया था और वहीं पर एक बुर्ज बनवाया था । [1]

मिट्टियाँ :- बुन्देलखण्ड की भूमि में एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है । यहाँ ऊँचे-नीचे पहाड़, छोटी-छोटी पहाड़ियां, नदियाँ, हरे-भरे जंगल कहीं लाल, कहीं काली,

1- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक - राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली

कहीं पथरीली और कहीं उपजाऊ मिट्टी मिलती है। यहां की भूमि विचित्र है यहां की अधिकतर भूमि पहाड़ों एवं वनों से घिरी हुई है, यहां पर मौसम का भरोसा नहीं किया जा सकता है, किन्तु अधिकांश क्षेत्र असिंचित होने के कारण मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है । बुन्देलखण्ड में तीन प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं ।

1- बलुआ पत्थरों की लाल मिट्टी ।
2- पतरूआ और दोमट रूप में ।
3- काली लवा मिट्टी ।

बुन्देलखण्ड भारत की विभिन्न प्राकृतियों का सामंजस्य स्थल है । अतः इस पावन पुनीत क्षेत्र में अपूर्व उर्वरा शक्ति है । अतः इस प्राकृतिक बनावट को निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं यहां पर भूमि की बनावट को देखें, तो यहां अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र हैं, परन्तु जहां भी मैदानी भाग हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं ।

1- मार मिट्टी - यह भूमि काली होती है तथा इसमें कुछ-कुछ सफेदी की झलक होती है, यह थोड़े पानी में गीली हो जाती है ।
2- रोनी मार भूमि - इसे मार दोयम भी कहते हैं यह हल्के काले रंग की होती है ।
3- कावर भूमि - यह बिल्कुल काले रंग की होती है ।
4- पड़ुआ किस्म अव्वल भूमि - यह पीले और काले रंग की होती है
5- पड़ुआ किस्म दोयम भूमि - यह मिट्टी कुछ हल्की भूरी तथा कोमल होती है ।
6- राकड़ किस्म अव्वल भूमि - यह लाली लिये हुये होती है इसमें पत्थर के छोट-छोटे टुकड़े मिले हुये होते हैं ।
7- राकड़ किस्म दोयम - इसमें पत्थर के बड़े-बड़े कण होते हैं और इसका रंग लाल होता है ।
8- हड़कावर भूमि - यह कावर के जाति की है, इसको जोतने के समय बड़े-बड़े ढेले हो जाते हैं ।
9- दौन भूमि - यह भूमि दो पहाड़ों के बीच में मिलती है और लाल रंग की होती है इसमें यह विशेषता है कि राकड़ भूमि की तरह झड़ती नहीं है और कम पानी बरसने से सूखती नहीं है ।

10- दो माटिया भूमि – जहाँ की भूमि मोटी भाक और पड़ुआ मिली हो उसे दो माटिया कहते हैं ।

11- तरी ताल या कछार भूमि – यह उत्तम प्रकार की भूमि होती है वर्षा के बाद जो मिट्टी बह निकलती है, वह तरी ताल है । नदी की बाढ़ जब उतरती है, उससे जो मिट्टी निकलती है, उसे कछार कहते है। इस प्रकार की मिट्टी बुन्देलखण्ड के मैदानी भाग, तालाबों और नदियों के मुहानों में पाई जाती है ।

जलवायु :– बुन्देलखण्ड की प्राकृतिक बनावट विभिन्न प्रकार की है प्रकृति सुन्दरी ने प्राकृतिक आभूषणों को लेकर इस बसुधा का विधिवत श्रंगार किया है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है यहां पर पर्वतों की गगन चुम्बी चोटियाँ बड़े-बड़े नद नदी गड्ढे घाटियां आदि हैं, कहीं-कहीं उपजाऊ मैदानी भाग हैं, जहाँ कृषि होती है, और अच्छी बस्तियां है कहीं ऊँची-ऊँची पर्वत श्रेणियां हैं, कहीं पर फल-फूल से लदे वन हैं, सुन्दर सरोवर हैं, कहीं धन धान्य से लहराते हुए खेत हैं, कहीं पर घनघोर जंगल तो कहीं निर्जन स्थान है । जहां एक बूँद पानी भी सुलभ नहीं होता , कहीं पर विकराल रेगिस्तान हैं, जहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, उपर्युक्त परिस्थितियों से यह परिलक्षित होता है कि यहाँ की प्राकृतिक बनावट मिश्रित है ।

इस क्षेत्र में गर्मी सर्दी तथा वर्षा ऋृतु के मौसम होते हैं । कुछ स्थानों में इसकी समानता है, और कुछ स्थानों में भिन्नता है जहां पहाड़ अधिक हैं वहां पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तथा सर्दी भी खूब पड़ती है । जून के महिनों में कभी-कभी इतनी गर्मी पड़ती है कि चलने वाली गर्म हवाओं से व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है शीतकाल में बहुत अधिक ठण्ड होती है, कहीं-कहीं बर्फ भी जम जाती है । इस क्षेत्र में वर्षा का शुभारम्भ आषाढ़ मास से प्रारम्भ होता है और क्वाँर में वर्षा समाप्त होती है यहाँ वर्षा का औसत **32** से **45** इंच तक है, यहाँ पर खारा, मीठा, भारी और कव्ज प्रदान करने वाला पानी अलग-अलग क्षेत्रों में है इस क्षेत्र में भू जल स्तर भिन्न है कहीं पर कम गहराई में पानी है तो कहीं पर अधिक गहराई में पानी है बहुत से पहाड़ी स्थानों पर पानी का अभाव है ।

बुन्देलखण्ड में तापमान की स्थिति मिश्रित है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो गर्मी अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक होती है, इनमें झाँसी, बाँदा एवं ललितपुर में गर्मी ज्यादा यानि तापमान अधिक होता है एवं अन्य जिलों में तापमान सामान्य होता है । अधिक तापमान वाले जिलों में गर्मियों में तापमान 48° के करीब रहता है ।

बुन्देलखण्ड में वर्षा की स्थिति औसम एवं सामान्य है बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में औसतन वर्षा लगभग 32 से 45 इंच होती है बुन्देलखण्ड में जल स्तर असामान्य है कहीं अधिक गहराई पर पानी मिलता है तो कहीं कम गहराई पर पानी मिलता है । बुन्देलखण्ड में सामान्यतः सदी, गर्मी, बरसात एवं बसन्त, सभी ॠतुऐं होती हैं । वर्षा का प्रारम्भ अषाढ़ से क्वांर तक, कार्तिक से माघ तक सर्दी, फाल्गुन से ज्येष्ठ माह तक गर्मी पड़ती है एवं फागुन के महीने में बसन्त ॠतु होती है । इस प्रकार बुन्देलखण्ड की जलवायु, तापमान, वर्षा एवं ॠतुओं के हिसाब से सामान्य कही जा सकती है ।

खनिज :- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज प्रचुर मात्रा में जाये जाते हैं । बुन्देलखण्ड के जंगली भागों में अनेक प्रकार की धातुऐं और पत्थर पाये जाते हैं, यहां के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के पत्थर पाये जाते हैं जिनसे बहुत से सामान तैयार किये जाते हैं जैसे - कलई, चूना, चक्की, चीप, कुड़ी, सड़क के बेलन इत्यादि बहुत से उपयोगी सामान इन पत्थरों से बनाये जाते हैं इनका विभाजन और मिलने का स्थान निम्न प्रकार है -

1. कलई - यहां पर कलई एवं चूने के पत्थर पाये जाते हैं उन पत्थरों को आग में जलाकर कलई एवं चूना बनाया जाता है इमारती चूना बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का कंकड़ होता है यह पत्थर बुन्देलखण्ड से मध्य प्रदेश की सीमा के बीच में पाये जाते हैं यह पत्थर मैहर, सतना, कटनी एवं ललितपुर आदि स्थानों पर पाया जाता है ।

2. गिट्टी - पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है । गिट्टी सड़क, मकान बनाने के काम आती है, पत्थर के ढोके मकानों की नींव भरने के काम आते हैं यह पत्थर बुन्देलखण्ड में पहाड़ों की अधिकता होने के कारण लगभग पूरे बुन्देलखण्ड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

3- गौरा पत्थर - यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता है । प्रायः मैदानों में कहीं कहीं पाया जाता है । इससे छोटे-छोटे प्याले, चिलमें, लुटियां, सुराहियां, खिलौने, भगवान की मूर्तियां, मन्दिर, खाना बनाने के बेलन, उलसे इत्यादि बनाये जाते हैं । यह पत्थर छापा खाने के लिये मशीनों में भी काम देता है, यह पत्थर महोबा जिले के गौरहरी ग्राम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ।

4- बिल्लौर - यह कच्चे हीरे की किस्म का होता है, और बुन्देलखण्ड में कई स्थानों पर पाया जाता है, परन्तु इसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े मिलते हैं बुन्देलखण्ड के बांदा जिले में इस पत्थर के बटन आदि बनाये जाते हैं।

5- अगेट अथवा सजर पत्थर - यह सुन्दर पत्थरों की जाति का पत्थर है तथा केन नदी के किनारे विभिन्न रंगो, रूपों और ढंगों में पाया जाता है, इससे बहुत ही सुन्दर वस्तुऐं बनाई जाती हैं बांदा में इसके सामान बनते हैं तथा यहां से विदेशों में भेजे जाते हैं, किसी-किसी सजर पत्थर में प्राकृतिक जीव जन्तु के चित्र अंकित किये जाते हैं, और काफी मात्रा में पाया जाता है । वर्तमान समय में पत्थर तोड़ने की मशीने जगह-जगह पर लगी हुई हैं, जिससे गिट्टी एवं डस्ट तैयार की जाती है ।

6- चीप या कड़ी - यह पत्थर पन्ना, ललितपुर और उसके निकटवर्ती भागों में पाये जाते हैं । चंदेरी में भी यह पत्थर पाया जाता है यह पत्थर पर्तदार होता है और उसे अपनी इच्छानुसार पट्टियों में ढाल कर बनाया जाता है यह पट्टियां दूर दूर तक भेजी जाती हैं इसके खम्भे आदि भी बनाये जाते हैं इनमें अच्छी कारीगरी भी की जा सकती है । खजुराहो के मन्दिर इन्हीं पत्थरों से बने हैं ।

7- धाऊ - धाऊ लोहे के पत्थर को कहते हैं यह बुन्देलखण्ड की कुछ पहाड़ियों में पाया जाता है ।

8- मिट्टी - यहां पर कई प्रकार और कई रंगों की मिट्टी मिलती है, गुलाबी, गेरूआ, पीली, पियोरिया, सफेद, खड़िया आदि सभी प्रकार की मिट्टियां बुन्देलखण्ड में मिलती हैं । यह सर्वत्र घर आदि रंगने के काम आती हैं ।

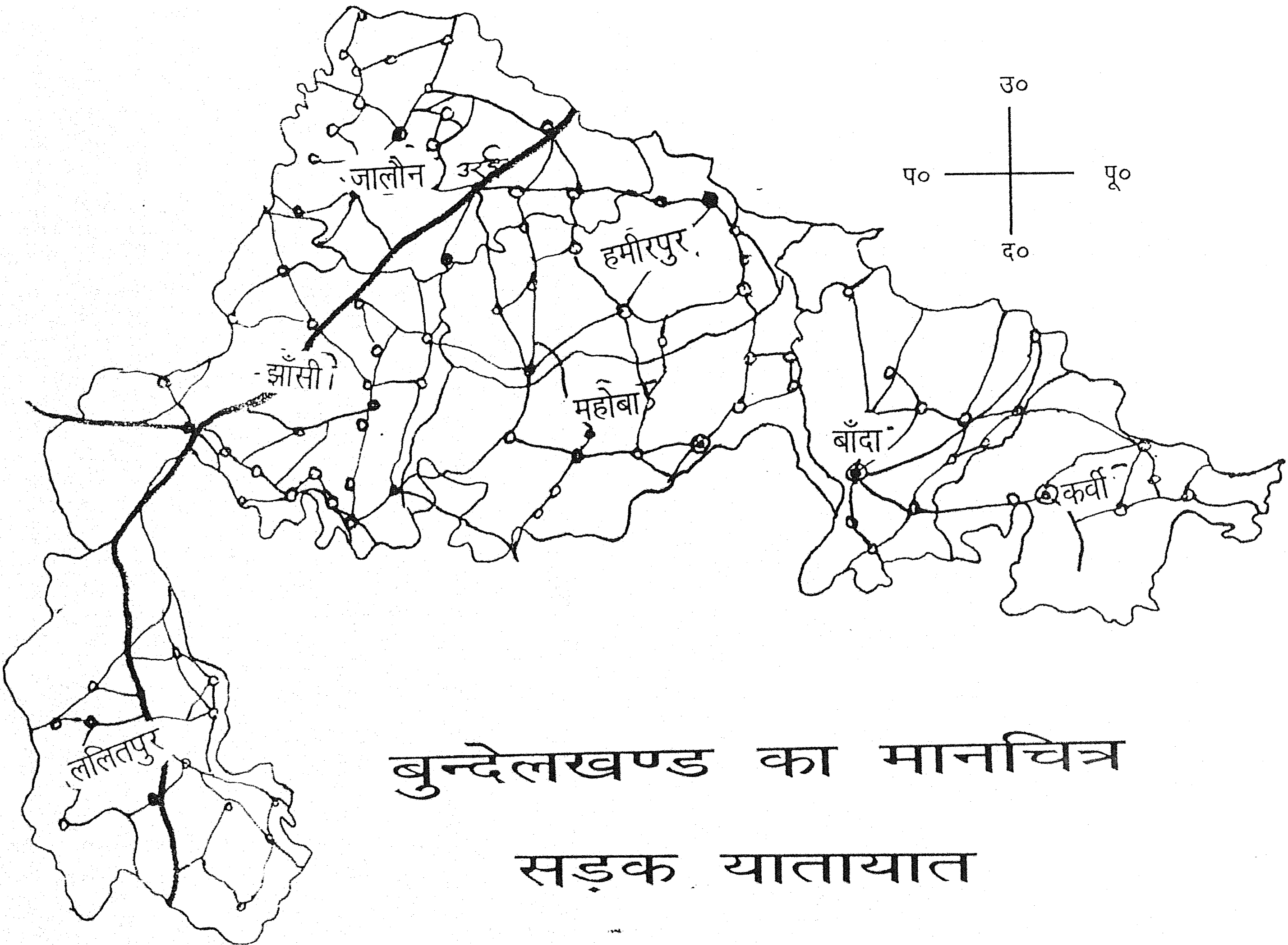
9- मुरम अथवा बजरू - मुरम और बजरू नदी के मोहाने में ज्यादातर मिलती है बुन्देलखण्ड के कई स्थानों में इनकी खदाने हैं, यह बजरू मकान और सड़क बनाने के काम में आती है ।

10- अभ्रक - बुन्देलखण्ड के कई क्षेत्रों में अभ्रक होने की सम्भावनायें पाई जाती हैं, यह अभी केवल सागर और झांसी जिलों में ही निकलता है ।

11- हीरा - खनिज पदार्थो में सबसे मूल्यवान वस्तु हीरा है, यह पन्ना, पहाड़ी, खेरा और उसके आस-पास वाले इलाकों में पाया जाता है। हीरा के खान पुरवा जागीर में भी है यह जागीर बांदा जनपद में है । यहां पर दो प्रकार की हीरे की खाने पाई जाती हैं ।

12- भौंरा खान - निकट से बहते हुए नदी नालों से रेत को लोग वर्षा ॠतु में एकत्र कर लेते हैं उन्हीं रेत कणों से हीरे भी मिल जाते हैं ।

13- मौढ़ा खान - इस खान में पांच से सात गज की गहराई तक मिट्टी निकलती है, फिर पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें निकलती हैं उन चट्टानों को सुरंग से तोड़ा जाता है, उन सुरंगों से कंकड़ निकलते हैं इन कंकड़ों को पक्की जगह पर रखकर तोड़ा जाता है, उससे भी हीरे मिलने की सम्भावनाऐं रहती हैं ।



बुन्देलखण्ड का मानचित्र

सड़क यातायात

पैमाना - 1 सेमी० = 11.7 किमी० लगभग

सांस्कृतिक भूगोल के कारक

जनसंख्या :- बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक विवेचना करने पर देखा जाये तो, सन् **1931** में बुन्देलखण्ड और बघेल खण्ड को मिलाकर जो गणना की गई थी, उसके अनुसार कुल **33** रियासतें एवं जागीरें शामिल थी । इसमें अजयगढ़, अलीपुरा, बंकापहाड़ी, बावनी, बरिन्दा, पेरी, भम्संदा, बीहर, बिजावर, बिजना, चरखारी, छतरपुर, दतिया, धरवई, गरौली, गौरीहर, जासोजिगनी, कामटा, रिजवला, कोठी, लुगासी, मैहर, मगोठ, नैगांव, रिवई, ओरछा, टहरा, पालदेव, पन्ना, समथर, सरीला, सुहावन और टोढ़ी फतेहपुर आदि । लेकिन हमें, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है उसका तात्पर्य ब्रिट्रिश बुन्देलखण्ड से है, जिसमें झाँसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन शामिल थे। वर्तमान में उपर्युक्त **5** जिलों से बढ़कर **7** जिले हो गये हैं । इनमें बांदा जिले को काटकर चित्रकूट धाम कर्वी जिला एवं हमीरपुर को काटकर महोबा जिला बना दिया गया । वर्तमान में झॉसी मण्डल के क्षेत्र को बांटकर चित्रकूट धाम नया मण्डल बना दिया गया है ।

अब बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दो मण्डल एवं सात जिले हैं । सन् **1909** में ब्रिटिश बुन्देलखण्ड का क्षेत्रफल **11,600** वर्ग मील था।

सन् **1991** में की गई जनगणना के अनुसार झॉसी जिले की कुल जनसंख्या **14,29,678** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **8,63,342** थी, तथा झॉसी जिले के आबाद ग्रामेां की संख्या **760** थी, ललितपुर जिले के आबाद ग्रामों की संख्या **689** थी । ललितपुर जिले की कुल जनसंख्या **7,22,043** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **6,46,495** थी । जालौन जिले में कुल आबाद ग्रामों की संख्या **942** थी, एवं कुल जनसंख्या **12,19,377** थी । इसमें ग्रामीण जनसंख्या **9,50,180** थी । हमीरपुर एवं महोबा के कुल आबाद ग्रामों की संख्या **917** थी एवं कुल जनसंख्या **14,66,491** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **12,11,846** थी । बांदा एवं चित्रकूट धाम कर्वी में कुल आबाद ग्रामों की संख्या **1207** थी, एवं कुल जनसंख्या **18,62,139** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **16,22,718** थी । इस प्रकार दोनों मण्डलों की कुल जनसंख्या **67,29,748** थी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या **52,94,581** थी, तथा कुल आबाद ग्रामों की संख्या **4,515** थी । [1]

1- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी, 1993, पृष्ठ - 26

वर्ष **1981** में मातृ भाषा के अनुसार हिन्दी भाषी दोनों मण्डलों की कुल जनसंख्या **52,21,310** थी । जिसमें **96.17** लोगों की मातृ भाषा हिन्दी थी । उर्दू भाषी मण्डलीय जनसंख्या **1,89,838** थी । जिसमें **3.50** प्रतिशत लोगों की मातृ भाषा उर्दू थी । पंजाबी भाषी लोगों की मण्डलीय जनसंख्या **3,799** थी । जिसमें पंजाबी मातृ भाषा का प्रतिशत **0.07** था । बंगाली भाषी मण्डलीय जनसंख्या **150** थी तथा मातृ भाषा का प्रतिशत शून्य था । अन्य भाषा के लोगों के मण्डलीय जनसंख्या **13,978** थी, जिसमें अन्य भाषाओं में मातृ भाषा का प्रतिशत **0,26** था । [1]

कृषि :- बुन्देलखण्ड की कृषि प्रक्रिया निराली है, लकड़ी के हल, बखर, कोपर कृषि कर्म में प्रयुक्त स्थानीय उपकरण हैं । बुन्देलखण्ड का कृषक वर्ष में **2-3** फसलें पैदा कर लेता है । वर्षा ऋृतु में बोई जाने वाली फसल सियारी या कतकी कही जाती है, जिसमें ज्वार, धान, उर्द, मूँग, कोदों समा, लठारा, कुटकी,राली, तिली और मूँगफली बोई जाती है । यह मोटे अनाज कहे जाते हैं । दूसरी फसल उनहारी या चैतकी होती है, यह कार्तिक, अगन में बाई जाती है और चैत में काटी जाती है इसमें गेंहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, सरसों आदि पैदा किया जाता है । इस फसल को जाड़ा अधिक चाहिए । तीसरी फसल जायज की जो गर्मी में बोई जाती है, इसमें खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि । बुन्देलखण्ड की कृषि मानसून पर अधिक निर्भर है, अतः बुन्देलखण्ड का मध्य क्षेत्र विशेष रूप से आर्थिक तंगी का शिकार है, क्योंकि उपजाऊ भूमि कुछ लोगों के पास ही है बाकी अनउपजाऊ भूमि में भरण पोषण नहीं हो पाता है क्योंकि इस जमीन की पैदावार बहुत कम है ।

बुन्देलखण्ड की भूमि में एक अनौखा मिश्रण है इसमें कहीं उँचे- नीचे पहाड़ कहीं नदियां, कहीं हरे-भरे वन कहीं जंगल, कहीं काली, कहीं पथरीली, कहीं उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में झाँसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल की स्थिति वर्ष **1992-93** में निम्न थी- झाँसी एवं चित्रकूट मण्डल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल **29,60,919** हेक्टेयर वन, **2,46,579** हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि

1- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी, 1993, पृष्ठ - 30-32

2,12,613 हेक्टेयर, परती भूमि **171269** हेक्टेयर अन्य परती भूमि, **102100** हेक्टेयर ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि, **1,20238** हेक्टेयर लगभग थी । [1]

बुन्देलखण्ड के उ०प्र० क्षेत्र में अन्य उपयोग में लाई जाने वाले भूमि का विवरण वर्ष **1992 - 93 -**

कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई गई भूमि - **19,974** हेक्टेयर ।
चारागाह के उपयोग में लाई गई भूमि - **7,661** हेक्टेयर ।
उद्यानों एवं वृक्षों के उपयोग की भूमि का क्षेत्रफल - **18,472** हेक्टेयर ।
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जिसमें खेती की गई - **18,81,245** हेक्टेयर ।
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल - **2,16,849** हेक्टेयर । [2]

बुन्देलखण्ड की उपज वर्षा पर निर्भर करती है, जिस वर्ष जैसी वर्षा होती है उसी प्रकार की फसल बुन्देलखण्ड की धरती पर पैदा होती है । इसका कारण है कि बुन्देलखण्ड का बहुत बड़ा भाग, आज भी असिंचित है । अतः मौसम पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

यहां की खेती पहाड़ी भूमि होने के कारण मैदानी भूमि के समान अच्छी नही होती है यहां पर जमीनों में गोबर की खाद डालकर उसे उपजाऊ बनाया जाता है, किन्तु वर्तमान समय में वैज्ञानिक खादों का उपयोग होने लगा है । खरीफ की मामूली जमीन में दो तीन फसलों के बाद उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है । इन सब परिस्थितियों के बाबजूद भी बुन्देलखण्ड का यह क्षेत्र आत्म निर्भर हो गया है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की उत्पादकता के संबंध में कुछ आंकड़े वर्ष **1991-92**
झॉसी-चित्रकूट मण्डल में कुल धान का उत्पादन **62,949** मीट्रिक टन
झॉसी चित्रकूट मण्डल में कुल गेहूँ का उत्पादन **8,23,989** मीट्रिक टन
झॉसी चित्रकूट मण्डल में कुल जौ का उत्पादन **46,932** मीट्रिक टन
झॉसी चित्रकूट मण्डल में कुल ज्वार का उत्पादन **1,26,963** मीट्रिक टन
झॉसी चित्रकूट मण्डल में कुल बाजरा का उत्पादन **19,502** मीट्रिक टन
झॉसी चित्रकूट मण्डल में कुल मक्का का उत्पादन **15,275** मीट्रिक टन

1- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी, 1993
2- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी, 1993

इस प्रकार उपर्युक्त फसलों का कुल उत्पादन **12,57,477** मीट्रिक टन हुआ। दालों का कुल उत्पादन वर्ष **89-90** में **7,13,443** मीट्रिक टन हुआ । तिलहन (लाही, सरसों, अलसी, तिल, रेड़ी मूँगफली, सोयाबीन, सूरज मुखी, एवं अन्य तिलहन) **89-90** में कुल उत्पादन- **57848** मी० टन लगभग हुआ । अतः उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं,कि यहां पर फसलों के उत्पादन के हिसाब से बुन्देलखण्ड आत्म निर्भर है ।[1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो प्रकार की फसलें होती हैं एक फसल को खरीफ या सिमारी दूसरी फसल को रबी या उमारी कहते हैं । खरीफ की फसल जून - जुलाई से बोई जाती है, और नवम्बर तक पक कर तैयार हो जाती है इसमें कोदो, राली, कुटकी बासरा, समा, कतुकुन, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँग, मोंठ, रेवछा, धान इत्यादि ।

यहाँ के तालाबों की अधिकता होने के कारण धान बहुत अधिक पैदा होता है बिजावर क्षेत्र के बरेठी में चरखारी के ईसानगर में, ओरछा के सरकर में, पन्ना के सिमरिया में धान अच्छा पैदा होता है, बांदा जनपद में धान काफी अच्छा पैदा होता है जो निर्यात किया जाता है, यहाँ धान की मुख्य जातियां बतिया, नदकर, सिकबाज, रानी काजर, गजकेशर, चुनकी, करधना, पावनी, बछरी, रामकेर, खनकलसा, बासुमती, कोरम, सर्रा और मजली कुछ धान की नई प्रजातियां भी बोई जाती हैं जिसमें परसन बादशाह, चिन्नावर, लुचई आदि । [2]

रबी की फसल क्वांर कार्तिक अर्थात अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर में होती है और फरवरी मार्च तक पककर तैयार हो जाती है । इस फसल में गेहूँ, चना, जौ, मसूर, अरहर, मटर आदि उपजते हैं । अनाज के अलावा तिलहन भी काफी मात्रा में पैदा होती है । तिलहन में तिली, सरसों, अलसी, अण्डी, महुआ गुली पैदा होती है । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ईख पैदा होती है जिसे माघ से चैत तक बोया जाता है। गन्ने में पानी की विशेष आवश्यकता होती है गन्ने से कच्ची शक्कर एवं गुड़ बनाया जाता है कपास की पैदावार बुन्देलखण्ड में बहुत अच्छी होती है बांदा से देश के अन्य

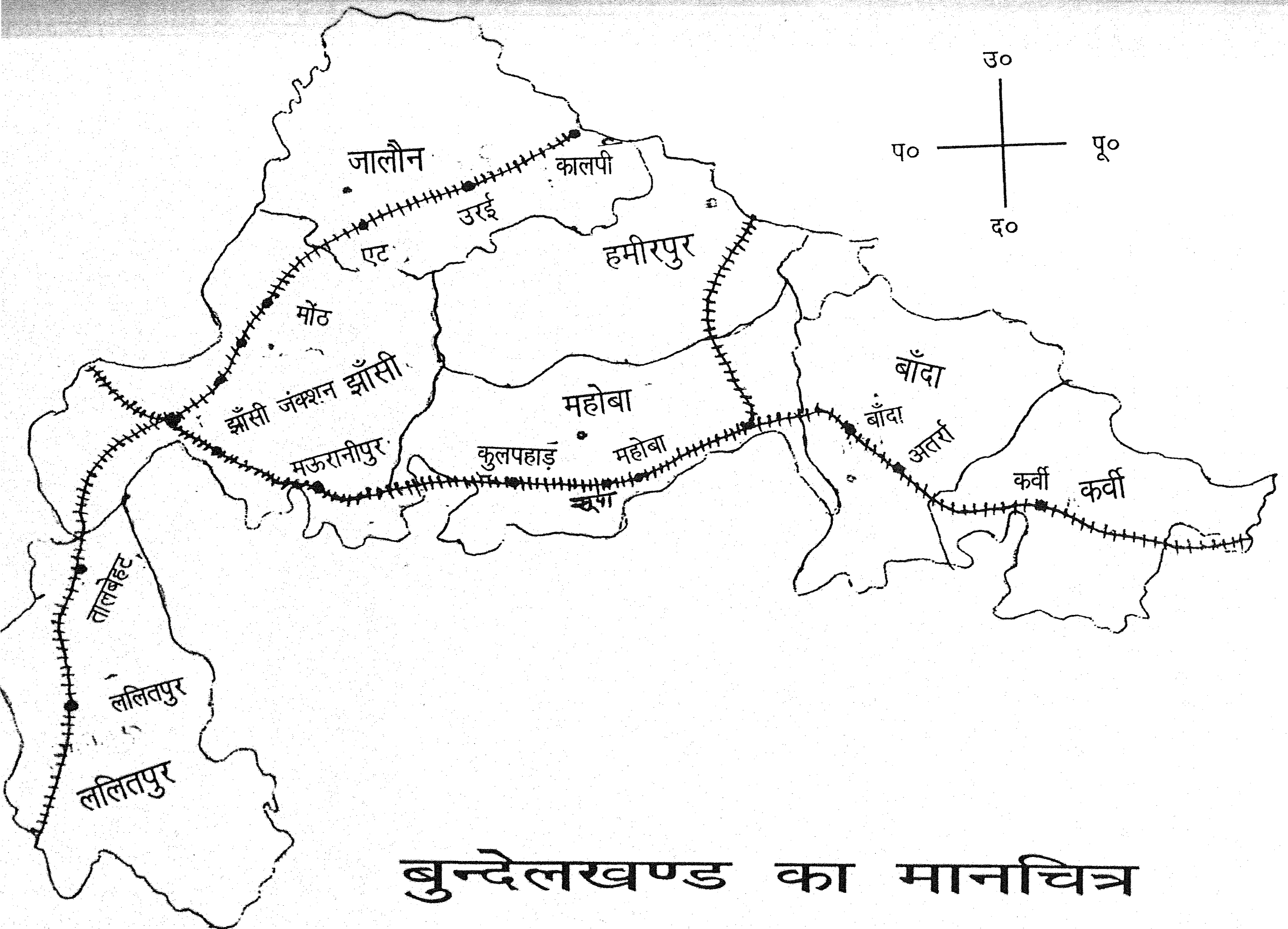
1- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी - 1993 , पृष्ठ - 37

2- बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, लेखक - गोरेलाल तिवारी, संस्करण सम्वत् 1980, पृष्ठ - 4-6

भागों में कपास निर्यात होता है । बुन्देलखण्ड में सिघाड़ा भी काफी मात्रा में पैदा होता है ।

1- बुन्देलखण्ड के बगीचे :- बुन्देलखण्ड में काफी मात्रा में बाग बगीचे पाये जाते हैं यहाँ पर अधिकांश बाग बगीचे राजा महाराजाओं या समाज के धनी व्यक्तियों ने लगवाये हैं, इसमें जामुन, केला, नीबू, नारंगी, अनार, चकोतरा, खट्टा आमरख, अमरूद आदि के अलावा सब्जियाँ भी पैदा की जाती हैं । जिसमें खरबूजा, तरबूज, तरोई, लौकी, कद्दू, सीताफल, काशीफल, खीरा, ककडी, सेम, भिण्डी, पालक, अदरक, गोभी, बैगन, जमीकंद, मूली, अरई, आलू रताल पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है जो देश के कई भागों में निर्यात किया जाता है । भाजियों में भतुआ, पवार, चौका, सोया, पालक, कुलफा, चौराई, नौरता, नौनिया आदि भी पैदा होती है ।

2- मसाले :- इस क्षेत्र में मसाले की उत्पत्ति बहुत अधिक नहीं होती, फिर भी मउ, बरूआसागर, टीकमगढ़ आदि स्थानों में लाल मिर्च, अदरक, धनिया, सौफ, मैथी, राई, जीरा, अजवायन, सोंठ, कलौजी आदि पर्याप्त मात्रा में होती है । इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में पान की पैदावार बहुत अधिक होती है, यहाँ पर मेहर, स्यौढ़ा, शेरपुर, महोबा, मलहरा आदि स्थानों में काफी मात्रा में पान पैदा होता है,पान की प्रजातियों में तिलहरी, काकेट, कपूरी, बंगला, जयसपार आदि पान प्रमुख हैं । पान के लिए महोबा, कुसमा, महराजपुर, पतागर, रेढ़का व पन्ना, राज्य के महदरा आदि क्षेत्र प्रसिद्ध हैं यहाँ से पान पूरे हिन्दुस्तान के अलावा विदेशों में भी भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ के पान में अलग गुण हैं ।



बुन्देलखण्ड का मानचित्र

रेल यातायात

पैमाना - 1 सेमी० = 11.7 किमी० लगभग

यातायात

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आवागमन के साधनों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि प्राचीन काल में यहां यातायात की, कठिन समस्या थी यहां मोटर वाहनों का प्रयोग नगण्य था इसका कारण यहां की भौगोलिक परिस्थिति के और समुचित विकास न होना था यहां केवल पशुओं को यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता था । सामान एवं सवारी ढोने के लिए थोड़े टट्टू, उँट, बैल, भैंसा और गधों का इस्तेमाल किया जाता था कुछ समय बाद बैल गाड़ियों का प्रयोग होने लगा धीरे-धीरे विकास होता गया और यातायात के साधन आज पर्याप्त मात्रा में है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० व म०प्र० में विभाजित बुन्देलखण्ड क्षेत्र की यातायात स्थिति अत्यन्त दुखदायी है दो चार मील चलने पर ही राज्यों की सीमाऐं बदल जाती हैं झाँसी मानिकपुर लाइन पर एक-एक स्टेशन पर प्रदेश बदलते हैं लगभग ऐसी ही स्थिति बुन्देली क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने में है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभाजित बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के उत्तरी भाग का यातायात केन्द्र झाँसी है, यहां की जनता को व्यापारिक, सामाजिक या तीर्थाटन के लिए अधिकांशतः झांसी होकर ही जाना पड़ता है ।

रेल यातायात :- रेल यातायात का विकास इस क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार की स्थापना के बाद हुआ, यहाँ पर पहले प्राइवेट कम्पनियां अपनी रेल गाड़ियां चलाया करती थी, ये कम्पनियां ग्रेट इण्डियन, पेपेन, सुला रेलवे, ईस्ट इण्डियन रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, ग्वालियर लाइट रेलवे आदि थी। देश की आजादी के बाद सभी रेलों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया । अब यह भारतीय रेलों के नाम से चलती हैं । प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोंण से रेलों को कई विभागों में विभाजित कर दिया गया है जैसे उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य नार्दन रेलवे आदि ।

बुन्देलखण्ड में बीना, कटनी, बीना, कोटा, बांदा, कानपुर, झांसी- मानिकपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, कोंच आदि स्थानों पर रेलवे लाइन हैं । दिल्ली या मुम्बई के लिए भी रेल सेवाऐं उपलब्ध हैं ।

ग्वालियर शिवपुरी आदि के लिए भी रेल सेवाऐं हैं, यहाँ से सागर, दमोह आदि के लिए भी रेल सेवाऐं हैं। बांदा, मानिकपुर के बीच निम्न स्टेशन हैं - बांदा, खैराडा, इचौली, अमौना, रागौल, इंगोहरा, भरूआ सुमेरपुर, भीमसेन, कानपुर।

झाँसी मानिकपुर रेलवे लाइन में निम्न रेलवे स्टेशन हैं- झांसी, ओरछा बरूआसागर, रानीपुर रोड, मऊरानीपुर, सौरा, हरपालपुर, घुटई, बेलाताल, कुलपहाड़, सूपा, महोबा, काली पहाड़ी, कबरई, मटौध, खैराड़ा, बांदा, डिवाही, खुरंहण्ड, अतर्रा, बदौखा, भरतकूप, चित्रकूट, कर्वी, बहिल, पुरवा और मानिकपुर।

इस प्रकार झांसी कानपुर - लाइन में निम्नलिखित स्टेशन हैं- झांसी, मुस्तरा, गढ़मऊ, पारीक्षा, चिरगांव, नदरवास, मोंठ, कोंच, पिरौना, एट, भुआ, उरई, आटा, असरगांव, कालपी आदि।

झांसी से बनारस तक की रेलवे लाइन की सुविधा है। दिल्ली से मुम्बई की ओर जाने वाली रेलवे लाइन भी बुन्देलखण्ड क्षेत्रान्तर्गत होती हुई आती है - ग्वालियर, झाँसी, ललितपुर में लाना भोपाल हुसंगाबाद होते हुए, ये गाड़िया दिल्ली की और मुम्बई की ओर चली जाती हैं। अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० का झांसी जंक्शन आज ऐसा जंक्शन बन गया है। जिसमें देश के चारों दिशाओं में जाने के लिए सीधी रेल सुविधा या संयुक्त रेल सुविधा उपलब्ध है। [1]

रेल यातायात के झांसी मण्डल के अन्तर्गत लगभग ३२ रेलवे स्टेशन हैं जबकि चित्रकुट मण्डल के अन्तर्गत लगभग ३२ रेलवे स्टेशन है। उपर्युक्त रेलवे की इतनी सुविधाओं के बाद आज भी बुन्देलखण्ड में बहुत से ऐसे भाग हैं जहां रेलवे लाइन का अभाव है। [2]

सड़क यातायात :- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़कों का आज भी अभाव है, सरकार के प्रयासों से आज भी कच्ची-पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, अब भी बहुत से ऐसे भाग हैं जहां पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती हैं, जो सड़के बनी भी हैं वे चक्करदार या घुमावदार है जिसमें ज्यादा समय लगता है, और दूरी भी अधिक है। सड़क यातायात का अध्ययन करने के लिए हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं।

1- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली, पृष्ठ- 48-49

2- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी - 1993 , पृष्ठ - 114

राष्ट्रीय राज मार्ग :- बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ० प्र० में राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई **300** किमी० है यहां से नांगपुर, मुम्बई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कानपुर से उरई, जालौन, झांसी एवं ललितपुर होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो ललितपुर के बाद मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है, यही राष्ट्रीय राज मार्ग झांसी जंक्शन से शिवपुरी की सीमा में प्रवेश कर मुम्बई के लिए जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई राष्ट्रीय राज मार्ग आज तक घोषित नहीं हुआ ।

राज्य स्तरीय मार्ग :- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तीन राज्य स्तरीय मार्ग हैं जिनकी संख्या **34, 37** एवं **42** है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राज्य स्तरीय मार्गों की कुल लम्बाई लगभग **756.8** किमी० है, यह तीनों राष्ट्रीय राज्य मार्ग बुन्देलखण्ड के विभिन्न जिलों से होते हुए निकले हैं, जो सभी राष्ट्रीय राज्य मार्गों से विभिन्न स्थानों पर जुड़े हैं। ललितपुर जिलें में तालबेहट से जखौरा, कैलगांव होता हुआ, एक मार्ग मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है । यहां बांसी होते हुए ललितपुर मुख्यालय से जुड़ता है ललितपुर मुख्यालय से बानपुर होता हुआ, अन्य मार्ग टीकमगढ़ को जोड़ता है एक मार्ग ललितपुर महरौनी होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से स्थानीय मार्ग कस्बों एवं गावों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ते हैं । झाँसी जिले में झाँसी से मऊरानीपुर, पनवाड़ी होते हुए महोबा, बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर होते हुए मिर्जापुर तक राज्य मार्ग है । झाँसी में ककरबई, गरौठा, मऊरानीपुर होते हुए एक मार्ग मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है झाँसी मुख्यालय से दतिया, ग्वालियर के लिए राज्य मार्ग है । इसके अलावा झाँसी जिले में सड़कों का जाल फैला हुआ है । जालौन जिले का मुख्यालय उरई में है, जालौन में उरई मुख्यालय से सभी प्रमुख कस्बों के लिए मुख्य मार्ग हैं । महोबा जिले में बांदा होते हुए मिर्जापुर के लिए एक राज्य मार्ग निकला है । महोबा से भी छतरपुर मध्य प्रदेश के लिए राज्य मार्ग है, एक मार्ग महोबा से पनवाड़ी, हरपालपुर, नौगांव, छतरपुर को जोड़ता है,एक अन्य मार्ग महोबा से राठ उरई के लिए है राठ से ही हमीरपुर, कानपुर के लिए एक राज्य मार्ग है । हमीरपुर, जालौन, महोबा से बहुत से राज्य मार्ग निकले हैं उरई का

एक राज्य मार्ग कानपुर और लखनऊ को जोड़ता है । बांदा जिले से मानिकपुर होता हुआ मिर्जापुर राज्य मार्ग है जो बहुत से स्थानीय मार्गों को अपने में जोड़ता है चित्रकूट जिले से कौशाम्बी नगर के लिए भी राज्य मार्ग है । [1]

स्थानीय मार्ग :- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्य जिला सड़कों की लम्बाई **1232.50** है तथा कुल सड़कों की लम्बाई लगभग **5151** किमी है । यहां प्रमुख पक्की सड़कों की लम्बाई **5786** किमी० लगभग है । जबकि नगरीय क्षेत्र की कुल सड़कों की लम्बाई **467** किमी० है, तथा क्षेत्र में बस स्टेशन या बस स्टाफों की कुल संख्या लगभग **696** है । जबकि नगरीय बस स्टेशनों की संख्या **52** है । [2]

यहां प्रमुख सड़कें कानपुर, कालपी, उरई, एट, मोंठ, चिरगांव, झाँसी, तालबेहट, ललितपुर आदि की है । उरई, जालौन, शेरगढ़ का भी रास्ता है । उरई से कोंच, एट के लिए भी रास्ता है । इसी प्रकार कानपुर से हमीरपुर, सुमेरपुर, मोदहा, सागर, छतरपुर के लिए मार्ग है । महोबा चरखारी से लौड़ी, चंदला और बछवन के लिए मार्ग है । बांदा-इलाहाबाद मार्ग, बांदा-बबेरू मार्ग, बांदा, अतर्रा, बदौसा, कर्वी, मानिकपुर मार्ग, बांदा नरैनी, चौबेपुर, नागौध मार्ग अतर्रा से नरैनी, अजयगढ़, पन्ना, सिमरिया, गैसाबाद, हटा, दमोह मार्ग, दमोह से नरसिंहगढ़, बरियागढ़ मार्ग । झाँसी से शिवपुरी, ग्वालियर से झाँसी, बरूआसागर, मऊ, अलीपुरा, नौगांव, छतरपुर के लिए मार्ग है । झाँसी जिले में पूँछ, गुरसरांय, मऊ, जतारा, टीकमगढ़, महरौनी, ललितपुर के लिए मार्ग झाँसी से गुरसरांय, गरौठा मार्ग , झाँसी से मऊरानीपुर, खजुराहो के लिए मार्ग है जो मउरानीपुर के आगे मध्य प्रदेशकी सीमा में प्रवेश करता है । अतः आज के परिवेश में हम कह सकते हैं, कि सड़कों का विकास बहुत तीब्र गति से हो रहा है । प्रत्येक ग्राम को कस्बे एवं शहर के मुख्य मार्गों से जोड़ा जा रहा है सड़कों का डामरीकरण हो रहा है किन्तु आज भी बहुत से गांवों एवं कस्बों के लिए पर्याप्त यातायात व्यवस्था नहीं है, यहां पर प्राइवेट वाहनों जैसे-जीप, टैम्पो, टैक्सी आदि का ही उपयोग होता है । [3]

1- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी - 1993 , पृष्ठ - 114-116
2- सांख्यकीय पत्रिका, झाँसी मण्डल झाँसी - 1993 , पृष्ठ - 114-116
3- बुन्देलखण्ड का मानचित्र, मार्गों का विवरण ।

उद्योग

बुन्देलखण्ड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी औद्योगिक दृष्टि से प्राचीन काल से ही पिछड़ा हुआ है। यहां से शासकों ने यहां के उद्योग धन्धों के बारे में तथा प्राकृतिक साधनों के बारे में कोई योजना नहीं बनाई, जिसके कारण यह क्षेत्र गरीब होता चला गया, यहां के व्यक्तियों को केवल कृषि या उससे संबंधित उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ा। कुछ छोटे-मोटे कुटीर उद्योग जो आदिकाल से चले आ रहे थे अंग्रेजों के यहां आ जाने से वह भी नष्ट हो गये। राजा महाराजा स्वयं भोग विलासी होने के कारण यहां की जनता की सुख सुविधा का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। बुन्देलखण्ड क्षेत्र दो प्रांतों में बटा होने के करण इसकी उपेक्षा की गई। आज भी यह क्षेत्र भारत वर्ष का पिछड़ा क्षेत्र है, यहां के लोग देश के अन्य भागों से अधिक गरीब और पिछड़े हुए हैं, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से बुन्देलखण्ड के इतिहास को देखना ही पड़ेगा और इसका विस्तृत अध्ययन करना होगा।

कृषि आधारित उद्योग :- इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों का पूर्णतः अभाव रहा है, कुछेक कृषि आधारित उद्योग जो चल रहे थे वे भी धीरे-धीरे आर्थिक बदहाली के शिकार हो गये। कालपी क्षेत्र कपास के अच्छे उत्पादक रहे किन्तु उद्योग प्रोत्साहन के अभाव में विकास न कर सके। कृषि आधारित उद्योगों में दलहन उद्योग का थोड़ा सा विकास यहां हो रहा है। राठ, उरई, झाँसी, हमीरपुर, मुस्करा, महोबा, बांदा, ललितपुर, एट, मोंठ आदि क्षेत्रों में दाल मिलें स्थापित हैं जो सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। बांदा जिले का चावल उद्योग भी अब औसत दर्जे का उद्योग रह गया है।

बुन्देलखण्ड का अनाज उद्योग विकासात्मक दौर में है यहां प्रत्येक कस्बे में कृषि उत्पादन मण्डियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। एवं अनाज की खरीद-फरोख्त होती है।

हमीरपुर जिले का राठ क्षेत्र बुन्देलखण्ड में गन्ने की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर सामान्य रूप से सभी किसान गन्ने की खेती करते हैं एवं गुड़ का उत्पादन करते हैं जो उन्हे सामान्य लाभ प्रदान करता है। किन्तु आज तक इस क्षेत्र में चीनी मिल उद्योग स्थापित नहीं हो सका है।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में कृषि आधारित ऐसा कोई उद्योग नहीं है, जिससे यहाँ की जनता एवं खासकर गरीब एवं सामान्य व्यक्तियों के लिए लाभ एवं रोजगार का सहारा बन सके। उद्योग के अभाव के कारण ही यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जबकि यहां उद्योग स्थापित करने की सम्भावनायें अधिक हैं।

वनोपज आधारित उद्योगः- बुन्देलखण्ड में वनोपज आधारित उद्योगों का पूर्णतया अभाव है। मध्य प्रदेश लगा हुआ होने के कारण मध्य प्रदेश से आयतित कर कच्चा माल यहां लाया जाता है, जिससे कुछ उद्योग संचालित हैं। जिनमें बीड़ी उद्योग प्रमुख है, इसके लिए तेंदू पत्ता मध्य प्रदेश से आता है तथा बीड़ी का निर्माण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे ललितपुर जिले में भी थोड़ा बहुत तेंदू पत्ता पाया जाता है। जिससे ललितपुर एवं झाँसी में औसत दर्जे का बीड़ी उद्योग चल रहा है।

बुन्देलखण्ड में लकड़ी एवं फर्नीचर की स्थिति भी सामान्य है। सिर्फ जीवन यापन करने के उद्देश्य से फर्नीचर का कार्य होता है। इसका कोई व्यापक या बृहद स्तर पर कार्य नहीं होता है।

बुन्देलखण्ड के झाँसी, ललितपुर एवं बाँदा क्षेत्रों में छेवला काफी मात्रा में पाया जाता है। जिससे यहां लोग दौना एवं पत्तल बनाने का कार्य करते हैं। जिसका सामान्य तौर पर अन्य स्थानों पर निर्यात भी कर लेते हैं। किन्तु यह कोई ज्यादा लाभ देने वाला उद्योग नहीं है। यह मेहनत के अनुसार ज्यादा लाभ प्रदान नहीं करता है। यह एक प्रकार से मौसमी उद्योग है। इसमें बरसात के दिनों में इस व्यापार से जुड़े लोगों को मजदूर लगाकर छेवला के पत्तों को तुड़वाकर रखना होता है एवं सर्दियों एवं गर्मियों में उन्हीं पत्तों का प्रयोग दौना एवं पत्तल बनाने में प्रयोग करता होता है। [1]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इस भू-भाग में एक तो वनों का अभाव है एवं यदि थोड़े बहुत वन है भी तो उनमें कोई भी ऐसी चीज उपलब्ध नहीं है जिससे उद्योग स्थापित

1- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली

किया जा सके । अतः वनोंपज आधारित उद्योग शून्य है, कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी ।

कपड़ा अथवा गजी कपड़ा उद्योग :- प्राचीन काल में कपड़ा प्रत्येक गांव में बनता था अब भी यह जहां कहीं कपड़ा बनता है ग्रामीण लोग उसका उपयोग करते हैं इसी के छापेदार लिहाफ जेजम बनाये जाते हैं इन कपड़ों के बुनने वालों को जुलाहा, कबीर, पन्थी या कोरी कहा जाता है चंदेरी में, मुसलमान, जुलाहे इस काम को काफी मात्रा में करते हैं ।

अंग्रेजों के आने के बाद जब मशीनों से बना कपड़ा इस क्षेत्र मे आने लगा उस समय से कपड़ा बनाने का उद्योग पूरी तरह से नष्ट हो गया । क्योंकि कि मिलों से बने कपड़ों का मुकाबला यहां के बुनकर नहीं कर पाते थे । आजादी के बाद भी मिलों आदि का विकास होने पर नाना प्रकार के सिंथैटिक कपड़े बनने लग गये । वर्तमान सरकारों ने हैण्डलूम बनाने वाले बुनकरों को काफी प्रोत्साहित किया अब हैण्डलूम काफी लोकप्रिय होने लगा है । बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बनने वाला मऊरानीपुर का टेरीकाट काफी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, फिर भी इसका विकास नगण्य सा है । और बाकी क्षेत्र में बुनकरों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया है ।

धातु के बर्तन :- तांबा, पीतल और कांसे के बर्तन स्थान-स्थान पर यहां बनते थे परन्तु बुन्देलखण्ड में बाहर से आने वाले माल ने अब इस व्यवयाय को तोड़ दिया है । श्रीनगर में पीतल की मूर्तियां और खिलौने बनते हैं जो सुनार लोग बनाते हैं पहले यह बर्तन बुन्देलखण्ड के हर क्षेत्र में बना करते थे, और ठठेर लोग इन्हें बनाया करते थे परन्तु अब यह बर्तन मुरादाबाद, बनारस आदि से आंने लगे हैं । बड़ी जातियों में स्टैनलैस स्टील के बर्तन लोकप्रिय हो गये हैं जो बड़े शहरों से आयात किये जाते हैं।

आभूषण :- आभूषण उद्योग भी बुन्देलखण्ड का उद्योग है, तथा हटा में इन आभूषणों की ढलाई का काम होता था । आभूषणों में सोना, चाँदी, गिलट आदि के आभूषण हांथों से बनाये जाते थे ।

रंगाई का काम- बुन्देलखण्ड में नील उद्योग :- अंग्रेजी शासन काल में बुन्देलखण्ड की अच्छी किस्म की मार भूमि में अल नामक पौधे की खेती की जाती थी इस पौधे की जड़ को खोदकर उसे भट्टियों में जलाकर विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण किया जाता था जिसका उपयोग वस्त्रों के रंगने के काम में होता था ।[1]

यह रंगाई उद्योग मुख्यतः मऊरानीपुर तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में फैला हुआ था इस क्षेत्र में इस प्रकार के वस्त्र की बुनाई होती थी, जिससे खरूआ वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता था । खरूआ उद्योग का प्रधान केन्द्र मउरानीपुर था । इस कपड़े की रंगाई में जो विभिन्न प्रकार के रंग प्रयोग होते थे वे अल पौधे की जड़ों को पकाकर तैयार किये जाते थे उन दिनों यह बहुत ही प्रसिद्ध उद्योग था जिससे इसमें खेती करने वाले लोग लाभान्वित होते रहते थे ।

अल नाम पौधे की खेती अच्छी किस्म की मार भूमि में की जाती थी और लगभग एक एकड़ भूमि में लगभग 10 मन जड़ का उत्पादन हो जाता था ।

1873 में यह अनुमान लगाया गया था कि जड़ 8 रू० प्रति मन के हिसाब से बेची जाती थी ।

यह बड़े ही आश्चर्य का विषय है, कि यह पौधा जोकि यहां के कृषकों के लिए आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था उसकी खेती का पतन अंग्रेजी शासन काल में हुआ ऐसा प्रतीत होता है । कि अंग्रेजी शासन इस क्षेत्र के रंग उद्योग को नष्ट करना चाहते थे । इसके पीछे उनका इरादा यह था, कि इंगलैण्ड में जिस रंग का उत्पादन हो रहा है, उसे भारत में बेचा जाये । यही कारण था अल पौधे की खेती को अंग्रेजों का संरक्षण नहीं मिला । झाँसी जिले के दूसरे बन्दोवस्त के समय 1892 में हंपर ने लिखा था कि इस पौधे की खेती इस क्षेत्र के किसानों के लिए एक लाभप्रद उद्योग था । लेकिन 1892 तक इसकी खेती काफी कम हो गई, परिणाम स्वरूप झाँसी, हमीरपुर , जालौन तथा बांदा के किसानों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा ।[2]

1- झाँसी ड्यूरिंग दि ब्रिट्रिश रूल, लेखक -एस० पी० पाठक, पृष्ठ- 57
2- बुन्देलखण्ड गजेटियर - एटकिंशन ई०टी० पृष्ठ- 252

मऊरानीपुर का प्रसिद्ध खरूआ वस्त्र उद्योग अल पौधे के रंग से रंगा जाता था उसको भी गहरा धक्का लगा । अल पौधे की खेती के नष्ट होने के निम्नलिखित कारण प्रतीत होते हैं- पहला इस पौधे की खेती में लाभ का अनुपात कम था । दूसरा इस पौधे की खेती को देख-रेख करने की बहुत ही आवश्यकता थी । क्योंकि उसमें कीड़े भी लग जाते थे । तीसरा इस पौधे की जड़े काफी गहराई में जाती थीं इनकी खुदाई के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता था । [1]
इसके साथ ही सरकार की ओर से अल पौधे की खेती को हतोत्साहित किया गया अतः नील उद्योग पूर्णतः नष्ट हो गया ।

कालीन गलीचा उद्योग :- कालीन गलीचा उद्योग मुख्य रूप से झाँसी जिले में विकसित था, जिसमें साधारण गजी को छापकर जेजम बनाई जाती थी । बांदा में जूट उद्योग होने के कारण वहां की दरियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, किन्तु सरकार द्वारा उचित प्रोत्साहन ने देने के कारण यह उद्योग धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं । [2]

लोहा उद्योग :- अंग्रेजों के आने से पहले विन्ध्याचल के किनारे बहुत से व्यक्ति लोहा निकालने का कार्य करते थे लाखों लोगों की जीविका इस व्यवसाय से चलती थी। बुन्देलखण्ड में विदेशी लोहे के आयात के बाद यह उद्योग लगभग नष्ट हो गया । ललितपुर, बिजावर, पैलानी लोहे के काम के लिए प्रसिद्ध है । बिजावर की कढ़ाही पैलानी की सरौती आज भी प्रसिद्ध है । [3]

वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लोहे की ढ़लाई का काम काफी मात्रा में होता है जिसमें झाँसी इस क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है । जिसमें सरिया, पत्ती, एंगल, गाटर आदि ढाले जाते हैं । क्योंकि झाँसी रेलवे जंक्शन होने की वजह से पुराना लोहा आसानी से उपलब्ध है, जो ढालकर बहुत से क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है ।

1- बुन्देलखण्ड गजेटियर - एटकिंशन ई०टी० पृष्ठ- 252 - 253
2- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली, पृष्ठ- 42
3- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली, पृष्ठ- 42-43

बुन्देलखण्ड का मिठाई उद्योग :- बुन्देलखण्ड के कुछ भागों में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं । दूध और खोवे से बनने वाली मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । हटा की बर्फी, राठ का पारी वाला गुड़, कालपी की मिश्री, बांदा का सोहन हलवा, सोहन पपड़ी, पन्ना की खोवे की जलेबी, चिल्ला के गोंद के लड्डू बहुत प्रसिद्ध हैं । पहले मिठाइयाँ देशी घी की बनती थीं । किन्तु जब से वनस्पति घी का प्रचलन हुआ है और तभी से वनस्पति घी का प्रयोग होने लगा है । किन्तु वर्तमान समय में दूसरे प्रांतों की मिठाइयों का प्रभाव बुन्देलखण्ड में पड़ा है ।

चमड़ा उद्योग :- बुन्देलखण्ड में चमड़ा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है चमार लोग मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारकर, उसे पुराने ढंग से पकाते हैं, फिर उससे देशी पनहैंया बनाते हैं जिसका प्रचलन आज कल ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम हो गया है कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण समय-समय पर खुले चमड़ा पकाने के कारखाने बन्द हो गये । अब जूता बनाने वाले कई प्रकार के जूते चप्पल बनाते हैं, कहीं -कहीं पर चमड़े के दूसरे सामान भी बनते हैं । बांदा की खाई पारी और हमीरपुर की भरूआ शाही जूती बहुत प्रसिद्ध है । किसी जमाने में ललितपुर में ईसाई लोग सुअर की खाल से चमड़े की जीने बनाते थे ।

बर्तमान में इस अविकसित उद्योग की जगह अन्य प्रांतों से आने वाले चमड़े के जूते एवं चप्पलों ने ले ली है ।

लकड़ी उद्योग :- बुन्देलखण्ड का लकड़ी उद्योग यहां के कामगारों के लिए जीविकोपार्जन का सामान्य व्यवसाय था यहां पूरे क्षेत्र में हर जगह खेती किसानी (कृषि) उपकरणों के अलावा भवन फर्नीचर आदि का निर्माण सामान्य स्थिति में किया जाता था। बुन्देलखण्ड में इसका कोई खास व्यापार नहीं होता था । पहले चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध थे । वर्तमान समय में आरा मशीनों के विस्तार से लकड़ी के कारोबार ने बहुत प्रगति की है, शीशम और सागौन की लकड़ी से नाना प्रकार के फर्नीचर का निर्माण किया जाता है । जबलपुर और छतरपुर का फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध है ।

मिट्टी का काम :- बुन्देलखण्ड में कुम्हार लोग मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते थे । लालगवां (छतरपुर) दमोह, जबलपुर मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है टीकमगढ़ तथा मऊ में मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं। यह खिलौने लखनऊ के मुकाबलों के होते हैं। झाँसी के पास भट्टागांव के मटके एवं सुराही विभिन्न प्रांतों में निर्यात किये जाते हैं, यहां के मटकों (घड़ों) सुराही आदि का विशेष महत्व है । [1]

साबुन उद्योग :- बुन्देलखण्ड का साबुन उद्योग बहुत पुराना है । छतरपुर में कपड़े धोने का साबुन बहुत अच्छा बनता था, यहां साबुन गुल्ली और तिली के तेल में रेहू मिलाकर बनाया जाता था, इसमें किसी प्रकार की चर्बी नहीं डाली जाती थी। यहां का गोटी वाला साबुन बहुत प्रसिद्ध था, इसका बाहर निर्यात होता था । वर्तमान समय में भी साबुन उद्योग का काफी विकास हुआ है, करीब-करीब सभी जिलों में कपड़े धोने वाले साबुन की फैक्ट्रियाँ हैं ।

पत्थर उद्योग :- पत्थर उद्योग बुन्देलखण्ड का बहुत ही प्रसिद्ध उद्योग है, इसमें बांदा जिले का अगेट पत्थर उद्योग, जो केन और नर्मदा नदी के तट पर पाया जाता है । कारीगर लोग इसके माला, बटन, डिब्बियां सफेद और रंगीन पत्थरों के बनाकर बेचते हैं । आज कल इसका निर्यात विदेशों में होने लगा है । ललितपुर का पत्थर उद्योग पूरे क्षेत्र में पत्थर की आपूर्ति करता है । तथा अन्य प्रांतों में भी इसका निर्यात होता है, इससे यहां पर ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा मिला है । महोबा जिला के गौरहरी गांव में गौरा पत्थर में नक्कासी का कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया जाता था तथा यह नक्कासी अन्य प्रांतों में भी निर्यात होती थी । किन्तु अब यह बर्तनों तक सिमटकर रह गया है ।

बुन्देलखण्ड के सभी क्षेत्रों में पहाड़ों का बाहुल्य है जिसमें गिट्टी, पत्थर एवं बोल्डर का निर्यात अन्य प्रांतों में होता है इससे क्रेशर उद्योग को भी बढ़ावा मिला है ।

1- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली, पृष्ठ- 44

बीड़ी उद्योग :- बुन्देलखण्ड में बीड़ी उद्योग में प्रयोग में लाये जाने वाला तेंदू पत्ता पर्याप्त मात्रा में यहां के जंगलों में पाया जाता है, जिससे कच्चे माल के आपूर्ति की समस्या नहीं है । अतः इस क्षेत्र में बीड़ी बनाने के कई कारखाने विकसित हुए हैं, जिससे अलग - अलग ब्रांण्ड की बीड़ियों का निर्माण कर अन्य प्रांतों में निर्यात किया जाता है ।

बुन्देलखण्ड के उद्योगों का मशीनीकरण :- जब तक अंग्रेज लोग बुन्देलखण्ड में नहीं आये थे उस समय तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सभी वस्तुओं का निर्माण कुटीर उद्योगों के रूप में होता था । जब अंग्रेज लोग इस क्षेत्र में आये और इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांन्ति हुई, नाना प्रकार के अविष्कार हुए इसका प्रभाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर बहुत अधिक पड़ा । अंग्रेज विदेशी माल भारत में लाये उन्होंने जनता में यह माल बहुत सस्ता बेचा, जिससे यहां के कुटीर धंधे नष्ट हो गये । पूँजी पतियों ने कुछ कारखाने बुन्देलखण्ड में स्थापित किये । कुलपहाड़, कर्वी, बांदा, जबलपुर आदि में रूई की जिनिंग मिलें, पुतली घर आदि कारखाने खोले गये । झाँसी में रेलवे का कारखाना खोला गया । जैसे-जैसे मशीनों का अविष्कार होता गया उसी गति से पूँजी पतियों ने भी कारखाने लगाने प्रारम्भ कर दिये । देश की आजादी के बाद देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनायें बनी । सैकड़ों कारखाने बुन्देलखण्ड में स्थापित किये गये । मेहर के नूर सतना, झाँसी में सीमेन्ट के कारखाने खोले गये जबलपुर, कटनी में आर्डीनेन्स फैक्ट्रियां खोली गईं । झाँसी में बी०एच०ई०एल० कारखाना खोला गया । महोबा में आर्डिनेंस फैक्ट्री कुलपहाड़ के पास प्रस्तावित कागज का कारखाना आदि । साथ ही लघु एवं बड़े पॉलीथिन उद्योग भी इस क्षेत्र में हैं जो बाजार में पॉली पैक बनाकर बेचते हैं । [1]

इसके अलावा झाँसी एवं उरई में बहुत से कारखाने विकसित हो चुके हैं जैसे- खाद, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, चमड़ा, गुटखा, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग आदि।

....

3- बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, लेखक -राधाकृष्ण बुन्देली, श्रीमती सत्यभामा बुन्देली, पृष्ठ- 45-46

इन कारखानों एवं फैक्ट्रियों से पूँजी पतियों को तो फायदा हुआ परन्तु उद्योग धंधों के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन पाई । मशीनीकरण और औद्योगिकी करण हाने के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जहाँ की तहाँ है ।

किसी भी क्षेत्र के विकास में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ता है, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय हो, या यातायात के साधन हों ।

यदि क्षेत्र की कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उस क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत आबादी निर्बलता एवं निर्धनता से नहीं उभर सकेगी एवं निम्न वर्ग के लोग जीवनयापन भी किसी प्रकार कर पायेंगे ।

व्यवसाय के क्षेत्र में यदि भौगोलिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो कोई भी व्यवसाय विकास नहीं कर पायेगा, चाहे वह व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो यातायात के साधन भी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं यातायात के साधन पूर्ण रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकते, जब तक भौगोलिक परिस्थिति सहयोग प्रदान न करे ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है, कि उद्योगों में अधिकांशतः निर्बल वर्ग के लोग ही संलग्न हैं, जो निर्धन है । निर्धनता एवं निर्बलता का प्रमुख कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति ही है । इन सब परिस्थितियों का प्रभाव बुन्देलखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है । चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, यातायात का क्षेत्र हो । इन सबका संयुक्त प्रभाव शिक्षा पर परिलक्षित होता है । इसलिए यह क्षेत्र आदि काल से लेकर आज तक पिछड़ा हुआ है ।

अतः इस पिछड़े हुए क्षेत्र में मिशनरियों ने शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रयास किये हैं, इन प्रयासों के पीछे उनकी भावना चाहे जो भी रही हो किन्तु ब्रिट्रिश शासन के अत्याचार एवं भारतीयों के मन में ब्रिट्रिश शासन के प्रति नफरत

की भावना के बावजूद चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे । मिशनरियों के प्रयासों ने भारतीयों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की, एवं प्रत्येक निर्धन क्षेत्रों में अपनी जड़े मजबूत कीं । और इन्हीं क्षेत्रों ने मिशनरियों के लिए उर्वरकों का कार्य किया । यहां पर अपनी जड़े मजबूत करने में मिशनरियों को ज्यादा समय नहीं लगा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो । उन्हें इन निर्धन क्षेत्रों में सहानुभूमि मिली ।

आज बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो छुट-पुट उद्योग चल रहे हैं । उनमें इस क्षेत्र का निर्धन एवं निर्बल वर्ग ही अपने भरण-पोषण के लिए कार्य करता है । इसी से उसकी दो वक्त की रोटी का इन्तजाम होता है । अब न तो उसे अपने परिवार के लिए शिक्षा हेतु समय है न ही विकास की ओर सोचने का । यदि वह अपने पूरे परिवार सहित दिन भर कार्य नहीं करता, तो सायं काल के भोजन का इन्तजाम नहीं होता है ।



अध्याय – तृतीय

अध्याय - तृतीय

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रस्तावना

बुन्देलखण्ड का इतिहास अत्यधिक रोचक व रोमांचकारी है । प्राचीनतम् पांचाल देशीय इतिहास को छोड़कर, भारत के किसी अन्य प्रदेश का इतिहास जोजांक मुक्ति (बुन्देलखण्ड) के साथ होड़ नहीं कर सकता । ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, प्राकृतिक, भौगोलिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भी बुन्देलखण्ड अत्यन्त सौभाग्यशाली रहा है।

बुन्देलखण्ड के ऐतिहासिक स्वर्णिम युग की पृष्ठभूमि तैयार करने में चंदेल वंश की विशेष अहम् भूमिका रही है । इन्होने कला के क्षेत्र में गुप्तयुगीन कला का अनुकरण किया है । चंदेल सत्ता के उत्कर्ष ही, इस कला के माध्यम से बुन्देलखण्ड का ये स्वर्णिम युग था । इन राजाओं की कला, सौन्दर्य एवं राजनैतिक प्रतिभा और महत्वता, इनके शासन कार्यजन्य परिणामो मे प्रतिफलित होकर स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होती है । ये राजा अपने आश्रितों के लिए कल्पवृक्ष, सज्जनों के लिए अनुदायक, शत्रु समूह के लिए विशाल धूमकेतु सदृश्य अनिष्टकारक, मित्रों को अमृत और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए समुद्र के समान थे । राजा का शौर्य ग्रीष्म ऋृतु की प्रचण्ड किरणों की तरह दुशह था, इन सम्राटों का अतीत सुमधुर स्मृतियों से सुवाषित था ।

बुन्देलखण्ड की कामनीय बसुन्धरा पर बाल्मीकि, बेदव्यास, भवभूमि,करूणरसपुरोधा, महाप्राण, जगनिक के सपनों के घनश्याम, तुलसी, काव्य प्रेत केशव, बिहारी, पदमाकर, ईसरी, मुंशी अजमेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, घासीराम, ब्यास, डा० ब्रृन्दावन लाला वर्मा तथा सेठ गोविन्द दास आदि साहित्य देवताओं ने साहित्य सुमन की वर्षा कर अधिक सुवाषित तथा गौरान्वित बनाया और साहित्य साधना द्वारा विश्व के कोने-कोने में यश दुन्दभी मचा दी । यह साहित्य कला एवं शौर्य प्रधान स्वर्ण युग था । बुन्देलखण्ड की रत्नगर्भा भूमि ने रणवांकुरे, आल्हा उदल , वीर सिंह जूदेव, छत्रसाल, हरदौल, दुर्गावती,

महारानी लक्ष्मीबाई आदि नक्षत्रों को जन्म दिया। इन्होंने अपने रक्त रंजित शौर्य पराक्रम से शत्रुओं का मान मर्जित किया। इस बुन्देली बसुन्धरा पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये और अपने देश की रक्षा के लिए बलिदानी ज्वाला में भस्मसात् हो गई। बुन्देलखण्ड अंग्रजों के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर स्वातन्त्र युद्ध का प्रथम केन्द्र बना, जहां महारानी लक्ष्मीबाई, राजा चंदेल सिंह, शत्रुघ्न सिंह, पृथ्वी सिंह, पण्डित परमानन्द, चन्द्रशेखर आजाद, भगवान दास माहौर, सदाशिव राव अमरापुरकर आदि ने अपनी अलौकिक भूमिका निभाई है। इस आजादी के महायज्ञ में हजारों मनुष्यों का बलिदान देकर बुन्देखण्ड ने अपनी अनुपम विभूतियों को राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वप्रथम अपना स्वत्य समर्पकार, त्याग, बलिदान का अक्षुण्य परिचय दिया इसे स्वतंत्रता के दीवानों का अविस्मरणीय स्वर्ण युग कहा जाये, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

इस युद्ध क्षेत्र की उज्ज्वल एवं पावन बसुन्धरा ने समय-समय पर वीरों, कवियों, चित्रकारों, कलाकारों तथा उच्चतम गायकों को उत्पन्न कर अपने नाद सौन्दर्य प्रियतों का सुपरिचय दिया है। संगीत, कला वंशी पर सम्मोहक सुरीली तान छेड़ने वाले कलाकार जिनके प्रतिभा के रस की वर्षा होती है, जैसे- संगीत सम्राट तानसेन, बैजू, मृदंगाचार्य, कुदौ उस्ताद, आदिल आदि कलाकारों ने अपनी राग-रागनियों द्वारा इसके वैभव को बढ़ाया।

यह सौन्दर्यमयी संगीत सृष्टि इस क्षेत्र की विशेष देन है। विश्व विजयी गामा, हॉकी जादूगर ध्यानचन्द्र यशस्वी खिलाड़ी रूप, चित्रकार कालीचरण, मूर्तिकार मास्टर रूद्रनारायण आदि। बुन्देलखण्ड की मूर्ति कला विश्व को आश्चर्यान्वित कर देती है, इस बसुन्धरा पर खजुराहो, देवगढ़, अजयगढ़, चंदेरी तथा ग्वालियर आदि दर्शनीय स्थल हैं। पुरातत्व एवं स्थापात्य केन्द्रों और चित्रकूट, ओरछा, कालिंजर, अमरकण्टक, सोनागिरि, सूर्य मंदिर उन्नाव आदि तीर्थों का सम्मिलन हुआ, जो समस्त विश्व पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण की वस्तु है, यह कला के चरमोत्कर्ष का सम्मोहक स्वर्ण युग था।

बुन्देलखण्ड इतिहास का एक विशाल ग्रन्थ है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर पर्यटन प्रेमी तथा इतिहास और पुरातत्व के विद्वानों की दृष्टि अटक जाती है। यह भगवान राम की शरण स्थली, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर तुलसी, मैथलीशरण गुप्त वृन्दावन लाल वर्मा आदि अमर सरस्वती पुत्रों की जन्म स्थली भी है। इतना ही नहीं अन्य प्रदेशों की

तुलना में बहुत कम पराधीन होने वाला, परतंत्रता से सर्वथा मुक्त रहने वाला यह भू-भाग आल्हा उदल, वीरसिंह जूदेव, छत्रसाल, रानीलक्ष्मी बाई जैसे तलवार के धनी एवं चन्द्रशेखर आजाद, भगवान दास माहौर, पण्डित परमानन्द एवं सदाशिव राव मलकापुरकर आदि स्वातंत्र पुजारियों की गोद रहा है । झाँसी एवं कालिंजर के अजेय दुर्ग तथा सैकड़ों गढ़ियों तथा गांव-गांव में गाया जाने वाला आल्हा इसकी बलिदानी वीर परम्परा का परिचायक है ।

नामकरण :- बुन्देलखण्ड भारत वर्ष का ह्रदय प्रदेश रहा है । यह हिन्दुस्तान के मध्य में स्थित होने के कारण सदैव ही राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस देश का प्रारम्भिक नाम चेदि देश, चेदि जनपद अथवा चेदि राष्ट्र था । [1]
इसके पश्चात् यह क्षेत्र जेजॉक भुक्ति नाम से भी प्रसिद्ध हुआ । [2]
ह्वेनशांग ने 7वीं शताब्दी में अपने यात्रा विवरण में लिखा था, कि यह भू-भाग जेजॉकभुक्ति नाम से प्रसिद्ध है तथा यहां जिजहोति नाम का एक ब्राहम्मण राजा राज्य करता है जिसकी राजधानी खजुराहो है । [3]
धीरे-धीरे यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड नाम से प्रसिद्ध हुआ । जेजॉकभुक्ति से बुन्देलखण्ड नाम कब परिवर्तित हुआ इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बुन्देला ठाकुरों का प्रभुत्व स्थापित हुआ तभी से यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड नाम से विख्यात हुआ । एक अन्य मत के अनुसार चूँकि बिन्ध्याचल पर्वत की चोटियां इस क्षेत्र में दूर - दूर तक फैली हुई हैं । अतः यह क्षेत्र बिन्धेलखण्ड से परिवर्तित होकर बुन्देलखण्ड नाम से प्रसिद्ध हुआ । [4]
बुन्देलखण्ड के लोग अपनी स्वातंत्रप्रियता के लिए सदैव ही प्रसिद्ध रहे । यह सत्य है कि इस क्षेत्र के लोगों ने किसी भी विदेशी सत्ता के सम्मुख सदैव के लिए समर्पण नहीं किया, लेकिन विदेशी शासकों की असीमित शक्ति के कारण परिस्थितिवश इस क्षेत्र के लोग कुछ समय तक विदेशियों के शासन के अधीन रहे । इसके बावजूद भी स्वतंत्रता की भावना उनके मस्तिष्क में हमेशा पल्लवित होती रही और जैसे ही अवसर मिला वैसे ही यहां के लोगों ने विदेशी शासन को उखाड़ फेकने में कोई कमी नहीं दिखलाई

1- मिश्रा के०सी० - चंदेल और उनका राजस्व काल, वाराणसी सं० 2011, पृष्ठ - 4-5
2- कनिघम, ए० आर्केलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग -21, वाराणसी 1969 पृष्ठ - 58
3- मिश्रा के०सी० - चंदेल और उनका राजस्व काल, वाराणसी सं० 2011, पृष्ठ - 4-5
4- मिश्रा के०सी० - चंदेल और उनका राजस्व काल, वाराणसी सं० 2011, पृष्ठ - 4-5

इस क्षेत्र की स्वतंत्रता प्रियता का सबसे अच्छा उदाहरण महाराजा छत्रसाल बुन्देला ने प्रस्तुत किया। जिन्होने 18वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मुगलों के विरूद्ध अपनी स्वतंत्रता का उदघोष कर दिया था। अपने पूर्वज वीर सिंह देव, जुझार सिंह तथा अपने पिता चंपतराय द्वारा प्रारम्भ किये गये, स्वतंत्रता आंदोलन को छत्रसाल ने बहादुरी के साथ जारी रखा तथा उसे परिपक्व बना दिया। [1]

छत्रसाल तथा मुहम्मद खांन बंगश के बीच युद्ध :- छत्रसाल का जन्म 1647 ई० में झाँसी जिले में कटेरा के समीप मोर पहाड़ी में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय उनके पिता चंपत राय मुगुलों के विरूद्ध संघर्ष में व्यस्त थे। छत्रसाल नेपोलियन की तरह जन्म से ही युद्ध के वातावरण में पलते रहे, उनके गुरू प्राण नाथ उनकी प्रेरणा के उसी प्रकार के स्रोत थे, जिस प्रकार गुरू राम दास शिवाजी की प्रेरणा के स्रोत थे। छत्रसाल शीघ्र ही बुन्देलखण्ड में हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के संरक्षक बन गये। [2]

तत्कालीन मुगल शासन फारूख शीमर 1713-19 ने छत्रसाल की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उसे दवाने का निश्चय किया। अतः उसने अपने बहादुर सेना नायक मुहम्मद खान बंगश को छत्रसाल को पराजित करने के लिए नियुक्त किया। बंगश को एरच तथा भाण्डेर परगने देते हुए, एक विशाल मुगल सेना के साथ उसे बुन्देलखण्ड भेजा ताकि क्षेत्र में मुगलों की खोई हुई प्रभुता को पुनः स्थापित किया जा सके। मुगलों की विशाल सैनिक शक्ति के सामने छत्रसाल हताश नहीं हुए, शीघ्र ही एक मुठभेड़ के बाद जून 1728 में छत्रसाल ने जैतपुर के किले में शरण ले ली थी, जिसे खांन ने घेर लिया। [3]

पेशवा बाजीराव द्वारा छत्रसाल की सहायता :- पेशवा बाजीराव अपनी सेना के साथ जबलपुर के समीप मण्डला नामक स्थान पर रूका हुआ था। पेशवा मालवा तथा उत्तरी भारत में अपने विजय अभियान के सम्बन्ध में आया हुआ था। छत्रसाल ने एक पत्र लिखकर मुगलों के विरूद्ध बाजीराव से मदद की मांग की। बाजीराव जो हिन्दू धर्म का संरक्षक था ने छत्रसाल की सामयिक सहायता करने का निश्चय किया।

1- पाठक, एस०पी० - झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल 1987 रामानन्द विद्याभवन, नई दिल्ली, पृष्ठ - 9

2- तिवारी, गोरेलाल - बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास भाग एक सम्बत् 1990, पृष्ठ - 66-116

3- सरदेशाई जी०एस० - ए न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज़, भाग दो, पृष्ठ - 105-107

अतः शीघ्र ही **12** मार्च **1729** को पेशवा अपनी सेना के साथ जैतपुर पहुँच गया। छत्रसाल और बाजीराव की सेनाओं ने मिलकर मुहम्मद खांन बंगश पर आक्रमण किया जिसमें बुरी तरह पराजित होकर मुहम्मद खांन बंगश बुन्देलखण्ड से वापस हुआ।[1]

छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव का सम्मान तथा साम्राज्य का विभाजनः-

बाजीराव की सहायता से छत्रसाल बड़े प्रभावित हुए। युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने बाजीराव के सम्मान मे एक समारोह आयोजित किया तथा उसे अपने दरवार की सबानेसुन्दर मस्तानी नाम की नर्तकी भेंट की। इसके साथ ही पेशवा को उन्होंने अपना तीसरा पुत्र मान लिया। छत्रसाल उस समय काफी बृद्ध हो चुके थे। अतः उन्होंने अपने दोनों पुत्रों ह्रदयशाह और जगत राज के बीच अपने साम्राज्य का बँटवारा कर दिया तथा तीसरा हिस्सा पेशवा बाजीराव को भेंट किया। पेशवा को जो हिस्सा मिला उसमें कालपी, हटा, सागर, झाँसी, सीरोन, कोंच, गढ़कोटा तथा ह्रदयनगर आदि क्षेत्र शामिल थे इसमें महोबा का परगना भी शामिल था। वास्तव में धसान नदी के दक्षिण वाले क्षेत्र में बाजीराव को हिस्सेदारी दी गई, जिसकी वार्षिक आय **32** लाख रूपया थी। छत्रसाल ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, कि वे पेशवा से मिलकर समय-समय पर उसकी सहायता करते रहें।[2]

छत्रसाल के पश्चात मराठा - बुन्देला सन्धि :- छत्रसाल द्वारा अपने साम्राज्य के बंटवारे के फलस्वरूप मराठों को बुन्देलखण्ड में जो क्षेत्रफल मिला था उसे केन्द्र बनाकर पेशवा ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार बुन्देलखण्ड में मराठों का आदिपत्य स्थापित हो गया। पेशवा वाजीराव ने इस क्षेत्र की बागडोर अपने सूबेदार गोविन्द पंत खेर को दे दी, जो सागर में रहते हुए इन क्षेत्रों का प्रबन्ध करने लगा। बांदा और कालपी के क्षेत्र पेशवा की अवैध संतान शमशेर बहादुर के हिस्से में पड़े, और झाँसी का प्रबन्ध रघुनाथ हरि निवालकर को सौंप दिया गया।[3]

दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में मराठा और बुन्देलाओं के सम्बन्ध क्रमशः खराब होते गये। बुन्देला मराठाओं को चौथ देने में कतराते थे, और साथ ही साथ वे मराठों की प्रभुता के अधीन रहना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी गोविन्द पंत खेर ने बुन्देलखण्ड को केन्द्र बनाकर मराठा सत्ता का चारो ओर विस्तार किया।

1- सरदेशाई जी०एस० - ए न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज़, भाग दो, पृष्ठ - 105-107
2- इम्पीरियर गजे० ऑफ इण्डिया (सेन्ट्रल इण्डिया) - पृष्ठ - 367
3- एस०एन० सैन- अठारह सौ सत्तावन पृष्ठ सं०- 267 तथा सरदेशाई जी०एस० - ए न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज़, भाग दो, पृष्ठ - 230-231

पन्ना के बुन्देला राजाओं की स्थिति भी निरन्तर कमजोर होती गई । **14** दिसम्बर **1731** में छत्रसाल की मृत्यु से लेकर **1857** के विद्रोह तक पन्ना राज्य की आन्तरिक स्थिति विराध तथा षड़यंत्रों से भरी पड़ी थी । इस स्थिति का लाभ लेकर छतरपुर राज्य का गठन सोनेशाह पवार ने किया । यह पन्ना नरेश की सेना में सेना नायक था । धीरे-धीरे **1826** में वह स्वतंत्र हो गया । **1854** में उसकी मृत्यु हुई इसके पश्चात् उसका पुत्र जगतराज गद्दी पर बैठा ठीक यही स्थिति छत्रसाल के पुत्र जगतराज की रियासत की रही । इस प्रकार **1777** तक जब अंग्रेजों ने बुन्देलखण्ड में प्रवेश किया उस समय तक **1731** छतरपुर, **1784** बांदा, **1764** जैतपुर, **1731** चरखारी, **1764** बिजावर आदि राज्यों का जन्म हो चुका था । [1]

इसी बीच **1761** में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की घोर पराजय हुई, इस पराजय से मराठा सत्ता की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा । बुन्देलखण्ड में भी इसका प्रभाव पड़ा और जो बुन्देले राजा अभी तक मराठों के अधीन समझे जाते थे उन्होंने मराठों के विरूद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिये । बुन्देलखण्ड की अस्तव्यस्तता व अव्यवस्था का लाभ लेकर, अवध के नवाब बजीर शुजाउद्दौला के इस क्षेत्र पर पुनः मुगल सत्ता की स्थापना करने का निश्चय किया । [2]

लेकिन मुगलों के विरूद्ध एक बार पुनः बुन्देला और मराठों ने स्वयं को संगठित किया और नौने अर्जुन सिंह के नेतृत्व में इन संयुक्त सेनाओं ने **1763** के तिंदवारी के युद्ध में शुजाउद्दौला के सेना नायक हिम्मत बहादुर को पराजित किया । [3]

हिम्मत बहादुर गुसांई खाँ का बुन्देलखण्ड अभियान :- हिम्मत बहादुर गुसांई बुन्देलखण्ड में अपनी सत्ता स्थापित करने का स्थान देख रहा था । गुसांइयों के प्रारम्भिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन यह ज्ञात होता है, कि दतिया में अकालों के समय एक महिला ने अपने पुत्रों को किसी साधू को बेच दिया था और सम्भवतः यही इन्दरगिरि तथा अनूपगिरि के नाम से विख्यात हुए । [4]

इन्हीं में इन्दरगिरि ने मोंठ में **1745** ईसवी में अपनी प्रभुता स्थापित की । यहीं पर एक किला बनवाया तथा उसके चारों ओर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । झाँसी के मराठा गवर्नर नारो शंकर ने **1750** में इन्दरगिरि को पराजित किया था। अतः उसे अपने

1- इम्पीरियर गजे० ऑफ इण्डिया (सेन्ट्रल इण्डिया) - पृष्ठ - 367
2- श्रीवास्तव ए०एल० शुजाउद्दौला, भाग एक, आगरा, 1961 - पृष्ठ - 122-123
3- तिवारी जी०एल०, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास- पृष्ठ - 66-116
4- सरकार जे०एन०, फॉल ऑफ दि मुगल इम्पायर, भाग तीन पृष्ठ - 221

साथियों के साथ मोंठ खाली करना पड़ा था तत्पश्चात् वह बुन्देलखण्ड से अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना में चला गया । **1752** में इन्दरगिरि की मृत्यु हुई, इसके पश्चात् उसका शिष्य अनूपगिरि अवध की सेना का सेनानायक बन गया । [1]

तिन्दवारी के युद्ध के एक वर्ष पश्चात **1764** में अवध की सेना को अंग्रेज सेनानायक हेक्टर मुनरो ने वक्सर के युद्ध में परास्त किया इस युद्ध में अनूपगिरि ने अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय देते हुए नवाब शुजाउद्दौला के प्राणों की रक्षा की थी । उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे हिम्मत बहादुर की पदवी दे दी गई, उसके पश्चात् बिन्दकी तथा आस-पास के परगने जागीर के रूप मे दे दिये ।

इसी बीच बुन्देलखण्ड की आर्थिक स्थिति विद्रोहों तथा अराजकता से ग्रस्त हुई, बुन्देला राजा आपस में संघर्ष करने लगे, मराठों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी । पानीपत की पराजय के बाद मराठे भी काफी कमजोर हो गये थे । इस स्थिति का लाभ लेने के लिए हिम्मत बहादुर ने पुनः बुन्देलखण्ड का अभियान किया । यद्यपि **1763** में तिन्दवारी के युद्ध में उसकी पराजय हुई थी लेकिन इसके बाद भी वह हतोत्साहित नहीं हुआ तथा बुन्देलखण्ड में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहा । वक्सर में वह अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए भी प्रयास करता रहा । वक्सर के युद्ध में उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर शुजाउद्दौला ने उसे विशाल सेना देकर बुन्देलखण्ड में अभियान करने के लिए भेजा । [2]

सबसे पहले दतिया के राजा रामचन्द्र को पराजित कर उससे चौथ वसूल किया इसके पश्चात् मोंठ तथा गुरसरांय पर आक्रमण किया, गुरसरांय के राजा बालाजू गोविन्द ने इस विषम परिस्थिति में पूना दरवार में मदद प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखा । उन दिनों नाना फड़नबीस ने अपने सेनानायक दिनकर राव अन्ना के नेतृत्व में एक सेना बालाजू की मदद के लिए भेजी । इसके साथ ही ग्वालियर व इन्दौर के मराठा रघुनाथ हरिनिवालकर ने भी उसकी सहायता की । इस प्रकार सम्मिलित मराठा सेनाओं ने हिम्मत बहादुर के विरूद्ध अभियान किया, जिसमें परास्त होकर हिम्मत बहादुर को मोंठ और गुरसरांय खाली करना पड़ा तत्पश्चात् वह अवध चला गया । बुन्देलखण्ड में अपनी लगातार असफलताओं के बावजूद भी वह इस क्षेत्र में अपनी प्रभुता स्थापित करने के

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल, 1987 - पृष्ठ - 13

2- श्रीवास्तव ए०एल० शुजाउद्दौला, भाग एक, आगरा, 1961 - पृष्ठ - 122-123

लिए प्रयास में प्रयत्नरत् रहा । अन्त में **1775** में वह मराठों की सेना में आ गया और मराठों ने उसे अपने उत्तरी अभियानों के लिए नियुक्त किया । इसी बीच उसका सम्पर्क अली बहादुर के साथ हुआ । वह दोनो मिलकर बुन्देलखण्ड में अपने लिए क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहते थे । अन्त में अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर ने मिलकर इस क्षेत्र की विजय योजनायें बनाना प्रारम्भ कर दीं । [1]

बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव :- जिस समय अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर गुसांई बुन्देलखण्ड विजय की योजनायें बना रहे थे । उस समय **1778** में अंग्रेजों ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया । इस क्षेत्र की केन्द्रीय स्थिति तथा सामाजिक महत्व को देखते हुए अंग्रेज यहां अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उन्हें ज्ञात था, कि सेना रखकर ही आस-पास की रियासतों पर अंकुश बनाये रखा जा सकता है । निश्चित ही इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आधिपत्य के पीछे यही उद्देश्य था। अतः जब बुन्देले और मराठे आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, उस समय बारेंनहैस्टिंग ने कालपी होकर एक सेना पूना भेजने निश्चय किया । कालपी बड़े ही सामरिक महत्व का था, यह बुन्देलखण्ड में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार था । अतः **1778** में कालपी पर अपना अधिकार कर लिया यद्यपि मराठों ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से कुछ समय तक रोके रखा । किन्तु अन्त में कालिंजर, भोपाल और नागपुर के राजाओं से समझौता करके बिट्रिश सेना को बुन्देलखण्ड होकर महाराष्ट्र भेज दिया गया । अंग्रेजी सेना का इस क्षेत्र से जाना बुन्देलखण्ड में मराठा आधिपत्य की प्रतिष्ठा को और धक्का लगाने में सफल रहा । यद्यपि जब अंग्रेजी सेनाऐं नर्मदा नदी पार कर चुकी थीं उस समय झाँसी की मराठा सेनाओं ने कालपी पर पुनः अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में चलकर यह क्षेत्र बुन्देलों की पकड़ में आ गया । [2]

अलीबहादुर तथा हिम्मतबहादुर गुसांई का बुन्देलखण्ड अभियान :- उपरोक्त परिस्थिति में **18**वीं शताब्दी के अन्त तक बुन्देलखण्ड में मराठा प्रभुता के पतन का क्रम जारी था, उस समय **1789** में अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर को इस क्षेत्र की मराठा प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए पुनः नियुक्त किया गया । दोनों ने यह निश्चय किया

1- सरकार जे०एन०, फॉल ऑफ दि मुगल इम्पायर, भाग तीन पृष्ठ - 221
2- तिवारी जी०एल०, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास- पृष्ठ - 176 तथा इम्पीरियल गजे० ऑफ इण्डिया

कि इस विजय अभियान के बाद अलीबहादुर को बांदा का नवाब बना दिया जायेगा तथा हिम्मतबहादुर को भी जीते हुए क्षेत्र में हिस्सा मिलेगा । [1]

इस समझौते के अन्तर्गत लगभग **40** हजार सेना के साथ दोनों सेनानायकों ने बांदा, चरखारी, बिजावर आदि को जीतते हुए पन्ना, छतरपुर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया । इस प्रकार इस क्षेत्र में मराठा सत्ता की पुनः स्थापना हुई । **28** अगस्त **1802** को जब अलीबहादुर ने कांलिजर पर घेरा डाला हुआ था उस समय उसकी मृत्यु हो गई । [2]

फलतः उसके पुत्र शमशेर बहादुर ने आकर मोर्चा सम्हाला और स्वयं को बांदा का राजा घोषित किया ।

सिन्धिया **1803** में पेशवा और अंग्रेजों के बीच हुई बेसिन की सन्धि से नाराज था और वह दो आव तथा आस-पास के बिट्रिश क्षेत्रों पर आक्रमण की योजना बना रहा था इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए नाना फड़नबीस ने शमशेर बहादुर को नियुक्त किया । [3]

इस प्रकार मराठों का संयुक्त अभियान बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के विरूद्ध खोई हुई मराठा सत्ता को स्थापित करने का एक प्रयास था, लेकिन इसी बीच हिम्मतबहादुर मराठों का साथ छोड़कर अंग्रेजों की ओर जा मिला। अंग्रेजों के साथ हुई एक सन्धि के अनुसार उसने इस क्षेत्र में बिट्रिश सत्ता स्थापना के लिए भरसक प्रयास किया । [4]

इसके बदले अंग्रेजी शासकों ने हिम्मतबहादुर गुसांई को बुन्देलखण्ड में यमुना के दाहिने किनारे पर **20** लाख रूपया वार्षिक आय की, एक जागीर देने का बचन दिया ।

इस प्रकार गुसांई की स्वार्थपरता और गद्दारी से इस क्षेत्र की स्वाधीनता को एक खतरा पैदा हो गया । हिम्मतबहादुर को बुन्देलखण्ड की भौगोलिक स्थिति का अच्छा ज्ञान था जो अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ

बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी सत्ता का विकास :- **1803** में बेसीन की सन्धि से बुन्देलखण्ड का वह क्षेत्र जो मराठों के अधीन था, उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो

1- तिवारी जी०एल०, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास- पृष्ठ - 176 तथा इम्पीरियल गजे० ऑफ इण्डिया (सेन्ट्रल इण्डिया) पृष्ठ - 367

2- उपर्युक्त ,पृष्ठ - 176

3- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद ,पृष्ठ - 87

4- उपर्युक्त ,पृष्ठ - 187

गया । इस क्षेत्र पर अपना संगठन तथा प्रशासन प्रभावशाली बनाने के लिए 1803 अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वैली बुन्देलखण्ड पहुँचा । [1]

वैली ने जिस प्रकार का शासन प्रारम्भ किया, वह मौलिक रूप में सैनिक तथा राजस्व वसूल करने वाला था । इसके पश्चात् अंग्रेजी सत्ता का विस्तार प्रारम्भ हुआ जिसे परास्त कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया । [2]

अंग्रेजों तथा शमशेर बहादुर के बीच हुए समझौते के अनुसार उसे 4 लाख की वार्षिक पेन्शन तथा बांदा में रहने की अनुमति भी दे दी गई । 1812 में इस समझौते की पुनः पुष्टि की गई ।

शमशेर बहादुर की मृत्यु 1823 में हुई, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी उसी का भाई जुल्फिकार अली हुआ । जुल्फिकार अली की मृत्यु के बाद अलीबहादुर गद्दी पर बैठा और उसने 1857 में अंग्रेजों के विरूद्ध बिगुल बजाया अलीबहादुर के बागी हो जाने के बाद उसकी चार लाख की पेन्शन जब्त कर ली गई तथा उसका निवास बांदा से हटाकर इन्दौर कर लिया गया । बाद में सरकार ने 36 हजार रूपया प्रति वर्ष उसके जीवन निर्वाह के लिए देना स्वीकार किया । इस प्रकार अगस्त 1873 में उसकी मृत्यु हो गई । [3]

बांदा पर अधिकार करने के साथ ही अंग्रेजों ने यमुना नदी के आस-पास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसकी वार्षिक आय 14 लाख रूपया थी । इन्ही क्षेत्रों को लेकर आधुनिक बांदा, हमीरपुर तथा जालौन जिलों का गठन किया गया।धीरे-धीरे अंग्रेजी सत्ता बुन्देलखण्ड के चारों ओर फैल गई। अनेक राजाओं तथा सामन्तों ने अंग्रेजी सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया । 1817 में जैसे ही पेशवा में अपने अधिकार को बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों के पक्ष में छोड़ दिया, उसके परिणाम स्वरूप तमाम जागीरदारों तथा राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेजी सत्ता के समक्ष समर्पण कर दिया । धीरे-धीरे राजाओं को सरकार की ओर से सनद् दी जाने लगी और इस प्रकार इस क्षेत्र में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया ।

अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित की गईं बुन्देलखण्ड की रियासतें :- 1803 से 1857 के बीच अंग्रेजी साम्राज्यवादी शक्ति में बुन्देलखण्ड की अनेकों रियासतों को बिट्रिश साम्राज्य का अंग बना दिया । टिहरी, दतिया और समथर की रियासतों के साथ

1- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 295
2- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 188
3- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 227-230

अंग्रेजों के दिखावे के पत्र थे जबकि अन्य राजाओं को सनद् अथवा इकरार नामा देकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने समझौते में बांध लिया था ।

जालौन रियासत :- जिस समय अंग्रेजों ने बुन्देलखण्ड में प्रवेश किया, उस समय जालौन में मराठों का आधिपत्य था, और वहां का शासक नाना गोविन्दराव था। चूँकि बांदा के नबाव शमशेर बहादुर ने अंग्रेजों के विरूद्ध अभियान प्रारम्भ किये थे और उसमे जालौन के सूबेदार नाना गोविन्दराव ने भी अंग्रेजों का विरोध किया था, इसीलिए 1806 में जालौन में अंग्रेजो का आधिपत्य हो गया । किन्तु इसी वर्ष उसने जब अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तब यहां का शासन नाना गोविन्दराव को वापिस मिला, किन्तु कालपी तथा यमुना के किनारे गांवों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया । नाना गोविन्दराव ने अंग्रेजों की सेवा तथा मदद करने का वचन दिया । 1822 में उसकी मृत्यु हुई उसका उत्तराधिकारी उसी का पुत्र बालाराव गोविन्द हुआ । जिसकी मृत्यु निःसंतान 1832 में हो गई ।

बालाराव की विधवा पत्नी ने एक लड़के को गोद लिया, जिसका नाम भी गोविन्द राव था उसकी भी मृत्यु 1840 में हुई । तभी से जालौन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया । [1]

झाँसी रियासत :- झाँसी की रियासत से अंग्रेजों की पहली सन्धि यहां के सूबेदार शिवराम भाऊ से हुई थी । 1815 में उसका उत्तराधिकारी रामचन्द्र राव हुआ । जिससे अंग्रेजों ने 1817 में दूसरी सन्धि की । रामचन्द्र राव निःसन्तान था । 1835 में उसकी मृत्यु के बाद उसके चाचा रघुनाथ राव को गद्दी मिली । उसकी भी मृत्यु निःसंतान हुई। अतः गद्दी पर उसका छोटा भाई गंगाधर राव बैठा । गंगाधर राव को अयोग्य बताकर कुछ समय तक यहां अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य बनाये रखा । किन्तु 27 नवम्बर 1842 को अंग्रेजी अधिकारियों और गंगाधर राव के बीच में एक समझौता हुआ । जिसके आधार पर झाँसी का शासन गंगाधर राव को पुनः वापस मिला । 1848 में उसका विवाह रानी लक्ष्मीबाई से हुआ, जिसका 1852 में एक पुत्र भी पैदा हुआ । किन्तु दुर्भाग्यवश अल्पावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई । अतः निः संतान गंगाधर राव ने आनन्द राव नामक एक बच्चे को गोद लिया । लेकिन इस गोदनामें को बिट्रिश सरकार ने मान्यता नहीं दी और झाँसी की रियासत को अंग्रेजी शासन में मिला लिया ।

1- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 190

जैतपुर रियासत :- जैतपुर की रियासत छत्रसाल बुन्देला के हाथ में थी । 1852 में यहाँ के राजा केशरी सिंह के साथ बिट्रिश सरकार ने एक सनद् पर हस्ताक्षर किया । जिसके अनुसार जब तक कि राजा केशरी सिंह तथा उसके उत्तराधिकारी अंग्रेजों के प्रति बफादार बने रहेंगे, तब तक पनवाड़ी परगने के 52 गांव में उनकी जमींदारी बनी रहेगी।

केशरी सिंह के बाद परीक्षित गद्दी पर बैठे, जिन्हें बागी होने के आरोप में 1842 में उनकी रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया । उसके पश्चात् खेतसिंह को यहां की जागीर दे दी गई । 1849 में बिना किसी पुत्र के उनकी मृत्यु हो गई । अतः बिट्रिश सरकार ने उनकी रियासत पर अधिकार कर लिया । [1]

खाड़ी रियासत :- खाड़ी एक छोटी सी जागीर थी, जिसे 1807 में परशुराम को अंग्रेजों द्वारा दिया गया था । परशुराम डकैतों के एक गिरोह का सरदार था, जिसने बुन्देलखण्ड में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में अंग्रेजों की मदद की थी । 1850 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इस रियासत पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया । [2]

उपरोक्त रियासतों व जागीरों के अलावा कुछ ऐसी भी जागीरें तथा रियासतें थीं, जिसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया । 1857 में रियासतों द्वारा अंग्रेजों का विरोध किये जाने के कारण ही उन्हें बिट्रिश साम्राज्य में मिला लिया गया । इन रियासतों में तिरगुवां, चिरगांव, परवर, विजय, राधौगढ़, शाहगढ़, बानपुर तथा कुछ छोटी-छोटी रियासतें थीं ।

इस प्रकार मराठों से प्राप्त बुन्देलखण्ड का क्षेत्र तथा विभिन्न रियासतों को बिट्रिश साम्राज्य में मिलाने से बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा झाँसी जिलों का क्षेत्रफल निर्धारित कर उनका गठन किया गया । बुन्देलखण्ड की कुछ रियासतों के साथ अंग्रेजों ने सन्धियां कर रखीं थीं । उन रियासतों में ओरछा, दतिया, तथा समथर की रियासतें प्रमुख थीं । [3]

ओरछा रियासत :- ओरछा की रियासत ही ऐसी एक मात्र रियासत थी, जो पेशवा के अधीन नहीं थी । यद्यपि पेशवा ने इसका कुछ भाग लेकर झाँसी की रियासत में मिला लिया था । 23 दिसम्बर 1812 में अंग्रेजी सरकार ने ओरछा के राजा विक्रमाजीत महेन्द्र

1- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 249-255
2- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 190
3- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 255-259-260

से एक मैत्रीपूर्ण एक सन्धि की। **1834** में विक्रमाजीत का भाई तेजसिंह गद्दी पर बैठा लेकिन **1842** में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व ही उसने अपने एक भतीजे सुजान सिंह को गोद ले लिया था। सरकार ने उस गोदनामे को मान्यता दे दी तथा वहीं की लरई रानी को उस रियासत का रीजेण्ट नियुक्त कर दिया गया। क्योंकि सुजान सिंह एक अवैध वयस्क था। **1857** के विद्रोह के समय लरई रानी ने अंग्रेजों का साथ दिया था तथा अंग्रेजों की ओर से लरई रानी ने झाँसी पर आक्रमण किये थे। [1]

दतिया रियासतः– दतिया की रियासत ओरछा राज्य की एक शाखा थी। **1803** की बेसिन की सन्धि के फलस्वरूप अंग्रेजों की प्रभुता का श्रीगणेश इस क्षेत्र में हुआ था। **15** मार्च **1804** को दतिया के राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के साथ एक मैत्रीपूर्ण सन्धि की। [2]

1839 में परीक्षित की मृत्यु हुई और उसका उत्तराधिकारी विजय बहादुर नियुक्त हुआ। लेकिन उसके उत्तरधिकारी की वैधता को बरौनी के मदन सिंह ने चुनौती दी। अंग्रेज सरकार ने मदन सिंह के दावे को अस्वीकार कर दिया तथा विजय बहादुर को मान्यता दे दी। **19** नवम्बर **1857** को विजय बहादुर की मृत्यु हो गई तथा उसका उत्तराधिकारी उसी का गोद लिया हुआ पुत्र भवानी सिंह को नियुक्त किया गया।

समथर रियासतः– **12** नवम्बर **1817** को समथर के राजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों का एक समझौता हुआ। **1827** में उसका उत्तराधिकारी उसी का पुत्र हिन्दूपत नियुक्त हुआ। [3]

उपरोक्त रियासतों के अतिरिक्त अंग्रेजों ने कुछ जागीरदारों को सनदें प्रदान कीं। इनमें से अधिकांश छत्रसाल के बंशज थे। इस सनदों को देने के पीछे जो सिद्धाँन्त अपनाया गया, उनके बारे में एचीन्सन ने लिखा कि अली बहादुर की सरकार के समय बुन्देलखण्ड के जो सामन्त और जागीरदार अपनी-अपनी जागीरों के मालिक थे उन्हीं के अधिकार को मान्यता दी गई। यदि उन्होंने बिट्रिश सरकार का कभी विरोध नहीं किया था और भविष्य में भी बिट्रिश सरकार के प्रति उन्हें बफादार रहना

1- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच, कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 191-92-261-64
2- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच, कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 192-93,264-70
3- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच, कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 193-94,270-73

होगा । बिट्रिश सरकार का इन रियासतों पर केवल राजनैतिक नियंत्रण होगा, जबकि इसका शेष प्रबन्ध वहीं के राजा महाराजा करेंगे ।[1] इस प्रकार 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पूरे बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी साम्राज्य फैल गया था । यहां के सामन्तों व जागीरदारों से सन्धि और सनद् के आधार पर समझौते करके उन्हें बाहरी आक्रमण का न तो डर था और न ही आन्तरिक विद्रोह का । आराम की जिन्दगी का यह फल निकला कि इन जमींदारों का युद्ध कौशल, साहस तथा परिश्रमी स्वभाव आदि गुण स्वतः समाप्त हो गये । फलतः इनका पतन होने लगा । इसके अतिरिक्त बिलासिता में डूबे रहने के कारण, ये अपनी जागीरों का उचित प्रबन्ध भी नहीं कर पाये । अतः इनके किसानों के साथ सम्बन्ध भी खराब हो गये । धीरे-धीरे ये जागीरें घटतीं गईं । यह स्थिति केवल बुन्देला जमींदारों की ही नहीं थी बल्कि मराठा जमींदार भी इस बुराई के शिकार हुए । इस प्रकार महाराजा छत्रसाल बुन्देला के समय से स्वाधीनता, देशभक्ति और साहस की जो परम्परा शुरू हुई थी और जिसे गोविन्द पंत खेर जैसे मराठा सूबेदारों ने आगे बढ़ाया था वह अब नष्ट हुई । इन गुणों के स्थान पर धोखा, छल-कपट आदि दुर्गुण इन जमींदारों के चरित्र में आ गये ।

यहां तक कि इनमें से अधिकांश ने इस क्षेत्र की स्वतंत्रता के विरूद्ध 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का खुलकर सहयोग भी किया ।

निःसंदेह उक्त परिस्थिति में कुछ ऐसे बहादुर भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया तथा विदेशी साम्राज्य से डटकर संघर्ष किया । उनका यह त्याग हमारे देश भक्तों के लिए हमेशा रोशनी दिखाने का कार्य करेगा । इस प्रकार 1804 से 1857 तक बुन्देलखण्ड का इतिहास राजाओं, महाराजाओं के पतन तथा यहां की जनता की गरीबी तथा दयनीय स्थिति की एक दुःखद कहानी है ।

बुन्देलखण्ड में 1857 का विद्रोह :- 1804 से 1857 के बीच पूरे बुन्देलखण्ड पर अंग्रेजी साम्राज्य पूर्ण रूप से छा चुका था । लार्ड डलहौजी का 8 वर्ष का कार्यकाल बिट्रिश साम्राज्य के विस्तार में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ, उसकी अपहरण की नीति ने शेष कार्य पूरा किया । फलतः झाँसी की रियासत उसका शिकार हुई । बुन्देलखण्ड में इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। जिससे अंग्रेजों के विरूद्ध असंतोष

1- एचीन्सन सी०यू०, ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्टस् एण्ड सनद, भाग पांच , कलकत्ता ,1909 पृष्ठ, 185-407

बढ़ने लगा । अंग्रेजी शासनकाल में ईसाई मिशनरियों के प्रचार एवं प्रसार से भारतवासियों ने अपने धर्म को बहुत बड़ा खतरा समझा । यहां तक कि असंतोष इस सीमा तक बढ़ चुका था, कि इतिहासकार 1856 के वर्ष को तूफान आने के पूर्व की स्थिति समझ रहे थे । बिट्रिश सरकार की भेद भाव की नीति के कारण भारतीय सैनिकों में अत्यधिक असंतोष था । यह सैनिक यह समझने लगे थे कि उसके ही शस्त्रों के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य टिका हुआ है । अतः वह यदि चाहें तो उसे समाप्त भी कर सकते हैं । [1]

भारतीय सैनिकों को सेना में उच्च पद नहीं मिल पाते थे । अधिक से अधिक सूबेदार, मेजर के पद तक वह पहुँच सकता था, किन्तु यहां तक पहुँचने के लिए भी उसे अनेकों परीक्षणों से गुजरना पड़ता था । इसके साथ ही अंग्रेजों की अपहरण नीति को भारतीय हिन्दू सैनिकों ने पसन्द नहीं किया । [2]

भारतीय सैनिकों ने यह सोचा कि अपहरण की नीति के कारण अधिकतर क्षेत्र बिट्रिश साम्राज्य में शामिल होंगे और सैनिकों को भी उन दूर-दूर क्षेत्रों तक जाना पड़ सकता है इसके साथ ही कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी की घटना ने तो हिन्दू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना को उत्तेजित कर दिया। बिट्रिश शासन काल में भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सैनिकों की संख्या से काफी बढ़ चुकी थी । संख्या की दृष्टि से डलहौजी के भारत छोड़ने के समय तक भारतीय सैनिकों की संख्या दो लाख पैतीस हजार थी । जबकि अंग्रेज सैनिक पैतालीस हजार तीन सौ बाइस थे । [3]

सर जॉन लॉरेन्स का यह मत है, कि 1857 के विद्रोह की जड़ सैनिक असंतोष थी । इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का विचार है, कि यह विद्रोह मुस्लिम षड़यत्र का परिणाम था । जिसमें उन्होंने हिन्दू असंतोष का अधिक से अधिक लाभ लिया ।

उपरोक्त असंतोष के अतिरिक्त सरकार की वार्षिक स्थिति से आयात और निर्यात नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे । बुन्देलखण्ड में इस आर्थिक शोषण नीति के कारण अनेकों उद्योग नष्ट हो गये । इससे असंतोष की गति तीब्र हुई । उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड में इस विद्रोह के कुछ अन्य भी कारण थे । उदाहरण के लिए झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई के परम्परागत मंदिर के खर्च के लिए जो गांव दिये गये थे उसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था ।

1- सैन एस०एन०. अठारह सौ सत्तावन पृष्ठ, 40
2- के० एन० मैलेसन, लाइफ ऑफ इण्डिया ऑफीसर्स, भाग एक, पृष्ठ सं०, 216
3- रावर्टस् पी०ई०, हिस्ट्री ऑफ बिट्रिश इण्डिया, पृष्ठ सं० 365

झाँसी जिलें में गौ हत्या की छूट दिये जाने से यहां के हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को और अधिक ठेस लगी । इसके अतिरिक्त अनेकों बुन्देला तथा मराठा जागीरदार सरकार से इसलिए नाराज थे, क्योंकि उनमें से अधिकांश की जागीरें जब्त कर ली गईं थीं । [1]

इसमें उदरगांव, नाठौर और जिगनी के कई जागीरदार थे, जो अपनी जागीर जब्त होने के कारण असंतुष्ट थे । [2]

अंग्रेज सरकार के विरूद्ध जो असंतोष फैल रहा था, उनमें यह भी अफवाह फैली थी, कि बाजार में जो आटा बिक रहा है, उसमें हड्डी का चूरा मिलाया गया है। इसके साथ ही कारतूस वाली घटना ने तो आग में घी का काम किया । [3]

बांदा में भी सरकार की साम्राज्यवादी नीति से वहां के जागीरदार तथा वहां के नवाब अलीबहादुर रूष्ट थे । असंतोष की यह लहर बुन्देलखण्ड के लगभग सभी जिलों में व्याप्त थी । झाँसी के राजा गंगाधर राव ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी मृत्यु के एक दिन पूर्व पांच वर्ष के बच्चे को गोद लिया था, जिसका नाम दामोदर राव था लेकिन सरकार ने इस गोद नामे को मान्यता प्रदान नहीं की थी । [4]

गंगाधर राव ने अपनी पत्नी महारानी लक्ष्मीबाई को बच्चे के वयस्क होने तक रियासत का रीजेन्ट नियुक्त किया । लेकिन सरकार की हड़प नीति के कारण इसे भी मान्यता नहीं दी गई । गंगाधर राव ने बिट्रिश सरकार को पत्र लिखकर अपने परिवार द्वारा अंग्रेजों की, की गई सेवा का उल्लेख किया, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ । अतः झाँसी की रियासत को अंग्रेजी शासन का अंग बना दिया गया । [5]

बुन्देलखण्ड के अन्य इलाके विशेषतः बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर में भी असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था । यहां के क्रान्तिकारियों को प्रेरणा रानी झाँसी से मिली । जब लक्ष्मीबाई ने घोषणा की - ''मेरी झाँसी नहीं दूँगी''। [6]

इससे लोगों की नसों में विद्रोह रूपी रक्त का संचार हो गया और विद्रोह का सूत्र-पात हो गया । इसी बीच झाँसी में स्थित बारहवीं पैदल सेना के एक जवान के रिश्तेदार ने दिल्ली से, एक पत्र लाकर झाँसी के सैनिकों में वितरित किया-कि बंगाल

1- जोशी ई० वी०, झाँसी, गजे०, लखनऊ , 1965 पृष्ठ, 55
2- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299, (3) एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299
4- मिश्रा ए०एस० नाना साहब, पेशवा, लखनऊ 1961 पृष्ठ, 334-335
5- पाठक एस०पी० झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ, 16
6- सैन एस०एन० अठारह सौ सत्तावन पृष्ठ, 270

प्रेसीडेन्सी के सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और झाँसी में सैनिकों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए सैनिक जाति के विरूद्ध यह कार्य शर्मनाकपूर्ण है । यह सूचना अमन खांन नामक सैनिक ने रावर्ट हैमिल्टन को दी थी । [1]

5 जून को 12वीं देशी पैदल सेना के 45 जवानों ने झाँसी में विद्रोह की घोषणा की तथा स्टारफोर्ड पर अधिकार कर लिया । [2]

इस किले में रखा हुआ बारूद तथा खजाना विद्रोहियों ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसी स्थिति में सरकार ने पड़ोसी रियासतों, जैसे ओरछा, दतिया और गुरसरांय के राजाओं से मदद की मांग की । [3]

लेकिन रियासतों के राजाओं ने कोई जवाब नहीं भेजा । उसी दिन रानी झाँसी के समर्थकों की प्रेरणा से यहां की सेना ने विद्रोह करते हुए कैप्टन डनलप, लैफ्टीनेन्ट कैम्पबेल और टर्नबुल तथा 12वीं पैदल सेना के दो स्वामी भक्त हवलदारों को गोली से उड़ा दिया । [4]

शीघ्र ही असंतुष्ट बुन्देला जागीरदार, जिसमें कटेरा के ठाकुर प्रमुख थे, इस विद्रोह में शामिल हो गये । झाँसी के क्रान्तिकारियों ने उसी रात्रि को एक बैठक की जिसमें बख्शीस अली जेल दरोगा की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पास हुआ, कि झाँसी में रहने वाले सभी यूरोपीय अधिकारियों को कत्ल कर दिया जाये तथा झाँसी का शासन या तो रानी लक्ष्मीबाई को या सदाशिव राव नारायण परोलवाल को दे दिया जाये ।

7 जून को दो यूरोपीय अधिकारी स्कॉट और परिसिल को कैप्टन स्कीने ने लक्ष्मीबाई के पास इस निवेदन के साथ भेजा, कि जैसे ही यूरोपीय अधिकारी स्टारफोर्ड से बाहर निकलते हैं, वैसे ही रानी उनको संरक्षण दे दें। लेकिन विद्रोहियों ने इन लोगों का भी कत्ल कर दिया । रानी ने विद्रोहियों को अपना गन देकर सहायता की । इस प्रकार 7 तथा 8 जून को स्टारफोर्ड पर आक्रमण किया गया जिसमें कैप्टन जौर्डन को मार डाया गया । इसके पश्चात् वहां रह रहे सभी यूरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा क्रान्तिकारी खींचकर उन्हें जोखन बाग ले आये, उनमें से 66 लोगों को कत्ल कर दिया गया, इस भयानक दृश्य में वख्शीस अली तथा रानी के समर्थकों ने मुख्य भूमिका निभाई । [5]

1- पाठक एस०पी० झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 17
2- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299
3- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299
4- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299
5- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 299

9 जून को रानी की सत्ता की घोषणा कर दी गई। प्रातः 11 जून को विद्रोही सैनिक झाँसी से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गये। इस प्रकार झाँसी में विद्रोह का शुभारम्भ हुआ। जून 1857 के प्रारम्भ में ललितपुर में विस्फोट की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। झाँसी में विद्रोह की खबर पड़ोसी जिले ललितपुर में आग की चिंगारी की तरह फैली, परिणाम स्वरूप इस जिले के बुन्देला ठाकुरों ने चारों ओर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लूट-पाट करना प्रारम्भ किया। चंदेरी, तालबेहट और ललितपुर विद्रोह की आग से प्रभावित थे। कानपुर के राजा मर्दन सिंह ने बिट्रिश सरकार को उखाड़ फैकने के लिए इन विद्रोहियों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। 11 तथा 12 जून को मर्दन सिंह ने अपने बंदूकची सैनिकों के साथ मालथन की ओर वाले रास्ते पर घेरा डाल दिया। उसने ग्वालियर की छठवीं रेजीमेन्ट को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही झाँसी के विद्रोहियों से सम्पर्क स्थापित करते हुए विद्रोह को आगे बढ़ाने में मर्दन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्रोहियों के डर से ललितपुर के इंजार्ज कैप्टन जार्डन ने 11 जून 1758 को सरकारी खजाने को सैनिक शिविर में रखने का निश्चय किया, इसके बाद ललितपुर के विद्रोही सागर और शाहगढ़ की ओर चले गये, जहां शाहगढ़ के राजा ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार पूरा ललितपुर विद्रोह का केन्द्र बना रहा।[1]

इलाहाबाद में विद्रोह के प्रारम्भ की खबर सुनकर हमीरपुर के मजिस्ट्रेट लायड ने अपने वफादार चरखारी के राजा तथा बेरी रियासत और बावनी के नवाब से मदद की मांग की। इन रियासतों से 100 सैनिक तथा एक गन प्रति रियासत से मदद के रूप में प्राप्त करने में वह सफल रहा। 12 जून को छप्पन देशी पैदल सेना के कुछ सूबेदारों ने तथा कुछ अन्य लोगों ने एक सभा की। अतः दूसरे ही दिन से हमीरपुर में विद्रोह प्रारम्भ हो गया, इसके बाद बावनी ने लार्ड की मदद के लिए जो सैनिक भेजे थे उन्हें वापस बुला लिया। इसी बीच उरई में बंदी बनाये गये यूरोपीय जिसमें श्रीमती रायपन और ब्राउनी सम्मिलित थीं हमीरपुर पहुँची, तथा नाव से इलाहाबाद जाने का प्रयास किया लेकिन थोड़ी ही दूर यात्रा करने के बाद उन पर गोली चलाई गई तथा उन्हें यमुना में फैंक दिया गया। आस-पास के लोगों ने वहां रह रहे यूरोपियनों को अच्छी तरह पीटा तथा उन्हें लूट लिया। रमारी, सरबली, बुजुर्ग तथा खुर्द के जमींदारों ने आस-पास लूट-पाट करते हुए हिंसा का परिचय दिया। जनवरी 1858 में तात्याटोपे ने चरखारी पर आक्रमण

1- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 354

कर दिया । उसकी मदद जैतपुर के देशपत नामक क्रान्तिकारी ने की । मौदहा पर बांदा के नवाब ने अधिकार कर लिया था । इस प्रकार हमीरपुर भी पूरी तरह से विद्रोह की लपेट में आ गया था ।

6 जून **1857** को उरई में यह खबर फैली कि झाँसी में स्थित पैदल सेना के जवानों ने विद्रोह कर दिया है तथा स्टार किले को अपने अधिकार में ले लिया है।[1] विद्रोह के भय से जालौन के डिप्टी कमिश्नर ब्राउनी ने **4,50,000** रू० का अपना खजाना ग्वालियर भेज दिया ।

इसी समय कालपी में डिप्टी कलैक्टर शिव प्रसाद ने कैप्टन ब्राउनी को एक पत्र देकर अपने पद से त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त की । धीरे-धीरे विद्रोह की लहर पूरे जिले में फैल गई ।

इस प्रकार पूरे बुन्देलखण्ड में यहां की क्रान्तिकारी जनता तथा आन्दोलनकारियों ने बिट्रिश सरकार का डटकर मुकाबला किया । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नवाब अलीबाहादुर, कानपुर के मर्दन सिंह तथा अन्य विद्रोही राजाओं ने अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को गहरा धक्का दिया । जनता में इस प्रकार जोश भरा हुआ था कि लोग अपना सब कुछ त्याग करने को बैठे थे । अंग्रेजी सरकार का साथ देने वाली टिहरी की रियासत पर झाँसी की जनता ने आक्रमण किया । चरखारी, गुरसरांय तथा विदेशी सत्ता की मदद करने वाली रियासतों पर भी विद्रोहियों ने अपने प्रहार किये । किन्तु जनरल ह्यूरोज की व्यूहरचना तथा क्रान्तिकारियों के बीच परस्पर तालमेल का अभाव तथा साधन आदि की कमी के कारण बुन्देलखण्ड में यह विद्रोह सम्पन्न तो नहीं हुआ किन्तु अंग्रेजी शासन की नींव अवश्य हिला दी । **1858** में शान्ति स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने झाँसी, बांदा, जालौन तथा आस-पासके क्षेत्रों को खूब लूटा जिससे आगामी वर्षों में गरीबी और मंहगाई का बोल बाला हुआ । इस प्रकार किसी तरह **1858** में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो सकी। **1858** से **1947** तक सरकार की नीति का एक मात्र उद्‌देश्य इस क्षेत्र से अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था । इस क्षेत्र का आधुनिक पिछड़ापन इस कठोर राजस्व नीति के कारण सम्भव हो सका। **1858** से **1947** तक का इतिहास इस क्षेत्र की गरीबी, मुखमरी तथा आर्थिक कठिनाइयों का इतिहास है ।

1- एटकिंशन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजे०, पृष्ठ, 230

बुन्देलखण्ड एजेन्सी का गठन :- बुन्देलखण्ड भारत का ह्रदय प्रदेश होने के नाते उसके केन्द्र में स्थित है । इसकी भौगोलिक सीमाओं के बारे में यह स्वीकार किया जाता है, कि जिस क्षेत्र के उत्तर में यमुना, उत्तर-पश्चिम में चम्बल, दक्षिण में जबलपुर तथा सागर, दक्षिण-पूर्व में बघेलखण्ड तथा मिर्जापुर की पहाड़ियां स्थित है, उसे हम बुन्देलखण्ड के नाम से जानते हैं । इस क्षेत्र में यमुना, चम्बल, बेतवा, धसान और केन जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं ।

बुन्देलखण्ड में सबसे पहले **1802** में बैसीन की सन्धि से अंग्रेजी प्रभुसत्ता का प्रारम्भ हुआ, जबकि कैप्टन जॉन बैली को यहां पर पौलिटीकल एजेण्ट नियुक्त किया गया । [1]

1811 में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेजी गर्वनर जनरल एजेण्ट की नियुक्ति बुन्देलखण्ड में की गई । जिसका मुख्यालय बांदा में स्थित था । **1818** में यह मुख्यालय बांदा से बदलकर कालपी कर दिया गया । **1824** में हमीरपुर तथा पुनः **1832** में बांदा को अंग्रेजी एजेण्ट का मुख्यालय बना दिया गया । [2]

उसके सहायक के रूप में झाँसी में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई तत्पश्चात् झाँसी से यह स्थान बदलकर नौगांव कर दिया गया । [3]

1854 में मध्य भारत एजेन्सी का गठन हुआ और इस क्षेत्र का प्रशासन मध्य भारत के एजेण्ट के हाथ में दे दिया गया । वित्तीय बचत के कारण बुन्देलखण्ड तथा बघेलखण्ड दोनों एजेन्सियों को मिलाकर, उनका प्रशासन एक में मिला दिया गया और यह आदेश **1** दिसम्बर **1931** से लागू हुआ । दोनों एजेन्सियों को मिलाने के बाद नौगांव को उसका मुख्यालय बना दिया गया । इसकी देख-रेख अधिकारी को बुन्देलखण्ड के पॉलिटीकल एजेण्ट का नाम दिया गया । [4]

बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड को मिलाने से **1931** में इस क्षेत्र में **33** रियासतें और जागीरें शामिल थीं । इसमें अजयगढ़, अलीपुरा, बंका, पहाड़ी, बावनी, बरिन्डा, पेरी,भमसंडा, बीहर, बिजावर, बिजना, चरखारी, छतरपुर, दतिया, धरवई, गरौली, गौरीहार, जासो, जिगनी, कामता, रिजवला, कोठी, लुगासी, मैहर, मगौट, नेगांव, रिवई, ओरछा, टहरा, पालदेव, पन्ना, समथर, सरीला, सुहावन और टोढ़ी फतेहपुर आदि ।

1- बुन्देलखण्ड पॉलटिकल एजेन्सी रिकॉर्ड्स की भूमिका
2- बुन्देलखण्ड पॉलटिकल एजेन्सी रिकॉर्ड्स की भूमिका
3- बुन्देलखण्ड पॉलटिकल एजेन्सी रिकॉर्ड्स की भूमिका
4- बुन्देलखण्ड पॉलटिकल एजेन्सी रिकॉर्ड्स की भूमिका

सम्मिलित थे ।[1] लेकिन हमें जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है उसका अभिप्राय बिट्रिश बुन्देलखण्ड से है जिसमें झाँसी, ललितपुर,बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, कर्वी जिले शामिल हैं समय-समय पर इन जिलों का प्रशासनिक क्षेत्र बदलता रहा है । उदाहरण के लिए बांदा और हमीरपुर, इलाहाबाद राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे । इस प्रकार ये इलाहाबाद कमिश्नरी के जिले थे ।[2] जालौन, झाँसी, ललितपुर का झाँसी कमिश्नरी मुख्यालय था ।[3] किन्तु वर्तमान में चित्रकूट धाम कर्वी नया मण्डल बना दिया गया है, जिसका कमिश्नरी मुख्यालय बांदा कर दिया है तथा हमीरपुर जिले में से महोबा जिला बनाया गया है । इस प्रकार वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उ०प्र० में आने वाले 7 जिले हो गये हैं । जिसमें झाँसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, कर्बी आदि ।

1909 में बिट्रिश बुन्देलखण्ड का कुल क्षेत्रफल 11,600 वर्ग मील था जो यमुना के उत्तर पश्चिम से लेकर चम्बल तक फैला हुआ था ।[4]

1- बुन्देलखण्ड पॉलटिकल एजेन्सी रिकॉर्ड्स की भूमिका
2- बुन्देलखण्ड गजे० , पृष्ठ- 53
3- बुन्देलखण्ड गजे० , पृष्ठ- 53
4- इम्पीरियल गजे० ऑफ इण्डिया, कलकत्ता, 1909, पृष्ठ -212

ऐतिहासिक विभूतियाँ :- इतिहास इस बात का साक्षी है, कि युग परम्परा से बुन्देलखण्ड का महत्व है । इतिहासकारों का कथन है कि हमारा बुन्देलखण्ड भारतवर्ष का हृदय है । जब से क्षत्रियों ने इसे अपनाया है, उस समय से बुन्देलखण्ड कहलाने लगा । ''शिशु पाल''

वैदिक युग से ही यहां विकास हुआ उसके बाद श्रीकृष्ण का शासन इस क्षेत्र पर रहा, जिन्होंने गीता महाकाव्य की रचना की । इस भू-भाग में कृष्ण द्वैपायन ने पुराणों की रचना की, वेद-व्यास, बाल्मीकि, प्रहलाद, आला उदल ने उत्पन्न होकर इस भू-खण्ड को गौरान्वित किया । अकबर ने भी इस भू-भाग को श्रेष्ठ कहा और वीर बुन्देलाओं को अपनी सेना में श्रेष्ठ महत्वपूर्ण स्थान दिया।

महाभारत के गुरू द्रोणाचार्य का जन्म झाँसी क्षेत्र के बाघात गांव में हुआ था। इसके अतिरिक्त तुलसी, सूर की तपोभूमि, भगवान राम की वनवास एवं कृष्ण की नारायणी सेना, कविवर केशव की कविभूमि तथा त्रिवेणी कवियों की कलाभूमि रही है । बुन्देलखण्ड का क्षेत्र झाँसी जब जल में था तब भी इसकी सेवाऐं विन्ध्याचल पर्वत द्वारा समुद्र मंथल की क्रिया के लिये की गई थीं ।

बुन्देलखण्ड स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम केन्द्र बना । यहां रानी लक्ष्मीबाई बानपुर के राजा मर्दन सिंह, बांदा के नबाव दीवान नाहर सिंह, राजा खलक सिंह, दीवान जवाहर सिंह, दीवान शत्रुघ्न सिंह, बाबा पृथ्वी सिंह, झलकारी बाई, पूरन कोरी आदि ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाये । इतिहास इस बात का साक्षी है, कि इसी वीर प्रसविनी भूमि ने कई रणवांकुरों को जन्म दिया । विराट की पद्‌दमिनी, वीर सिंह जूदेव, चम्पत राय, राजा छत्रसाल, वीर हरदौल, रानी दुर्गावती, की सौर्य गाथा बुन्देलखण्ड को गौरान्वित करती हैं ।

पंडित परमानन्द, चन्द्रशेखर आजाद, घासीराम, सीताराम भागवत, भगवान दास माहौर, विश्वनाथ बैशम्पायन, मास्टर रूद्रनारायण तथा सदाशिवराव मलकापुरकर ने स्वतंत्रता के लिए अपनी अलौकिक भूमिका निभाई, जो बुन्देलखण्ड वासियों के त्याग और बलिदान के परिचय देती है ।

यही वह भूमि है जहां ओरछा नरेश मधुकर शाह व रानी कुँवर गणेश ने राम राजा को लाकर मन्दिर की स्थापना की । उन्नाव (बालाजी) का सूर मन्दिर,खजुराहो,

देवगढ़ मन्दिरों की कलाऐं गुप्तकाल की स्वर्णिम देन है । अजयगढ़, चंदेरी, ग्वालियर, चित्रकूट, कालिंजर, अमरकण्टक, सोनागिरि जो विश्व की पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं । हमारे बुन्देलखण्ड की सभ्यता एवं संस्कृति उन्नति के शिखर पर रही है । इस कमनीय वसुन्धरा पर बाल्मीकि, वेद व्यास, भवभूति, नायक जगनिक, तुलसी, केशव, बिहारी, मतीराम, पदमाकर, राय प्रवीण, ईसुरी, मुंशी प्रेमचन्द्र, मुंशी अजमेरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्त सियाराम शरण गुप्त, डा० राम कुमार वर्मा, सेठ गोविन्द दास, घासीराम व्यास, कवीन्द्र, नाथूराम माहौर, घनश्याम दास पाण्डेय, नरोत्तम दास, अवधेश आदि ने साहित्य वेदों की वर्षा कर बुन्देलखण्ड के गौरव को बढ़ाया ।

विश्व विजयी गामा, इमाम बख्श, हाकी जादूगर मेजर ध्यानचन्द्र, यशस्वी खिलाड़ी रूप सिंह, चित्रकाल कालीचरण, मूर्तिकार मास्टर रूद्रनारायण द्वारा निर्मित महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति आज भी लक्ष्मीबाई व्यायाम मन्दिर स्कूल के प्रांगण की शोभा बढ़ा रही है ।

इस भू-खण्ड ने प्रत्येक पग-पग पर विचित्र इतिहास दिया है । प्राचीन दुर्गों व मन्दिरों के भग्नावशेष अपनी मूक वाणी में यहां के यश की गाथाऐं गा रहे हैं । फिर भी बुन्देलखण्ड आज सभी प्रांतों से पिछड़ा हुआ है निर्धनता अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है । गांव में अशिक्षा और अंध विश्वास के पैर जमें हुए हैं । यहां पर उद्योग धंधों का अभाव है । इस भू-खण्ड के लिए सरकार भी गतिशील नहीं है और सदैव उपेक्षा करती रही है । जन, जागरण, चेतना और उद्योगों के विकास के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए तभी हमारा प्रांत भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेगा ।

बुन्देलखण्ड के कुशल शासक

राजा धंगदेवः- चंदेल नरेश महाराजा धंगदेव को यदि देखा जाये तो चंदेल नरेशों मे सर्वाधिक वीर, पराक्रमी, महान, विजेता, सफल शासक तथा कला मर्मज्ञ, निर्माता एवं साहित्य प्रेमी के साथ-साथ सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्रेमी कहलाने वाला था । इसलिए अपने वंश का सबसे अधिक यशश्वी व साम्राज्य निर्माता समझा जाता है ।

यशोबर्म के बाद उसका पुत्र धंगदेव राजा हुआ यह चंदेल वंश का सबसे

प्रतापी राजा था, यह सौ वर्ष तक जीवित रहा । अपने शासनकाल में राजा धंगदेव ने शिव जी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया । खजुराहों शिला लेख में इसकी मृत्यु का वर्णन मिलता है । यह लेख वि०सं० **1056** का है ।

चंदेल नरेश परमादि देवः- परमादि देव चंदेल वंश का अन्तिम महान शासक माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो भी शासक हुए वे चंदेल वंश की प्रतिष्ठा को जीवित नहीं रख सके । विभिन्न कालों के शिला लेखो की प्राप्ति से चंदेलों का चंदेल शासन विधिवत् **1296** ईसवी तक चला । परमादि देव ने निश्चित ही अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को जीवित रखा और अपना यश एवं गौरव बढ़ाया। अपने जीवन काल में दो महान शक्तियां प्रथम पृथ्वीराज चौहान एवं कुतुबुद्दीन ऐवक का सामना करना पड़ा यह दोनों युद्ध अपने आप में विलक्षणताऐं रखते हैं ।

महाराजा छत्रसाल :- महाराजा छत्रसाल के जन्म के विषय में दो मत हैं । एक मत के अनुसार छत्रसाल का जन्म जतारा परगने में स्थित मोर पहाड़ी की घाटी में **26** मई **1649** ई० में हुआ यह स्थल महोबा के दक्षिण पूर्व में है, दूसरे मत के अनुसार छत्रसाल का जन्म **4** मई **1649** को ग्राम ककरकचनेव में हुआ, जो जिला झाँसी के अन्तर्गत आता है । इनके पिता चंपतराय ने ओरछा के महाराजा जुझारसिंह की मृत्यु के पश्चात बुन्देलखण्ड में मुगल विरोधी संघर्ष का नेतृत्व किया । पिता के मृत्यु के बाद मुगलों से छत्रसाल का संघर्ष जारी रहा ।

बुन्देलखण्ड केसरी के नाम से प्रसिद्ध महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित पन्ना राज्य धसान नदी के पूर्वी बुन्देलखण्ड में स्थित था । इसकी राजधानी पन्ना होने के कारण वह पन्ना राज्य के नाम से मशहूर हुआ । इसके चारो ओर घोर घने जंगल थे । घने वनों से आच्छादित होने के कारण इसे डांगों का राज्य कहा जाता था ।

पन्ना राज्य की सीमाऐं इस प्रकार थीं - उत्तर में यमुना पर स्थित कालपी, दक्षिण में सीरोन तथा सागर, पश्चिम में यह सीमाऐं ओरछा व दतिया के बुन्देली राज्यों से लगी थीं, पूर्व में बुन्देलखण्ड बीस सिंहपुर तक इसका विस्तार था । उनके राज्यों में हमीरपुर, जालौन, झाँसी, बांदा आदि, आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले थे । चरखारी, अजयगढ़, पन्ना, बिजावर, शाहगढ़, छतरपुर, सरीला आदि की रियासतें शामिल थीं, बुन्देलखण्ड के पांच जिले झाँसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश में

बिलीन रियासतें जैसे-ओरछा, चंदेरी, दतिया, अजयगढ़, पन्ना, बिजावर, शाहगढ़, छतरपुर, अलीपुरा आदि सम्मिलित थीं । इस प्रकार बड़े मजबूत आर्थिक सैनिक साज-सज्जा विकसित जनता राज्य को मजबूती प्रदान करने एवं उसका विधिवत् बँटवारा करने के बाद **81** वर्ष की आयु में **4** दिसम्बर **1731** को एक महान साम्राज्य निर्माता छत्रसाल का निधन हो गया ।

स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रान्तिकारी

प्रथम वीर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई:- धन्य हैं वीर भूमि बुन्देलखण्ड जहां अनेक महापुरूषों ने जन्म ही नहीं लिया, वरन् अपने तप बल एवं यश से गौरान्वित किया । इन्हीं में से एक है वीर शाहसी महिला वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसका कि नाम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में जगविदित है । अंग्रेजी सेना से कभी न हार मानने वाली, इस वीर महिला के नेतृत्व में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद हुआ, जिसका स्वर अन्ततः देश के अन्य भागों में भी ध्वनित हुआ ।

जीवन परिचयः- महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म **19** नवम्बर **1835** को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपन्थ ताम्बे और माँ का नाम भागीरथी था । धार्मिक आचार विचारों की परम्परा इनके परिवार में विद्यमान थी । लाड़ प्यार में पली पुसी इस बालिका के बचपन का नाम मनु था । व्यक्तिजन प्यार से इसे मनुबाई, छबीली कहकर पुकारते थे । दुर्भाग्यवश मनु बाल्यकाल में ही, माँ के मातृत्व प्यार से वंचित हो गई और तब मनु अपर्याप्त स्नेह प्यार से असहाय रहने लगी । मनु का पालन पोषण पेशवा बाजीराव के देख-रेख में सम्पन्न हुआ ।

शूर वीरता की झलक मनु के मुख-मण्डल पर झलकती थी । तीर-भाला चलाने का शौक इनके व्यक्तित्व में समाया हुआ था । नाना साहब ने मनु की जिज्ञासा को पहचाना और अपने ही संरक्षण में स्वयं एवं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दीक्षा का वीजारोपण किया । अस्त्र-शस्त्र प्रशिक्षण के दौरान मनु ने घुड़सवारी में भी अपनी विशेष पहचान अंकित की । कठिन मेहनत और लगन से मनु शीघ्र ही युद्ध संबंधी विभिन्न कलाओं में निपुण हो गई तथा कुशल वीर योद्धाओं की श्रंखला में अग्रणी हुई ।

देश में अंग्रेज सेना का आतंक था । दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों को मनु

ने करीबी से देखा । मनु के हृदय में अंग्रेजो से बदला लेने की भावना अंकुरित हुई, और तभी से ही उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत की चिंगारी का सूत्र-पात हुआ। चूँकि उस समय बालिकाओं के अल्प आयु में ही विवाह सम्पन्न होते थे । अतः 15 बसन्त पार होते ही मनु के लिए योग्य वर तलाश किया जाने लगा । सन् 1850 में झाँसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हुआ । इसके बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई किन्तु 4 माह के पश्चात् ही संतान से वंचित हो गये । तब उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। 19 नवम्बर 1853 को गोद लेने की रस्म सामाजिक रीति रिवाजों के मध्य विधिवत सम्पन्न हुई । अंग्रेजों की नीति से राजा परेशान रहने लगे, क्योंकि अंग्रेजों की तानाशाही दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । उन्होंने दत्तक पुत्र को मान्यता देने से मना कर दिया । इसी विवाद में वह चिंतित रहने लगे और दिन-प्रतिदिन उनका धैर्य टूटता गया । अंत में 21 नवम्बर 1885 को उनका देहावसान हो गया ।

पति एवं पुत्र विछोह में रानी दुःखी रहने लगी, प्रजा के सुख - दुःख का बोझ उनके कंधों पर आ गया । रानी ने धीरे-धीरे सभी से ताल-मेल एवं मेल-मिलाप स्थापित कर सभीको अलग-अलग कार्य सौंपे । रानी ने एक तरफ निर्भीक लोंगों की सेना तैयार की इसमें स्त्री एवं पुरूषों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा । किन्तु अंग्रेजों ने झाँसी की रानी को महिला समझकर आतंक के बीच बिखेरना शुरू कर दिये। उनकी दृष्टि में झाँसी में शीघ्र कब्जा करना था । अतः इसी नीति के तहत अंग्रेजी कम्पनी द्वारा रानी झाँसी को पेन्शन स्वीकृत की गई और झाँसी का राज्य अंग्रेजी सत्ता के अधीन किये जाने की घोषण की गई । किन्तु रानी ने इन शर्तों को अमान्य कर दिया और उन्होंने दृढ़ संकल्प एवं कठोर शब्दों में, अंग्रेजो को चेतावनी दी और दृढ़ता से कहा " मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी " चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाये । मैं राज्य हित में प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ । और तब रानी युद्ध की तैयारी में जुट गईं ।

इसी समय 21 मार्च 1852 ई० को अंग्रजों ने झाँसी नगर की सीमाओं पर युद्ध की मोर्चा बन्दी डाल दी, झाँसी की सेना पूरी शक्ति के साथ युद्ध के मोर्चों पर डटी । अंग्रेजों ने दक्षिण दिशा की ओर से अपना विस्फोट शुरू किया एवं अन्य दिशाओं से भी युद्ध का स्वर गूँजा । गुलाम गौस खाँ एवं उनके सह तोपचियों ने गोले बरसाना

शुरू किये, **10** दिन तक युद्ध हुआ । कुछ सेना कर्मियों को धन का लालच दिया गया ताकि अंग्रेजी सेना को प्रवेश के द्वार खोल दिये जाये और अंग्रेजी सेना नगर में प्रवेश कर जाये । अंत में यही हुआ ओरछा गेट से अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया तथा घमासान युद्ध हुआ । रानी झाँसी चण्डी रूप धारण कर अंग्रेजी सेना का नरसंहार कर रही थी। रानी झाँसी की जान को जोखिम में देख अपने प्रमुखों की सलाह पर रानी ने कालपी की ओर प्रस्थान कर दिया । रानी ने तात्या टोपे एवं नाना साहब की मदद से पुनः सेना संगठित की । रानी लक्ष्मीबाई की सूझ-बूझ से ग्वालियर पर आक्रमण कर फतह हासिल की गई । किन्तु ह्यूरोज सेना निरन्तर रानी का पीछा करती रही और ग्वालियर पर आक्रमण किया गया । **18** जून **1858** ई० को अंग्रेजो ने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया ।

अन्त समय में रानी लक्ष्मीबाई के पास प्रमुख राज्य भक्तों की टोली साथ में थी । रानी ने पुनः सैनिक शक्ति संगठित की और अन्तिम युद्ध बाबा गंगादास जी की कुटिया के निकट हुआ इस युद्ध में रानी ने अपनी मृत्यु को सुनिश्चित समझा, तब उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे शव को अंग्रेजों के हाथों में न पड़ने देना, तुम लोग ही मेरा दाह संस्कार स्वयं करना इतना कहकर रानी ने अपनी ही तलवार से वीर गति प्राप्त की ।

शौर्य वीरता की इस दीप शिखा का प्रत्येक भारतवासी ऋृणी है । बुन्देलखण्ड के स्वर्णिम अतीत का इतिहास सदा ही इन शब्दों में याद किया जाता रहेगा ।

“ बुन्देले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी ।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ।।

शहीद सुमेर सिंह :- बुन्देलखण्ड की प्रसविनी भूमि में अभी ऐसे कई बलिदानी वीर भूले बिसरे पड़े हुये हैं, जिन्होंने **1857** के संग्राम में अंग्रेजों से युद्ध लड़ते-लड़ते अपने को होम दिया । बलिदानियों की इस कढ़ी में राठ के क्रान्तिकारी सुमेर सिंह भी आते हैं ।

राठ जिला हमीरपुर के समीप कैथाक अंग्रेज छावनी भी थी, जहां से बुन्देलखण्ड की सीमा प्रारम्भ होती है । राठ के राजा सुमेर सिंह कट्टर देश भक्त और झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के महान सहयोगी थे जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी फौजे झाँसी पर चढ़ाई करने जा रही हैं, तो वह अंग्रेजो से लोहा लेने के लिए व्यग्र हो उठे

और अपनी सेना लेकर शत्रु को सीमा पर रोकने के लिए आगे बढ़े और साहस के साथ युद्ध करते हुए जॉनसेन का बध कर दिया। तदन्तर हैमेल्टन, जॉनसेन की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, बरजोर सिंह ने अपने रण कौशल द्वारा उसे मार गिराया। इस प्रकार अंग्रेजों के साथ उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी।

सन् **1857** में वीर सुमेर सिंह ने बुन्देलखण्ड की स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा हेतु अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। इस बलिदानी वीर की समाधि मऊरानीपूर (झाँसी) की सुखनई नदी के तट पर, अपनी अतीत की गौरव गाथा गाती हुई जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आज भी विद्यमान है।

झाँसी की वीरांगना झलकारी बाई :- **1857** के संग्राम में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई की अत्यन्त निकट विश्वसनीय सहेली झलकारी बाई की मुख्य भूमिका रही है। यह पावन धरती वीर-वीरांगनाओं से कभी सूनी नहीं रही। भारत माँ ने भी झलकारी बाई जैसी नारियों को जन्म दिया, जिन्होंने देश का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण नारी जाति का सिर ऊँचा किया है, यह हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है।

झलकारी बाई का जन्म **1830** में झाँसी से लगभग **7** किमी० दूर ग्राम भोजला में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मूलचन्द और माता का नाम जमुना था। झलकारी बाई का विवाह मुहल्ला नया पुरा उन्नाव गेट निवासी, श्री पूरन गोलन्दाज के साथ हुआ, जो झाँसी के राजा गंगाधर राव की ही सेना में थे। पूरन के पिता का नाम अमर एवं माता का नाम माया था। इनके पिता पहलवान थे और लड़कों को कुश्ती, मलखम्भ, दण्ड बैठक सिखाते थे। इनका प्रभाव भी पूरन पर पड़ा और अपनी कार्य कुशलता देश भक्ति, स्वामी भक्ति से पूरन कोरी झाँसी का प्रमुख गोलन्दाज बन गया। सम्पूर्ण झाँसी को पूरन पर गर्व था।

19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में झलकारी बाई की प्रथम भेंट रानी लक्ष्मीबाई से शिव मंदिर में हुई। झलकारी ने अपनी वीरता का परिचय महारानी को खूब अच्छी तरह से दिया। रानी, झलकारी की वीरता के कार्यकलाप से प्रभावित हुई और वीरांगनाओं की सेना का नेतृत्व सौंप दिया।

झलकारी की त्याग की भावना और देश के प्रति समर्पण की भावना उस समय और भी ज्वलंत बनती है, जब झलकारी बाई महारानी का भेष धारण कर अंग्रेजों को किले में

ही उलझाये रखती है और लक्ष्मीबाई को किले से बाहर भाग जाने का सुअवसर देकर स्वयं अपने प्राणों की आहुति देश के प्रति दे देती है ।

झलकारी बाई को अंग्रजों ने बहुत खतरनाक महिला की संज्ञा दी और अंग्रजों ने तोप के सामने ले जाकर इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में बलिदानी महिला को वीर गति दी । आज सम्पूर्ण भारत इनकी वीरता, त्याग और बलिदान की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है । ऐसी वीरांगना किसी जाति विशेष की न होकर सम्पूर्ण भारत की निधि थी। ऐसी महान विभूतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ।

क्रान्तिकारी परमानन्द :- श्री परमानन्द जी हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के रहने वाले थे परन्तु वे झाँसी में परमानन्द नाम से ही विख्यात हैं । क्योंकि स्वतंत्रता आन्दोलन में अखिल भारतवर्षीय व्यवस्था में झाँसी की ऐतिहासिक रूप में अधिक ख्याति रही । परमानन्द जी ने समुद्र पार जापान, अमेरिका, मलेशिया आदि देशों की यात्रा भी अपने क्रान्तिकारी कार्य कलाप के अन्तर्गत की, और जहां भी गये वहां बिट्रिश साम्राज्यवादियों के विरूद्ध संघर्ष करने को प्रेरित करते रहे । सन् 1912 में वे टोकियो पहुँचे । उन्होंने उसी समय एक क्रान्तिकारी एशिया पार्टी बनाई । फिर एक क्रान्तिकारी योजना के तहत कार्य प्रारम्भ कर दिया । अन्त में वे पकड़ लिए गये और उन पर बहुत से साथियों के साथ राजद्रोह और सम्राट के विरूद्ध युद्ध करने के अभियोग मे मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई । परन्तु बाद में उनकी फांसी की सजा को आजन्म काले पानी की सजा में बदल दिया गया । और 1917 में उन्हें अण्डमान भेज दिया गया । वहां के दुष्ट कुख्यात जेलर वारी साहब को ठोकने के जुर्म में तीस बेंत की भी सजा दी गई। अन्ततः 1937 में कांग्रेस और प्रांतीय सरकारें स्वीकार किये जाने के समय वे जेल से छोड़े गये । द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्हें पुनः नजर बन्द कर लिया गया और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें छोड़ा गया । इसके बाद परमानन्द जी अमृतसर में मिशनरी सिख कॉलेज में प्राध्यापक रहे।

बुन्देलखण्ड की इस धरा पर बहुत से क्रान्तिकारी पैदा हुए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका रही, जिनमें झाँसी के मास्टर रूद्रनारायण सिंह थे, जिन्होंने अपने अखाड़े के माध्यम से कई क्रान्तिकारियों को जोड़कर झाँसी क्रान्तिदल की एक शाखा स्थापित की । इस शाखा के क्रान्तिकारियों में सदाशिवराव मलकापुरकर, विश्वनाथ, गंगाधर, वैशम्पायन और भगवान दास माहौर आदि क्रान्तिकारी रहे ।

बुन्देलखण्ड के योद्धा

बुन्देला वीर परीछत :-बुन्देलखण्ड की रक्तरंजिता वीर वसुन्धरा दीर्घकाल से अपने गीले आंचल में अनेकों वीरों की शौर्य गाथाऐं संजोये हुए है । जो समय समय पर इतिहास के पृष्ठों पर जाने-अनजाने उभरकर स्वतन्त्रा प्रेमियों को प्रेरणा देती रहती है। ऐसी ही बुन्देला वीर परीछत की शौर्य गाथा है ।

युवराज परीछत बाल्यकाल से ही स्वाभिमानी और वीर प्रवृत्ति के थे, इस कारण उनको पिता द्वारा अंग्रेजी अनुशासन में रहना हृदय में खटकता था । परीछत के पिता केशरी सिंह थे । कालान्तर में पिता केशरी सिंह के देहावसान के पश्चात् जब राज्य का भार सम्भाला तब उन्होंने बुन्देलखण्ड को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का दृढ़ सकल्प किया । और सन् **1842** में अंग्रेजों के विरूद्ध संग्राम छेड़ दिया था ।
राजा परीछत रणकुशल तो थे ही, साथ ही राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे क्योंकि इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने गुसांइयों को अपने साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया था । युद्ध में परीछत घायल हो गये थे, तो उनके साथी राजा भाग गये थे, फिर भी वे युद्ध करते रहे थे । अन्त में युद्ध विराम हो गया और परीछत साधु भेष धारण कर बुन्देलखण्ड त्याग कर उत्तराखण्ड चले गये थे ।

बुन्देल भूमि के रणवांकुरे आल्हा-ऊदल :- महोबा के चंदेल राजा परमाल के दरवार में जच्छराज और बच्छराज नाम के दो वीर सरदार थे । यह दोनों भाई महोबा से कुछ मील दूर दसपुरवा नामक स्थान में रहते थे । आल्हा ऊदल इन्हीं जच्छराज के लड़के थे इनकी माँ का नाम देवलदेवी था । बच्छराज के पुत्र का नाम मलखान था।

आल्हा-ऊदल बचपन से ही बहुत वीर थे, इन्होंने लगभग **52** लड़ाईयां लड़ीं । आल्हा-ऊदल, मलखान् आदि वीरों की वीरतापूर्ण लड़ाईयां इतनी अधिक प्रेरणास्पद हैं कि रामायण, महाभारत या श्रीमदभागवत आदि जैसे पवित्र ग्रन्थों के सुनने के लिए इतनी जनता कभी भी शायद इकट्ठी हो जितनी आल्हा-ऊदल के ग्रन्थ सैरा को सुनने के लिए । इसमें ओजस्वी वीरों की साहसपूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, जो सुनने वालों को भावविभोर कर देता है। आला के गीतों का विलक्षण प्रभाव है कि

जीवन की विषम परिस्थितियों को झेलने वाले प्राणियों में, एक नई चेतना, एवं स्फूर्ति का संचार कर देते हैं ।

जैसे सर सर सर चल रही सिरोही, जैसे मघा नक्षत्र घहराय ।
कट कट शीष गिरें ज्वानन के, उठ उठ कर रूण्ड करें तलवार ।।

माहिल ने ऊदल को उसके पिता के वध की घटना नमक मिर्च मिलाकर सुनाई और ललकारते हुए चुनौती दी -

फिर ललकारा है माहिल ने, और ऊदल से कहा सुनाय ।
कब से ऊदल मनवढ़ हो गये, कब सें बांध लई तलवार ।
ऐसे जोधा जो तुम हो गये, क्यों न बदला लेते जाय ।।

ऐसे शब्दों को सुनकर ऊदल के शरीर में आग लग गई, वीर की तरह माँ के पास गया और बोला -

कैसे मर गया पिता हमारा, सच सच आज देउ बतलाय ।
गरजा ऊदल तब ललकारा, जैसे शेर तरेड़ा खाय ।
माता-माता को ललकारा, जननी सुनलो कान लगाय ।
बारह वरस लौ कूकर जीवे, और तेरह लौ जिये सियार ।
बरस अठारह क्षत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार ।।

इस प्रकार उन्होंने माड़ौ पर चढ़ाई कर वहां के राजा करिया मुंडा से अपने पिता की मौत का बदला लिया ।

वैसे आल्हा ऊदल के पृथ्वीराज के साथ कई लड़ाईयां हुईं परन्तु सबसे मुख्य लड़ाई जैतखम्भ के नाम से प्रसिद्ध है । इस युद्ध में ऊदल ने वीरगति पाई एवं आल्हा ने या तो सन्यास ले लिया या फिर वे अन्यत्र चले गये इनकी मृत्यु कहां हुई यह बताना असम्भव है ।

आल्हा ऊदल की वीरता के गीत बुन्देलखण्डीय संस्कृति के प्राण हैं इनमें पुनर्जीवन लाने का प्रयास अवश्य होना चाहिए ।

महाबली गामाः– बुन्देलखण्ड की धरती अपने बलिदान, शौर्य, पराक्रम और वीरता के लिए विश्व विख्यात है । यह तुलसी, केशव, वृन्दावन लाल वर्मा तथा मैथलीशरण गुप्त जैसे साहित्यकारों व लक्ष्मीबाई एवं आल्हा ऊदल जैसे पराक्रमी वीरों की कर्मभूमि रही

है । इसी धरती पर एक सौ वर्ष पहले एक और महामानव जन्मा था, जिसका नाम था गामा । गामा जिसने अपने शारीरिक शक्ति एवं सौष्ठव के बल पर विश्व विजेता की पदवी प्राप्त की । गामा का जन्म 2 अगस्त सन् 1889 में होलीपुरा स्थित अपने पैतृक निवास में हुआ । वे 4 भाई बहिन थे, एक बहन गामा से बड़ी एवं एक भाई-बहन गामा से छोटे थे । गामा के छोटे भाई इमाम बख्श ने भी पहलवानी में काफी ख्याति अर्जित की ।

गामा का शरीर इकहरा, गौरवर्ण तथा कद लगभग 5 फीट 10 इंच था । गामा ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कुश्तियां लड़ी एवं अखाड़े में अपने प्रतिद्वन्दी पहलवानों को अल्प समय में ही चित्त कर दिया । गामा अपने काल के महान व्यक्ति थे । इस क्षेत्र में जितनी ख्याति गामा को मिली उतनी आज तक किसी पहलवान को नहीं मिली । इसीलिए गामा को श्रद्धा के साथ आज भी याद किया जाता है ।

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द :- श्री ध्यानचन्द जी का जन्म सन् 1905 में विन्ध्याचल की हरित-भरित मनोरम तलहटी के निकट तीर्थराज प्रयाग में हुआ । ध्यानचन्द का विद्याध्यन फतेहगढ़ छावनी कॉलेज में हुआ । जब वे 15 वर्ष की अवस्था में पदार्पण कर रहे थे, तब दिल्ली पल्टन में भरती हुए, तत्पश्चात् वे अपने भाई रूप सिंह झाँसी में निवास करने लगे । मेजर साहब सन् 1928 में एम्सटरडम ओलम्पिक में भाग लेने वाली हाकी टीम के सदस्य थे । जिसमें भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था । सन् 1932 में लॉसएंजल्स ओलम्पिक में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्ति के पश्चात् सन् 1936 में वर्लिन ओलम्पिक में ध्यानचन्द्र ने विजयी भारतीय टीम को स्वयं अपने कुशल करों द्वारा सम्भांला था ।

मेजर ध्यानचन्द की कर्म स्थली झाँसी रही है मेजर साहब हॉकी के एक महानतम् खिलाड़ी के रूप में आज भी विश्व में याद किये जाते हैं ।क्योंकि जिसने भी इनके खेल को देखा वह यही धारणा बना लेता था, कि इनकी हॉकी में कोई जादू है। अतः कई बार खेल के समय इनकी हॉकी बदल दी गई, किन्तु एक बार भी गेंद यदि इनकी हॉकी के करीब आ गई, तो किसी भी प्रतिद्वन्दी खिलाड़ी को गेंद आसानी से प्राप्त नहीं हुई । गेंद इनकी हॉकी से आकर ऐसे चिपक जाती थी जैसे, गेंद एवं हॉकी में चुम्बक हो।

बुन्देलखण्ड का साहित्य एवं साहित्यकार :- यहां का साहित्य वीरगाथा काल, भक्तिकाल और रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से परिपूर्ण रहा । जो राजदरवारों से प्रभावित हुआ । अनेक कवियों ने आदर्शवादी श्रंगार रस से परिपूर्ण ग्रन्थों की रचना की । जिसमें राजा और उनके दरवारी बिलास वैभव सरिता रस में अपना मनोरंजन रूपी मंजन किया करते थे । राज दरवारों से उत्पन्न साहित्य जन साधारण की आर्थिक विपन्नता, शोषण, दासता और मानसिक, सामाजिक रूढ़ियों से आच्छादित, विघटित सामाजिक स्थिति की यथार्थ अभिव्यक्ति न कर सका, और न समाज की पीड़ा को राजदरवारों तक पहुँच सका ।

वीर रस से पूरिपूर्ण रासो ग्रन्थों का प्रचलन बुन्देलखण्ड में लोककाव्य के रूप में है । इनमें आल्हाखण्ड, महोबखण्ड, आल्हा, राइछौ, परमालरासो, दलपत राय रासौ, प्रानवली का राइछौ, रानी लक्ष्मीबाई का राइछौ विशेष प्रसिद्ध है । रासौ ग्रन्थों में योद्धाओं की वीरता की प्रशस्ति गाई गई है । इन ग्रन्थों में अतिश्योक्ति की भरमार है ।

सन **1539** में रूद्र प्रताप के पुत्र भारतीचन्द्र ने कुड़ार के बजाय ओरछा राजधानी स्थापित की थी । कालान्तर में ओरछा राजाओं ने अपने दरवारों में साहित्यकारों को आश्रय देकर साहित्यिक विकास में अभूतपूर्व योग दिया था ।

19वीं सदी के कवियों में ठाकुर दास उर्फ ठाकुर कवि ओरछा, ईसुरी प्रसाद तिवारी, ईसुरी, मैड़की, बगौरा(मऊरानीपुर) एवं घासीराम व्यास मऊरानीपुर लोक कवि थे । ठाकुर कवि ने ठाकुर ठसक ने सामन्तबाद पर चोट की, तो ईसुरी ने (**1824-1908**) ने फाग साहित्य के माध्यम से ग्राम्य जीवन को अनुप्रमाणित किया। पंडित घासीराम व्यास ने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना से परिपूर्ण काव्य रचना कर बुन्देलखण्ड वासियों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ा था ।

चिरगांव के मैथलीशरण गुप्त सियाराम शरण गुप्त ने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण साहित्य की रचना की थी ।

झाँसी और समथर दरवारों के कवि हरदेव थे, जिन्होंने नागर, नौरस ग्रन्थों की रचना की थी । बांदा में रसिकलाल और हरदास कवि थे । जालौन में वंश गोपाल भट्ट,मऊरानीपुर, झाँसी में कुंजीलाल दुबे स्फुट श्रंगारी कवि थे। गढ़कोटा के दरवारी

कवि दुर्ग सिंह ने रघुजी मालपू भोंसले और राजा मर्दन सिंह के युद्ध का वर्णन, अमानराव ने रघु जी भौसले जीन वैप्टिस्ट और अर्जुन सिंह के युद्ध का वर्णन किया है । गढ़कोटा दरवार में ही घासीराम भट्ट और रमेश जुझौतिया (गढ़पहरा) भी थे । सागर के रघुनाथ राव के दरवारी कवि पदमाकर भट्ट थे जो मौधा, बांदा और दतिया के दरवारों में भी जाते थे ने पदमाभरण प्रबोध पचासा और राम रसायन, हिम्मत बहादुर, विरूदावली और गंगा लहरी ग्रन्थो की रचना की थी । चरखारी दरवार के गोपाल प्रताप शाह ने हरि भक्त, विनय चन्द्रिका ग्रन्थ, बिहारी लाल ने रसक विलास और अलंकार भूषण ग्रन्थों की रचना की थी । साहित्य को जन-जन तक पहुँचाने में उपर्युक्त कवियों का विशेष योगदान रहा ।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी :- आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कर्मस्थली झाँसी है । बात 1901 ई० की है, द्विवेदी जी झाँसी रेलवे स्टेशन पर बड़े तार बाबू के पद पर कार्यरत थे । स्वाध्याय एवं लेखन में गहरी रूचि थी । हिन्दी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, उर्दू आदि कई भाषाओं पर गहन अधिकार था । निःसंतान तो थे ही अधिकांश समय साहित्यानुशीलन में बीतता था । 1902 से 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का सम्पादन किया, साथ ही 30 करोड़ हिन्दी भाषा-भाषियों को दिशा दृष्टि देते हुए तिरोहित हो गये ।

डा० वृन्दावन लाल वर्मा :- डा० वर्मा का जन्म 9 जनवरी 1889 को मउरानीपुर झाँसी में हुआ था । डा० वृन्दावन लाल वर्मा निरे उपन्यासकार ही नहीं थे वरन एक महान चिंतक और मनीषी के साथ-साथ बहुत बड़े मानव थे । वह मानवता के सच्चे पुजारी थे । बाल्य काल्य ललितपुर जिले में बीता तत्पश्चात ग्वालियर में शिक्षा गृहण की । इसके पश्चात् 1916 में झाँसी में वकालत प्रारम्भ की और झाँसी को कर्म स्थली बनाया । साहित्य के क्षेत्र में वर्मा जी का अविस्मरणीय योगदान है । उन्होंने झाँसी में रहकर ही सन् 1927 से 1940 तक लेखन का कार्य किया । उनकी रचनाओं में- मृगनयनी, कचनार, अमरबेल, गढ़कुण्डार, भूवन, झाँसी की रानी आदि सर्वोच्च रचनाऐं हैं । सन् 1927 में गढ़कुंडार उपन्यास से अपना उपन्यासकार जीवन प्रारम्भ किया । 1946 में झाँसी की रानी नामक उपन्यास लिखा । इसके अलावा टूटे कांच, अचल मेरा कोई, सोना 1952, अमरबेल 1953, देवगढ़ की मुस्कान 1975 आदि रचनाऐं प्रमुख हैं ।

राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्तः- राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्त का जन्म झाँसी जिले के चिरगांव कस्बें में **1886** में हुआ था । इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था । सम्पूर्ण शिक्षा पूरी होने के पश्चात् राष्ट्र कवि ने अनेक रचनाओं का लेखन किया उन्हें कविता के प्रेमी निष्ठावान पिता के संस्कार प्राप्त थे । राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उनके रग-रग में भरी थी । उनकी रचनाओं में रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, मगलघट, गुरूकुल, द्वापर, विष्णु प्रिया, मेघनाथ वध, बिरहिणी, ब्रजांगना आदि । इसके साथ ही साथ साकेत जैसे महाकाव्य की रचना भी की ।

तुलसी दास :- संसार के महाग्रन्थ नायक गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है । इस महान विभूति का जन्म भी बुन्देलखण्ड की धरा पर सन् **1497** में ग्राम सौरो राजापुर (बांदा) में हुआ था । इन्होंने रामचरित मानस जैसे महाकाव्य की रचना की इसके साथ-साथ कई ग्रन्थों की रचना की जैसे विनय पत्रिका । इनकी मृत्यु **1623** में हुई थी ।

केशव :- ओरछा के राजा रूद्र प्रताप के यहां तीसरी पीढ़ी में आचार्य केशव दास का जन्म सम्वत् **1678** की चैत्रमास की शुक्ल पक्ष की नौवीं को ओरछा में हुआ था । इनके पिता सुख्यात संस्कृत ग्रन्थ शीघ्रबोध के रचयिता पंडित काशीनाथ सनाढ्य थे । केशवदास केवल कवि ही नही थे, अपितु राजनीतिज्ञ भी थे । इस कारण बुन्देलखण्ड की रक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । वीरसिंह देव चरित्र इसका ज्वलन्त उदाहरण है । कवीन्द्र केशवदास ने माँ सरस्वती की सेवा में जिन दस हिन्दी ग्रन्थों को भेंट करके साहित्य जगत की शोभा बढ़ाई है उनकी गणना इस प्रकार है - रतनवावनी, रसिक प्रिया, नखसिख, बारहमासा, रामचंद्रिका, कविप्रिया, छन्दमाला, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहाँगीर जस चंद्रिका आदि ।

कवीन्द्र केशवदास ने बुन्देलखण्ड की संस्कृति एवं साहित्य की जो रक्षा की है, उसके लिए बुन्देलखण्ड सदैव उनका आभारी रहेगा । कवीन्द्र केशवदास की मृत्यु वि०सं० **1674** में हुई ।

बुन्देली के विद्यापति ईसुरी :- **19**वीं शताब्दी में समूचा बुन्देलखण्ड केवल तीन रसों श्रंगार, वीर एवं शान्त रस में लीन था । छोटे-छोटे मैदानों में ही सही तलवार की

वीणा जगह-जगह झंकृत हो रही थी । क्रान्ति के तार झनझना रहे थे । वीर रस के वातावरण का अद्‌भुत शुभारम्भ हो रहा था फिर भी ईसुरी ने श्रंगार वीणा की धुन बजाई जिसकी रागिनी भी कम मोहक और प्रभावशाली नहीं थी । सन् **1841** में जब ईसुरी **16** वर्ष के थे तब उनकी धरा की एक देवी स्वतंत्रता सग्राम में जूझ रही थी ।

ईसुरी के जन्म सम्वत् में विरोधाभास है । गौरी शंकर द्विवेदी के आधार पर विक्रम सम्वत् **1881** एवं श्री कृष्णानन्द जी गुप्त के आधार पर वि०सं० **1885** ग्राम धवार निवासी पंडित सुन्दर लाल शुक्ल जो ईसुरी के रिश्तेदार हैं, के अनुसार विक्रम सम्वत् **1902** है । इन तीनों में से अधिक प्रमाणित किसे माना जाये इसके संदर्भ में एक फाग प्रचलित है, जो मृत्यु सम्वत् पर विचार करने से जन्म सम्वत ढूढ़ने में सहायता करती है ।

अगन वदी सातें सनउँ, हती न दिल में पीर ।
बड़े भोर प्यासा लगी, पियो गरम कर नीर ।।

फागः- ईसुर तज दये प्रान सरीरा, हती न तन में पीरा ।
बड़े भोर में प्यास लगी तो, पियो गरम कर नीरा ।
अगन वदी सातें तीउदना, वार सनीचर सीरा ।
उन्नीस सौ छयाछठ सम्वत् में उड़ गयो मुलक भमीरा ।
कयें द्विज लाल ईसुरी ना रये, सबै लगो धुन कीरा ।।

ईसुरी का रंग हल्का गोरा कद कुछ लम्बा एवं शरीर एकहरा तथा भेष-भूषा में घुटनों तक धोती, शरीर पर कलियों दार कुर्ता, सफेद साफा, पैरो में बुन्देलखण्डी जूता तथा हाथ में छड़ी रहती थी ।

ईसुरी ने अपने फड़ साहित्य में बड़ी निर्भीकता के साथ कडुवे सच को जगह दी है एवं जीवन की बारीकियों को अपने साहित्य में बहुत ही सहजता से उजागर करते हुए चेतावनियां भी दीं हैं ।

जीवन परिचयः- ईसुरी का जन्म मैड़की ग्राम मऊरानीपुर तथा झाँसी से पश्चिमोत्तर कोण में हुआ । इनके पिता का नाम भोलेनाथ अरजरिया (तिवारी) था । भोलेनाथ तिवारी के तीन संताने थीं, सदानन्द, रामदीन और ईसुरी । रामादीन के पुत्र नत्थू अब भी मैढ़की में रहते हैं । कृषि उनका धंधा है । इनके पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने

के कारण इनका बचपन लुहर गांव (कोनिया, हरपालपुर) में अपने मामा पंडित भूधर नायक के यहां बीता । इनका विवाह भी सीगोन (नौगांव छावनी) के पंडित भोलानाथ मिश्र की पुत्री राजाबेटी से हुआ था ।

ईसुरी बुन्देलखण्ड के लोक कवि थे । इनकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण थी । यह किशोरावस्था में ही कविता करने लगे थे । बुन्देली जीवन में ईसुरी की फागौं ने बड़ी लोकप्रियता एवं ख्याति प्राप्त की । है इनकी फागों में बुन्देली जन-जीवन का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है ।

लोक कवि ख्यालीराम :- इस लोक कवि का जन्म अकठौहा ग्राम (चरखारी-महोबा) में वि०सं० **1906** में हुआ था । इनके पिताजी का नाम राम सहाय था। यह लोधी राजपूत थे ।

ख्यालीराम ने बड़ी सुन्दर घनाक्षरियों को लिखा है और उनकी फागें विशेष लोकप्रिय हैं, और साहित्यिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान है । श्रंगार के अतिरिक्त इन्होंने भक्ति और ज्ञान पर भी अपनी लेखनी चलाई, इनकी रचनाओं में रीति कालीन प्रवृत्तियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है ।

मनोकामनाओं की पूर्ति को शाश्वत्ता प्रदान करते बुन्देली लोक देवता :-हमारे देश की संस्कृति है कि जब भी हमारे हित के लिए जिस किसी द्वारा कोई कार्य किया जाता है हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं यही भाव बुन्देली माटी में समाया हुआ है । बुन्देली देवताओं की श्रंखला लोक जीवन के साथ पूर्ण रूपेण जुड़ी हुई है ।

लोक देवता :- यह देवत्त प्राप्त गण समूचे बुन्देलखण्ड में पूजे जाते हैं । स्थान-स्थान पर इनके गीतों का गायन होता है तथा ग्रामो-ग्रामों में इनके चबूतरे बने हैं । जिन पर छोटी-छोटी मँढ़ियां आस्थाओं के प्रतीक स्वरूप बनाई जाती हैं । इनमें प्रमुख देवता निम्न हैं -

1- कुँवर हरदौल :- ये ओरछा राज्य के वीरसिंह राजा के पुत्र थे । ये अपने भाई जुझार सिंह की पत्नी को अपनी माँ मानते थे । देवर-भाभी के बीच में माँ बेटे का सम्बंध था । परन्तु माँ बेटे का यह रिश्ता लोगों को रास नहीं आया एवं जुझार सिंह के मन में अनुज कुँवर हरदौल के प्रति ईर्ष्या एवं शक का बीज अंकुरित हो गया एवं

माँ समान भाभी से विष का प्याला देवर को देकर शक के बिरवा को उखाड़ फैंका अपनी बहन कुंजावती की पुत्री की शादी में अदृश्य रूप से भात की रस्म की अदायगी करके चिरनिरंतर उपस्थिति का परिचय दिया । आज भी पुत्री के विवाह का प्रथम निमंत्रण इस बुन्देली माटी पर कुँवर हरदौल को दिया जाता है ।

2-इला देव :- ये कुँवर हरदौल की बहन कुंजावती के दामाद थे । इनके विवाहोत्सव पर कुंवर हरदौल ने अप्रत्यक्ष होते हुए भी इन्हें **12** गांव दहेज में दिये थे । इन ग्रामों में इला देव की पूजा होती है । इला देव कुंवर हरदौल के सहायक देव हैं ।

3-मैकासुर देव :- महिषासुर अथवा भैंसासुर का अपभ्रंश है इसे जानवरों का देवता माना जाता है । ऐसी मान्यता है, कि इसके पूजन के विधान से जानवर कुशल रहते हैं । गांव में एक उँचा चबूतरा बनाकर वहीं पर इनका सृजन किया जाता है ।

4- कारस देव :- ऐसी मान्यता है, कि इनमें भगवान शंकर का अंश था । यह स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर जनमानस में सुख समृद्धि बांटते हैं । बुन्देलखण्ड के ग्रामों में कारस देव के स्थान देखने को मिलते हैं तथा श्रद्धालु उन्हें घोड़ा अर्पित करते हैं ।

5-हीरा मन :- यह कारस देव के सहायक देव है इनकी प्रार्थना में गीत व गोटें गाई जाती हैं । होली के समय रात्रि में कारस देव के समक्ष नृत्य किया जाता है । और यह नृत्य जानवर चराने वाले बरेदियों द्वारा किया जाता है ।

6-ग्राम देवता:- इन देवताओं का सीमित क्षेत्र होता है । जब ग्राम के सद्‌गुण सम्पन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सम्मान में एक चबूतरा बना दिया जाता है एवं उस जाति विशेष के बाबा के नाम से उनकी पूजा अर्चना की जाती है ।

7-स्थान देवता :- इन देवताओं का निश्चित स्थान होता है और यह उसी नाम से जाने जाते हैं ।

8- घटोई बाबा देव :- घटोइया बाबा पत्थर देवता होते हैं । इनका स्थान वही होता है जहां नदी अथवा ताल होते हैं । विवाह के पश्चात् दम्पति इन घाटों पर जाकर सफल वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं ।

9-मिड़ोई बाबा :- ग्राम की सीमा पर मिड़ोई बाबा का स्थान चबूतरा होता है तथा जिस पर दो तिरछी ईंटे लगी रहती है इनको सफेद झंडा चढ़ाया जाता है । ऐसी मान्यता है कि मिड़ोई बाबा विभिन्न आपदाओं को मेड़ पर ही रोक लेते है । ग्राम के अन्दर प्रवेश नहीं करने देते है । अतः यह रक्षक देव हैं ।



अध्याय - चतुर्थ

अध्याय- चतुर्थ

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शैक्षिक विकास

भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने से, भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार होने लगा था। भारत में कदम रखते ही, अंग्रेजी शासकों ने अपनी नीति स्थापित की थी और उन्होंने यहां की वेष-भूषा, भाषा और धर्म को बदलने में तथा नया मोड़ लाने में ऐढ़ी से चोटी तक परिश्रम प्रारम्भ कर दिया था। अंग्रेजी शासन के आगमन से ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था और विदेशी ईसाइयों ने धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कर अपने गढ़ स्थापित किये। और भारत की भोली एवं निर्धन जनता को धन एवं रोजी-रोटी एवं उच्च ओहदों का प्रलोभन देकर उनके हृदय में धर्म परिवर्तन की भावना स्थापित करके उन्हें ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार तेजी से होने लगा।

ईसाई धर्म प्रचार की लहरें बुन्देलखण्ड में भी प्रवाहित हो गईं और विदेशी धार्मिक संस्थान के प्रतिनिधियों ने बुन्देलखण्ड का भ्रमण किया, और यहां के वातावरण का निरीक्षण किया। ईसाई (रोमन कैथलिक) की मिशनरीज झाँसी कैण्ट से प्रारम्भ हुई और धीरे-धीरे झाँसी में कैथलिकों की संख्या में बृद्धि हुई। पैसी पादरी ने एक प्रीस्ट हाउस का निर्माण किया, जो बहुत ही सुन्दर तथा विशाल था। 1917 में रेलवे कॉलौनी में भी चर्च बनाने का विचार किया गया। कैन्टूनमेंट चर्च 1893 में निर्मित किया गया। इसके बाद सन् 1932 में माल्टा प्रान्त के कैपुचिना ने झाँसी मण्डल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

इसके पश्चात् बुन्देलखण्ड में मिशनरी कार्य द्रुति गति से चलने लगा, और मिशन के कार्यकर्ताओं ने बुन्देलखण्ड के कैथलिक ईसाइयों के आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किये। 16 जनवरी 1940 को क्राइस्ट दि किंग बॉयज स्कूल की स्थापना एक छोटे से भवन में हुई इसमें 26 विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों की संख्या में बृद्धि हुई तब विद्यालय के भवन का निर्माण किया गया। तत्पश्चात् सैन्ट फ्रान्सिस कॉन्वेन्ट की स्थापना 1858 में की गई।[1]

1- त्रिपाठी एम०एल० अशांत, बुन्देलखण्ड का इतिहास- पृष्ठ - 160-161

बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) क्षेत्र में शिक्षा के विकास को देखा जाये, तो हमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि को आधार बनाना होगा । क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास में उस क्षेत्र की पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । अतः उस समय की उन असामान्य परिस्थितियों को वर्णित करना अति आवश्यक है ।

एक तरफ जहां विभिन्न मिशनरीज उस क्षेत्र में आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी शासन होने के कारण अंग्रेजों के विरूद्ध घृणा और विरोध की भावना यहां के जन मानस में पनप रही थी । ऐसे समय में इस क्षेत्र में आकर मिशनरियों ने क्या नीति अपनाई एवं प्रारम्भ में यहां की जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या-क्या कार्य किये, इन तथ्यो का उल्लेख, अति आवश्यक है । अतः प्रस्तुत अध्याय में शोध कर्ता ने बुन्देलखण्ड की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, अंग्रेजी शासन के विरूद्ध घृणा की भावना, राजस्व व्यवस्था, आर्थिक शोषण आदि विन्दुओं को आधार बनाकर शिक्षा के विकास को दर्शाया है । क्योंकि इन विन्दुओं को प्रदर्शित किये बिना शिक्षा के विकास को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था ।

बुन्देलखण्ड की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा अंग्रेजी शासन के विरूद्ध घृणा की भावना

सन् **1802** की बेसिन की सन्धि से, बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का प्रारम्भ हुआ। इसके साथ कैप्टन बैली को इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए नियुक्त किया गया। बैली ने बांदा जाकर कार्य भार गृहण किया । चूँकि अंग्रेजी शासन का प्रमुख उद्देश्य यहां का सामाजिक, आर्थिक शोषण करते हुए यहां से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना था । इसीलिए बैली ने इस क्षेत्र के किसानों और जमींदारों को राजस्व निर्धारित करने की दिशा में तत्परता दिखाई । राजस्व के मामले तथा इस क्षेत्र के बारे में अधिक परिचित न होने के कारण उसने मिर्जा जाफर को लखनऊ से बुलाकर कार्य काल प्रारम्भ कर दिया । बांदा के नवाब के समय की राजस्व दरों को ध्यान में रखते हुए स्थायी व्यवस्था होने तक जल्दबाजी में राजस्व की नई दरें निर्धारित की गईं । सन् **1858** में शांति स्थापित होने के बाद झाँसी में राजस्व की दर निर्धारित करने की प्रक्रिया निर्धारित हुई । उससे पहले कैप्टन जॉर्डन ने मोंठ, भाण्डेर और गरौठा के

परगनों का बन्दोवस्त किया था। उस समय यह सभी परगने जालौन जिले में थे, किन्तु 1857 में जब विद्रोह हुआ, तब यह सब रिकार्ड जल कर नष्ट हो गया।[1]

ललितपुर में पहला स्थायी बन्दोवस्त 1869 में हुआ। इससे पहले यहां पर राजस्व की संक्षिप्त व्यवस्था की गई थी। यह बन्दोवस्त मुख्यतः सैनिक अधिकारियों द्वारा किये गये थे।[2]

झाँसी जिले में पहला स्थायी बन्दोवस्त 1864 में हुआ, जो 20 साल के लिए था। दूसरा बन्दोवस्त 1892 में, तथा तीसरा बन्दोवस्त 1903 में हुआ था। इसी प्रकार ललितपुर में पहला बन्दोवस्त 1869 में, दूसरा 1899 में तथा तीसरा 1903 में हुआ। बांदा में 1874 में स्थायी बन्दोवस्त हुआ। जबकि जालौन में 1864 में राजस्व की दरें निर्धारित की गईं। इसके पश्चात 1873 और 1876 में यहां पर पुनः बन्दोवस्त हुए।

राजस्व व्यवस्था का मूल्यांकन :- अंग्रेजी शासनकाल में बुन्देलखण्ड में भी एक विदेशी शासन था। प्रायः सभी अधिकारी और सैनिक यहां पर अंग्रेज थे। राजस्व की दरों के लिए बुन्देलखण्ड में एक जैसी नीति नहीं अपनाई गई। इनका निर्धारण प्रत्येक जिले में अलग-अलग ढंग का था। इन अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व की दरें अत्यन्त ही कठोर थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी अधिकारी इस क्षेत्र से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर, अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्न करना चाहते थे। राजस्व निर्धारण के जो तरीके अपनाये गये, उसमें एकरूपता का भाव नहीं दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए बांदा जिले में 1804 के बन्दोवस्त में बन्दोवस्त अधिकारी कैडिल ने कई गांवों को अनेक भागों में विभाजित कर विभिन्न वर्ग बनाये थे।[3]

वही दूसरी ओर इस जिले के कर्वी सब डिवीजन के बन्दोवस्त अधिकारी पेटरसन ने 1881 के बन्दोवस्त के समय दरों का निर्धारण विभिन्न किस्म की भूमि पर आधारित होकर किया था।[4]

उस समय राजस्व की दरें अत्यन्त उँची थीं। 1804 में जैसे ही इस क्षेत्र में कैप्टन बैली ने पदार्पण किया। उसने सर्वप्रथम बांदा के लिए राजस्व की ऊँची दरों का निर्धारण किया। इसकी पुष्टि इस तत्व से होती है,कि एक ही वर्ष बाद 1805 में कैप्टन अरिटिकन

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 92
2- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, झाँसी गजेटियर, इलाहाबाद पृष्ठ - 141
3- कैडिल ए० सैटिलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बांदा - इलाहाबाद पृष्ठ - 14
4- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बांदा गजेटिरयर, इलाहाबाद पृष्ठ - 132

को इन दरों में कमी करनी पड़ी । [1]

इस दुःखद घटना का फिर भी अन्त नहीं हुआ । अरिटिकन के बाद बांदा जिले के बन्दोवस्त का कार्य बान्चूप को मिला था । जिसने दरों में पुनः वृद्धि कर दी थी । परिणाम स्वरूप कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई, क्योंकि लगातार पड़ रहे अकालों तथा अन्य आपदाओं के कारण किसान पहले से ही परेशान थे । [2]

इन राजस्व की बढ़ी हुई दरों ने उनके कंधों पर और अधिक बोझ डाल दिया था । आश्चर्य की बात तो यह थी, कि उपरोक्त विपत्तियों में राहत और सहायता पहुँचाने के स्थान पर, सरकार ने राजस्व की बढ़ी हुई दरों को तीव्रता से वसूलने का आदेश दे दिया । इस स्थिति में असंतोष की लहर और बढ़ी । [3]

बन्दोवस्त अधिकारी तथा बांदा के कलैक्टर कैडिल ने स्वयं बिट्रिश अधिकारियों द्वारा राजस्व की दरों की उच्च निर्धारण की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रशासन राजस्व वसूली के तरीकों से उन अमानुषिक परम्पराओं का पालन कर रहा है जो किसी कालों में अत्याचारी शासकों द्वारा किये गये थे । [4]

राजस्व की ऊँची दरों के साथ तेजी से वसूली के कारण, इस इलाके के अधिकांश लोगों ने सरकारी करों की पूति के लिए अपनी भूमि मारवाडियों, जैनियों तथा अनेक ॠण दाताओं के हाथों में बेचनी शुरू कर दी थी । बांदा तथा कर्वी सब डिवीजन दोनों क्षेत्रों में राजस्व प्रबन्ध अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होते रहे । इस प्रकार की राजस्व नीति इस जिले के सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी रही है, साथ ही भूमि हस्तांतरण की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही । अतः इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी तथा बेरोजगारी का बोल-बाला हुआ और सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन बढ़ता गया ।

बुन्देलखण्ड का आर्थिक शोषण :- सन् **1804** में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी शासन की स्थापना बेसिन की सन्धि द्वारा हुई । **1947** तक बिट्रिश शासन पूरे देश की भांति इस क्षेत्र में भी छाया रहा । यहां की केन्द्रीय स्थिति, सामरिक महत्व तथा शौर्यपूर्ण इतिहास के कारण ही विदेशी शासक इस क्षेत्र में अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित

1- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बांदा गजेटियर, इलाहाबाद पृष्ठ - 132
2- कैडिल ए० सैटिलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बांदा - इलाहाबाद पृष्ठ -132
3- कैडिल ए० सैटिलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बांदा - इलाहाबाद पृष्ठ - 14
4- कैडिल ए० सैटिलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बांदा - इलाहाबाद पृष्ठ - 14

करना चाहते थे । अंग्रेजी शासनकाल में पूरे देश का शोषण हुआ, और बुन्देलखण्ड भी इसका अपवाद नहीं था । विदेशी शासन काल में विदेशी सामान बुन्देलखण्ड में बेचा जाने लगा । विदेशी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से, यहां के उद्योगों का विनाश करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी वस्तुओं पर स्थापित होने के कारण स्वयं उनकी मांग बढ़ जायेगी । सरकार की इस नीति के परिणाम स्वरूप लिटन जैसे गवर्नर जनरल के समय इंगलैण्ड से भारत आने वाली वस्तुओं पर कर बिल्कुल नाम मात्र कर दिया गया। साथ ही विदेशी सामान को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में हो रहे औद्योगिक उत्पादनों एवं कुटीर उद्योग धंधों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । सरकार की इस नीति के कारण बुन्देलखण्ड में उद्योग धंधों का विनाश हो गया था । बुन्देलखण्ड में नील उद्योग का पतन अंग्रेजी शासनकाल में ही हुआ था । अल नामक पौधे की खेती जिससे नील पैदा होता था, जो यहां के कृषकों की आमदनी का प्रमुख स्रोत था का पतन अंग्रेजों ने कर दिया था । इसके पीछे उनका इरादा यह था, कि इंगलैण्ड में जिस रंग का उत्पादन हो रहा है उसे भारत में बेचा जाये। इसके परिणाम स्वरूप झाँसी, हमीरपुर, जालौन तथा बांदा के किसानों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ । इससे मउरानीपुर का प्रसिद्ध खरूआ वस्त्र उद्योग भी हतोत्साहित हुआ । [1]

सामाजिक, आर्थिक पिछड़ापन तथा अंग्रेजों के विरूद्ध घृणा की भावना :- सन् 1804 से लेकर 1947 तक बिट्रिश शासन काल में बुन्देलखण्ड सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की स्थिति का शिकार रहा । इन तमाम चीजों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां की स्वतंत्रताप्रिय जनता से अंग्रेज नाराज थे । सन् 1857 के विद्रोह ने झाँसी की रानी, मर्दन सिंह, बांदा के नवाब अली बहादुर आदि नेताओं के नेतृत्व में बुन्देलखण्ड की जनता ने अंग्रेजों को गहरा आघात पहुँचाया था । यद्यपि 1857 के विद्रोह का दमन हो गया था, और 1858 में अंग्रेजों को इस क्षेत्र में शासन स्थापित करने में सफलता मिली ।

अंग्रेजी नीति का यह परिणाम निकला, कि लोगों के दिमाग में दमन व अत्याचार की छाया निरंतर बनी रही । लोग अंग्रेजी शासन काल को अपने कष्ट का कारण समझते थे । उसी समय अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कदम आगे बढ़ाये

1- इम्पेरियर डब्ल्यू० एच०एल० तथा मेस्टन जे०एस०, झाँसी -सैटिलमेन्ट रिपोर्ट इलहाबाद, 1893, पृष्ठ - 03

थे । अंग्रेजों द्वारा बुन्देलखण्ड की जनता पर किये जा रहे अत्याचारों के कारण, बुन्देलखण्ड की जनता अंग्रेजों के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं देना चाहती थी । इसी नीति के कारण लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार ने जब बुन्देलखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्यालय खोले तो यहां की जनता ने अपनी लड़कियों को इन विद्यालयों में नही भेजा । इसके परिणाम स्वरूप संख्या कम रहने के कारण सरकार को यह स्कूल बन्द करने पड़े । यह इस बात का प्रमाण है, कि लोग सरकार के किसी भी मामले में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे । ऐसी दुरूह परिस्थितियों में अंग्रेजों के लिये यह आवश्यक हुआ कि इस क्षेत्र में एक वफादार प्रजा का निर्माण किया जाये और इस उद्देश्य से ईसाई धर्म प्रचारकों को इन क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित किया गया ताकि यहां की जनता ईसाइयों के नाम पर वफादार हो । इस पृष्ठभूमि में बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों ने अपना कार्य शुरू कर दिया, जिन्हें सरकार की ओर से संरक्षण एवं सुविधऐं मिलीं । निःसंदेह इस धार्मिक वातावरण का मुख्य उद्देश्य बिट्रिश शासन को स्थायित्व देना था ।

बिट्रिश शासन ने भी इस क्षेत्र में अपने स्थायित्व के प्रयासों को निरंतर जारी रखने की कोशिश की । ईसाइयों को बसाने एवं धर्म प्रचार की छूट देने के पीछे भी बिट्रिश शासन की यही मंशा रही, कि यदि ईसाई इस क्षेत्र में बस जायेगे, एवं पिछड़े क्षेत्रों में अपनी सेवा एवं सहानुभूति के द्वारा हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को बदलने की कोशिश करेंगे, तो बिट्रिश शासन को इसका लाभ होगा एवं अंग्रेजों के विरूद्ध घृणा एवं नफरत की भावना हिन्दुओं के मन से समाप्त होगी, और बिट्रिश शासन शान्ति से चलता रहेगा । [1]

बुन्देलखण्ड में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन का लाभ लेने के लिए ईसाई मिशनरियों ने इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं की स्थापना कर लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से ईसाई धर्म का प्रचार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया । बिट्रिश सरकार भी यह भली-भांति समझ चुकी थी, कि ऐसे वातावरण में जब बुन्देलखण्ड की जनता उन पर किसी भी प्रकार विश्वास नही कर सकती थी,उस समय सरकार ने ईसाई मिशनरियों को इस क्षेत्र में कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा । ताकि धर्म के नाम पर एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सके जोकि बिट्रिश सरकार की नीतियों का समर्थक

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 153

हो तथा अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार हो । इस बात को बांदा के कलैक्टर मेन ने भली-भांति महसूस किया था । उसने यह देख लिया था, कि 1857 के विद्रोह के समय इस क्षेत्र में ऐसे लोगों का नितांत अभाव था,जिनकी वफादारी सरकार के प्रति होती ।[1]

बाँदा में बुन्देलखण्ड मिशन की स्थापना :- इस क्षेत्र में वफादार बिट्रिश प्रजा के निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित होकर, कलैक्टर मेन ने 1870 में बांदा में बुन्देलखण्ड मिशन की स्थापना की ।

इस मिशन में कलैक्टर मेन की अलावा इलाहाबाद के पादरी पैगन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

बुन्देलखण्ड मिशन कानपुर मिशन का एक भाग था । 1872 में बांदा जिले में जे० आर० हिल ने इस मिशन का कार्य भार देखना प्रारम्भ किया । बांदा के कलैक्टर मेन ने एक स्कूल की इमारत भी इस मिशन को सौंप दी, जिसे चर्च के रूप में प्रयोग किया जाने लगा । यह मिशनरी प्रोटेस्टेन्ट समुदाय के लोगों का था, चूँकि प्रोटेस्टेन्ट इंग्लैण्ड का राज्य धर्म था इसलिए प्रारम्भ में प्रोटेस्टेन्ट मिशन को सरकारी अधिकारियों का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । धीरे-धीरे इस मिशन की शाखाऐं महोबा, अतर्रा, कर्वी आदि स्थानों पर खोल दी गईं ।

इसमें एक उल्लेखनीय बात यह भी थी कि इसी मिशन ने बांदा में एक जनाना मिशन की भी स्थापना की थी जिसमें लड़कियों के लिए दो स्कूल तथा स्त्रियों की चिकित्सा के लिए एक अस्पताल भी खोल दिया था । [2]

कर्वी मिशन का प्रारम्भ :- कर्वी सब डिवीजन जोकि बांदा जिले का सबसे पिछड़ा इलाका था वहां भी एक चर्च का निर्माण किया गया, और इस उद्देश्य से कर्वी में काफी जमीन भी खरीद ली गई । 1876 तक बुन्देलखण्ड मिशन का कार्य-भार जे० आर० हिल भली भांति चलाता रहा । इसी वर्ष उसकी सहायता के लिए अन्य पादरियों की नियुक्ति की गई । प्रोटेस्टेन्ट मिशन के अलावा अमेरिकन मैथडिस्ट मिशन ने भी बांदा तथा कर्वी में कुछ केन्द्र स्थापित किये । इन केन्द्रों में बुन्देलखण्ड के ही लोगों को धर्म प्रचार के कार्य के लिए नियुक्त किया गया । [3]

1- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बांदा गजेटियर, इलाहाबाद पृष्ठ - 91
3- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बांदा गजेटियर, इलाहाबाद पृष्ठ - 91
3- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बांदा गजेटियर, इलाहाबाद पृष्ठ - 91

जालौन जिले में मिशन की स्थापना :- जालौन जिलें में ईसाइयत का प्रचार तथा प्रभाव इतना अधिक नहीं था, जितना कि बांदा तथा झाँसी जिलों में रहा। लेकिन जालौन जिले में भी यह संख्या लगातार बढ़ती रही। ड्रैक ब्रोकमैन ने 1909 में यह विवरण दिया, कि जालौन में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ रही है। ड्रैक ब्रोक मैन के विवरण के अनुसार उस समय जालौन में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या 94 थी, जिसमें 35 यूरोपीय तथा 59 जिले के लोगों में से ईसाई बनाये हुए लोग थे। इस संख्या में 46 सदस्य प्रोटेस्टेन्ट, 21 लोग मैथडिस्ट, 11 प्रेस ब्रिटेनियन, 3 सदस्य रोमन कैथलिक तथा शेष अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। [1]

1909 तक इस जिले में किसी भी मिशन का स्थायी केन्द्र स्थापित नहीं हो सका था। लेकिन अमेरिका के मैथडिस्ट मिशन के अनुयायी जालौन जिले के कोंच, उरई और माधौगढ़ स्थानों का अपने धर्म के प्रचार का कार्य कर रहे थे। [2]

महत्वपूर्ण बात यह है कि जालौन जिले में भी अन्य जिलों की भांति ईसाई समर्थकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1881 में यहां ईसाइयों की संख्या नगण्य थी। 1891 ई० की जनगणना के अनुसार 20 लोग इस धर्म के मानने वाले थे।

आगे आने वाले वर्षों में इनकी बृद्धि होती चली गई। उरई में ही सत्र न्यायाधीश वाली इमारत में ही एक छोटा सा चर्च था जहां पर झाँसी से पादरी आकर प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते थे। [3]

ललितपुर और हमीरपुर जिलों की भी लगभग यही स्थिति रही। बिट्रिश शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो में बुन्देलखण्ड के जिलों में ईसाई मिशनरियों का कोई विशेष केन्द्र नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही अंग्रेजी शासन विस्तृत होता चला गया और शान्ति व्यवस्था स्थापित होने लगी वैसे-वैसे इस क्षेत्र में भी ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। इसके दूरगामी परिणाम भी निकले। उदाहरण के लिए ईसाई मिशनरियों के प्रचार एवं प्रसार से कन्या वध , सती प्रथा के बंद करने से और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के क्रियान्वित होने से बुन्देलखण्ड की जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने लगी। [4]

1- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, जालौन गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 59-60
2- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, जालौन गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 59-60
3- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, जालौन गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 59-60
4- सिन्हा एस०एन०, दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड जिल्द प्रथम, 1982, पृष्ठ - 62

इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि 1815 से 1823 के बीच बुन्देलखण्ड में सती होने के 66 सरकारी मामले दर्ज किये गये । 1847 में इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए घोषणाऐं जारी की गईं । [1]

निःसंदेह उपरोक्त गतिविधियों और सामाजिक सुधारों से इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ठेस लगी । जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बनी । ईसाई मिशनरियों के लोग इतनी घृणा करने लगे थे, कि विद्रोह के समय हमीरपुर में, एक ईसाई प्रचारक जरैनिया को उसके परिवार के सदस्यों के साथ कत्ल कर दिया गया । बांदा में भी ईसाई मिशनरियों के प्रति आक्रोश कम नहीं था । 1857 के विद्रोह प्रारम्भ होने के बाद एक दिन पश्चात् ही बांदा में मिशन स्कूल को लूट लिया गया । [2]
इस विद्यालय के प्रिन्सिपल पाल खांन को क्रान्तिकारियों ने पकड़ लिया था, तथा उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद ही छोड़ा गया था । [3]
ठीक इसी प्रकार बांदा स्थित चर्च की इमारत को, न केवल नुकसान पहुँचाया गया बल्कि उसकी छत को भी तोड़ दिया गया । [4]

उपर्युक्त तथ्यों से एक बात उभर कर सामने आती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां बिट्रिश शासन के विरूद्ध घृणा की भावना चरम सीमा पर थी। वहां ईसाई मिशनरियों की सहानुभूति भी काम नही आई और हिन्दुओं में उपजी इस घृणा की भावना का कोपभाजन ईसाइयों को होना पड़ा, क्योंकि वहां का समाज ईसाइयों को बिट्रिश शासन का ही अंग मानता था । इन सभी परिस्थितियों के बाद भी ईसाइयों ने अपने प्रयास जारी रखे । ईसाइयों की एक निश्चित योजना थी, उस योजना को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्रमशः क्षेत्रों का चयन किया एवं अपने धर्म का प्रचार जारी रखा। उनके इस कार्य को मिशन कहा गया जो उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर जारी रखा। उतार चढ़ाव के इस सम्मिलित प्रयास में मिशनरियों को आंशिक सफलता मिलना प्रारम्भ हो गई थी जो उन्हें उर्जा देने का कार्य कर रही थी और इसी उर्जा के बल पर मिशनरी अपने धर्म प्रचार के क्षेत्र और रूप बदलते जा रहे थे।नये-नये क्षेत्रों का विकास एवं नये-नये प्रयोग मिशनरियों ने किये। सर्व प्रथम वह क्षेत्र विशेष का भ्रमण कर

1- एचीन्शन सी०यू० ट्रीटीज इंगेजमेन्टस् एण्ड सनद् भाग -3, पृष्ठ - 229
2- सिन्हा एस०एन०, दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड जिल्द प्रथम, 1982, पृष्ठ - 62
3- फॉरेन सीक्रेट कन्सल्टेशन इकतीस जुलाई, 1857 कन्सल्टेशन नम्बर - 182
4- सिन्हा एस०एन०, दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड जिल्द प्रथम, 1982, पृष्ठ - 62

वहां के क्षेत्र वासियों की भावनाओं को समझते थे, तथा आवश्यकतानुसार धार्मिक चिकित्सालय, शिक्षालय, धार्मिक केन्द्र आदि स्थापित करते जा रहे थे । इस प्रकार बुन्देलखण्ड में विभिन्न प्रकार के मिशनरियों ने आकर कार्य प्रारम्भ किया उनमें कैथलिक, प्रोटेस्टेन्ट, अमेरिकन मिशनरी, अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन, माल्टा की मिशनरी, अमेरिकन प्रेस ब्रिटेनियन आदि थे, इनमें ईसाइयों की कुछ सहयोगी संस्थाऐं भी थी ।

बुन्देलखण्ड में ईसाईयत का प्रारम्भ एवं अमरीकी मिशनरियों का आगमन :–बुन्देलखण्ड में ब्याप्त गरीबी, बेरोजगारी तथा पिछड़ेपन का लाभ लेने के लिए ईसाई मिशनरियों ने इस क्षेत्र में अनेक संस्थाओं की स्थापना कर लोगों की सहायता करने के उद्‌देश्य से, ईसाई धर्म के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया । ऐसे वातावरण में अंग्रेजी सरकार ने इन मिशनरियों को यह कार्य सौंपा । ताकि धर्म के नाम पर ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाये, तो बिट्रिश सरकार की नीतियों के सार्थक हो, तथा अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार हों । [1]

बाँदा में बुन्देलखण्ड मिशन की स्थापना :– इस क्षेत्र में वफादार बिट्रिश प्रजा के निर्माण के उद्‌देश्य से प्रेरित होकर कलैक्टर मेन ने 1870 में बांदा में बुन्देलखण्ड मिशन की स्थापना की । जिसमें मेन के अलावा इलाहाबाद के पादरी पैगन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया । सन् 1872 में बांदा जिले में जे० आर० हिल ने इस मिशन का कार्य भार देखना प्रारम्भ किया ।

धीरे-धीरे इस मिशन की शाखाऐं महोबा, अतर्रा, कर्वी आदि स्थानों पर खोल दी गईं ।

इसमें उल्लेखनीय बात यह भी थी, कि मिशन ने बांदा में एक जनाना मिशन की भी स्थापना की गई थी । जिसमें लड़कियों के लिए दो स्कूल तथा स्त्रियों की चिकित्सा के लिए एक अस्पताल भी खोल दिया गया । [2]

निः संदेह उपरोक्त गतिविधियों और सामाजिक सुधारों से इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ठेस लगी जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बनी ईसाई मिशनरियों से लोग इतनी घृणा करने लगे थे, कि विद्रोह के समय हमीरपुर में एक ईसाई प्रचारक

1- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 51
2- सिन्हा एस०एन०, दि रिबोल्ट ऑफ 1857 इन बुन्देलखण्ड जिल्द प्रथम, 1982, पृष्ठ - 62

जरेनिया को उसके परिवार के सदस्यों के साथ में कत्ल कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार बांदा स्थित चर्च की इमारत को ना केवल नुकसान पहुँचाया गया बल्कि छत को ही तोड़ दिया गया।

इलाहाबाद डायोसिस :- इलाहाबाद कैथोलिक डायोसिस का कार्य तिब्बत तथा नेपाल के ईसाई मिशनरियेां के कार्य से सम्बद्ध था। [1]

सन् **1734** में इनमें से **6** पादरी तिब्बत की राजधानी ल्यहारा पहुँचे। सन **1886** में इलाहाबाद को मिशनरी कार्य के लिए नई राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया।

इलाहाबाद डायोसिस की स्थापना हो जाने के बाद इसका कार्य क्षेत्र तथा संगठन धीरे - धीरे मजबूत होता गया ईसाई मिशनरियों से आशा की जाती थी कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को ईसाई मत की शिक्षा देंगे। प्रत्येक रविवार के दिन विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती थी तथा मिशनरियों के द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में ईसाइयों से संबंधित पाठ्य विषयों पर जोर दिया जाता था। अतः उनके लिए यह व्यवस्था कर दी गई थी कि वे किसी हिन्दुस्तानी ईसाई को रखकर धर्म प्रचार का कार्य करें। मिशनरियेां को विभिन्न रोगों की साधारण जानकारी दी जाती थी तथा उससे संबंधित दवाइयाँ गरीबों तथा असहाय लोगों को वितरित कराई जाती थीं, ताकि इस कमजोर वर्ग को आसानी से इस मत की ओर आकृष्ट किया जा सके। [2]

सन् **1891** से **1940** के बीच **50** वर्षों में इलाहाबाद की डायोसिस ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था, कि कम्प्यूचियन मिशनरियों ने इन डायोसिस मिशनरियों के अन्तर्गत अनेकों चर्च, स्कूल तथा धार्मिक संस्थाओं का निर्माण किया। झाँसी तथा बुन्देलखण्ड के क्षेत्र भी चूँकि इलाहाबाद डायोसिस के अंग थे। इसलिए उन मिशनरियों ने वहां भी कई प्रार्थना गृहों और चर्चो के निर्माण कराये। सन् **1930** में मानिकपुर में भी सेक्रेट चर्च का निर्माण हुआ। इस प्रकार धीरे-धीरे बुन्देलखण्ड में भी अनेकों चर्च तथा ईसाई धर्म स्थानों की स्थापना होती गई।

उपर्युक्त बिन्दुओं से यह बात स्पष्ट होती रही है कि इलाहाबाद डायोसिस

1- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, दि डायोसियन कमेटी, इलाहाबाद 1940, अध्याय प्रथम

2- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, पब्लिश्ड बाई डायोसिस कमेटी, इलाहाबाद 1940, पृष्ठ -19

द्वारा किये जा रहे कार्यों का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा था, और स्कूलों, चर्चों एवं धार्मिक संस्थाओं की व्यवस्था एवं देख-रेख के लिए कार्य बांटने के उद्देश्य से ही झाँसी प्रिफेक्चर या झाँसी डायोसिस का गठन किया गया ।

बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में कैथोलिक मिशनों की स्थापना व संगठन :- जिस प्रकार इलाहाबाद डायोसिस से अलग झाँसी प्रिफेक्चर का सन् 1932 में गठन किया गया था, ठीक उसी प्रकार जबलपुर प्रिफेक्चर की स्थापना भी सन् 1932 में इलाहाबाद डायोसिस द्वारा कर दी गई ।

इलाहाबाद डायोसिस नें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उ० प्र० भाग में शिक्षा को अनेक ढंग से बढ़ाया, एवं क्षेत्रों का चुनाव कर शिक्षण संस्थाऐं खोली एवं उनके व्यवस्थापन को जारी रखा । नये-नये क्षेत्रों में जहां भी कैथलिक ईसाइयों ने देखा संस्थाओं का विकास किया ।

यदि आज के समय में देखा जाये, तो झाँसी जिले में मुख्य रूप से झाँसी में कैथलिक मिशनरियों द्वारा संचालित सबसे अधिक संस्थाऐं हैं । यह इस बात का प्रमाण है, कि इलाहाबाद डायोसिस के प्रिफेक्चर झाँसी डायोसिस ने इस क्षेत्र में शिक्षा को एक गति दी है । और अपनी शिक्षण संस्थाओं का निरंतर विकास भी किया तथा अपने संगठन को मजबूत किया ।

बुन्देलखण्ड संभाग में प्रोटेस्टेन्ट मिशन का प्रारम्भ :- बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए इलाके में ईसाई मत के प्रचार तथा प्रसार का कार्य सर्वप्रथम प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों ने किया था । [1]

सन् 1896 में बुन्देलखण्ड में भयानक अकाल पड़ा । जिससे यहां के जनजीवन को भारी क्षति पहुँची । इसके पहले यहां पर समय की गति के अनुसार काफी अकाल पड़ चुके थे । यद्यपि सरकार ने दिखावे के लिए अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ प्रयास किये । लेकिन यह प्रयास लोगों को संतुष्टि प्रदान न कर सके । ऐसी परिस्थितियों में 1896 में प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों की ओर से मिल ई० वार्ड तथा मिस फिसलर जो मिशनरी कार्य से भारत आईं थीं । ने लखनऊ में कुछ समय विश्राम किया तथा बुन्देलखण्ड की स्थिति का पता लगाने के बाद छतरपुर के नौगांव इलाकों में धर्म प्रचार का वीड़ा उठाया ।

1- क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्क इन दि बुन्देलखण्ड एरिया, रत्नाकर एम० राव रिसर्च पेपर 10-1-85, पृष्ठ -1

अकाल में गृह विहीन तथा लावारिश बच्चों की देख-भाल व पालन-पोषण का कार्य उन दोनों मिशनरियों ने किया । इस उद्देश्य से नौगांव में एक अनाथालय एवं एक अस्पताल तथा स्कूल की भी स्थापना कर दी गई। धीरे-धीरे यह संस्थाऐं काफी विकसित होने लगीं । सन् 1902 में प्रथम बार प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों की मासिक बैठक का प्रारम्भ नौगांव के अनाथालय से ही हुआ । 11 मार्च 1902 को नौगांव की मासिक बैठक में 47 प्रोटेस्टेन्ट लोग उपस्थित थे । यहीं से बुन्देलखण्ड के चर्च का प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे काफी संख्या में मिशनरी बुन्देलखण्ड में जाकर धर्म प्रचार करने लगे । [1]

मिशनरियों ने बुन्देलखण्ड चर्च अथवा बुन्देलखण्ड मसीहा मित्र समाज नामक संस्थाओं की स्थापना कर ली । सन् 1902 में प्रोटेस्टेन्ट चर्च के नियमों के लिए सुसंगाबाद से एक पुस्तक प्रकाशित की गई, और तत्पश्चात् 1939 में इसमें परिवर्तन किया गया । धीरे-धीरे बुन्देलखण्ड मसीही समाज को बिन्ध्य प्रदेश की सरकार से मान्यता प्रदान कर दी गई । [2]

बुन्देलखण्ड मिशन का प्रारम्भ :- सन् 1648 में इंग्लैण्ड में बवेकर आंदोलन प्रारम्भ हुआ । सन् 1661 में इस आन्दोलन के 6 नेता इंग्लैण्ड से भारत आये थे । अमेरिका में यह आंदोलन 1660 में शुरू हुआ । सन् 1813 में दमिश्क में ओहियों लोगों की वार्षिक बैठक प्रारम्भ हुई, वार्षिक बैठक का यह कार्यक्रम धीरे-धीरे बुन्देलखण्ड की अंग्रेजी छावनियों में भी प्रारम्भ हुआ । 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजी छावनियों में विशेषतः नौगांव में अनाथालय स्कूल की स्थापना कर धर्म प्रचार के कार्य प्रारम्भ किये । ईसाई मिशनरियों द्वाराकिये जा रहे कार्य तथा स्कूल आदि की स्थापना से प्रेरित होकर अलीपुरा के राजा ने इन मिशनरियों को अस्पताल बनवाने के लिए जमीन दान में दी । धीरे-धीरे मिशनरियों ने बुन्देलखण्ड में अनेकों स्कूल अस्पताल इत्यादि खोलने प्रारम्भ किये । इस कार्य में नौगांव के पादरी मोतीलाल ने उनकी मदद की। इस स्कूल में अनेकों धर्म प्रचारकों को ट्रेनिंग दी जाती थी । धीरे-धीरे मोतीलाल को मसीही वन्दना का अध्यक्ष बना दिया गया । उसी क्रम में बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों में प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों के नौ अन्य मिशन स्थापित हुए । इससे अन्य धर्माविलाम्बियों को ईसाई बनाने में सुविधा हुई । [3]

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 71

2- क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्क इन दि बुन्देलखण्ड एरिया, रत्नाकर एम० राव रिसर्च पेपर 10-1-85, पृष्ठ -2,3,9

3- वबेवर्स इन इण्डिया मानजोरी स्कैच, लन्दन जॉर्ज एलेन एण्ड अनविन 1980, पृष्ठ -7,102,104,137

प्रारम्भिक वर्षों में बुन्देलखण्ड मिशन में अनाथालय तथा धर्म प्रचार से सम्बन्धित कार्य ही होता रहा । ये मिशनरी, धर्म प्रचार के लिए बुन्देलखण्ड कें लोगों को ही नियुक्त करते थे, जोकि ईसाई धर्म के अनुयायी होते थे । सन् **1925** में बुन्देलखण्ड मिशन ने अमेरिका फ्रेण्ड्स मिशन से सहयोग करना प्रारम्भ किया । जिन नौ मिशनों की स्थापना की गई थी । उसमें **1926** से **1947** तक कार्य करने वाले बुन्देलखण्ड के ही ईसाई थे । किन्तु बाहरी मिशनरियों द्वारा इनके कार्यों में बराबर मदद दी जाती थी । चूँकि यहां के लोग बुन्देली भाषा, यहां के रीति रिवाज व धार्मिक विश्वासों से परिचित थे । अतः वे भली-भाँति जन साधारण से सम्पर्क कर सकते थे । इसलिए विदेशी मिशनरियों ने धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुन्देलखण्ड के मिशनरियों को ही आगे रखकर स्वयं को उनके पीछे रखकर मदद करने का कार्य प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे इन विदेशी मिशनरियों को अपना कार्य भार बुन्देलखण्ड मिशनरियों को सौंपना पड़ा । इसका कारण यह था कि **1948** में भारत सरकार ने विदेशी कम्पनियाँ मिशनरियों को देने का आग्रह किया । [1]

इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन ने आगामी पांच वर्षों में एक कार्यक्रम बनाकर बुन्देलखण्ड मिशन का कार्य भार यहां के प्रोटेस्टेन्ट ईसाईयों को सौंपना प्रारम्भ किया । इस तरह अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन बाहृय रूप से बुन्देलखण्ड मिशन को सहायता पहुँचाने लगा और उसका प्रबन्ध यहां के ही ईसाइयों द्वारा किया जाने लगा।[2]

बुन्देलखण्ड वासियों ने जिन्होंने ईसाई धर्म को मानना शुरू कर दिया था एवं उन्हीं के कार्यों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया था । को अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन ने बुन्देलखण्ड फ्रेण्ड्स मिशन का नाम दिया एवं बुन्देलखण्ड में यह कार्य उन्हीं को सौंप दिया गया तथा आर्थिक सहायता देना जारी रखा ।

बुन्देलखण्ड मिशन की अन्य सहयोगी संस्थाऐं :- बुन्देलखण्ड मिशन **1976** तक एक मात्र ऐसा संगठन था । जो इस क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचार, चर्चों की देख-रेख, अस्पताल तथा स्कूल आदि की व्यवस्था आदि कार्य सम्पन्न किया करता था। **1948** तक यह संस्था विदेशी मिशनरियों के हांथ में रही । किन्तु सरकारी दबाव के कारण भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद इन विदेशी मिशनरियों में बुन्देलखण्ड मिशन का प्रबन्ध और कार्य यहां के स्थानीय ईसाइयों को सौंपकर स्वयं को बाहर रखकर उनकी

1- क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्क इन दि बुन्देलखण्ड एरिया, पृष्ठ -10

2- इण्डिया मिशन की छठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1956 पृष्ठ -44,45

मदद करना प्रारम्भ कर दिया ।

इस मिशन की अन्य सहयोगी संस्थाऐं भी थीं । जैसे- इवेन्जेलिकल फेलारिस ऑफ इण्डिया, अमेरिका फ्रेण्ड्स मिशन, क्रिश्चियन एजूकेशन डिपार्टमेन्ट आदि संस्थाओं ने समय समय पर बुन्देलखण्ड के मिशन के कार्यों में सहयोग किया । [1]

इससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन का कार्य सुचारू रूप से चालू हो गया । यहां के स्थानीय ईसाइयों को यहां का पूरा कार्य सौंपकर उन्हें बाहर से आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया ।

अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन के कार्य का प्रारम्भ :- अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन का कार्यालय ओहियो में था । इससे सम्बंधित मिशनरी, धर्म प्रचार के लिए बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में आकर बस गये और सर्वप्रथम उन्होंने नौगांव छावनी तत्पश्चात् छतरपुर को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया । धीरे-धीरे छतरपुर के राजा के सहयोग से, इन मिशनरियों ने वहां पर चिकित्सालय प्रारम्भ किया और एक दशक के अन्तर्गत ही इन मिशनरियों ने बिजावर, गंग, घोरो, मलेहरा, राजनगर, नौगांव, गुलगंज, दतरपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म प्रचार के कार्य करने प्रारम्भ कर दिये । यह उल्लेखनीय है, कि ये मिशनरी ग्रामीण अंचलों में फैले रहने के बावजूद समय-समय पर नौगांव में इकट्ठा होते थे और वहां से ही अपनी प्रेरणा गृहण किया करते थे । [2]

चूँकि यह क्षेत्र अशिक्षित एवं पिछड़ा हुआ था इसीलिए ईसाई धर्म के लिए आवश्यक था, कि बुन्देली भाषा में ही इसका प्रचार और प्रसार किया जाये। इसीलिए इस मिशन ने बुन्देलखण्ड हैण्डबुक नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षाऐं लिखी हुई थीं, इसी धर्म प्रचार कार्य में केरल के मिशनरियों ने भी सहयोग किया। इनका अधिकांश समय तथा धन गांव तथा पिछड़े इलाकों में लोगों को ईसाई बनाने तथा अन्य मानवीय कार्यों में खर्च होता था । 1948 के बाद अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन का कार्य भी बुन्देलखण्ड मिशन के हांथ में आ गया, जिसका प्रबन्ध स्थानीय ईसाइयों ने करना प्रारम्भ कर दिया। चर्चों की देख-रेख, स्कूल का प्रबन्ध तथा अनाथालयों की देख-रेख के अलावा धर्म प्रचार करना, इनका मुख्य कार्य बन गया । [3]

1- क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्क इन दि बुन्देलखण्ड एरिया, पृष्ठ -11
2- फ्रेन्डस् इन बुन्देलखण्ड इण्डिया बाई मैरिल एम्पायर कापिना ओहिया फॉर मिशन बार्ड 1926, पृष्ठ -35
3- क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड मसीही मित्र समाज वर्क इन दि बुन्देलखण्ड एरिया, पृष्ठ -13,14

बुन्देलखण्ड में ईसाईयत के प्रति बिट्रिश नीति व उद्देश्य :-

सन् 1858 से लेकर 1892 तक बुन्देलखण्ड में ईसाई धर्म की स्थितिः

बुन्देलखण्ड में सामाजिक संगठन का आधार मुख्यतः धर्म प्रधान था, जो जातीयता पर आधारित था, इस क्षेत्र में हिन्दुओं का बाहुल्य रहा है । [1]

सन् 1901 के जनगणना के अनुसार सिर्फ झाँसी में ही हिन्दू संख्या लगभग 92.7 प्रतिशत थी । सन् 1909 में बांदा जिले में यूरोपियन पादरी संख्या 39 थी, तथा इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तित किये गये, लोगों की संख्या 147 थी, जिसमें 82 लोग ऐंग्लिकन चर्च के समर्थक थे, 30 प्रिन्स ब्रिटेरियन चर्च के अनुयायी थे, तथा 8 लोग ऐसे थे जो रोमन सप्रदाय के समर्थक थे । [2]

बांदा के जिलाधिकारी मेन ने सन् 1870 में एक बुन्देलखण्ड मिशन की भाषा की स्थापना की थी, जो कानपुर मिशन का ही अंग था । लेकिन इस दिशा में सफलता सन् 1892 के बाद मिलनी प्रारम्भ हुई । सन् 1909 में जालौन जिले में ईसाईयों के वर्गीकरण से प्रतीत होता है, कि 35 लोग ऐसे यूरोपीय थे, जो ईसाई मत में विश्वास करते थे । स्थानीय लोगों में 59 लोग ऐसे अवश्य थे, जिन्होंने इस मत को स्वीकार कर लिया था। इनमें से अधिकांश संख्या में चर्चों के समर्थक ही थे । सन् 1881 के पहले जालौन जिलें में ईसाई मिशनरियों के कोई विशेष केन्द्र स्थापित नहीं हो सके थे । किन्तु उरई, कोंच, तथा माधौगढ़ में अमरीका के मेथडिस्ट के मिशनरी चिकित्सा तथा स्कूलों के माध्यम से धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे । [3]

झाँसी में मिशनरी सोसायटी की दो शाखाऐं थी । ललितपुर मिशन द्वारा एक अनाथालय का भी श्रीगणेश किया गया जिसमें अकाल के समय मरने वाले बच्चों का पोषण किया जाता रहा । इन बच्चों को धीरे-धीरे रोजगार की ट्रेनिंग दी जाने लगीं ताकि वे अपनी जीविका चला सकें । शीघ्र ही यह मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ा । इससे झाँसी जिले में अभूतपूर्व प्रगति हुई । आगामी वर्षों में धर्मान्तरण बड़ी तेजी से हुए । और सन् 1901 की जनगणना के अनुसार केवल झाँसी जिले में ही, स्थानीय ईसाईयों की संख्या बढ़कर 777 हो गई । [4]

1- बेली डी०सी० सैन्सस ऑफ इण्डिया, भाग-एक उत्तर पश्चिम प्रान्त

2- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 91

3- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 91

4- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 87 तथा इम्पीरियल गजेटियर इण्डिया भाग-दो, कलकत्ता 1908 पृष्ठ - 91

संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सन् 1858 से लेकर सन् 1892 तक झाँसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि जिलों में तथा बुन्देलखण्ड के अन्य सम्भागों में जो ईसाई थे, वे मुख्यतः सैनिक छावनियों में या तो अंग्रेज अधिकारी थे, या तो सैनिक । लेकिन सन् 1858 के पश्चात् धीरे-धीरे ईसाई धर्म के प्रचार की प्रक्रिया का विकास होता रहा और बुन्देलखण्ड में इस दिशा में तेजी लाने का प्रारम्भ अमरीका महिला मिशनरियों ने किया । इस कार्य के लिए मिशनरियों को बुन्देलखण्ड में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन मिला, जोकि उनके लिए वरदान साबित हुआ । यह उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तथा 20वीं शताब्दी की पूर्वावधि का समय बुन्देलखण्ड के सामाजिक, आर्थिक इतिहास में अत्यन्त गरीबी, बेरोजगारी का समय रहा है । फिर 1858 के बाद महान विद्रोह का अखाड़ा बना । इससे मुक्त होने पर इस क्षेत्र को अकाल की विभीषता ने ग्रस लिया, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई । बुन्देलखण्ड में कृषि व्यवस्था के बल पर 90 प्रतिशत जनसंख्या की उदरपूर्ति होती थी । [1]

बिट्रिश शासन द्वारा बुन्देलखण्ड में मिशनरियों की मदद :-

उपरोक्त वातावरण में किसी भी शासन का अधिक दिनों तक निर्भर रहना सम्भव नहीं था । सन् 1857 में जो दमन हुआ था । परिवर्ती युग में जो उत्पीड़न हो रहा था उसके प्रति बुन्देलखण्ड में जो असन्तोष अन्दर ही अन्दर पनप रहा था, उसे बहुत ही कुछ कम करने में मिशनरी सहायक हो सकते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र मे मिशनरियों की मदद के पीछे सरकार की नीति का यह उद्देश्य था कि उनके माध्यम से बुन्देलखण्ड के लोगों का खोया हुआ विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सके ।

बुन्देलखण्ड में मिशनरियों को सहायता दिये जाने के पीछे दूसरा उद्देश्य यह था, कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां कि लोग गरीबी, भुखमरी आदि बुराइयों से ग्रस्त हैं तथा साथ ही साथ अशिक्षित हैं और हिन्दू वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत हरिजन तथा निम्न जातियों को, जो अत्यन्त ही सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हैं उन्हें मिशनरियों के द्वारा समझा बुझा कर, चिकित्सा तथा अन्य सेवाओं के द्वारा ईसाई बना लिया जाये। इस प्रकार एक बफादार भारतीय प्रजा के निर्माण की आवश्यकता जो पहले से ही

1- रिपोर्ट नं० एक सौ बाइस , झाँसी दिनांक तेईस अप्रैल अठारह सौ अठ्ठावन

समझी जा रही थी, उसकी आपूर्ति हो सकेगी । इसीलिए इन मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड के इस पिछड़े भू-भाग में ईसाई धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए जन सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है और इस कार्य को ईसाई मिशनरियों द्वारा किया जा सकता है ।

जन आन्दोलन की नीति :- सन् 1896 से लेकर 40 वर्षों तक मिशन की नीति अनाथालय पर केन्द्रित थी किन्तु इसी बीच अनाथालय में पड़ने वाले बच्चे काफी बड़े हो चुके थे । अब उन्हें विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाने लगी जैसे बढ़ई गीरी, जूते निर्माण, कपड़े की सिलाई आदि इस शिल्प की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाने लगा । इसके साथ ही अनाथालय में पलने वाले बच्चे युवावस्था को प्राप्त हो गये थे अतः उनका विवाह कराकर विभिन्न रोजगारों में लगा दिया गया । इस परम्परा में बुन्देलखण्ड में व्यवस्थित रूप से ईसाई धर्म तथा समाज का पतन होने लगा । कर्जरपुर में इन्हीं लोगों ने सर्वप्रथम प्रवेश कर वहां निवास कर रहे अपराधी जातियों तथा निचले वर्ग के लोगों को शिक्षित करने का काम किया । [1]

इस प्रकार अंग्रेजी शासनकाल में सरकार की नीति और मिशन की कार्यशैली द्वारा बुन्देलखण्ड में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार हो सका ।

मिशनरियों ने सदैव से ही निचले वर्ग के क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ों की व अपराधी क्षेत्रों में ही प्रयास किये । इन क्षेत्रों में उन्हें जल्दी सफलता मिल जाती थी ।

स्कूलों की स्थापना व प्रबन्ध :- बुन्देलखण्ड में सन् 1804 में बेसिन की सन्धि से बिट्रिश सत्ता की स्थापना हुई थी । इन स्कूलों की स्थापना करके सरकारी अधिकारी यह दिखाना चाहते थे, कि सरकार उनका कल्याण चाहती है ।

ठीक इसी तरह कुछ गांव में भी ऐसे स्कूलों की स्थापना की गई, जिनकी संख्या झाँसी जिले में लगभग 28 थी । 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक झाँसी जिले में स्कूलों की संख्या 167 हो गई ।

शिक्षा की दृष्टि से बुन्देलखण्ड अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, किन्तु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यह सर्वाधिक पिछड़ा रहा, इससे प्रेरित होकर कन्या विद्यालय झाँसी में भी स्थापित करना चाहा, किन्तु यह योजना झाँसी में सफल न हो सकी। इस आधार पर सन् 1872 में झाँसी में पुनः प्रयास किया गया, और मिशनरी विद्यालयों की भरमार हो गई।

1- दि सैन्चुअरी ऑफ प्लाटिंग (भूमिका) पृष्ठ - 14

14 वर्षों में लड़कियों की संख्या 116 से अधिक नहीं पहूँची । तथा बच्चों के विद्यालय अत्यधिक खुल गये । परिणाम यह हुआ, कि कम संख्या के कारण 7 में से 6 स्कूलों को बन्द करना पड़ा ।

मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड में स्कूलों की स्थापना :- यह भली-भांति ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड में अनेकों अंग्रेजी छावनियां थीं, यहां भी काफी संख्या में ईसाई नौकरी आदि में आ चुके थे, जिनके बच्चों के लिए ही अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना आवश्यक थी ।

पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के पीछे बिट्रिश शासकों का यह उद्देश्य भी था, कि इस देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ऐसा वर्ग तैयार किया जाये, जो रक्त में भारतीय हों किन्तु उनके तौर तरीके वेश-भूषा परिवार तथा उनका सामाजिक स्तर एक बड़े रईस की तरह पूरे दिग-दिगन्त में गुंजायमान हो ।

ऐसा ही प्रयास बंगाल में भी किया जा रहा था । इस प्रकार इस समय में अधिक से अधिक मिशनरी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गये ।

सन् 1922 में इलाहाबाद डायोसिस की वैधानिक ऐसोसिएशन के एक प्रत्यक्षदर्शी ने रामपुरा मिशन के बारे में लिखा था, कि रामपुरा मिशन में लगभग 300 छात्र थे, जो मुख्यतः बढ़ई गीरी का कार्य करते थे, उनका कार्य अत्यन्त उच्चकोटि तथा साफ था उनके द्वारा निर्मित चीजों की मांग सागर एवं आस-पास के बाजारों में थी । उस मिशन को बनाने का मुख्य श्रेय फादर रैफिल तथा वाक लोमयू को है । [1]

प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड में शिक्षा का प्रसार :- बुन्देलखण्ड पिछड़े हुए क्षेत्र में जहा अकालों, प्राकृतिक आपदाओं आदि से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी फैल रही थी । वहीं प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों ने धर्म प्रचार की दृष्टि से केवल अनाथालय ही नहीं, बल्कि अस्पताल भी खोले । यहां की व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हुए, अमेरिकन मिशनरी डेलिया फिशनर ने लिखा था कि "ये मित्रों बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाओ जहां भूंख से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां के लोग दयनीय स्थिति में हैं" ।

....

2- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, पब्लिश्ड बाई डायोसिस कमेटी, इलाहाबाद 1940, पृष्ठ-70-73

स्कूलों की स्थापना और प्रबन्ध :- बुन्देलखण्ड में 1804 में वैसीन की सन्धि से बिट्रिश सत्ता की स्थापना हुई थी। प्रारम्भिक वर्षों में अंग्रेजी शासक इस क्षेत्र के जमीदारों, राजाओं तथा महाराजाओं को दबाकर शांति व्यवस्था स्थापित करनें में व्यस्त रहे। चूँकि विदेशी शासक अधिक से अधिक राजस्व की वसूली तथा शोषण में ही रूचि रखते थे। अतः स्वाभाविक था, कि वे बुन्देलखण्ड के कल्याण अथवा शिक्षा आदि के लिए वे विशेष दिलचस्पी नहीं रखते थे। यहीं कारण था कि 1804 से 1858 तक इस क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए किसी भी सुनियोजित नीति का पालन नहीं हुआ।

ग्रामीण तथा तहसील स्तर पर स्कूलों की स्थापना :- 1858 में विद्रोह समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजी अधिकारियों ने बुन्देलखण्ड के विभन्न अंचलों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करनी प्रारम्भ की। इन स्कूलों की स्थापना करके ये सरकारी अधिकारी जनता को यह दिखाना चाहते थे, कि सरकार उनका कल्याण चाहती है। झाँसी सम्भाग में सरकार यह प्रयास अधिक से अधिक स्तर पर करना चाहती थी। 1858 में झाँसी, करेरा, पिछोर, मोंठ, गरौठा, मऊ, पण्डवाहा में प्राथमिक स्कूल खोले गये। ठीक इसी तरह कुछ गांव में भी ऐसे स्कूलों की स्थापना की गई, जिनकी संख्या झाँसी जिलें में लगभग 28 थी। इस जिले के विस्तृत क्षेत्र तथा जनसंख्या की दृष्टि से 28 प्राइमरी स्कूल लोगों की आवश्यकता से बहुत कम थे। इसी तरह का प्रयास ललितपुर में भी किया गया, जहां ललितपुर महरौनी और मड़ोरा में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना हुई।

1861 में कुछ नये तहसील स्कूल चिरगांव बरूआसागर, मऊरानीपुर में प्रारम्भ हुए। 1862 तक आते-आते यह देखा गया, कि झाँसी जिले में तहसीली स्कूलों की संख्या कुल 11 हैं। इसके अतिरिक्त गांव में 76 स्कूल स्थापित किये जा चुके थे। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक झाँसी जिले में स्कूलों की संख्या 167 हो गई। इसके अलावा 39 प्राइवेट स्कूल भी प्रारम्भ किये जा चुके थे।[2]

स्त्री शिक्षा की दशा :- शिक्षा की दृष्टि से बुन्देलखण्ड अत्यधिक पिछड़ा हुआ था किन्तु स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यह सर्वाधिक पिछड़ा रहा। इस क्षेत्र में 1866 में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। जबकि इसी वर्ष ललितपुर में एक कन्या स्कूल की स्थापना

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 157
2- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, झाँसी गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 174

की गई ललितपुर में इस योजना का स्वागत किया गया । और यह सफल रही । इससे प्रेरित होकर अधिकारियों ने इसी तरह का कन्या विद्यालय झाँसी में भी स्थापित करना चाहा, किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि यह योजना झाँसी में सफल न हो सकी । ऐसा प्रतीत होता है । कि 1857 मे झाँसी का इतना दमन कर दिया गया था, जिससे यहां के लोग सरकारी योजनाओं में असहयोग करने लगे थे । यद्यपि लोगों को कन्याओं की शिक्षा की उपयोगिता भली-भांति ज्ञात थी, किन्तु बिट्रिश दमन अत्याचार एवं लूट की 1857 की घटना की याद लोगों के दिमाग में ताजा बनी हुई थी । फलतः यहां के लोग सरकारी योजनाओं को शंका की दृष्टि से देखने लगे थे, और इसी असहयोग के कारण कन्या विद्यालय की सफलता की संभावना भी क्षीण हो गई, लेकिन ललितपुर में यह विद्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था । इस आधार पर 1872 में झाँसी में पुनः कन्या स्कूल की स्थापना का प्रयास हुआ और इस समय तक 7 कन्या विद्यालय स्थापित किये गये लेकिन इस योजना को पुनः लोगों का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ और चार वर्ष की अवधि के भीतर ही इस स्कूल में लड़कियों की संख्या 116 से अधिक नहीं पहुँची । परिणाम यह हुआ कि कम संख्या के कारण 7 में से 6 स्कूलों को बंद करना पड़ा । [1]

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लोगों ने कन्या विद्यालय के महत्व को समझा । इस समय बिट्रिश दमन की याद भी लोगों के मस्तिष्क से विस्मृत हो रही थी । अतः झाँसी तथा ललितपुर को मिलाकर 146 कन्या विद्यालय स्थापित किये गये । झाँसी सम्भाग के अन्य जिलों में विशेषतः बांदा तथा जालौन में भी यही स्थिति रही । [2]

अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों के प्रति लोगों का झुकाव :- इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, कि लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना अधिक पसन्द करने लगे थे । अतः तहसील तथा गांव स्तर के स्कूल अधिक महत्व नहीं पकड़ सके । 1867 में गांव के स्कूलों को घटा देना पड़ा, क्योंकि वहां लोग बहुत कम संख्या में पढ़ने आते थे । अंग्रेजी भाषा के स्कूल धीरे-धीरे अधिक महत्व के समझे जाने लगे थे । फलतः मऊ में एक प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया गया, जैसा कि ललितपुर और झाँसी में यह स्कूल पहले से ही चल रहे थे ।

....

1- ड्रेक वॉकमेन डी०एल०, झाँसी गजेटियर, इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ - 174

2-इम्रीरियल गजेटियर इण्डिया भाग -दो, कलकत्ता 1908 पृष्ठ - 91

बुन्देलखण्ड के निवासियों को भारत के अन्य क्षेत्रों के लोगों की भांति ज्ञात हो चुका था, कि अब रोजगार के लिए अथवा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया है । तहसील तथा ग्रामीण स्तर के स्कूलों में साधारण साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा हिन्दी में दी जाती थी । जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी पढ़कर लोगों को सरकारी कार्यालयों में नौकरी आदि प्राप्त करने की संभावनाऐं अधिक बढ़ जाती थीं । [1]

मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड में स्कूलों की स्थापना :- यह भली-भांति ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड में अनेकों अंग्रेजी छावनियां थीं, यहां कार्यरत सैनिक अधिकारियों के बच्चों को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अधार पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । साथ ही झाँसी रेलवे का प्रमुख केन्द्र था । यहां भी काफी संख्या में ईसाई नौकरी आदि में आ चुके थे, जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता थी, इसके साथ ही यूरोप के विभिन्न ईसाई मिशनरी भारत के पिछड़े क्षेत्रों में जाकर स्कूल आदि की स्थापना के द्वारा मानवीय कल्याण के कार्य करते हुए लोगों का दिल जीतकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे । पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के पीछे बिट्रिश शासकों का उद्‌देश्य यह भी था, कि इस देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जाये, जो रक्त में भारतीय हों, किन्तु जिनके विचार तथा सोचने के तरीके अंग्रेजों जैसे हों । साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में पढ़े-लिखे सस्ते बालकों की आवश्यकता थी । अतः इन तमाम कारणों से लार्ड विलियम बेटिंग के समय अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया ।

ईसाई मिशनरियों ने तो बहुत पहले से ही यह कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था । **1793** में बिलियम केरी नामक पादरी जो पहले जूते बनाया करता था वह कलकत्ता पहुँचा तथा बंगाली भाषा में लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करने लगा । [2]

18वीं शताब्दी में काफी समय तक दक्षिण भारत में मिशनरी कम्पनी में कार्यरत ईसाइयों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना के लिए

1- पाठक एस०पी०, झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल पृष्ठ - 157

2- दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग - छः पृष्ठ - 98-99

प्रयास कर रहे थे । कम्पनी अपने सामुद्रिक जहाजों में इन मिशनरियों से भारत में आने तथा जाने के लिए किसी भी प्रकार का किरायानहीं लेती थी । इन मिशनरीज स्कूलों को सरकार की ओर से सहायता तथा सुविधाऐं भी प्राप्त थीं । मद्रास की सरकार ने वहां चलाये जा रहे, मिशनरियों के कुछ स्कूलों को सरकारी मदद देना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसा ही प्रयास बंगाल में किया जा रहा था । इस प्रकार समय-समय पर अधिक से अधिक मिशनरी भारत के विभन्न क्षेत्रों में आकर बस गये । तथा वहां स्कूल आदि प्रारम्भ कर ईसाई मत का प्रचार का कार्य करने लगे ।

बुन्देलखण्ड में माल्टा के मिशनरियों द्वारा शिक्षा का प्रारम्भ :-

बुन्देलखण्ड सम्भाग में माल्टा के मिशनरियों ने धर्म प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया था इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने न केवल चर्च, प्रार्थना गृह, धर्माध्यक्ष निवास, अनाथालय आदि के निर्माण तथा देख-रेख का कार्य ही किया बल्कि स्कूलों की स्थापना कर लोगों को पाश्चात्य शिक्षा का ज्ञान देते हुए, ईसाई धर्म का प्रचार कर धर्म प्रचार करना शुरू किया । इस दिशा में झाँसी में उन्होंने एक स्कूल खोला, जो बालकों के लिए था ।

क्राइस्ट दि किंग स्कूल, झाँसी :- यह स्कूल झाँसी छावनी के अन्तर्गत स्थित है । जिसे **16** जनवरी **1940** को पट्टे की जमीन लेकर प्रारम्भ किया गया था । [1]

1940 ई० में जब इसका प्रारम्भ हुआ, उस समय केवल **26** लड़के ही इस स्कूल में पंजीकृत थे । इसके प्रारम्भ होने के चार महीने के ही अन्दर छात्रों की संख्या दो गुना हो गई । जब इस स्कूल का दूसरा सत्र प्रारम्भ हुआ, तब विद्यार्थियों की संख्या **75** हो चुकी थी ।

इस स्कूल में बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए यह अनुभव किया गया, कि विद्यालय की वर्तमान छोटी इमारत, इस स्कूल की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है अतः मई के महीने में इसकी नई इमारत के निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन खरीद ली गई। **14,000** रू० की लागत से नई इमारत का निर्माण हुआ । जिसमें **200** बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्थान प्राप्त हो सकता था । आगामी वर्षों में यह स्कूल अत्यन्त ही प्रसिद्ध हो गया तथा छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई । [2]

1- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, पब्लिश्ड बाई डायोसिस कमेटी, इलाहाबाद 1940, पृष्ठ-113
2- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, पब्लिश्ड बाई डायोसिस कमेटी, इलाहाबाद 1940, पृष्ठ-113

सेन्ट फ्रान्सिस कॉन्वेन्ट स्कूल, झाँसी :- इस स्कूल का प्रारम्भ 1898 में हुआ जिसके संचालन का कार्य भार सिस्टर पेट्रेशिया और टेरेसा को दिया गया। प्रारम्भ में इसकी इमारत अत्यन्त छोटी तथा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसलिए शीघ्र ही छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, इसकी विस्तृत इमारत का निर्माण किया गया। इस स्कूल के प्रारम्भ के पांच वर्ष कठिनाइयों में निकले। किन्तु यहां की प्रिन्सिपल मदर डेलफाइन ने अपने प्रयासों द्वारा कई बड़े और हवादार कमरे बनवा लिये।

1927 में इस स्कूल की इमारत का पुनः विस्तार किया गया और धीरे-धीरे यह हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया।[1]

प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड में शिक्षा का प्रसार :- बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां अकालों प्राकृतिक आपदाओं आदि से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी फैल रही थी। वहां प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों ने धर्म प्रचार की दृष्टि से न केवल अनाथालय ही बल्कि अस्पताल भी खोले। साथ ही उन्होंने स्कूलों की स्थापना कर यहां के बच्चों को शिक्षित कर धर्म प्रचार के कार्य को तेज किया।

यहां की व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हुए अमेरिकन मिशनरी डेलिया पिशचर ने लिखा था कि "ये मित्रो बुन्देलखण्ड के पिछड़े हुए क्षेत्र में जाओ, जहाँ भूख से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यहां के लोग दयनीय स्थिति में हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। वहां की गरीबी का चित्रण कलम के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में ईसा मसीह के दूत बहुत कम संख्या में पहुँच सके हैं।"

डेलिया पिशचर ने सर्वप्रथम लखनऊ से नौगांव पहुंचकर बुन्देलखण्ड के लोगों की सेवा करने का वीड़ा उठाया।[2]

पिशचर इंग्लैण्ड के बवेकर आंदोलन से प्रभावित थीं। इस आंदोलन के अनुयायी स्वयं को फेण्ड्रस (मित्र) शब्द से संबोधित करते थे। क्योंकि ईसा मसीह ने कहा था, कि आप हमारे मित्र हैं यदि मेरे द्वारा दिये गये आंदोलन को मानते हैं तो उनके प्रत्येक आदर्श को जीवधारियो तक पहुंचा दिया जाये, यही ईसा मसीह की अन्तिम इच्छा थी। अतः इसी उद्देश्य को लेकर डेलिया पिशचर, ई० वेयर्ड और अन्नानिक्सन जैसे अनेकों मित्र महिला

1- हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद, डायोसिस, पब्लिश्ड बाई डायोसिस कमेटी, इलाहाबाद 1940, पृष्ठ-113
2- ए सेन्चुअरी ऑफ प्लाटिंग, ए हिस्ट्री ऑफ दि अमेरिकन फ्रेन्डस् मिशन इन इण्डिया बाई ई० अन्ना निक्सन प्रीफेस

मिशनरियों ने बुन्देलखण्ड के विशाल क्षेत्रों में इसी प्रेरणा को लेकर पदार्पण किया । बुन्देलखण्ड में फ्रेण्ड्स मिशन के कार्य के प्रारम्भ का उद्देश्य, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाऐं प्रदान करते हुए लोगों को नये धर्म की ओर आकृष्ट करना था । [1]

कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन मिशनरियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का प्रारम्भ :- नौगांव, हरपालपुर एवं छतरपुर (जो कि आज मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में है) में अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन द्वारा चलाये जा रहे स्कूल काफी सफल हो चुके थे, इसके साथ ही कैथलिक मिशन द्वारा बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में भी काफी शिक्षण संस्थाऐं सफलतापूर्वक कार्य कर रही थीं । शिक्षा प्रसार के साथ-साथ ईसाई धर्म प्रचार में भी तेजी आ रही थी । इन प्रयासों की सफलता से प्रेरित होकर कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन चर्च के डॉक्टर जॉन बिलकी 1904 में इन्दौर से झाँसी आये, सम्भवतः धर्म प्रचार करने की दृष्टि से वे ग्वालियर जा रहे थे। किन्तु वहां के राजा से प्रोत्साहन न मिलने के कारण बिलकी ने झाँसी को ही अपना कार्य क्षेत्र चुना । बिलकी ने झाँसी में कनाडा के मिशनरियों के सहयोग से सी०पी० मिशन में काफी जमीन खरीदी । जिसमें ईसागढ़ का गांव भी शामिल था । सबसे बड़ी आवश्यकता इस पिछड़े हुए क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा से सम्बन्धित थी, जो अत्यन्त ही उपेक्षित थी । अतः उस दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक था । इसी उद्देश्य से 1926 में सी०पी०मिशन कम्पाउण्ड झाँसी में कनेडियन ब्रिटेरियन मिशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई । यह स्कूल इस क्षेत्र में ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से खोला गया । प्रारम्भ में यह प्राइमरी स्कूल तक रहा, किन्तु बाद में यह हाई स्कूल तक बढ़ा दिया गया । सी०पी० मिशन में लड़कियों के लिए एक स्कूल का प्रारम्भ भी इसी मिशन द्वारा 1933 में हुआ । [2]

कनाडा की एक महिला द्वारा दिये गये दान के आधार पर 1928 में ही मिशन कम्पाउण्ड में एक छात्रावास बनाया गया । [3]

यह उल्लेखनीय है कि 1928 में जब बिलकी यहां से इंग्लैण्ड वापस जा रहे थे तो उस समय लाल सागर में यात्रा करने वाले जहाज में उनकी मृत्यु हो गई थी । इसके उपरान्त इस मिशन का कार्य-भार पादरी मैके ने किया । जो 1927 में ही बिलकी के जीवन के समय झाँसी आ गये थे ।

1- ए सेन्चुअरी ऑफ प्लाटिंग, ए हिस्ट्री ऑफ दि अमेरिकन फ्रेन्डस् मिशन इन इण्डिया बाई ई० अन्ना निक्सन प्रीफेस
2- कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन गर्ल्स स्कूल रिकॉर्ड
3- कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन गर्ल्स स्कूल रिकॉर्ड

बिलकी की यादगार में **1930-1931** में जॉन बिलकी मैमोरियल,इण्डस्ट्रियल स्कूल की स्थापना की गई । [1]

इसमें लोगों को रोजगार परक शिक्षा जैसे- बढ़ईगीरी, बुनाई-सिलाई आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग दी जाती थी । इस स्कूल के पीछे मुख्य उद्‌देश्य मिशन को आत्मनिर्भर बनाना था। ताकि यह अपनी ही संस्थाओं द्वारा प्राप्त आमदनी के बल पर मिशन के कार्यों को आगे बढ़ा सकें । [2]

इस प्रकार बुन्देलखण्ड में रोमन कैथलिक, अमेरिकन फ्रेण्ड्स मिशन तथा कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन चर्च आदि मिशनरियों ने इन पिछड़े हुए इलाकों में स्कूलों की स्थापना कर बुन्देलखण्ड के लोगों को आर्थिक मदद देते हुए प्रशिक्षण के द्वारा उनको रोजगार दिलाने का प्रयास किया । यह रोजगार परक स्कूल इसीलिए खोले गये थे ।

निःसंदेह इन शिक्षण संस्थाओं से इस आर्थिक पिछड़े हुए क्षेत्र में ईसाई धर्म का विस्तार काफी तेजी से हो सका और मिशन के उद्‌देश्यों की पूर्ति होती रही ।



इन विभिन्न प्रकार के मिशनरियों द्वारा बुन्देलखण्ड में शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाऐं स्थापित की गईं । उनकी विकासात्मक सूची अगले पृष्ठ पर दी जा रही है । जिससे यह ज्ञात होता है, कि विभिन्न मिशनरियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का प्रारम्भ पूर्वकाल में कब से हुआ था । और आज तक उन्होंने कितनी प्रगति और विस्तार किया है –

....

1- कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन गर्ल्स स्कूल रिकॉड
2- कनेडियन प्रेस ब्रिटेरियन गर्ल्स स्कूल रिकॉड

विकासात्मक सूची

विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	स्थापना वर्ष में छात्र सं०	वर्तमान में छात्र सं०	स्थापना वर्ष में अध्यापक सं०	वर्तमान में अध्यापक सं०
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1940	35	500	3	50
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	1964	20	1000	2	25
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1941	15	1200	2	18
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1964	18	2000	3	55
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1989	100	1600	4	7
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मउरानीपुर	1953	20	900	4	25
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1976	230	1300	6	35
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1967	20	1300	2	42
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	1976	240	1800	5	40
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1898	40	3000	2	60
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1951	50	1600	4	36
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1953	20	500	4	16
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1910	40	1200	6	35
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	1969	80	175	4	15
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	1986	60	1000	2	40
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	1926	35	1100	2	35
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1926	15	1000	2	25
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1930	120	950	4	20
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	1910	40	800	3	17
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1930	26	1100	2	28
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	1990	140	450	5	17
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1932	36	950	3	24
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	1990	35	700	5	18



अध्याय - पंचम

अध्याय - पंचम

शोध विधि

शोधकर्ता को अपना शोध पूर्ण करने के लिए किसी न किसी विधि को अपनाना पड़ता है । शोध समस्या की प्रकृति के अनुसार ही शोध विधि का प्रयोग होता है । अर्थात अध्ययन विधि का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, कि समस्या का स्वरूप क्या है । विद्वानों ने अनेक शोध विधियों की खोज की है, जिनमें तीन विधियां प्रमुख हैं -

1: प्रयोगात्मक शोध विधि

2: ऐतिहासिक शोध विधि

3: सर्वेक्षण शोध विधि

शोधकर्ता ने अपने इस शोध में ऐतिहासिक शोध विधि तथा सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया है । शोध विधियों का वर्णन करने से पूर्व शोध के विषय में ज्ञान आवश्यक है । अतः शोध क्या है, इसको जानना अत्यन्त आवश्यक है ।

शोध (अनुसन्धान) :- अनुसंधान शब्द का प्रयोग ज्ञान की प्रत्येक शाखा से गहन अध्ययन के निमित्त होता है । शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान शब्द लोगों के लिए अपरिचित नहीं है । शोध शब्द एक प्रकार की शुद्धि, संस्कार या संशोधन का अर्थ देता है, शोध के लिए प्रदत्तों का विश्लेषण, सारणीयन और कुछ-कुछ स्पष्टीकरण के लिए शोध शब्द का प्रयोग कर तो सकते हैं, किन्तु इससे व्यापक निष्कर्षों तक पहुँचने का आभास नहीं होता । इसे दूसरे अर्थ में, हम गवेषणा भी कह सकते हैं। गवेषण शब्द से शोध का व्यापक अर्थ प्रतीत नहीं होता है । अतः इसे अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी शब्द रिसर्च (अनुसंधान) कहा जाने लगा ।

अनुसंधान शब्द का प्रयोग, किसी वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जाता है बल्कि यह उस क्रिया या प्रक्रिया का द्योतक है, जिसमें अनेक प्रकार के तत्वों का एकत्रीकरण और अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है । इसमें

प्रकृति के अनुसार पूंछ-तांछ, जांच, गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण, योजनाबद्ध अध्ययन, शोद्देश्य, तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण आदि की प्रक्रियाऐं महत्वपूर्ण हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान एक सुसीमित क्षेत्र में किसी समस्या का सर्वांगीर्ण विश्लेषण है । अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है । रिसर्च में "रि" शब्द आवृत्ति और गहनता का द्योतक है । जबकि "सर्च" शब्दांश खोज का समानार्थी है । शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1: भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना ।

2: चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना ।

3: कुछ घटनाओं की विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना ।

4: कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्यकारण सम्बन्ध को ज्ञात करना ।

शोध एक क्रमिक प्रक्रिया है । प्रत्येक प्रकार के अनुसंधानों को कुछ विशिष्ट पदों में अथवा क्रमानुसार किया जाता है । समस्त शोध प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है, यह सभी क्रियाऐं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं । अनुसंधान या शोध को निम्न पदों में विभक्त किया जा सकता है -

1: समस्या के रूप में अनुसंधान कर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन ।

2: अनुसंधान के अध्ययन प्राकल्पना का वर्णन ।

3: प्रदत्त संकलन की विधि का वर्णन ।

4: अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करना ।

5: इन परिणामों को सार्थक करना एवं उचित निष्कर्ष निकालना ।

डेविड जे० फ्रॉक्स ने अनुसंधान की योजना के निम्नलिखित 17 पद दिये हैं जो अधिक विकसित एवं तर्क संगत हैं - अनुसंधान की योजना-

1: प्रारम्भिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र ।

2: साहित्य का प्रारम्भिक सर्वेक्षण ।

3: विशिष्ट शोध की समस्या का निश्चय ।

4: अनुसंधान कार्य की सफलता का पूर्वानुमान ।

5: सम्बन्धित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण ।

6: अनुसंधान की प्रक्रिया का चयन ।

7: अनुसंधान की परिकल्पना का निर्माण ।

8: आँकड़े प्राप्त करने की विधियों का निश्चय ।

9: आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण ।

10: आँकड़ों के विश्लेषण की योजना तैयार करना ।

11: आँकड़ों को एकत्रित करने की योजना बनाना ।

12: जनसंख्या अथवा न्यायदर्श का निश्चय करना ।

13: एक छोटे समूह का पूर्व अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ।

शोध योजना का क्रियान्वयन ।

14: आँकड़ों का संग्रह करना ।

15: आँकड़ों का विश्लेषण करना ।

16: अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार करना ।

प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग

17: प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना ।

शोध या अनुसंधान को विभिन्न शिक्षाविदों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है । एल०वी०रेडमेन तथा अन्य ने रोमांस ऑफ रिसर्च में परिभाषा देते हुए लिखा है - "अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है" ।

डब्ल्यू एस०मनरो के अनुसार - " शोध उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूढ़ना है । अनुसंधान के लिए तथ्य, लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेख अथवा अभिलेख परखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है" ।

सी०सी० क्राफोर्ड के अनुसार - " शोध किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए

क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है " । डा० एम० वर्मा के अनुसार - " अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जो नये ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन करती है, तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोष में वृद्धि करती है" ।

ऐतिहासिक अनुसन्धान विधि

ऐतिहासिक अनुसंधान को ज्ञात करने से पूर्व इतिहास और ऐतिहासिक ज्ञान की प्रकृति को ज्ञात करना आवश्यक है । इतिहास के लिए अंग्रेजी में हिस्ट्री (History) शब्द का प्रयोग होता है । इसका मूल शब्द हिस्टोरिया (Historia) है । इसका अर्थ होता है - जांच के द्वारा प्राप्त ज्ञान । अब इसका अर्थ भूतकालीन अभिलेख तक ही सीमित रह गया है। यद्यपि भूतकालीन अभिलेख पृथ्वी, नक्षत्र आदि सभी के होते हैं । किन्तु हम यहां मानव इतिहास की ही चर्चा करते हैं ।

इतिहास क्या है :- मानव की उपलब्धि का पूर्ण सही और अर्थपूर्ण अभिलेख इतिहास कहलाता है । यह केवल कुछ घटनाओं की सूची मात्र नहीं होता है, अपितु एक विशेष समय एवं स्थान पर घटित मानव जीवन से सम्बन्धित घटनाओं का एक सत्य, सुनियोजित एवं परीक्षित अभिलेख होता है । इस इतिहास का प्रयोग भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान को समझने एवं भविष्य के लिए पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है जिससे भविष्य के संबंध में उचित निर्णय करने में सरलता हो सके । यह कहावत प्रचलित है कि " इतिहास अपने आप को दोहराता है " । इसका तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों में त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती है ।

ऐतिहासिक सामग्री की विशेषताऐं :- ऐतिहासिक सामग्री की कुछ मूल विशेषताऐं हैं जो उसे अन्य प्रकार के ज्ञान से अलग करती हैं ।

1: इतिहास की विषय सामग्री अपरिवर्तनीय भूतकालीन परिधि में बंधी होती है । भूतकालीन घटनाओं को न तो प्रस्तुत कर सकते हैं और न उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। यह बन्द प्रकार के आंकड़े होते हैं जबकि विज्ञान के अन्तर्गत अनुसंधान कर्ता ऐसी

सामग्री पर कार्य करता है जो खुली हुई है और उसे पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2: ऐतिहासिक आंकड़ों की दूसरी विशेषता यह है, कि वे भूतकालीन अभिलेख के रूप में ही मिलते हैं, जिनका वर्तमान अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है । वास्तव में भूतकालीन अवशेषों की आधार पर उन घटनाओं को सजीव रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है । ऐतिहासिक आंकड़ों की विश्लेषण में व्यक्तिगत पक्षपात के लिए विशेष स्थान होता है। अतः ऐतिहासिक अनुसंधान कर्ता को ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण में बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है । वह घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शक नहीं है निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने वाला कोई और था । अतः वस्तुनिष्ठता लाने में कठिनाई होती है ।

4: विज्ञान में वर्तमान के आधार पर भविष्य के विषय में पूर्व कथन करते हैं, किन्तु इतिहास में वर्तमान के आधार पर भूत का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं ।

इन विशेषताओं के कारण ऐतिहासिक अनुसंधान अन्य अनुसंधानों से भिन्न होता है और इन्हें ध्यान में रखकर कार्य करने वाला ही सफल होता है । वास्तव में ऐतिहासिक अनुसंधान को उचित रूप में पूर्ण करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि सही आंकड़े प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है ।

ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है :- जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार -

"ऐतिहासिक अनुसंधान का सम्बन्ध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है । इसके विभिन्न पद भूत के सम्बन्ध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका सम्बन्ध वर्तमान और भविष्य से होता है" ।

एफ०एल० ब्हिटनी के अनुसार- " ऐतिहासिक अनुसंधान भूत का विश्लेषण करता है। इसका उद्‌देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य और अभिवृत्तियों के आधार पर ऐसी सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है । यह मानव विचारों और क्रियाओं के विकास की दिशा की खोज करता है । जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं के लिए आधार प्राप्त हो सकें " ।

ऐतिहासिक अनुसंधान की समस्याऐं :- ऐतिहासिक अनुसंधान को निम्नलिखित समस्याऐं अत्यधिक कठिन बना देती हैं -

1: उपयुक्त समस्या का चयन करना एक कठिन समस्या है । समस्या ऐसी होनी चाहिए जिसका समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण सम्भव हो । अधिकतर प्रारम्भिक अनुसंधान कर्ता बड़ी विस्तृत समस्या ले लेते हैं, जिसका निर्वाह करना कठिन हो जाता है । अतः समुचित सीमांकन आवश्यक है । विद्वानों का विचार है, कि अनुसंधान में किसी व्यापक समस्या के सर्वेक्षण मात्र से उत्तम होगा यदि संक्षिप्त समस्या का गहन अध्ययन किया जाये । उपयुक्त परिकल्पना के निर्माण में कठिनाई आती है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इससे दिशा निर्देश मिलता है । उपयुक्त परिकल्पना के अभाव में ऐतिहासिक आंकड़ों की प्राप्ति निरूद्देश्य संग्रह मात्र हो जाती है । जिसके आधार पर वर्तमान का समुचित विश्लेषण और भविष्य के लिए पूर्व कथन कठिन हो जाता है ।

3: आंकड़ों का संग्रह व विश्लेषण भी अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत करता है । ऐतिहासिक अनुसंधान कर्ता उस काल की घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शक तो नहीं होता है, उसे प्राप्त सामग्री पर विश्वास करना पड़ता है तथा अपनी सूझ-बूझ से निष्कर्ष निकालना पड़ता है । अतः विश्वसनीय आंकड़ों की प्राप्ति के साथ ही साथ उनका समुचित विश्लेशण भी कठिन होता है । इसके लिए अनुसंधान कर्ता में उच्च्व कोटि की कल्पना बुद्धिमता तथा सूझ आवश्यक है ।

4: ऐतिहासिक अनुसंधान कर्ता प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करते समय उस काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति एवं व्यवस्था का समुचित ध्यान नहीं रखते जो किसी भी क्षेत्र में व्यक्तियों के चिंतन तथा व्यवहार को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है । अतः इनके संदर्भ में विचार संगत होता है ।

ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य :- यों तो ऐतिहासिक अनुसंधान के उतने उद्देश्य होगें जितने अनुसंधान कर्ता, किन्तु मूल रूप में इसके निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं -

1: ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं

भविष्य के लिए सतर्क होना है । अधिकांश वस्तुओं का कोई न कोई ऐतिहासिक आधार होता है । अतः किसी समस्या, घटना अथवा व्यवहार से समुचित मूल्यांकन के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होना आवश्यक है । अनुशासन सम्बन्धी वर्तमान धारणा , शिक्षक के आधार पर छात्र को महत्व, छात्र परिषदों का गठन एवं उन पर नियंत्रण, व्यक्ति की वर्तमान अवधारणा, मापन और मूल्यांकन आदि सभी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विकसित हुए हैं । और आज वर्तमान के रूप में हैं । अतः ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन समस्याओं का मूल्यांकन करना है ।

2: ऐतिहासिक अनुसंधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान अथवा अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने एवं नीति निर्धारण में सहायता करना है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि आज नवीन कही जाने वाली वस्तुओं में नवीनता कहां तक है तथा बीच के परिवर्तनों में क्या प्रभाव पड़े हैं । इस प्रकार अनुसंधान त्रुटियों के प्रति सतर्क कर मार्ग प्रशस्त करता है ।

3: ऐतिहासिक अनुसंधान का तीसरा उद्देश्य है वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य का सम्बन्ध स्थापन है ।

4: ऐतिहासिक अनुसंधान का एक उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष के व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्ण अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूप रेखा निर्धारित करने में सहायता करना है ।

5: यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किन परिस्थितियों में, किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है, उसका प्रभाव उसके ऊपर तथा समाज पर क्या पड़ा है ।

6: ऐतिहासिक अनुसंधान इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि आज जो सिद्धांत तथा क्रियाऐं व्यवहार में, है उसका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है ।

ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व :- 1: इतिहास भूतकालीन घटनाओं के परिणामों को स्पष्ट करते हुए उसके गुण दोषों से परिचित कराता है । ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र स्थित वर्तमान क्रियाओं और प्रवृत्तियों के

आधार का सम्यक विवेचन करता है इससे किसी उलझी समस्या का हल ढूंढ़ने में सहायता मिलती है । अतः ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूढ़ने में सहायक होता है ।

2: ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रिया पक्ष की आलोचनात्मक व्याख्या करता हुआ उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक एवं विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है ।

3: ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है ।

4: शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज एवं विद्यालय के सम्बन्धों की व्याख्या करता है तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है ।

5: ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है ।

6: यह शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा शोध कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करता है ।

7: ऐतिहासिक अनुसंधान अन्धविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है ।

ऐतिहासिक अनुसंधान कर्ता के गुण :- ऐतिहासिक अनुसंधान का कार्य अत्यन्त कठिन है । अतः इसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसमें निम्नलिखित गुण हों -

1: सांस्कृतिक रूचि

2: विश्वबंधुत्व की भावना

3: विषय से परिचय क्षमता

4: विशिष्ट क्षेत्र का गहन ज्ञान

5: निष्पक्षता एवं मानसिक संतुलन

6: स्वच्छ मस्तिष्क व क्रमिक अध्ययन में रूचि

7: विषय से परिचय क्षमता

ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकरण :- ऐतिहासिक अनुसंधान की विषय वस्तु चुनने में निम्नलिखित दो तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है -

1: ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जिसका पता न लगा हो ।

2: पुराने अनुसंधान का संशोधन ।

अच्छे प्रकरण प्राप्त करने के उपाय :- निम्नलिखित दृष्टिकोंण से अध्ययन करने में सरलता होती है -

1: विषय विशेष का गहन अध्ययन ।

2: संदेहात्मक बुद्धि से साहित्य सर्वेक्षण ।

3: अन्वेषणात्मक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोंण ।

ऐतिहासिक अनुसंधान के विभिन्न पद :- ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित पद होते हैं -

1: आंकड़ों का संग्रह

2: आंकड़ों का विश्लेषण

3: उपर्युक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण एवं रिपोर्ट

ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़ों की प्राप्ति के साधन :- जिज्ञासु अनुसंधान कर्ता के लिए ऐतिहासिक साधन यह विचित्र विश्व ही है, सत्य की खोज के लिए उसे इसी विश्व में भ्रमण करना पड़ता है । यह विचित्र विश्व गुप्त रहस्यों एवं आच्छन्न तत्वों से परिपूर्ण है । इन रहस्यों का उद्घाटन तथा तत्वों का विश्लेषण एवं अन्वेषण इतिहास का प्रमुख लक्ष्य है । ऐतिहासिक साधनों का विभाजन निम्न प्रकार है -

1: प्राथमिक साधन - वे साधन जो घटना, व्यक्ति या संस्था के विषय में प्रथम साक्षी का कार्य करते हैं इस प्रकार के साधन घटना से तात्कालिक सम्बन्ध रखने वाले होते हैं जिनके समक्ष वास्तव में घटना घटित होती है । इस प्रकार के साधनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं -

(ए) सचेतन रूप से प्रदर्शित सूचनाऐं -

अ- लिखित साधन - वृतान्त, कथा, जीवन वृतान्त, दैनन्दिनी, वंशावलियां, शिलालेख आदि ।

ब- मौखिक परम्परा - गाथाऐं, कहानियां, उपाख्यान आदि ।

स- कलात्मक उपलब्धिया - ऐतिहासिक चित्र, मूर्तियां एवं सिक्के आदि ।

(बी) अवशेष एवं अचेतन प्रमाण पत्र - यथा मानवीय अवशेष, भवन, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र एवं ललित कलाऐं आदि । इन अवशेषों से तत्कालीन घटना, काल विशेष या व्यक्ति विशेष के विषय में प्राथमिक ज्ञान होता है ।

2: द्वितीयक साधन :- ऐतिहासिक घटना या व्यक्ति के विषय में जो कुछ तथ्य प्रदान करते हैं उनकी आवृत्ति उन साधनों के अन्तर्गत प्रत्यक्षतः समाहित नहीं रहती । एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक विषय के सम्बन्ध में तात्कालिक घटना से सम्बन्धित व्यक्ति के मुँह से सुने सुनाये वर्णन को अपने शब्दों में व्यक्त करता है । ऐसे वर्णन को द्वितीयक साधन कहते हैं । यद्यपि इसमें सत्य का अंश रहता है किन्तु प्रथम साक्षी से द्वितीय श्रोता तक पहुँचते -पहुँचते वास्तविकता में परिवर्तन आ जाता है । जिससे उसके दोष युक्त होने की सम्भावना रहती है ।

शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक इतिहास के साधन

घटना की रिपोर्ट :- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र तथा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को लिया गया है । उदाहणार्थ - विद्यालय का वातावरण, विद्यालय भवन एवं साज-सज्जा , छात्रों के सामूहिक चित्र, शैक्षिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक प्रयोग में लगे अध्यापकों, मनोवैज्ञानिकों, छात्रों आदि के चित्र, डिप्लोमा, उपस्थिति रजिस्टर, प्रमाण-पत्र के नमूने, बैंक अभिलेख, पाठ्य पुस्तकें , अभ्यास पुस्तकें, मानचित्र, डिजायन, आदि ।

एच०जी० गुड के अनुसार- "किसी घटना विशेष का उल्लेख जब तक नहीं किया जाता है, उन्हें अवशेष कहते हैं " उदाहणार्थ - साधारण प्रमाण पत्र अथवा उपस्थिति रजिस्टर का नमूना अवशेष हैं । परन्तु उस पर किसी छात्र का पूर्ण विवरण लिख दिया जाये तो वह लिखित प्रमाण-पत्र हो जाता है । कुछ लिखित प्रमाण पत्र निम्न हैं - **1:** वैधानिक एक्ट जैसे संविधान, कानून चार्टर आदि । **2:** अदालती फैसले । **3:** कार्यकारिणी या अन्य कार्यालय सम्बन्धी लेख । **4:** समाचार पत्र और पत्रिकाऐं । **5:** निजी सामग्री
6: साहित्यिक सामग्री आदि ।

ऐतिहासिक आंकड़ों के साधनों का संग्रह एवं प्रयोग

आंकड़ों का संग्रह करने के बाद विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग हेतु परामर्श लेना चाहिए । इसके लिए तालिका बनानी होगी । संकलित आंकड़ों को विभिन्न प्रकरणों में विभाजित कर उनका वर्गीकरण कर लेंगे ।

आंकड़ों की आलोचना या मूल्यांकन

आंकड़ों की आलोचना अथवा मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, जो इस धारणा पर आधारित होता है कि यदि आंकड़े सत्य हैं, तो उनसे लिखा गया इतिहास भी सत्य होगा।

आँकड़ों का मूल्यांकन

आंकड़ों के संग्रह के साथ-साथ उनका मूल्यांकन भी करना होता है कि किसे तथ्य माना जाये और किसे सम्भावित माना जाये और किस आंकड़े को भ्रम पूर्ण माना जाये । इसके लिए दो तथ्यों को ध्यान में रखते हैं ।

1: आन्तरिक क्रमबद्धता :- जिन आंकड़ों में आंतरिक क्रमबद्धता नहीं होगी अर्थात विरोधाभास का अभाव हो वे सत्य के अधिक निकट होंगे ।

2: बाहृय क्रमबद्धता :- इसका तात्पर्य यह है कि अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाओं से इसका विरोध न हो । तथ्यपूर्ण कैसे माने ? - **1:** यदि दो प्राथमिक स्रोत एक ही तथ्य पर सहमत हों । **2:** एक प्राथमिक स्रोत तथा एक माध्यमिक स्रोत एक मत हों । **3:** उस तथ्य का विरोध किसी ने न किया हो ।

उपर्युक्त तीनों विशेषताओं के आधार पर किसी आंकड़े को तथ्यपूर्ण मान लेते हैं । उसके पश्चात् ही उसकी समालोचना प्रारम्भ करते हैं ।

1: बाहृय आलोचना :- इसमें इस तथ्य की जांच करते हैं कि प्राप्त आंकड़ा या प्रमाण पत्र अपने वाहृय स्वरूप की दृष्टि से उचित है अथवा नहीं । इसके अन्तर्गत लिखित प्रमाण पत्र की यथार्थता की जांच की जाती है । वाहृय आलोचना के अन्तर्गत आंकड़ों के रूप, रंग,समय, स्थान तथा परिणाम की दृष्टि से यथार्थता की जांच करते हैं । यह देखते हैं कि प्राप्त आंकड़ा जब लिखा गया, जिस स्याही से लिख गया, लिखने में जिस शैली का प्रयोग किया गया तथा जिस प्रकार की भाषा लिपि रचना, हस्ताक्षर आदि प्रयुक्त हैं, वे

सभी तथ्य मौलिक घटना के समय उपस्थित थे या नहीं यदि नहीं, तो आंकड़ा जाली है। इसके परीक्षण हेतु निम्न तथ्यों का ध्यान देते हैं ।

1: लेखक कौन था । उसका चरित्र और व्यक्तित्व कैसा था ।

2:सामान्य रिपोर्टर के रूप में उसकी योग्यता क्या थी ।

3: इस तथ्य के रिपोर्टर के रूप में उसकी विशेष योग्यता या विशिष्ट योग्यता क्या थी।

अ- सम्बन्धित घटना में रूचि कैसी थी । ब- घटना का निरीक्षण उसने किस स्थिति में, किस मनः स्थिति से किया था । स- घटना की रिपोर्ट और उसके अध्ययन के लिए उसे क्या आवश्यक सामान्य और प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध था ।

4: घटना के कितने समय पश्चात् प्रमाण पत्र लिखा गया ।

5: प्रमाण पत्र किस प्रकार लिखा गया - स्मरण द्वारा, परामर्श द्वारा, देखकर या पूर्व ड्राफ्टों से मिलाकर ।

6: लिखित प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों से कहां तक मिलता है ।

आंकड़ों की यथार्थता का ज्ञान करने हेतु इतिहासकारों ने अलग-अलग विज्ञानों का अपने क्षेत्र में प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ -शिला लेखों का अध्ययन करने के लिए इपिग्राफी, डिप्लोमा आदि का ज्ञान करने हेतु डिप्लोमेटिक्स, लिखावट का ज्ञान करने हेतु पैलियोग्राफी, तारीखों का ज्ञान करने हेतु फिलोलॉजी, स्याही हेतु केमिस्ट्री आदि के प्रयोग द्वारा आंकड़े के बाह्य स्वरूप के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने में सफलता मिलती है ।

2: आंतरिक आलोचना :- इस प्रकार की आलोचना का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या लेखक विषय के साथ न्याय कर पाया है अथवा नहीं । इसमें निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देते हैं ।

(क) लेखक किसी रूप में प्रभावित तो नहीं था ?

(ख) क्या तथ्य की जानकारी हेतु लेखक को पर्याप्त अवसर मिला था ?

(ग) क्या वर्णित घटना उसने स्वयं देखी थी ?

(घ) क्या विश्वसनीय निरीक्षण हेतु वह सक्षम था ?

(ड़) क्या लेखक का कोई विशेष उद्देश्य था ?

(च) क्या लेखक किसी दबाव या भय में था ?

(छ) घटना के कितने दिन पश्चात् उसने लिखा है ?

(ज) उसके लेख तथा अन्य लेखों में कितनी समानता है ?

(झ) लेखक की राष्ट्रीयता, पेशा, स्थिति, वर्ग, दलों से सम्बन्ध, धर्म, प्रशिक्षण आदि के विषय में क्या ज्ञात है ?

(ळ) अभिलेखों को तैयार करने के लिए उसमें प्रशिक्षण, मानसिक क्षमता, सामाजिक सार, अवधाणाऐं, रूचियां, भाषाई आदत कैसी थी ?

(ट) लेखक सही है या गलत ?

(ठ) अभिलेख में कोई धोखा तो नही किया गया ?

(ड) लेखक ने अभिलेख क्यों तैयार किया ?

(ढ) क्या लेखक ऐसी स्थिति में तो नहीं रख दिया गया था जिसमें उसे सत्य को छिपाना पड़ा हो ।

(ण) क्या उसने अधिकारियों को प्रसन्न कर उन्नति चाही थी ।

(त) क्या उसने धार्मिक, राजनैतिक अथवा जातीय पूर्व धारणाऐं प्रबल थीं ?

(थ) क्या जनता को प्रसन्न करने हेतु उसने संवेग उभारा है ?

(द) क्या उसने साहित्यिक प्रवाह में सत्य को छिपाया है ?

इन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर एतिहासिक आंकड़ों की आंतरिक समालोचना करने के पश्चात् ही अनुसंधान कर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुँता है ।

धनात्मक तथा ऋणात्मक ऐतिहासिक समालोचना :- आंतरिक समालोचना को उस समय धनात्मक कहते हैं, जब अनुसंधान कर्ता का प्रयत्न अभिलेख का सत्य, वास्तविक और अक्षरशः अर्थ ज्ञात करने का होता है । आंतरिक समालोचना को उस समय ऋणात्मक कहते हैं जब अनुसंधान कर्ता का प्रत्येक प्रयत्न अभिलेख की आविश्वसनीयता को ज्ञात करना रहता है ।

शिक्षा तथा मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया :- ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को निम्न प्रक्रिया अपनाने में सरलता होगी ।

1: ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना जिसमें पर्याप्त प्रमाण एवं अनुसंधान सामग्री प्राप्य हो होते रहते हैं ।

2: जहां तक सम्भव हो प्राथमिक साधन ही प्रयोग करें ।

3: आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से माध्यमिक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं ।

4: सुपरिभाषित समस्या पर कार्य प्रारम्भ करें ।

5: व्यक्तिगत पक्षपातों से सदैव बचते रहें ।

6: विभिन्न परिस्थितियों एवं वातावरण की स्थिति के संदर्भ में अध्ययन को आगे बढ़ायें।

7: कार्य कारण सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दें ।

8: विभिन्न आँकड़ों के आधार पर अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करें ।

निम्नलिखित तथ्यों से बचने का प्रयास करें -

1: आँकड़ों को अत्यन्त सरल बनाने का दुष्प्रयास न करें ।

2: स्वल्प सामग्री के आधार पर ही सामान्यीकरण न करें ।

3: सामान्य और विशिष्ट तथ्यों को एक दृष्टि से न देखें ।

4: बहुत व्यापक समस्या न लें । जो पूर्ण न हो ।

5: माध्यमिक आँकड़ों पर ही विश्वास न कर लें ।

6: अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त तथ्यों को उचित मानने से न चूकें ।

7: व्यक्तिगत पक्ष पात से बचने का प्रयास करें ।

8: वर्णन नीरस न हो ।

9: शब्दों के पूर्व निश्चित अर्थ को छोड़कर नये अर्थ में उसे न लें । अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं ।

ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र :- वैसे तो ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र इतना ही व्यापक है, जितना स्वयं जीवन किन्तु संक्षेप में इसके क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित कर सकते हैं -

1: बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार ।

2: संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्य ।

3: विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति ।

4: एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव और उसके स्रोत ।

5: शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था ।

6: पुस्तक सूची की तैयारी आदि ।

ऐतिहासिक शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के आधार :-

1: समस्या अनुसंधान के योग्य हो ।

2: निश्चित लेखक, स्थान और समय के अनुसार स्रोत का वर्गीकरण हो ।

3: अध्ययन परिसीमित हो ।

4: शोध प्रबन्ध की व्यवस्था तार्किक आधार पर हो ।

5: तथ्यों की समुचित व्यवस्था की गई हो ।

6: स्रोत पर्याप्त रूप में हों तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों प्रकार के साधन प्रयोग में आये हों ।

7: साधन उचित एवं विश्वसनीय हों ।

8: शोध प्रबन्ध भावी अनुसंधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करे ।

9: अध्ययन में समय एवं धन का ध्यान रखा गया हो ।

10: कम से कम दो स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा तथ्यों की जांच कर ली गई हो ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर किसी ऐतिहासिक शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन किया जा सकता है ।

सर्वेक्षण विधि

समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षाशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, सरकार, उद्योगपति तथा राजनीतिक सभी सर्वेक्षण करते हैं । वे वर्तमान क्रिया की सार्थकता सिद्ध करने अथवा वर्तमान क्रिया में सुधार में वर्तमान दशा से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करते हैं । सर्वेक्षण सम्बन्धी आँकड़े संग्रह करने के तीन उद्देश्य होते हैं ।

1: वर्तमान स्तर का निर्धारण ।

2: वर्तमान स्तर और मान्य स्तर में तुलना ।

3: वर्तमान स्तर का विकास करना ।

सर्वेक्षण में इनमें से कोई एक अथवा अधिक उद्देश्य होता है । सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन का क्षेत्र तथा उसकी गहराई, समस्या की प्रकृति पर निर्भर होगी । उसके अनुरूप सर्वेक्षण विस्तृत अथवा संक्षिप्त हो सकता है । इसके अन्तर्गत अनेक देशों अथवा एक देश, धर्म, शहर अथवा किसी इकाई को ही ले सकते हैं । आँकड़े प्रत्येक सदस्य से अथवा न्यायदर्श से लिये जा सकते हैं । किसी विशेष पक्ष के विषय में आँकड़े प्राप्त करेंगे या अनेक पक्षों के विषय में, यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर है ।

सर्वेक्षण विधि के प्रकार :- सर्वेक्षण विधि अनेक प्रकार की हो सकती है जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं -

1: विद्यालय सर्वेक्षण ।

2: कार्य विश्लेषण ।

3: प्रलेखी विश्लेषण ।

4: जनमत सर्वेक्षण ।

5: समुदाय सर्वेक्षण ।

1: विद्यालय सर्वेक्षण :- विद्यालयों का सर्वेक्षण बहुत दिनों से प्रचलित है । इससे प्राप्त सूचना के आधार पर विद्यालयों की क्षमता और प्रभावशीलता का विकास करने का प्रयास किया गया है ।

सर्वेक्षण के साधन अथवा उपकरण :- सर्वेक्षण में सूचनाऐं निम्नलिखित उपकरणों द्वारा प्राप्त करते हैं । 1: निरीक्षण 2: प्रश्नावली 3: साक्षात्कार 4: मानक परीक्षण 5: प्राप्तांक पत्र 6: मूल्यांकन मापदण्ड आदि ।

इन प्राप्त आँकड़ों के आधार पर अनेक प्रशासकीय, शैक्षिक, आर्थिक तथा पाठ्यक्रम सम्बन्धी सुधार किये गये हैं ।

विद्यालय सर्वेक्षण के प्रकार :- विद्यालय सर्वेक्षण के तीन प्रकार हैं - 1: बाह्य व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण 2: आत्म सर्वेक्षण 3: सहकारी सर्वेक्षण

वाह्य व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण :- यह सर्वेक्षण बाहरी अनुसंधान कर्ता, विशेषज्ञ अथवा अधिकारी द्वारा होता है । इसमें दोष यह है, कि बाहरी व्यक्ति स्थानीय स्थिति से भली-भांति परिचित न होने के कारण त्रुटि कर सकता है ।

आत्म सर्वेक्षण :- यह विद्यालयों के शिक्षकों तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया जाता है ।

सहकारी सर्वेक्षण :- आज कल इस पर विशेष बल दिया जा रहा है । इसमें बाहरी विशेषज्ञ, विद्यालय के शिक्षक तथा प्रशासक सभी भाग लेते हैं । क्योंकि बिना शिक्षकों के उचित सहयोग के सर्वेक्षण कर्ता अनेक तथ्यों से अनभिज्ञ होने के कारण त्रुटियां कर सकता है । अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये निर्णय को मानने में शिक्षकों को आपत्ति भी हो सकती है । अतः सर्वेक्षण सहयोग से करना होगा ।

सर्वेक्षण में वांछित आँकड़े :- अधिकांश सर्वेक्षण में निम्नलिखित चार प्रकार के आँकड़े प्राप्त करते हैं - 1: अध्ययन की सुविधाऐं 2: शिक्षकों सम्बन्धी सूचनाऐं 3: छात्रों की प्रकृति 4: शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति ।

1: अध्ययन की सुविधाऐं :- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों का सर्वेक्षण करते हैं ।

(क) अध्ययन को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा प्रशासकीय नियम व कानून आदि ।

(ख) विभिन्न अधिकारियों एवं समितियों के दायित्व और सम्बन्ध ।

(ग) धन व्यवस्था एवं प्रति छात्र व्यय ।

(घ) विद्यालय भवन की स्थिति तथा व्यवस्था ।

(ड़) पुस्तकाल, वाचनालय तथा अन्य सामग्री आदि ।

(च) शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, दृश्य,श्रव्य उपकरण, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला की व्यवस्था आदि ।

(छ) सामाजिक स्थिति, कक्षा, घर तथा समाज आदि का प्रभाव ।

(ज) पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन को प्रभावित करने वाले अन्य उपादान।

2: शिक्षकों सम्बन्धी सूचनाऐं :- इसके अन्तर्गत विद्यालय के शिक्षकों, पर्यबेक्षकों और

प्रशासकों के लिंग, आयु, शिक्षा, उपाधि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, समूह में स्थिति तथा सम्बन्ध एवं आय के सम्बन्ध में आँकड़े प्राप्त कर सकते हैं । शिक्षकों की निवास सम्बन्धी सुविधाऐं , सेवा अवधि, अवकाशकाल, पारस्परिक सम्बन्ध, समाज में स्थिति तथा सम्पर्क आदि ज्ञात कर सकते हैं ।

3: छात्रों की प्रकृतिः- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्यों से सम्बन्धित आंकाड़े प्राप्त कर सकते हैं-

(क) छात्रों की कक्षा, साथियों, घर और समाज में व्यवहार कैसा है ।

(ख) छात्रों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन ।

(ग) छात्रों की स्वास्थ्य, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल, शैक्षिक उपलब्धि, वुद्धि स्तर, अभियोग्यता, कार्य अथवा अध्ययन सम्बन्धी आदतें तथा पसन्द, नापसन्द आदि ।

(घ) पाठ्य सहगामी क्रियाऐं, कार्यानुभव, खेल तथा अन्य मनोरंजन सम्बन्धी क्रियाओं आदि का सर्वेक्षण ।

(ड़) पढ़ने की आदतें, स्वास्थ्य सम्बन्धी क्रियाऐं, भोजन आदि ।

(च) छात्र उपस्थिति एवं परित्याग आदि का सर्वेक्षण ।

(छ) पिछड़े, विकृत तथा प्रतिभा सम्पन्न छात्रों की संख्या एवं प्रकृति अथवा अनुशासनहीनता एवं बालोपचार सम्बन्धी सर्वेक्षण ।

4: शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति :- इसके अन्तर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं -

(क) शैक्षिक क्रियाऐं, कार्यक्रम तथा उनका निष्कर्ष ।

(ख) पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं के लिए दिया गया समय ।

(ग) पाठ्य सामग्री की प्रकृति तथा परिमाण ।

(घ) स्वास्थ्य सेवा, संदर्शन सेवा आदि विभिन्न सेवाऐं ।

(ड़) छात्रों का पिछड़ापन और औपचारिक शिक्षण आदि से सम्बन्धित सर्वेक्षण ।

5: कार्य विश्लेषण :- कार्य विश्लेषण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1: वर्तमान कार्य पद्धति, कमजोरियों, अक्षमताओं तथा दोहरे प्रयास का ज्ञान करना ।

2: समय, कार्य का समुचित वर्गीकरण करना ।

3: विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व तथा कौशल हेतु भत्ता एवं वेतन निश्चित करना ।

4: मानव शक्ति के सर्वोत्तम सदुपयोग की दृष्टि से कार्य वितरण ।

5: सेवा कालीन अथवा भावी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना ।

6: कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति की आवश्कताऐं निश्चित करना ।

7: कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण अथवा पुनः प्रशिक्षण के लिए निर्णय देना ।

8: प्रशासकीय संगठन एवं क्रिया के अध्ययन हेतु सैद्धान्तिक रूप रेखा का निर्माण करना ।

कार्य विश्लेषण हेतु वांछित सूचनाऐं :- कार्य विश्लेषण हेतु निम्नलिखित सूचनाऐं प्राप्त करना आवश्यक है -

1: प्रशासकीय, शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्थिति का अध्ययन ।

2: वह विशेष कार्य जिसमें वे लगे हैं उनमें पारस्परिक एवं प्रशासकीय सम्बन्ध, कार्य करने के लिए परिस्थितियां और आवश्यक सुविधाऐं जो दी गई हैं ।

3: कार्यकर्ताओं की शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण, अनुभव, वेतन, ज्ञान, कौशल, आदतें, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवहार, पद्धति आदि ।

इस प्रकार के आंकड़ें अनुसंधानकर्ताओं की सेवा की वर्तमान स्थिति तथा उसकी कमियों का ज्ञान कराते हैं ।

कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया :- कार्य विश्लेषण की प्रक्रियाऐं निम्नलिखित हैं-

1: **निरीक्षण** :- व्यक्तिगत निरीक्षण तथा उसका कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों के निर्णय के आधार पर एक विश्लेषणात्मक चित्र बना सकते हैं ।

2: **अभिलेख निरीक्षण** :- राजकीय नियम, स्थानीय उपनियम, अदालतों के निर्णय आदि के आधार पर कार्यकर्ताओं की स्थिति के विषय में ज्ञात कर सकते हैं ।

3: **कार्यकर्ताओं से पूँछकर** :- उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों से पूंछकर भी स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं ।

कार्य विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन की कठिनाइयाँ :-कार्य विश्लेषण सम्बन्धी अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है-

1: कार्य का अनेक अंगों अथवा खण्डों में विभाजन करके अध्ययन करने से सम्पूर्ण चित्र स्पष्ट नहीं हो पाता और समग्र अध्ययन में भी अनेक बाधाऐं हैं । गुणात्मक अथवा यांन्त्रिक विचार तो कार्य के केवल एक पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं ।

2: कार्य की सफलता के लिए आवश्यक आदर्श, अभिवृत्ति, सूझ, सहयोग, निर्भरता तथा कौशल आदि गुणों पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह अध्ययन उस कार्य के सम्बन्ध पूर्ण विवरण नहीं दे सकेगा । किन्तु इन व्यक्तिगत गुणों के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ।

3: कार्य विश्लेषण में कार्य के प्रत्येक पक्ष अथवा कार्यकर्ता के प्रत्येक गुण को समान अंक देना भी त्रुटिपूर्ण है । क्योंकि प्रत्येक गुण का सफलता में समान महत्व नहीं हैं ।

4: कार्य के विभिन्न पक्षों को महत्व प्रदान करना आवश्यक है किन्तु इसे वस्तुनिष्ठ विधि से करना अत्यन्त कठिन है ।

प्रलेखी विश्लेषणः– प्रेलेखी विश्लेषण अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसे कभी–कभी विषय वस्तु, क्रिया अथवा सूचनात्मक विश्लेषण भी कहते हैं । प्रलेखी विश्लेषण ऐतिहासिक और वर्णात्मक अनुसंधानों में भी महत्वपूर्ण है जिनमें क्रमशः भूतकालीन, वर्तमान अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं ।कहते हैं । प्रलेखी विश्लेषण ऐतिहासिक और वर्णात्मक अनुसंधानों में भी महत्वपूर्ण है जिनमें क्रमशः भूतकालीन, वर्तमान अभिलेखों का विश्लेषण करते हैं ।

प्रलेखी विश्लेषण के प्रकार :– प्रेलेखी विश्लेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं उदाहरणार्थ–

1: न्यायिक निर्णय, राज्य के नियम, विद्यालय समिति के निर्णय का विश्लेषण कर अपनी समस्या से सम्बन्धित तथ्यों को ज्ञात कर सकते हैं ।

2: प्रशासकीय अभिलेखों, लेखपत्रों, प्रतिवेदनों तथा समितियों के प्रतिवेदनों, बजट, आर्थिक अभिलेख, स्वास्थ्य अभिलेख तथा छात्र उपस्थिति के विश्लेषण द्वारा विद्यालयों की वर्तमान क्रियाओं, प्रक्रियाओं तथा स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं ।

3: विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के विश्लेषण द्वारा प्रवेश की शर्तों, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु तथा पुस्तकों आदि के विषय में ज्ञात कर सकते हैं ।

4: पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण द्वारा विभिन्न प्रत्ययों, त्रुटियों, चित्रों तथा वाक्यावली एवं शब्दावाली आदि को ज्ञात कर सकते हैं ।

5: व्यक्तिगत प्रलेखों यथा डायरी, आय-व्यय, लेख पत्रों आदि के विश्लेषण द्वारा अनेक व्यक्तिगत आंकड़े मिलते हैं ।

6: कक्षा में पढ़ाई जाने वाली उपयोगी सामग्री का विश्लेषण कर सकते हैं । समाचार पत्र पढ़ने के लिए कितनी गणित कितनी भूगोल व इतिहास तथा किस प्रकार की कितनी शब्दावली आवश्यक है इसका भी विश्लेषण किया जाता है ।

7: व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दावली का विश्लेषण कर किसी विशेष आयु के लिए पाठ्यक्रम बनाने में सहायता लेते हैं ।

प्रारम्भिक काल में प्रलेखी विश्लेषण सम्बन्धी अनुसंधान अत्यन्त प्राचीन प्रकार का था । कार्यकर्ता लिखित अथवा छपी सामग्री को पड़ते थे और किसी विषय की बारंबारता को अंकित कर लेते थे । किन्तु उससे कोई विशिष्ट अर्थ नहीं निकलता था । सन् **1950** के लगभग ऐसी युक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा जिससे विश्लेषण के पश्चात् प्राप्त आंकड़े अर्थपूर्ण हों ।

प्रलेखी विश्लेषण के गुण :- प्रलेखी विश्लेक्षण निम्नलिखित रूपों में सहायक है -

1: विद्यालय तथा समाज की विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है ।

2: तत्कालीन प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त होता है ।

3: विद्यालय, व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों का ज्ञान होता है ।

4: विभिन्न देशों, राज्यों व क्षेत्रों में चल रही क्रियाओं में भिन्नता का ज्ञान होता है ।

5: शिक्षा के उद्देश्य तथा दी जा रही शिक्षा में सम्बन्ध ज्ञात होता है ।

6: व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशाओं, मूल्यों, रूचियों, अभिवृत्तियों तथा पक्षपातों का ज्ञान प्राप्त होता है ।

7: किसी छात्र अथवा लेखक के कार्य के विकास का ज्ञान होता है ।

प्रलेखी विश्लेषण की सीमाऐं :- प्रलेखी विश्लेषणात्मक अनुसंधान अनेक बहुमूल्य सूचनाऐं देते हैं किन्तु उनकी निम्नलिखित सीमाऐं भी हैं जिनके कारण अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के आधार पर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंच सकता है ।

1: प्रलेखी विश्लेषण में क्यों का उत्तर नहीं मिलता है :- उदाहरणार्थ किसी प्रश्न पत्र में छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों से यह तो ज्ञात कर सकते हैं कि वे किस प्रकार की त्रुटि करते हैं, किन्तु क्यों करते हैं यह ज्ञात नहीं होता जिससे सूचना व्यर्थ है । आवृत्तियों को गिनकर रूचियों को ज्ञात कर सकते हैं किन्तु उसे भावी योजना का आधार नहीं बना सकते। किसी विषय को कितना समय दिया गया है यह विषय की महत्वता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है । अतः अभिलेख की स्थिति और उसे लेखन के पीछे संवेगात्मक तत्व को भी ध्यान में रखें ।

2: मूल साधन सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व यदि नहीं करता तो भी सामान्यीकरण में भारी भूल होगी :- उदाहरणार्थ किसी समाचार पत्र के विश्लेषण के आधार पर किसी तथ्य को स्पष्ट करने से पूर्व यह ज्ञात करना भी आवश्यक होगा कि यह समाचार पत्र किसी विशेष प्रभाव में तो नहीं हैं । क्या वह देश के विभिन्न भागों के, विभिन्न आकार प्रकार के शहरों तथा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ।

3: मूल साधन की प्रमाणिकता :- मूल साधन जिसका विश्लेषण कर रहे हैं यदि वहीं प्रमाणिक नहीं है तो उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष भी अप्रमाणिक ही होगा ।

4: जनमत सर्वेक्षण :- औद्योगिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्र के नेताओं को अनेक निर्णय करने पड़ते हैं । सुलझे हुए नेता अनुमान अथवा किसी दबाव में आकर निर्णय लेने के स्थान पर जनमत को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं । उदाहरण के लिए व्यावसायिक फर्में यह ज्ञात करने के लिए जनमत सर्वेक्षण कराती हैं कि किस प्रकार का माल, पैकिंग अथवा विज्ञापन जनता पसन्द करती है । राजनैतिक नेता इसके द्वारा यह ज्ञात

करने का प्रयास करते हैं कि वोट किस ओर जायेगा, अथवा कार्यक्रम विशेष के प्रति जनता का क्या रूख है ? शिक्षा शास्त्री यह ज्ञात करने के लिए जनमत लेते हैं कि विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता क्या अनुभव कर रही है ? इस प्रकार जनमत सर्वेक्षण के उद्देश्य विभिन्न होते हैं ।

जनमत सर्वेक्षण के उपकरण :- सामान्यतः निम्न उपकरण प्रयोग में लाते हैं - **1:** प्रश्नावली **2:** साक्षात्कार ।

जनमत सर्वेक्षण में सावधानी :- जनमत सर्वेक्षण में सर्वाधिक सावधानी विषय अथवा न्यायदर्श के चुनाव में रखते हैं जिससे वह प्रतिनिधित्व करता हो और पक्षपात् से बचा जा सके । उदाहरणार्थ किसी राष्ट्रीय निर्वाचन के सम्बन्ध में जनमत सर्वेक्षण करने और उसके आधार पर भविष्य कथन करने के पूर्व उन चरों को ज्ञात करते हैं जिनका जनमत पर प्रभाव पड़ेगा यथा आर्थिक स्तर, धर्म, पार्टी सम्बन्ध, आयु, ग्रामीण, नागरिक, शिक्षा तथा लिंग आदि का इनका निर्णय करने के पश्चात् वे इस तथ्य का भी मूल्यांकन कर लेते हैं कि किस चर को कितना मूल्य प्रदान करना है और तभी न्यायदर्श चुनते हैं ।

जनमत सर्वेक्षण की सीमायें :- जनमत सर्वेक्षण की निम्नलिखित सीमायें हैं-

1: पहली कठिनाई जनता के चुनाव की है । बड़ी सावधानी से निश्चय करना होगा कि कैसे, कब और किनसे आँकड़े लिये जायें ? पब्लिक स्कूलों में लिये गये आँकड़े सामान्य विद्यालयों में व्यर्थ होंगे ।

2: किस वातावरण में जनमत लिया गया है ? यह भी एक बड़ी सीमा तक मत को प्रभावित करता है । मान लीजिए छात्रों से गणित के विषय में मत लेना है और गणित शिक्षण ने उसी दिन छात्रों को कठोर दण्ड दिया है अथवा छात्र संघ नियंत्रण अध्यादेश के विषय में मत लेना है और उसके पूर्व ही छात्रों में उत्तेजना फैल चुकी है तो मत निष्पक्ष नहीं होगा ।

3: सर्वेक्षण की विश्वसनीयता भी एक समस्या है यदि मत शीघ्रता में दिया गया है तो त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है और यदि यह सोचने का अवसर मिला है तो उचित होगा । इस

प्रकार की बाधाओं पर विचार करने से जनमत सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान का सफल साधन होगा ।

समुदाय सर्वेक्षण :- विद्यालय एवं समाज के गहन सम्बन्धों के कारण शिक्षाशास्त्री सामुदायिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त करते हैं इसे कभी-कभी सामाजिक सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि भी कहते हैं ।

समुदाय सर्वेक्षण का क्षेत्र :- समुदाय सर्वेक्षण किस प्रकार का और कितनी गहनता का होगा यह समस्या की प्रकृति, उपलब्धि, समय, धन, नेतृत्व तथा सामाजिक सहयोग की इच्छा पर निर्भर होता है । यह तीन प्रकार का हो सकता है ।

1: किसी विशेष अवस्था का सर्वेक्षण :- यथा स्वास्थ्य सेवा , सेवा योजना, बाल अपराध, गृह योजना अथवा जातीय भिन्नता का सर्वेक्षण ।

2: समाज के किसी विशेष अंग का सर्वेक्षण :- उदाहरणार्थ, हरिजन, पिछड़ी जाति, ब्राह्मण, हत्या करने वाली जातियों आदि के सम्बन्ध में आँकड़े प्राप्त करना ।

3: व्यापक सर्वेक्षण :- जिसमें सभी पक्षों का सर्वेक्षण हो ।

जो अनुसंधानकर्ता व्यापक सर्वेक्षण करते हैं वे निम्नलिखित उन सभी तथ्यों का सर्वेक्षण करते हैं जिनका प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ा है अथवा पड़ता है । जैसे -

1: इतिहास :- इस समुदाय के उदय एवं विकास की कहानी क्या है ? किन परिस्थितियों में, किसके नेतृत्व में, किस प्रकार, किन कारणों से, क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं । कौन सी सामाजिक, आर्थिक संस्थाऐं इसमें हैं ?

2: सरकार तथा कानून :- राजकीय व्यवस्था एवं कानून किस रूप में समाज को प्रभावित कर रहे हैं ? किस प्रकार के राजनैतिक दल, किसके नेतृत्व में क्या कार्य कर रहे हैं ?, टैक्स कितना, कैसे और क्यों हैं ?

3: भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियां :- भौगोलिक तथा आर्थिक पारिस्थितियां किस प्रकार समाज को प्रभावित कर रही हैं ?

4: सांस्कृतिक विशेषताऐं :- सांस्कृतिक विशेषताऐं क्या हैं ? क्या वर्ग, रंग, धर्म, राष्ट्र

आदि से सम्बन्धित संघर्ष स्थित है ? इस प्रकार सांस्कृतिक समस्याऐं क्या प्रभाव डाल रही हैं ?

5: जनसंख्या :- आयु, लिंग, जाति, रंग, राष्ट्रीयता, शिक्षा, पेशा, भाषा आदि की दृष्टियों से जनसंख्या कैसी है, कितनी है । जन्म, मृत्यु आदि की दर क्या है तथा जनसंख्या किस प्रकार समाज को प्रभावित कर रही है ।

समुदाय सर्वेक्षण के उपकरण तथा साधन :- समुदाय सर्वेक्षण में अनुसंधानकर्ता निम्नलिखित उपकरणों तथा साधनों का प्रयोग करता है - 1: प्रश्नावली, 2: साक्षात्कार 3: प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अन्य सांख्यकीय विधियों द्वारा अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं, मंत्रियों, बालकों, शिक्षकों तथा विभिन्न अभिलेखों के आंकड़े प्राप्त करते हैं इनकी प्रक्रिया अन्तर विषयात्मक होती है जिसके कारण विभन्न सामाजि़क प्रक्रियाओं क़े विषय में आँकड़े प्राप्त करना सरल होता है ।

उपर्युक्त दोनों शोध विधियों को दृष्टिगत रखते हुए शोधकर्ता ने अपने शोध में जिन ऐतिहासिक घटनाओं को संदर्भ ग्रन्थों से संग्रहीत किया है वे प्रमाणिक ग्रन्थ हैं ।

ऐतिहासिक अनुसंधान में कुछ समस्याऐं हैं जो कठिनाई पैदा करती है । किन्तु शोधकर्ता ने उन समस्याओं का समुचित अध्ययन एवं विश्लेषण कर यथास्थान अपने शोधा में स्थान दिया है । चूंकि शोधकर्ता का शोध सीमांकित था अतः शोधकर्ता को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सीमांकन में थोड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ । इसका कारण यह रहा कि बुन्देलखण्ड का जो भी इतिहास रहा वह पूर्वकाल में दो राज्यों से मिला हुआ था । इन दोंनों राज्यों उ०प्र० एव म०प्र० की अधिकांश रियासतें मिली हुई थीं एवं बुन्देलखण्ड का इतिहास पूर्वकाल में लिखा होने के कारण इसके सीमांकन में कठिनाई हुई । चूंकि शोधकर्ता का क्षेत्र बुन्देलखण्ड का उत्तर प्रदेश भू-भाग ही था । अतः उ०प्र० का ही इतिहास लिखा गया । चूंकि किसी भी इतिहास का कोई न कोई आधार होता है । अतः शोध में सम्मिलित समस्याया घटना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेकर ही उसका मूल्यांकन किया गया ।

शोधकर्ता ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि जो भी सिद्धान्त या क्रियाऐं हुईं हैं उनका उद्‌भव एवं विकास किन परिस्थितियों में हुआ है ।

शोधकर्ता ने समाज एवं विद्यालय के सम्बन्धों की व्याख्या करने के लिए ऐतिहासिक विधि को ही आधार बनाया है । अतः ऐतिहासिक अनुसंधान के विभिन्न पदों के आधार पर ही शोध किया है । शोधकर्ता ने शोध के लिए ली जाने वाली भौगोलिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शिक्षा का विकास एवं विभिन्न अध्यायों के आंकड़ों का संग्रह ऐतिहासिक विधि से ही किया है एवं संग्रहीत आंकड़ों को विश्लेषण के आधार पर ही शोध में स्थान दिया है ।

शोधकर्ता ने शोध के लिए आंकड़े प्राथमिक स्रोतों से एवं माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश की है । अतः शोधकर्ता ने लिखित और मौखिक साधनों में - वृतांत, कथा, जीवन वृतांत, दैनन्दिनी , वंशावलियों, शिलालेखों, गाथाओं, कहानियों, उपाख्यान, चित्र एवं मूर्तियों आदि को अपने शोध में स्थान दिया है ।

शोधकर्ता ने अपने शोध शीर्षक को पूरा करने के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया है- शोधकर्ता ने लिखित प्रमाण पत्र एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को लिया है उदाहरण के लिए - विद्यालय का वातावरण, विद्यालय भवन, साज-सज्जा, छात्र-छात्राओं का विकास, शैक्षिक क्रियाऐं, विद्यालय की समयावधि, विकास, पाठ्य पुस्तकें एवं विद्यालय के विषय में अन्य बहुत सी जानकारियें एकत्रित कीं । इसके साथ-साथ समाचार पत्रों के लेख, पत्रिकाऐं, निजी सामग्री एवं साहित्यक सामग्री को अपने शोध में सम्मिलित किया है ।

उपर्युक्त विधियों से प्राप्त आंकड़ों एवं विन्दुओं को विद्यालयवार एकत्रित कर विभिन्न प्रकरणों में विभाजित कर सूची बनाकर उनका वर्गीकरण किया । वर्गीकरण करते समय शिक्षा का स्थान, विंद्यालय का स्थान, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, भाषा का माध्यम, विद्यालयों की मान्यता, परीक्षा प्रणाली, भवन, परीक्षाफल, छात्र संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, आर्थिक स्रोत, शासन के नियम आदि बिन्दुओं को यथा स्थान सारणी बनाकर उनका वर्गीकरण किया ।

आँकड़ों का मूल्यांकन दो आधारों पर किया । शोधकर्ता ने मूल्यांकन करते समय आंकड़ों की क्रमबद्धता को आंतरिक एवं बाह्य आधार पर किया है । शोधकर्ता ने प्राथमिक स्रोतों

एवं माध्यमिक स्रोतों का क्रमबद्ध ढंग से एवं तथ्यपूर्ण ढंग से लेकर परीक्षण किया एवं शोध की आलोचना लिखते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा -

1: इतिहासकारों में लेखक कौन था ? उसका व्यक्तित्व एवं योग्यता कैसी थी ?

2: घटना की स्थिति, रूचि,समय तथा अन्य प्रमाण पत्रों से कहां तक मिलता है ।

3: लेखक का प्रभावित होना, पर्याप्त अवसर, प्रत्यक्षदर्शिता, निरीक्षण, दबाव, भय, धारणाऐं आदि लेखक में विद्यमान तो नहीं थीं ।

धनात्मक एवं ऋणात्मक आधार पर शोधकर्ता ने अभिलेखों का सत्य, वास्तविक और अक्षरशः अर्थ ज्ञात कर शोध की धनात्मक समालोचना प्रस्तुत की है ।

शोधकर्ता ने अपने शोध को सरल बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई -

1: शोधकर्ता ने शोध के लिए ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जिसमें पर्याप्त प्रमाण और अनुसंधान सामग्री प्राप्त थी ।

2: शोधकर्ता का प्रयास यह रहा कि प्राथमिक साधन ही शोध में स्थान पा सकें । तथा आवश्यकतानुसार सामान्य रूप से माध्यमिक साधन भी शोध में हों ।

3: शोधकर्ता ने शोध शीर्षक को परिभाषित कर शोध को आगे बढ़ाया एवं व्यक्तिगत पक्षपातों का बचाव कर परिस्थितियों, वातावरण की स्थिति के संदर्भ में शोध को आगे बढ़ाया । शोध में कार्य कारण सम्बन्धों एवं आंकड़ों के आधार पर अर्थ पूर्ण निष्कर्ष निकाले ।

शोधकर्ता ने अपने शोध में निम्न तथ्यों से बचने का प्रयास किया है - आंकड़ों को शोध हेतु सरल बनाने का प्रयास नहीं किया और न ही स्वल्प सामग्री को आधार बनाया है तथा सामान्य एवं विशिष्ट तथ्यों में भेद रखा है ।

शोधकर्ता का शोध सर्वेक्षण विधि को सम्मिलित किये बिना पूर्ण नहीं हो सकता था । अतः शोधकर्ता ने अपने शोध को सर्वेक्षण विधि द्वारा पूर्ण किया, एवं सर्वेक्षण विधि को निम्न प्रकार से अपनाया -

सर्वेक्षण में शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के विभिन्न मिशनरी विद्यालयों का सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों से विद्यालयों की सभी स्थितियों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया ।

सर्वेक्षण के उपकरणों में प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया इसमें शोधकर्ता द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किया गया । वांछित आंकड़े एकत्रित करने के संबंध में अध्ययन की सुविधा एवं शैक्षिक प्रक्रिया तथा विकास के विषय में आंकड़े एकत्रित किये गये ।

शोधकर्ता ने अपनी प्रश्नावली में अध्ययन को प्रभावित करने वाली सामाजिक परिस्थितियों, नियम, समितियों के विषय में जानकारी, धन व्यवस्था, वेतन, अनुदान, पुस्तकालय, वाचनालय, शारीरिक शिक्षा, कक्षाऐं, समाज का प्रभाव, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, छात्रों का परीक्षाफल, शैक्षिक क्रियाऐं, कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाऐं, निर्देशन सेवाऐं आदि बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर व्यापक सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्रित किये ।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर आंकड़े एकत्रित कर शोधकर्ता ने विद्यालयवार एक क्रम में सभी सूचनाओं को एकत्रित कर विभिन्न सारणियों का निर्माण किया एवं सारणियों से जो तथ्य प्रत्येक क्षेत्र या बिन्दु पर उभर कर सामने आये उनका प्रलेखी विधि से विश्लेषण एवं व्याख्या की गई । सभी आंकड़ों की व्याख्या करते समय आंतरिक एवं बाह्य आलोचना के द्वारा विस्तृत व्याख्या की गई । तत्पश्चात् प्राप्त सूचनाओं, विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष निकाले गये ।

आंकड़ों के संग्रह से सूचनाओं के लिए शोधकर्ता ने जो प्रश्न सूची तैयार की थी, वह इस प्रकार है -

....

नोटः- अनुसंधान, ऐतिहासिक शोध विधि एवं सर्वेक्षण विधि को लिखने के लिए निम्न पुस्तकों को आधार बनाया गया है - 1: अनुसंधान परिचय - पारसनाथ राय, 2: अनुसंधान विधियाँ - एच०के० कपिल, 3: शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व - एस०पी० सुखिया ।

"प्रश्न सूची"

मैं शिक्षा शास्त्र विषय में पी०एच०डी० उपाधि हेतु शोधार्थी हूँ, मेरा शोध विषय - "बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में मिशनरी विद्यालयों के शैक्षिक योगदान का - आलोचनात्मक अध्ययन" है ।

यह प्रश्नावली शैक्षिक शोध कार्य में प्रयुक्त की जानी है आपके द्वारा दिये गये उत्तरों को पूर्णतया गोपनीय रखा जायेगा । इसके सम्बन्ध में जो भी निष्कर्ष आयेगे उनसे आपको समय-समय पर अवगत भी कराया जायेगा ।

संस्था/ विद्यालय का नाम

1. यह विद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ ?
2. इस विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई ?
3. इस विद्यालय को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है ?
4. स्थापना वर्ष में विद्यालय किस स्तर का था ?
5. स्थापना वर्ष में विद्यालय भवन की स्थिति कैसी थी ?
6. स्थापना वर्ष में शिक्षकों की संख्या कितनी थी ?
7. स्थापना वर्ष में विद्यालय की छात्र संख्या कितनी थी ?
8. विद्यालय में सर्वप्रथम कितनी कक्षाऐं थी ?
9. विद्यालय का पहला (प्रथम) प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यापक कौन था ?
10. विद्यालय को किस वर्ष में जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई ?
11. जूनियर हाई स्कूल में पहले प्रधानाचार्य का क्या नाम था ?
12. जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या कितनी थी ?
13. इस विद्यालय को हाई स्कूल कक्षाओं को संचालित करने की मान्यता किस वर्ष में प्राप्त हुई ?
14. इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता किस बोर्ड/परिषद से प्राप्त हुई ?

15. हाई स्कूल के मान्यता वर्ष में विद्यालय की छात्र संख्या क्या थी ?
16. इस विद्यालय में हाई स्कूल के पहले प्रधानाचार्य का क्या नाम था ?
17. इस विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता किस वर्ष में प्राप्त हुई ?
18. इस इण्टर कॉलेज में पहले प्रधानाचार्य का क्या नाम था ?
19. मान्यता वर्ष में इण्टरमीडिएट में छात्र संख्या कितनी थी ?
20. विद्यालय को इण्टर कक्षाओं की मान्यता किस बोर्ड/परिषद से प्राप्त हुई ?
21. विद्यालय की स्थापना वर्ष से अब तक शिक्षण का माध्यम क्या रहा ? हिन्दी/अंग्रजी
22. स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल कितना/कैसा रहा
23. स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में जू०हा० स्कूल (कक्षा-8) का तीन वर्षों का परीक्षाफल क्या रहा ?
24. स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में हाई स्कूल कक्षाओं का तीन वर्षों का परीक्षाफल क्या रहा ?
25. स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में इण्टरमीडिएट कक्षाओं का तीन वर्षों का परीक्षाफल क्या रहा ?
26. स्थापना वर्ष से अब तक प्रत्येक वर्ष की छात्रों की संख्या कितनी रही ?
27. स्थापना वर्ष से अब तक प्रत्येक वर्ष के अध्यापकों की संख्या कितनी रही ?
28. प्रत्येक वर्ष में भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के पर्रीक्षाफल का प्रतिशत क्या रहा ?
29. प्राथमिक कक्षा (कक्षा-5) का परीक्षाफल (यदि परीक्षा बोर्ड की रही हो) कितना रहा?
30. जूनियर कक्षा (कक्षा-8) का परीक्षाफल (यदि परीक्षा बोर्ड की रही हो) कितना रहा?
31. हाई स्कूल कक्षा (कक्षा-10) का प्रत्येक वर्ष का परीक्षाफल कितना रहा ?
32. इण्टरमीडिएट (कक्षा-12) का प्रत्येक वर्ष का परीक्षाफल कितना रहा ?
33. इस विद्यालय के प्रारम्भ में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया क्या थी ?
34. वर्तमान में इस विद्यालय में प्रवेश की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?
35. इस विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

36. इस विद्यालय में जूनियर स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?
27. इस विद्यालय में हाई स्कूल स्तर पर छात्रों की प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?
38. इस विद्यालय में इण्टरमीडिएट स्तर पर छात्रों के प्रवेश की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?
39. विद्यालय में वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया अपनाने में क्या कठिनाई आ रही है ? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विद्यालय क्या उपाय करता है ?
40. वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया से क्या छात्र संतुष्ट रहते हैं ?
41. क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया अभिभावकों को संतुष्ट कर पाती है ?
42. क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया विद्यालय को व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करती है ?
43. क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनाई जा रही है ?
44. क्या यह विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त है ?
45. क्या यह विद्यालय अर्द्धशासकीय विद्यालय है ?
46. क्या यह विद्यालय स्ववित्त पोषित है ?
47. क्या यह विद्यालय किसी मिशनरी/मिशनरी संस्था से सहायता प्राप्त करता है ?
48. सहायता प्रदान करने वाली मिशनरी संस्था किस देश से सम्बन्धित है ?
49. क्या अब मिशनरी संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलना बन्द हो गया है ?
50. यह आर्थिक सहायता किस वर्ष से मिलना बन्द हो गई है ?
51. अब विद्यालय के आर्थिक स्रोत क्या/कौन से हैं ?
52. विगत तीन वर्षों से विद्यालय के आर्थिक स्रोत क्या हैं ?
53. विद्यालय में कुल कक्षों की संख्या कितनी है ?
54. इन कक्षों में से विद्यार्थियों की कक्षाऐं कितने कमरों में हैं ?
55. इन कक्षों में से प्रयोगशालाऐं कितने कक्षों में हैं ?
56. प्रधानाचार्य एवं कार्यालय के उपयोग में कितने कमरे आते हैं ?
57. विद्यालय में अध्यापकों के बैठने के लिए क्या व्यवस्था है ?

58. विद्यालय में छात्रों के बैठने के लिए क्या व्यवस्था है ?
59. विद्यालय में कुल कितना फर्नीचर है ?
60. विगत तीन वर्षों से विद्यालय में फर्नीचर की स्थिति क्या है ?
61. विगत तीन वर्षों से विद्यालय में कितनी प्रयोगशालाऐं हैं ?
62. विद्यालय में पुस्तकालय कितने कक्षों में हैं ?
63. विद्यालय पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें उपलब्ध है ?
64. इनमें से पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें कितनी हैं ?
65. विद्यालय में क्रीड़ा कक्ष है अथवा नहीं ?
66. विद्यालय में कौन-कौन से खेलों की व्यवस्था है ?
67. क्या विद्यालय के पास क्रीड़ा स्थल है ?
68. विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ ही और कौन सी सहयोगी क्रियाऐं आयोजित की जाती हैं ?
69. क्या विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है ?
70. कम्प्यूटर शिक्षा किस कक्षा तक उपलब्ध है ?
71. कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था कौन कर रहा है ? विद्यालय या व्यक्तिगत संस्था ।
72. विद्यालय में शिक्षक एवं छात्र किन-किन सुविधाओं की एवं कार्यक्रमों की अपेक्षा करते हैं ?
73. क्या विद्यालय पर उत्तर प्रदेश शासन के नियम लागू होते हैं ?
74. क्या इस विद्यालय में शिक्षकों को शासन द्वारा घोषित वेतनमान दिये जाते हैं ?
75. क्या इस विद्यालय में शिक्षकों को वे सभी सुविधाऐं प्राप्त हैं जो शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्राप्त हैं ?
76. क्या शिक्षकों को अवकाश सुविधाऐं शासकीय नियमों के अनुरूप प्राप्त होती हैं ?
77. क्या इस विद्यालय में शिक्षकों की भविष्य निधि की कटौती शासकीय मापदण्डों के अनुरूप है ?
78. क्या इन परिस्थितियों में विद्यालय के शिक्षक अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं ?

79. क्या यह विद्यालय जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त करता है ?

80. धार्मिक आधार होने के कारण क्या इस विद्यालय की छवि अच्छी मानी जाती है ?

81. क्या विद्यालय के संचालन में धार्मिकता के कारण कुछ कठिनाइयाँ आती हैं ? यह कठिनाइयाँ किनके द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं ?

82. इन कठिनाइयों से मुक्ति के लिए संस्था क्या उपाय अपनाती है/करती है ?

83. विद्यालय में कक्षा-8, कक्षा-10, कक्षा-12 में कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया गया है ?

84. इस पाठ्यक्रम को अपनाने में क्या राज्य सरकार कोई बाधा उत्पन्न करती है ?

85. विद्यालय में इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किस माध्यम को अपनाया गया है?

86. विद्यालय में शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई गई है ?

87. क्या शिक्षण की इस शैली से छात्र संतुष्ट हैं ?

88. क्या इस शैली द्वारा शिक्षण से परीक्षा परिणामों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ?

89. क्या यह शिक्षण शैली छात्रों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करती है ?

90. क्या इस विद्यालय में छात्रों के विकास के लिए निर्देशन सेवाऐं उपलब्ध हैं ?

91. इस विद्यालय में किन-किन क्षेत्रों में निर्देशन सेवाऐं उपलब्ध कराई जातीं हैं ?

92. क्या इस विद्यालय में समुचित स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हैं ?

93. क्या यह स्वास्थ्य सेवाऐं शासन द्वारा उपलब्ध कराईं जातीं हैं ?

94. क्या इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छात्रों से कोई शुल्क लिया जाता है ?

95. इस विद्यालय में किन अंचलों या क्षेत्रों से छात्र पढ़ने आते हैं ?

96. विद्यालय में आने वाले छात्रों में किन क्षेत्रों के छात्रों की प्रमुखता होती है ?

97. इस विद्यालय में आने वाले छात्रों की प्रमुखता का आधार क्या है ? आर्थिक/सामाजिक/धार्मिक ।

शोधकर्ता ने अपने शोध कार्य के लिए मिशनरी विद्यालयों के प्रति जन भावनाओं को समझने के लिए एक पब्लिक प्रश्न सूची भी तैयार की थी, उस सूची द्वारा विभिन्न विन्दुओं पर जनमत संग्रह किया गया है । वह पब्लिक प्रश्न सूची इस प्रकार है -

"पब्लिक प्रश्न सूची "

1. क्या मिशनरी विद्यालयों का विकास भारतीय संस्कृति के अनुरूप है ?
2. क्या मिशनरी विद्यालय बालकों में भारतीय संस्कारों का विकास कर रहे हैं ?
3. क्या मिशनरी विद्यालय बालकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं ?
4. क्या मिशनरी विद्यालय आधुनिक संस्कृति के अनुरूप हैं ?
5. क्या मिशनरी विद्यालयों द्वारा लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है ?
6. क्या मिशनरी विद्यालय अपने छात्रों को 21वीं सदी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं
7. क्या मिशनरी विद्यालयों के अलावा अन्य कोई संस्था/विद्यालय भी आपको अच्छा लगता है ?
8. क्या मिशनरी विद्यालयों की शिक्षा से आप संतुष्ट हैं ?
9. क्या आप इन मिशनरी विद्यालयों के क्रिया कलापों से संतुष्ट हैं ?
10. आपकी दृष्टि में मिशनरी विद्यालयों की छवि कैसी है ?
11. क्या इन मिशनरी विद्यालयों का और तीव्रता से विकास किया जाना चाहिए ?
12. क्या इन विद्यालयों के द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में वरीयता मिलती है
13. क्या इन विद्यालयों के द्वारा छात्रों को नौकरी प्राप्त करने में वरीयता मिलती है ?



अध्याय – षष्ठम्

अध्याय - षष्ठम्

आँकड़ों का संकलन

शोध कर्ता ने अध्याय पांच में दी गई प्रश्न सूची के आधार पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के विभिन्न मिशनरी विद्यालयों का सर्वेक्षण किया तथा सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त तथ्यों, आँकड़ों एवं सूचनाओं के संकलन के आधार पर निम्न सूचियाँ बनाई हैं -

यह सूचियाँ प्रश्न सूची में दिये गये प्रश्न संख्या क्रमांक 1 से, प्रश्न संख्या क्रमांक 97 तक के प्रश्नों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बनाई गई हैं ।

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के सभी जिलों के 23 मिशनरी विद्यालयों का व्यापक सर्वेक्षण किया है, और प्रश्न सूची में दिये गये प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर निम्न सूचियाँ निर्मित की हैं । जो इस प्रकार हैं -

सूची क्रमांक - 1

विद्यालय का नाम	स्थापना स्थान	स्थापना वर्ष	संचालित करने वाली संस्था
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज	झाँसी	1940	कैथलिक डायोसिस जर्मन प्रान्त
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल	झाँसी	1964	आई०वी०एम०वी०
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज	झाँसी	1941	रोमन कैथलिक
सेन्ट जोसफ स्कूल	महोबा	1964	रोमन कैथलिक
कैथेड्रिल कॉलेज	झाँसी	1989	कैथलिक डायोसिस ऑफ झाँसी
सेन्ट मैरी हाई स्कूल	मऊरानीपुर	1953	कैथलिक डायोसिस ऑफ झाँसी
सेन्ट जेबियर स्कूल	बी०एच०ई०एल०	1976	कैथलिक डायोसिस ऑफ झाँसी
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल	ललितपुर	1967	डायोसिस ऑफ लखनउ
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी	झाँसी	1976	कैथलिक डायोसिस ऑफ जर्मन
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल	झाँसी	1898	डायोसिस ऑफ इलाहाबाद
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल	झाँसी	1951	आई०वी०एम०वी०
सन्त मेरीज हा० स्कूल	झाँसी	1953	झाँसी डायोसिस शिक्षा समिति
क्रिश्चियन इ०कॉ०	झाँसी	1910	चर्च ऑफ नॉर्थ इण्डिया
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल	झाँसी	1969	डायोसिस ऑफ लखनउ
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल	झाँसी	1986	चर्च ऑफ नॉर्थ इण्डिया
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल	झाँसी	1926	मिशनरीज प्रेस्पेटेरियन चर्च कनाडा
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ०	झाँसी	1926	मिशनरीज प्रेस्पेटेरियन चर्च कनाडा
सेन्ट मार्क्स कॉलेज	झाँसी	1930	चर्च ऑफ नॉर्थ इण्डिया
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल	झाँसी	1910	चर्च ऑफ नॉर्थ इण्डिया
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर,	बाँदा	1930	डायोसिस ऑफ इलाहाबाद
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,	महोबा	1990	डायोसिस ऑफ इलाहाबाद
सेन्ट थॉमस स्कूल,	हमीरपुर	1932	डायोसिस ऑफ इलाहाबाद
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल, उरई	जालौन	1990	कैथलिक डायोसिस

उपर्युक्त प्रस्तुत सूची को तैयार करने के लिए शोधार्थी ने आँकड़ों के संकलन हेतु जो प्रश्न सूची बनाई थी, उसके प्रारम्भिक तीन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूची क्रमांक 1 को तैयार किया गया है इस सूची में जो तीन प्रश्न समाहित किये गये उनमें -

1. संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान -
2. यह विद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुआ ?
3. इस विद्यालय को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है ?

सूची क्रमांक - 2

विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष में विद्यालय का स्तर	स्थापना वर्ष में भवन की स्थिति	स्थापना वर्ष में अध्यापकों की सं०	स्थापना वर्ष में छात्रों की सं०	स्थापना वर्ष में कक्षाऐं
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	प्राथमिक	साधारण बंगला	3	35	1
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	प्राथमिक	साधारण	2	20	1
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	प्राथमिक	दो कमरे	2	15	1
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	प्राथमिक	खपरैल का मकान	3	18	2
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	प्राथमिक	साधारण	4	100	3
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	प्राथमिक	सामान्य	4	20	2
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	प्राथमिक	सामन्य अच्छी	6	230	5
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	प्राथमिक	साधारण	2	20	1
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	प्राथमिक	साधारण	5	240	2
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	प्राथमिक	छोटी सी	2	40	2
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	प्राथमिक	साधारण	4	50	4
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	प्राथमिक	किराये की	4	20	4
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	प्राथमिक	साधारण बंगला	6	40	4
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	प्राथमिक	साधारण	4	80	5
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	प्राथमिक	एक हॉल	2	60	5
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	प्राथमिक	साधारण	2	35	1
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	प्राथमिक	सामान्य चर्च बगला	2	15	1
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	प्राथमिक	तीन कमरे	4	120	4
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	प्राथमिक	खपरैल का मकान	3	40	3
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	प्राथमिक	सामान्य	2	26	2
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	प्राथमिक	अच्छी खपरैल की	5	140	5
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	प्राथमिक	सामान्य	3	36	3
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	प्राथमिक	सामान्य	5	50	5

शोधकर्ता ने वांछित सूचनाऐं एकत्रित करने के लिए प्रश्न सूची से छः प्रश्नों के लेकर इस सूची को तैयार किया, एवं प्रश्न सूची में दिये गये उत्तरों को विद्यालयवार इस सूची में दर्शाया गया है । इसमें निम्न प्रश्नों के माध्यम से सूचनाऐं एकत्रित की गईं -

1- संस्था/विद्यालय का नाम

2- स्थापना वर्ष में विद्यालय किस स्तर का था ?

3- स्थापना वर्ष में विद्यालय भवन की स्थिति कैसी थी ?

4- स्थापना वर्ष में शिक्षकों की संख्या कितनी थी ?

5- स्थापना वर्ष में विद्यालय में छात्र संख्या कितनी थी ?

6- विद्यालय में सर्वप्रथम कितनी कक्षाऐं थी ?

उपर्युक्त प्रश्नों के माध्यम से सूचनाऐं एकत्रित की गईं, एवं प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्न क्रमांक 8 तक के प्रश्नों का प्रयोग किया गया है ।

सूची क्रमांक - 3

विद्यालय का नाम	जू०हा०स्कूल मान्यता वर्ष	मान्यता वर्ष में छात्र संख्या	प्रथम प्रधानाध्यापक
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1945	70	ब्रदर इ०एल०एफ०
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	1970	80	ब्रदर फ्रांन्सिस
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1946	35	ई०पी० राम
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1986	260	फादर पी० मैक्सबैल
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1996	800	फादर अंगस्टीन
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	1962	70	फादर वी०जॉर्ज
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1987	400	सिस्टर आडल जिस्सा
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1982	60	फादर पी० ब्राउन
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	1945	70	ब्रदर ई०एल०एफ०
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1928	70	मदर डेलफाइन
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1961	75	....
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1962	35	फादर जॉर्ज
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1930	110	के० एन० दास
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	1996	180	मिस्टर आई० लाकला
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	1992	50	श्रीमती एम०टाइटस
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	2001	1000	आर०के० चत्री
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1950	40	....
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1936	135	स्व० एस०वी० लाल
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	1930	12	मिस आर०एन० सिंह
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1986	56	सिस्टर ज्योत्सना जॉन
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	1996	40	फादर राजू जैकब
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1961	75	फादर पैगन
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	1994	250	फादर डैनियल

शोधकर्ता ने उपर्युक्त प्रस्तुत सूची के निर्माण के लिए प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्नों के परिणामों के आधार पर उक्त सूची तैयार की है । शोधकर्ता ने अपने शोध में, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों मे फैले मिशनरी विद्यालयों में से 23 विद्यालयों को अपने शोध में स्थान दिया है । इन 23 विद्यालयों का व्यापक सर्वेक्षण कर परिणाम प्राप्त किये तथा सूची निर्मित की । उक्त सूची में सम्मिलित किये गये, प्रश्न इस प्रकार हैं -

1- विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- विद्यालय को किस वर्ष में जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई ?

3- जूनियर हाई स्कूल के पहले प्रधानाचार्य का क्या नाम है ?

4- मान्यता वर्ष में जूनियर हाई स्कूल में छात्र संख्या कितनी थी ?

सूची क्रमांक - 4

विद्यालय का नाम	हाई स्कूल का मान्यता वर्ष	बोर्ड/परिषद	मान्यता वर्ष में छात्र संख्या	हाई स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1950	एंग्लो इण्डियन	150	एस०जॉन मोहन
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	-------	....	----	....
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1949	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	35	ई०पी० राम
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1994	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	1500	फादर जिस्सा
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1998	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	1000	फादर अंगस्टीन
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	1993	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	22	फादर वी० जॉर्ज
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1987	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	800	फादर पीटर
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1990	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	180	फादर एस० जॉर्ज
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	-------	....	------	....
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1942	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	300	मदर डैलफाइन
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1995	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	100	मिसेज दीपिका
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1993	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	350	फादर यूगियन
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1937	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	200	पी०पी० दास
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	------	....	------	....
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	------	....	------	....
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	2001	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	1100	आर०के० चत्री
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1953	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	200	श्रीमती एम० सिंह
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1945	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	300	एस०वी० लाल
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	-------	....	------	....
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1992	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	150	फादर पी० रामदास
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	2001	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	35	फादर राजू जैकब
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1982	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	200	ब्रदर सैमुअल
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	2001	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	60	सैल्वी डैनियल

शोधकर्ता ने प्रस्तुत सूची के निर्माण के लिए प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक 13 से प्रश्न क्रमांक 16 तक के प्रश्नों के परिणामों के आधार पर उक्त सूची तैयार की है। उक्त सूची में 23 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है । एवं उन्हीं विद्यालयों के सर्वेक्षण कर परिणाम प्राप्त किये तथा सूची निर्मित की। उक्त सूची में सम्मिलित किये गये, प्रश्न इस प्रकार हैं -

1- संस्था/ विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- इस विद्यालय को हाई स्कूल कक्षाओं को संचालित करने की मान्यता किस वर्ष में प्राप्त हुई ?

3- इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता किस बोर्ड या परिषद से प्राप्त हुई ?

4- हाई स्कूल के मान्यता वर्ष में छात्र संख्या कितनी थी ?

5- इस विद्यालय के हाई स्कूल के पहले प्रधानाचार्य का क्या नाम था ?

सूची क्रमांक - 5

विद्यालय का नाम	इण्टर का मान्यता वर्ष	बोर्ड/परिषद	मान्यता वर्ष में छात्र संख्या	शिक्षण का माध्यम	प्रथम प्रधानाचार्य
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1975	एंग्लो इण्डियन	80	अंग्रेजी	फादर टोनीसन
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	2001	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	50	हिन्दी	पी०यू० अगस्ति
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1997	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	450	अंग्रेजी	फादर जिस्सा
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	2000	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	1950	अंग्रेजी	फादर अगस्टीन
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	------	....	-----	....	....
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1999	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	49	अंग्रेजी	फादर एलिक्दा
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	------	....	-----	......	....
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	------	....	----	......	....
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1995	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	400	अंग्रेजी	सिस्टर ज्योत्सना जॉन
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1957	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	50	हिन्दी	पी० एल० नॉक्स
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	------	....	-----	......	....
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1992	उ०प्र०बोर्ड इलाहाबाद	26	हिन्दी	श्रीमती एम० सिंह
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1975	आई०सी०एस०ई०दिल्ली	1500	अंग्रेजी	एस० वी० लाल
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	------	....	------	......	....
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	------	....	------	......	....
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	------	....	------	......	....
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	------	....	------	......	....
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	------	....	------	......	....

शोधकर्ता ने इस सूची को तैयार करने के लिए प्रश्न सूची से प्रश्न क्रमांक **17** से लेकर प्रश्न क्रमांक **21** तक के प्रश्नों एवं सर्वेक्षण कर प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर सूची तैयार की, इस सूची में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के **23** विद्यालयों को लिया गया है एवं सभी विद्यालयों से सूचनाऐं एकत्रित की गईं हैं । प्रश्न सूची से लिये गये प्रश्नों के स्वरूप, जिनके आधार पर एवं परिणाम से यह सूची तैयार की गई है, निम्न है -

1- संस्था/विद्यालय का नाम/स्थान

2- इस विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता किस वर्ष में प्राप्त हुई ?

3- इस इण्टर कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य का क्या था ?

4- मान्यता वर्ष में इण्टरमीडिएट में छात्र संख्या कितनी थी ?

5- विद्यालय को इण्टर कक्षाओं की मान्यता किस बोर्ड/परिषद से प्राप्त हुई ?

6- विद्यालय में स्थापना वर्ष से अब तक शिक्षण का माध्यम क्या रहा ?

सूची क्रमांक - 6

विद्यालय का नाम	माध्यमिक कक्षाओं का परीक्षाफल (प्रतिशत में)	जूनियर कक्षाओं का परीक्षाफल (प्रतिशत में)	हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल (प्रतिशत में)	इण्टर कक्षाओं का परीक्षाफल (प्रतिशत में)
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	89	89	100	100
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	95	95	--------	-------
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	90	90	40	-------
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	100	95	100	95
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	100	100	100	100
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	90	92	80	-------
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	70	75	60	93
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	80	80	65	-------
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	100	100	-------	-------
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	100	100	100	82
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	100	100	98	------
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	88	80	60	------
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	90	100	70	60
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	100	100	-------	-------
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	95	95	-------	-------
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	80	80	-------	-------
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	98	90	80	80
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	100	100	80	81
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	100	100	-------	-------
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	65	60	65	-------
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	90	90	------	------
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	60	60	55	65
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	80	90	70	-------
औसत प्रतिशत	*85.21*	*89.60*	*76.43*	*84.00*

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थित **23** मिशनरी विद्यालयों का व्यापक सर्वेक्षण कर शोधकर्ता ने प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक **22** से लेकर **25** तक के प्रश्नों के परिणामों के आधार पर इस सूची को निर्मित किया है, प्रश्न सूची में दिये गये **22** से **25** क्रमांक तक के प्रश्न इस प्रकार हैं –

1- संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल कितना और कैसा रहा ?

3- स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में जू० हा० स्कूल (कक्षा-**8**) का परीक्षाफल क्या रहा ?

4- स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल क्या रहा ?

5- स्थापना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में इण्टरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षाफल क्या रहा ?

सूची क्रमांक - 7

विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष में छात्र संख्या	वर्तमान में छात्र संख्या	स्थापना वर्ष में अध्यापक संख्या	वर्तमान में अध्यापक संख्या
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	35	500	3	50
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	20	1000	2	25
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	15	1200	2	18
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	18	2000	3	55
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	100	1600	4	60
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	20	900	4	25
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	230	1300	6	35
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	20	1300	2	42
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	240	1800	5	40
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	40	3000	2	60
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	50	1600	4	36
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	20	500	4	16
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	40	1200	6	35
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	80	175	4	15
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	60	1000	2	40
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	35	1100	2	35
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	15	1000	2	25
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	120	950	4	20
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	40	800	3	17
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	26	1100	2	28
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	140	450	5	17
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	36	950	3	24
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	50	700	5	18

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिन **23** मिशनरी विद्यालयों को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया है उनसे सूचनाऐं एवं आँकड़े प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न सूची बनाई गई थी उससे प्रश्न क्रमांक **26** एवं **27** लेकर यह सूची तैयार की है इस सूची में **4** कॉलम हैं। अतः तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से शेष दो प्रश्नों को प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक **6** एवं **7** को लिया गया है । इन प्रश्नों के परिणामों के आधार पर इस सूची को तैयार किया गया है । इस सूची को तैयार करने हेतु लिये गये प्रश्न निम्न हैं –

1- संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- वर्तमान में छात्रों की संख्या कितनी है ?

3- वर्तमान में अध्यापकों की संख्या विद्यालय में कितनी है ?

4- स्थापना वर्ष में विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी ?

5- स्थापना वर्ष में विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी थी ?

सूची क्रमांक - 8

विभिन्न विद्यालयों का, विभिन्न कक्षाओं का, विभिन्न वर्षों का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)

विद्यालय का नाम	प्राथमिक कक्षाओं का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)	जूनियर कक्षाओं का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)	हा०स्कूल कक्षाओं का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)	इण्टरमीडिएट कक्षाओं का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)	सभी कक्षाओं का औसत परीक्षाफल (प्रतिशत में)
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	89	89	100	100	94
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	95	95	-----	-----	95
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	90	90	40	-----	73
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	100	95	95	95	96
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	100	100	100	100	100
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	65	68	62	-----	65
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	95	95	95	95	95
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	80	80	66	55	68
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	100	-----	-----	-----	100
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	100	100	100	100	100
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	100	100	98	-----	96
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	100	100	60	------	86
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	100	90	45	50	71
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	100	100	------	-------	100
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	95	95	------	-------	95
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	80	80	------	-------	80
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	98	90	70	70	82
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	100	100	80	82	90
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	80	100	-----	------	90
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	65	62	70	-----	65
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	70	90	------	------	80
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	50	60	55	65	65
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	75	87	70	------	77
औसत -	**88.13**	**89.36**	**75.37**	**81.2**	**85.34**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों का सर्वेक्षण कर, प्रश्न सूची से प्रश्न क्रमांक 28 से प्रश्न क्रमांक 32 तक के प्रश्नों एवं परिणामों को आधार बनाकर यह सूची तैयार की गई है । इस सूची के प्रश्न विभिन्न विद्यालयों के प्राथमिक से लेकर इण्टरमीडिएट तक के कई वर्षों के औसत परीक्षाफलों को सूची के माध्यम से दर्शाया गया है । सूची में लिये गये प्रश्न इस प्रकार हैं -

1- संस्था/ विद्यालय का नाम एवं स्थान
2- प्राथमिक कक्षा (कक्षा - 5) का परीक्षाफल कितना रहा ?
3- जू० हा० स्कूल (कक्षा - 8) का परीक्षाफल कितना रहा ?
4- हाई स्कूल (कक्षा - 10) का परीक्षाफल कितना रहा ?
5- इण्टरमीडिएट (कक्षा - 12) का परीक्षाफल कितना रहा ?

सूची क्रमांक - 9

विद्यालय का नाम	प्रारम्भ में प्रवेश प्रक्रिया	वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	साक्षात्कार (सीधे प्रवेश)	साक्षात्कार
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	साक्षात्कार	साक्षात्कार
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	साक्षात्कार	साक्षात्कार
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	सीधे प्रवेश	सीधे प्रवेश
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	साक्षात्कार
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	साक्षात्कार	साक्षात्कार
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	लिखित टैस्ट	लिखित टैस्ट
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	साक्षात्कार	लिंखित टैस्ट
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	साक्षात्कार	लिखित टैस्ट
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	लिखित टैस्ट	लिखित टैस्ट
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	लिखित टैस्ट	लिखित टैस्ट

बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० के विभिन्न जनपदों में से **23** मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर इस सूची को तैयार किया गया है इसमें प्रश्न सूची से प्रश्न क्रमांक **33** से लेकर प्रश्न क्रमांक **43** तक के प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर सूची का निर्माण किया गया है। प्रश्न सूची के प्रश्न इस प्रकार हैं जिनसे सूची तैयार की गई -

1- संस्था/ विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- इस विद्यालय के प्रारम्भ में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया क्या थी ?

3- वर्तमान में इस विद्यालय में प्रवेश की कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

4- इस विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

5- इस विद्यालय में जूनियर स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

6- इस विद्यालय में हाई स्कूल स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

7- इस विद्यालय में इण्टरमीडिएट स्तर पर छात्रों के प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

8- विद्यालय में वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया अपनाने में क्या कठिनाई आ रही है ? इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विद्यालय क्या उपाय करता है ?

9- वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया से क्या छात्र संतुष्ट रहते हैं ?

10- क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया अभिभावकों को संतुष्ट कर पाती है ?

11- क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया विद्यालय को व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करती है ?

12- क्या वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनाई जा रही है ?

सूची क्रमांक - 10

विद्यालय का नाम	विद्यालय स्ववित्त पोषित है ?	विद्यालय के आर्थिक स्रोत	विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त है ?
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	नहीं	....	हाँ
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	नहीं	....	हाँ
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	हाँ	शिक्षण शुल्क	नहीं

शोधकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है उसमें प्रश्न सूची से प्रश्न क्रमांक **44** से लेकर प्रश्न क्रमांक **52** तक के प्रश्नों के परिणामों से प्राप्त तथ्यों को आधार मानकर यह सूची तैयार की गई है। प्रश्न निम्न प्रकार हैं -

1. विद्यालय/संस्था का नाम एवं स्थान
2. क्या यह विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त है ?
3. क्या यह विद्यालय अर्द्धशासकीय विद्यालय है ?
4. क्या यह विद्यालय स्ववित्त पोषित है ?
5. क्या यह विद्यालय किसी मिशनरी संस्था से सहायता प्राप्त करता है ?
6. सहायता प्रदान करने वाली मिशनरी संस्था किस देश से सम्बन्धित है ?
7. क्या मिशनरी संस्थाओं से आर्थिक सहायता मिलना बन्द हो गया है ?
8. यह आर्थिक सहायता किस वर्ष से मिलना बन्द हो गई है ?
9. अब विद्यालय के आर्थिक स्रोत क्या और कौन से हैं ?
10. विगत तीन वर्षों से विद्यालय के आर्थिक स्रोत क्या हैं ?

सूची क्रमांक - 11

विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष में भवन की स्थिति	वर्तमान में भवन की स्थिति
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	साधारण बँगला	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	दो कमरे	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	छोटी बिल्डिंग	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	खपरैल का मकान	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	साधारण अच्छी	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	छोटी सी सामान्य	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	किराये की	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	साधारण बँगला	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	एक हॉल	सामान्य अच्छी
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	सामान्य चर्च बँगला	उसी बिल्डिंग का विस्तार
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	तीन कमरे	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	खपरैल की बिल्डिंग	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	साधारण	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	साधारण खपरैल	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	अच्छी खपरैल	अच्छी
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	साधारण बिल्डिंग	विशाल एवं संसाधन युक्त बिल्डिंग
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	सामान्य	अच्छी

प्रस्तुत सूची को तैयार करने के लिए शोधकर्ता ने जो प्रश्न सूची बनाई थी उसमें से सिर्फ स्थापना वर्ष में भवन एवं वर्तमान में भवन की स्थिति को ही निरूपित किया है बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० के विभिन्न जिलों में स्थित इन विद्यालयों पूर्व एवं वर्तमान स्थितियों को इस सूची में प्रदर्शित किया गया है ।

सूची क्रमांक - 12

विद्यालय का नाम	वर्तमान में विद्यालय में कक्षों कीसंख्या	कक्षों की संख्या जिनमें शिक्षण होता हैं	प्रयोग--शालाऐं	प्रधानाचार्य व कार्यालय उपयोग के कक्षों की संख्या	अध्यापक कक्षों की संख्या	छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर व्यवस्था
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झांसी	55	50	5	4	4	कुर्सी, टेबिल
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झांसी	32	26	-	3	1	डैस्क, बैंन्च
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झांसी	30	24	2	2	2	डैस्क, बैन्च
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	62	58	3	3	1	टेबिल, बैन्च
कैथेड्रिल कॉलेज झांसी	54	48	3	2	1	डैस्क, कुर्सी
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	20	18	1	2	1	डैस्क, बैन्च
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	32	24	3	2	2	डैस्क, बैन्च
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	50	45	2	2	2	डैस्क, बैन्च
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झांसी	57	50	2	3	3	मेज, कुर्सी
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झांसी	62	50	2	3	2	डैस्क, बैन्च
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	49	45	2	2	2	डैस्क, बैन्च
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	30	22	2	3	1	डैस्क, बैन्च
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	29	29	3	2	1	मेज, स्टूल
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	16	12	-	2	1	डैस्क, बैन्च
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	28	25	-	1	1	डैस्क, बैन्च
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	35	35	2	1	2	डेस्क, कुसी
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झांसी	25	20	3	3	1	डैस्क, बैन्च
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झांसी	42	36	2	3	1	बैन्च, टेबिल
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	27	24	-	2	1	डैस्क, बैन्च
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	31	28	1	2	1	डैस्क, बैन्च
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	14	12	1	2	1	मेज, कुर्सी
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	26	24	2	2	2	मेज, कुर्सी
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	18	12	1	2	1	मेज, कुर्सी
योग :	**824**	**715**	**42**	**53**	**35**	
औसत	**35.82**	**31.08**	**1.82**	**2.30**	**1.52**	

क्रमशः.....

सूची क्रमांक - 12 शेष

विद्यालय का नाम	विद्यालय में कुल फर्नीचर	विगत तीन वर्षो सेफर्नीचर की स्थिति	विगत तीन वर्षो से प्रयोग--शालाऐं	विद्यालय में पुस्तकालय कक्षों की संख्या	विद्यालय के पुस्तकालय में कुल पुस्तकें	पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1000	1000	3	1	10000	500
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	950	950	-	1	350	50
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1200	1150	2	1	3000	1000
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	2000	1800	3	1	6000	1500
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	3400	3000	3	1	5000	1000
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	900	900	1	1	1600	600
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	800	800	3	1	8000	3000
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1400	1300	1	1	2000	1000
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	4800	4000	2	1	500	500
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	3000	3000	2	1	5000	4000
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	3500	3000	2	1	1200	800
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	2500	2500	2	1	500	250
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1200	1200	3	1	3000	1000
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	200	200	1	1	50	50
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	1000	800	-	1	-	-
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	1200	1200	2	1	1000	300
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1000	960	3	1	8000	2000
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	2700	3000	3	1	2500	350
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	800	800	-	1	400	150
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1100	1100	1	1	2200	700
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	450	400	1	1	250	50
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	950	900	2	1	4000	1500
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	700	500	1	1	700	200
योग :	**36750**	**34460**	**41**	**22**	**65250**	**20500**
औसत	**1597.82**	**1498.26**	**1.78**	**0.956**	**2836.95**	**891.30**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थित 23 मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उपर्युक्त सूची बनाई गई है । इन आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रश्न सूची में प्रश्न क्रमांक 53 से प्रश्न क्रमांक 64 तक के प्रश्नों के माध्यम से जो परिणाम आये हैं उनसे उक्त सारिणी का निर्माण किया गया है । उक्त क्रमाकों के प्रश्न इस प्रकार हैं -

1. संस्थ/विद्यालय का नाम एवं स्थान-
2. विद्यालय में कुल कक्षों की संख्या कितनी है ?
3. इन कक्षों में से विद्यार्थियों की कक्षाऐं कितने कक्षों में हैं ?
4. इन कक्षों में प्रयोग शालाऐं कितने कक्षों में हैं ?
5. प्रधानाचार्य एवं कार्यालय उपयोग में कितने कक्ष आते हैं ?
6. विद्यालय में अध्यापकों को बैठने के लिए क्या व्यवस्था है ?
7. विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए क्या व्यवस्था है ?
8. विद्यालय में कुछ कितना फर्नीचर है ?
9. विगत तीन वर्षो से विद्यालय में फर्नीचर की स्थिति क्या है ?
१०. विगत तीन वर्षो से विद्यालय में कितनी प्रयोग शालाऐं हैं ?
11. विद्यालय में पुस्तकालय कितने कक्षों में है ?
12. विद्यालय पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं ?
13. इनमें से पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकें कितनी हैं ?

सूची क्रमांक - 13

विद्यालय का नाम	क्रीड़ा कक्ष	क्रीड़ा स्थल	विद्यालय में खेलों की व्यवस्था	पाठ्य सहगामी क्रियाऐं
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	है	है	छोटे बच्चों के सभी खेल	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	है	है	वॉलीवॉल,फुटवॉल, क्रिकेट आदि	निबंध प्रतियोगिता, पिकनिक
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	है	है	फुटवॉल, क्रिकेट, टैनिस आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	है	है	सभी खेल	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	है	है	सभी खेल	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	निबंध प्रतियोगिता, पिकनिक
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	है	है	छोटे बच्चों के सभी खेल	निबंध प्रतियोगिता, पिकनिक
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	है	है	फुटवॉल, वॉलीवॉल, क्रिकेट आदि	निबंध प्रतियोगिता, पिकनिक
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	है	है	टैनिस, खोखो, फुटवॉल आदि	निबंध प्रतियोगिता, पिकनिक
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	है	है	बैडमिन्टन, थ्रोवॉल, हॉकी आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	है	है	बैडमिन्टन, थ्रोवॉल, हॉकी आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	है	है	बैडमिन्टन, थ्रोवॉल, हॉकी आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	है	है	बैडमिन्टन, थ्रोवॉल, हॉकी आदि	वाद विवाद, भाषण, निबन्ध
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	है	है	बैडमिन्टन, थ्रोवॉल, हॉकी आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	है	है	क्रिकेट, हॉकी, फुटवॉल आदि	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	है	है	छोटे बच्चों के सभी खेल	सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध

विभिन्न मिशनरी विद्यालयों के सर्वेक्षण के लिए बनाई गई, प्रश्न सूची से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत सारिणी बनाई गई है । इसमें प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक 65 से लेकर प्रश्न क्रमांक 68 तक के प्रश्नों की सूचनाओं को एकत्रित किया गया है । इस प्रश्न सूची में सम्मिलित प्रश्न निम्न हैं -

1. संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान -
2. विद्यालय में क्रीड़ा कक्ष है अथवा नहीं ?
3. क्या विद्यालय के पास क्रीड़ा स्थल है ?
4. विद्यालय में कौन-कौन से खेलों की व्यवस्था है ?
5. विद्यालय में पाठ्यक्रम के साथ-साथ और कौन-कौन सी सहयोगी क्रियाऐं आयोजित की जाती हैं ?

सूची क्रमांक - 14

विद्यालय का नाम	उ०प्र० शासन के नियमों का पालन होता है	शासन द्वारा घोषित वेतनमान दिये जा रहे हैं।
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	नहीं	हाँ
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	हाँ	हाँ
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	हाँ	नहीं
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	हाँ	हाँ
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	हाँ	नहीं
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	नहीं	समकक्ष
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	हाँ	नहीं
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	नहीं	नहीं
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	हाँ	हाँ
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	हाँ	हाँ
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	कुछ	बेसिक
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	हाँ	नहीं
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	हाँ	नहीं
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	हाँ	नहीं
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	हाँ	नहीं

इस सूची को तैयार करने के लिये शोधकर्ता ने प्रश्न सूची सिर्फ दो प्रश्नों को लिया है, जिसमें प्रश्न सूची के प्रश्न क्रमांक – **73** एवं प्रश्न क्रमांक – **74** हैं । इन प्रश्नों के उत्तर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त कर परिणाम के आधार पर यह सूची तैयार की गई है । वे प्रश्न निम्न हैं –

1- विद्यालय का नाम एवं स्थान

2- क्या विद्यालय पर उत्तर प्रदेश शासन के नियम लागू होते हैं ?

3- क्या इस विद्यालय में शिक्षकों को शासन द्वारा घोषित वेतनमान दिये जा रहे हैं ?

सूची क्रमांक - 15

विद्यालय का नाम	शासकीय सुविधाऐं	अवकाश सुविधा नियमानुसार	भविष्य निधि कटौती	शिक्षकों को संतुष्टि मिलती है ?	जनता से सहयोग
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	अधिक	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न 23 विद्यालयों में व्यापक सर्वेक्षण के लिए तैयार की गई प्रश्न सूची को आधार बनाकर परिणामों के आधार पर उक्त सूची तैयार की गई है । जिसमें प्रश्न क्रमांक 75 से लेकर 79 तक के प्रश्नों के परिणामों को एकत्रित कर सूची निर्मित की गई, जिन प्रश्नों के परिणामों के आधार पर सूची निर्मित हुई है वे इस प्रकार हैं -

1. विद्यालय संस्था का नाम एवं स्थान -
2. क्या इस विद्यालय में शिक्षकों को वे सभी सुविधाऐं प्राप्त हैं जो शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्राप्त हैं ?
3. क्या शिक्षकों को अवकाश सुविधायें शासकीय नियमों के अनुरूप प्राप्त होती हैं ?
4. क्या इस विद्यालय में शिक्षकों की भविष्य निधि की कटौती शासकीय मापदण्डों के अनुरूप है ?
5. क्या इन परिस्थितियों में शिक्षक अपने आप को सन्तुष्ट महसूस करते हैं ?
6. क्या यह विद्यालय जनता से पूर्ण सहयोग प्राप्त करता है ?

सूची क्रमांक - 16

विद्यालय का नाम	धार्मिक आधार के कारण विद्यालय की छवि अच्छी मानी जाती है	धार्मिक आधार होने के कारण कठिनांइयाँ आती हैं।	कठिनाइयों से मुक्ति के लिए संस्था उपाय करती है।
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	हाँ	नहीं	नहीं
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	हाँ	नहीं	नहीं
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	हाँ	नहीं	नहीं
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	हाँ	नहीं	नहीं
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	हाँ	नहीं	नहीं

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न 23 विद्यालयों में व्यापक सर्वेक्षण के लिए जो प्रश्न सूची तैयार की थी, उस सूची के प्रश्न क्रमांक 80 से लेकर 82 तक के परिणामों के आधार पर सूची निर्मित की गई है । उक्त सूची में जिन प्रश्नों के परिणाम सम्मिलित किये गये वे निम्न हैं -

1. संस्था/ विद्यालय का नाम एवं स्थान-
2. धार्मिकता के कारण विद्यालय की छवि अच्छी मानी जाती है ?
3. क्या विद्यालय के संचालन में धार्मिकता के कारण कठिनाइयाँ आती हैं, यह कठिनाइयाँ किनके द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं ?
4. इन कठिनाइयों से मुक्ति के लिए संस्था क्या उपाय अपनाती है या करती है ?

सूची क्रमांक - 17

विद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	राज्य सरकार द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है।	शिक्षण का माध्यम
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	आई०सी०एस०ई	नहीं	अंग्रेजी
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	आई०सी०एस०ई०	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	एन०सी०आर०टी	नहीं	अंग्रेजी
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	आई०सी०एस०ई०	नहीं	अंग्रेजी
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रजी
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	आई०सी०एस०ई०	नहीं	अंग्रेजी
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	आई०सी०एस०ई०	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	आई०सी०एस०ई०	नहीं	अंग्रेजी
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	आई०सी०एस०ई०	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	आई०सी०एस०ई०	नहीं	अंग्रेजी
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	हिन्दी/अंग्रेजी
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद	नहीं	अंग्रेजी

क्रमशः ......

सूची क्रमांक - 17 शेष

विद्यालय का नाम	शिक्षण की विधियाँ	शिक्षण शैली से छात्र संतुष्ट हैं	परीक्षा परिणामों पर प्रभाव	शिक्षण शैलियों से रटने की प्रवृत्ति का विकासहोता है
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	थोड़ा सा
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	सभी विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	सभी विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	खेल,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	खेल,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	सभी विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	सभी विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	प्रश्नोत्तर,व्याख्यॉन विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	सामान्य विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	सामान्य विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	सामान्य विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	सामान्य विधियाँ	हाँ	अच्छा	नहीं

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों की मिशनरी संस्थाओं का व्यापक सर्वेक्षण किया । सर्वेक्षण के लिए शोधकर्ता ने एक प्रश्न सूची तैयार की, उस प्रश्न सूची के माध्यम से सूचनाऐं एकत्रित कीं । उपर्युक्त सूची, प्रश्न सूची में अंकित प्रश्न क्रमांक 83 से लेकर 89 तक के प्रश्नों के आधार पर एकत्रित सूचनाओं को आधार मानकर तैयार की गई है । प्रश्न सूची के वे प्रश्न निम्न हैं -

1. संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान
2. विद्यालय में कक्षा - 8 , कक्षा - 10, कक्षा - 12 में कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया गया है ?
3. इस पाठ्यक्रम को अपनाने में राज्य सरकार कोई बाधा उत्पन्न करती है ?
4. विद्यालय में इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए किस माध्यम को अपनाया गया है ?
5. विद्यालय में शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई गई है ?
6. क्या शिक्षण की इस शैली से छात्र सन्तुष्ट हैं ?
7. क्या इस शैली द्वारा शिक्षण से परीक्षा परिणामों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ?
8. क्या यह शिक्षण शैली छात्रों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करती है ?

सूची क्रमांक - 18

विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य सेवाऐं	शासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध है	स्वास्थ्य शुल्क लिया जाता है	शिक्षा हेतु आने वाले छात्रों के क्षेत्र	क्षेत्रों की प्रमुखता	आने वाले छात्रों की प्रमुखता का आधार
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	हाँ	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	हाँ	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	हाँ	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	हाँ	नहीं	नहीं	कस्बे/देहात	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	हाँ	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	क्षेत्रीय	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	हाँ	नहीं	नहीं	नगर	नगर क्षेत्र	सामाजिक
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	नहीं	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	नहीं	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	नहीं	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	हाँ	नहीं	नहीं	नगर/गाँव	नगर क्षेत्र	सामाजिक

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मिशनरी संस्थाओं का व्यापक सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण से पूर्व शोधकर्ता ने एक प्रश्न सूची तैयार की, उस प्रश्न सूची के माध्यम से सूचनाऐं एकत्रित की गईं । उपर्युक्त सूची, प्रश्न सूची में अंकित प्रश्न क्रमांक 92 से 97 तक के प्रश्नों के द्वारा एकत्रित सूचनाओं को आधार मानकर तैयार की गई । प्रश्न सूची के प्रश्न निम्न हैं -

1. संस्था/विद्यालय का नाम एवं स्थान -
2. क्या इस विद्यालय में समुचित स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हैं ?
3. क्या यह स्वास्थ्य सेवाऐं शासन द्वारा उपलब्ध कराईं जाती हैं ?
4. क्या इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छात्रों से कोई शुल्क लिया जाता है ?
5. इस विद्यालय में किन अंचलों या क्षेत्रों से छात्र पढ़ने आते हैं ?
6. विद्यालय में आने वाले छात्रों में किन क्षेत्रों के छात्रों की प्रमुखता होती है ?
7. इस विद्यालय में आने वाले छात्रों की प्रमुखता का आधार क्या है ?

शोधकर्ता ने शोध विधि अध्याय में दी गई, पब्लिक प्रश्न सूची के द्वारा मिशनरी विद्यालयों के प्रति जन भावनाओं को जानने की कोशिश की है । शोधकर्ता ने लगभग **150** लोगों के विचार विभिन्न विन्दुओं पर जानने की कोशिश की है । शोधकर्ता ने जनमानस के तीन वर्गों शिक्षित, अर्द्धशिक्षित, अशिक्षित के रूझानों के आधार पर जो आँकड़े प्राप्त किये हैं वह इस प्रकार हैं -

सूची क्रमांक - 19

जन समुदाय के वर्ग	संस्कृति के अनुरूप विकास		लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति		आधुनिकता का विकास		संतुष्टि मिलती है ?	
	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
शिक्षित	06	44	18	32	42	08	18	32
अर्द्धशिक्षित	02	48	08	42	40	10	34	16
अशिक्षित	30	20	18	32	33	17	30	20
योग :	**38**	**112**	**44**	**106**	**115**	**35**	**82**	**68**

उपर्युक्त सूची, पब्लिक प्रश्न सूची के प्रश्नों के रूझानों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा निर्मित की गई है, शोधकर्ता ने पब्लिक प्रश्न सूची के प्रश्नों को चार भागों में विभाजित किया है । उपर्युक्त सूची **150** व्यक्तियों के जनमत के आधार पर तैयार की गई है । इसमें लगभग **50** शिक्षित, **50** अर्द्धशिक्षित और **50** अशिक्षित व्यक्तियों के मतों को एकत्रित किया गया है ।



अध्याय - सप्तम्

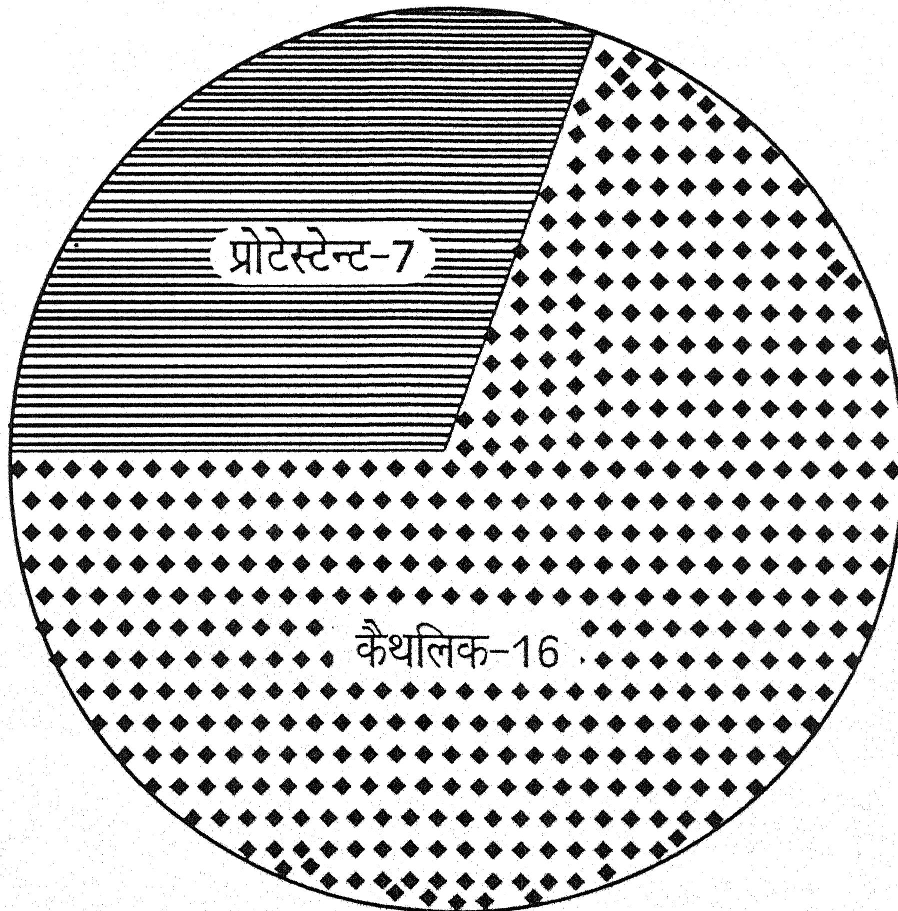
अध्याय - सप्तम्

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :-

शोधकर्ता ने अध्याय 6 में, जो सूचियाँ संकलित की हैं, उनका विश्लेषण एवं व्याख्या इस प्रकार है -

सूची क्रमांक - 1 का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में कैथलिक/प्रोटेस्टेन्ट संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों का- चक्राकृति प्रदर्शन :-



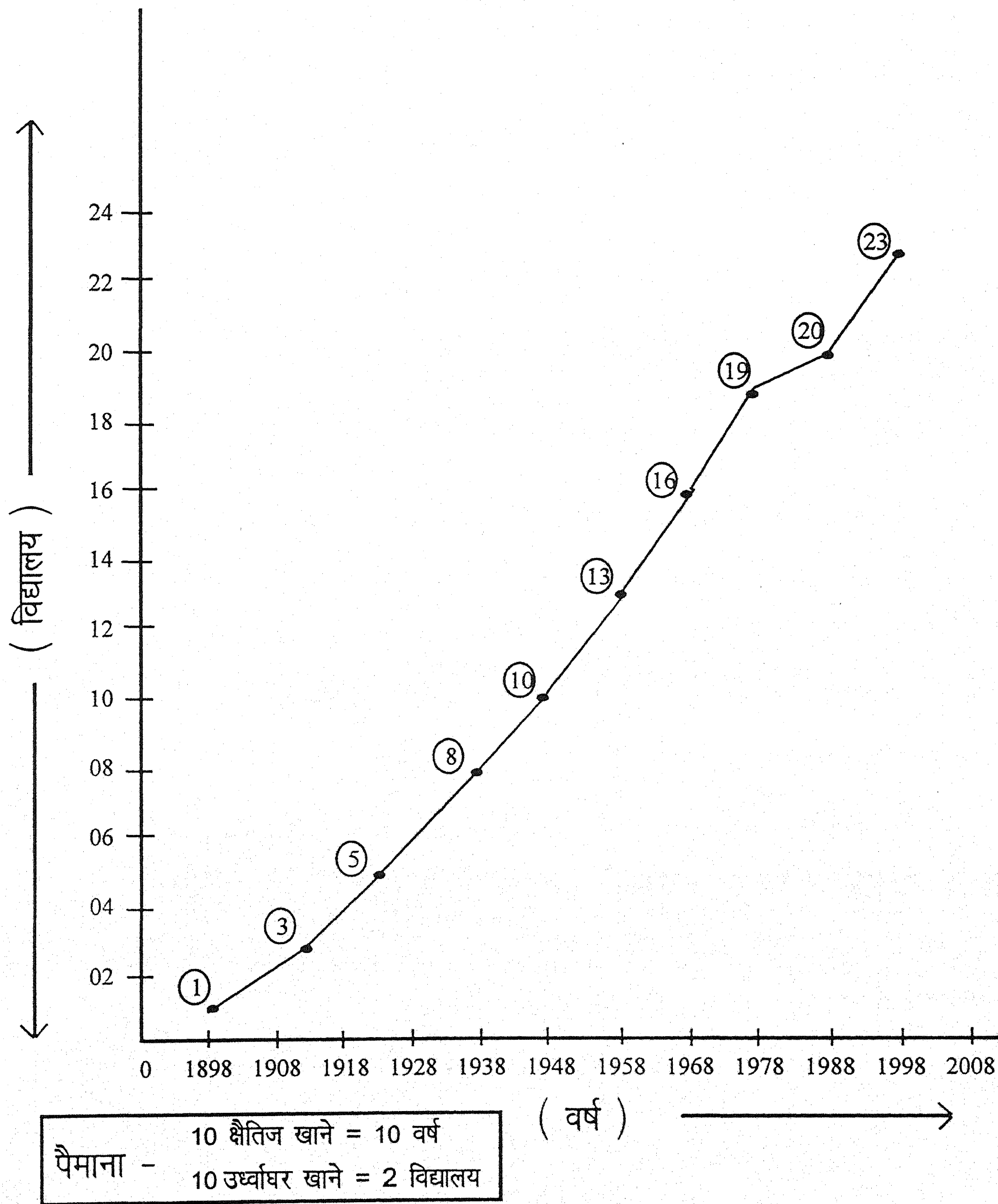
संकेत :-

◆◆◆◆ कैथलिक

☰ प्रोटेस्टेन्ट

सूची क्रमांक - 1 का रैखिक प्रदर्शन द्वारा विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) में मिशनरी विद्यालयों की औसत बृद्धि-रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शितः-



पैमाना - 10 क्षैतिज खाने = 10 वर्ष
10 उर्ध्वाधर खाने = 2 विद्यालय

सूची क्रमांक 1 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में स्थित 23 मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों को देखने से यह परिलक्षित होता है, कि प्रारम्भिक अवस्था से आज तक इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) की शिक्षा में कैथलिक सम्प्रदाय की शिक्षण संस्थाऐं, जो संख्या में 15 हैं, प्रथम स्थान पर हैं । इसके साथ ही साथ प्रोटेस्टेन्ट मिशनरियों के 7 विद्यालय हैं, जो सूची एवं चक्राकृति द्वारा प्रदर्शित हैं ।

इन सभी संस्थाओं को देखने से, एक पक्ष यह भी सामने आता है, कि बुन्देलखण्ड (उ०प्र०) क्षेत्र के जिला झाँसी में मिशनरी विद्यालयों की संख्या बहुत ज्यादा है । जबकि अन्य जनपदों में इनकी संख्या बहुत कम है, यह बात भी सूची देखने से सुस्पष्ट हो जाती है ।

शोधार्थी को प्रस्तुत रेखाचित्र एवं सूची का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मिशनरी संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में 1898 में झाँसी नगर क्षेत्र में सेन्ट फ्रान्सिस कॉन्वेन्ट स्कूल को स्थापित कर पदार्पण किया ।

रेखाचित्र यह भी प्रदर्शित करता है कि वर्ष 1898 से वर्ष 1998 तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में इन मिशनरी विद्यालयों की संख्या का ग्राफ 23 तक पहुँच गया । यह रैखिक प्रदर्शन यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि वर्ष 1898 से वर्ष 1998 तक 100 वर्षों के अन्तराल में प्रत्येक 10 वर्ष में औसतन दो विद्यालय खोले गये ।

सूची से यह भी प्रदर्शित होता है, कि इन विद्यालयों को विभिन्न मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

सूची क्रमांक 2 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में स्थित **23** मिशनरी विद्यालय से प्राप्त आँकड़ों को देखने से यह परिलक्षित होता है, कि स्थापना वर्ष में सभी विद्यालयों का स्तर प्राथमिक ही था । स्थापना वर्ष में विद्यालयों के भवनों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। सूची को देखने पर इन विभिन्न मिशनरी विद्यालयों की भवन की स्थिति यथा - **07** साधारण भवन, **03** खपरैल के, **02** साधारण बंगले में, **05** सामान्य भवनों में, **01** दो कमरे में, **01** तीन कमरे में, **01** चर्च बंगले में, **01** हॉल में, **01** छोटे से कमरे में और एक किराये के भवन में थी ।

सूची के आधार पर शोधकर्ता यह समझ पा रहा है, कि इन सभी मिशनरी विद्यालयों में औसम रूप से स्थापना वर्ष में **03** अध्यापक कार्यरत थे, एवं सभी संस्थाओं में औसतन छात्र संख्या **63** एवं औसतन कक्षाऐं **02** थीं ।

अतः शोधकर्ता यह समझ पा रहा है, कि प्रारम्भ में मिशनरी विद्यालयों का रूप, आकार, स्तर, स्थिति बहुत ही छोटी थी, और आज की परिस्थिति में उनकी मेहनत, लगन और अज्ञात अन्तर्मन की भावना का परिणाम प्रत्यक्ष में हम सभी के सामने है ।

सूची क्रमांक 3 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

(स्थापना वर्ष से जू०हा० स्कूल की मान्यता में लगा समय - सूची द्वारा प्रदर्शित)

विद्यालय का नाम	विद्यालय का स्थापना वर्ष	जू० हा० स्कूल मान्यता वर्ष	जू० हा० स्कूल तक उच्चीकृत होने में लगा समय (वर्षों में)
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1940	1945	05
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	1964	1970	06
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1941	1946	05
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1964	1986	22
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1989	1996	07
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मउरानीपुर	1953	1962	09
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1976	1987	11
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1967	1982	15
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	1946	1945	-
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1898	1928	30
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1951	1961	10
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1953	1962	09
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1910	1930	20
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	1979	1996	27
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	1986	1992	06
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	1926	2001	75
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1926	1950	24
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1930	1936	06
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	1910	1930	20
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1930	1986	56
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	1990	1996	06
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1932	1961	29
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	1990	1994	04

सूची क्रमांक 3 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

शोधकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये मिशनरी विद्यालय प्रारम्भ में बहुत ही छोटे आकार के भवनों में प्रारम्भ हुए । जिनका स्वरूप छोटे मकानों या बंगलों के रूप में भी रहा । इस प्रारम्भिक अवस्था में इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत कम थी । प्रायः कुछ विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विद्यालयों में छात्र संख्या 100 के आस-पास या इससे कम थी ।

सूची देखने से एक बात और दृष्टिगत हो रही है, कि इन सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य प्रारम्भ में सदैव ईसाई रहे, अन्य किसी धर्म का कोई भी नहीं रहा ।

सूची देखने से एक बात और स्पष्ट हो रही है, कि 90 के दशक में जो विद्यालय खुले हैं, या स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो विद्यालय स्थापित हुए उनमें छात्र संख्या प्रारम्भ से ही ज्यादा रही है । जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व यह छात्र संख्या कम थी । अतः शोधकर्ता इसका यह कारण समझ पा रहा है, कि भारतवर्ष प्रजातांत्रिक एवं धर्म निरपेक्ष जैसे देश में यह संस्थाऐं छात्र संख्या बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र थीं ।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत सूची का अवलोकन करने से एक स्थिति और उभरकर सामने आ रही है, कि इन संस्थाओं को विद्यालय का स्तर बढ़ाने में कोई रूचि नहीं थी यह केवल साक्षर करने में ही लगे रहे । द्वितीय सूची जो पूर्व पृष्ठ पर दी गई है को देखने से यह स्पष्ट होता है, कि मात्र 4 विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी विद्यालय आजादी के बाद जूनियर कक्षाओं तक उच्चीकृत हुए । इसमें शून्य से दस वर्ष में 10, ग्यारह से बीस वर्ष में 4, एवं शेष सभी विद्यालयों में इससे भी अधिक समय अन्तराल उच्चीकृत होने में लगा ।

सूची देखने से एक बात और स्पष्ट हो रही है कि इन सभी विद्यालयों में मान्यता वर्ष में औसतन छात्र संख्या 172 के लगभग रही ।

प्रारम्भिक अवस्था में इन विद्यालयों ने मैकाले की शिक्षा नीति का अनुसरण किया, किन्तु बाद में यह अनुभव किया, कि इन विद्यालयों को आर्थिक रूप से भी सबल बनाया जाये । अतः इन विद्यालयों में छात्र संख्या तीव्रता से बढ़ी ।

शोधार्थी यह भी अनुभव करता है कि इन संस्थाओं के प्रधान के रूप में मात्र ईसाइयों की नियुक्ति यह दर्शाती है, कि इन संस्थाओं ने केवल ईसाई धर्मावलम्बियों के हितों का ही विशेष ध्यान रखा । तथा उन्हीं पर विश्वास भी व्यक्त किया । आज भी इन सभी संस्थाओं में इसी भावना का प्रभाव देखने को मिल रहा है जैसा कि पूर्व प्रस्तुत सूची भी प्रदर्शित कर रही है ।

सूची क्रमांक 4 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

(जू०हा० स्कूल से हाई स्कूल की मान्यता में लगा समय - सूची द्वारा प्रदर्शित)

विद्यालय का नाम	जू० हा० स्कूल मान्यता वर्ष	हाई स्कूल का मान्यता वर्ष	हाई स्कूल तक उच्चीकृत होने में लगा समय (वर्षों में)
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1945	1950	05
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	1970	-	-
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1946	1949	03
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1986	1994	08
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1996	1998	02
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मऊरानीपुर	1962	1993	31
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1987	1987	-
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1982	1990	08
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	1945	-	-
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1928	1942	14
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1961	1995	34
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1962	1993	31
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1930	1937	07
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	1996	-	-
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	1992	-	-
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	2001	2001	-
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1950	1953	03
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1936	1945	09
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	1930	-	-
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1986	1992	06
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	1996	2001	05
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1961	1982	21
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	1994	2001	07

सूची क्रमांक 4 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

शोधकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है, के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है, कि इन संस्थाओं को विद्यालय के स्तर बढ़ाने में रूचि नहीं रही। और मैकाले शिक्षा की ओर बढ़ते रहे। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन विद्यालयों की शिक्षा का उन्नयन आजादी के बाद हुआ।

सूची के अवलोकन से यह स्थिति भी सामने आ रही है, कि प्राथमिक से जूनियर और जूनियर से हाई स्कूल तक उच्चीकृत होने में इन संस्थाओं को अधिक समय लगा। इन **23** विद्यालयों में **18** विद्यालय हाई स्कूल स्तर की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं जबकि **5** विद्यालय आज तक प्राईमरी या जूनियर स्तर के ही हैं। इन विद्यालयों में केवल दो विद्यालय ऐसे हैं, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल वर्ग में आये। शेष सभी विद्यालय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हाई तक उच्चीकृत हुए।

शोधार्थी यह अनुभव कर रहा है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व इन विद्यालयों का विकास नही किया गया। इसके पीछे इनकी मानसिकता सिर्फ संख्या बढ़ाना ही रही और यह सिर्फ धर्म के प्रचार में लगे रहे, या फिर वे सिर्फ साक्षर करना चाहते थे। उनकी यह भावना भारतीय संस्कृति के लिए हानिकारक रहीं। प्रजातांत्रिक राष्ट्र में इनको अल्पसंख्यक घोषित करने पर सुविधाऐं ज्यादा मिलीं तत्पश्चात् इन संस्थाओं का विकास हुआ।

सूची के अवलोकन से यह बात भी सामने आ रही है, कि इन सभी संस्थओं में मान्यता वर्ष में औसतन छात्र संख्या **290** छात्र प्रति विद्यालय रही। इसके साथ ही एक बात और दृष्टिगत हो रही है कि इन सभी विद्यालयों में प्रधाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य सदैव ईसाई रहे, अन्य किसी धर्म का कोई भी नहीं रहा। चाहे विद्यालय का स्तर कुछ भी रहा हो।

सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इन विद्यालयों में से **10** विद्यालय उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त हैं शेष सभी विद्यालय एंग्लो इण्डियन या आई०सी०एस०ई० बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं।

सूची क्रमांक 5 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

(हाई स्कूल से इण्टरमीडिएट की मान्यता में लगा समय - सूची द्वारा प्रदर्शित)

विद्यालय का नाम	हाई स्कूल का मान्यता वर्ष	इण्टरमीडिएट का मान्यता वर्ष	इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत होने में लगा समय (वर्षों में)
क्राइस्ट दि किंग कॉलेज झाँसी	1950	1975	25
सेन्ट जोसफ जू० हाई स्कूल झाँसी	-	-	-
सेन्ट ज्यूड्स इण्टर कॉलेज झाँसी	1949	2001	52
सेन्ट जोसफ स्कूल महोबा	1994	1997	03
कैथेड्रिल कॉलेज झाँसी	1998	2000	02
सेन्ट मैरी हाई स्कूल मउरानीपुर	1993	-	-
सेन्ट जेबियर स्कूल बी०एच०ई०एल०	1987	1999	12
सेन्ट मेरीज हाई स्कूल ललितपुर	1990	-	-
क्राइस्ट दि किंग प्राइमरी झाँसी	-	-	-
सेन्ट फ्रान्सिस कॉ० हा०स्कूल झाँसी	1942	1995	53
निर्मला कॉन्वेन्ट हा०स्कूल झाँसी	1995	-	-
सन्त मेरीज हा० स्कूल झाँसी	1993	-	-
क्रिश्चियन इ०कॉ० झाँसी	1937	1957	20
लॉटन मेमोरियल जू०हा०स्कूल झाँसी	-	-	-
लेडी रोज दयाल मेमो०कॉ०हा०स्कूल झाँसी	-	-	-
मार्गेट लीस्क मेमो० इंगलिश स्कूल झाँसी	2001	-	-
एच०एम०मेमो०कन्या इं०कॉ० झाँसी	1953	1992	39
सेन्ट मार्क्स कॉलेज झाँसी	1945	1975	30
क्रिश्चियन गर्ल्स जू०हा० स्कूल झाँसी	-	-	-
सन्त रीता स्कूल मानिकपुर, बाँदा	1992	-	-
सेन्ट जेम्स हा० स्कूल चरखारी,महोबा	2001	-	-
सेन्ट थॉमस स्कूल, हमीरपुर	1982	-	-
मिजपा क्रिश्चियन हा०स्कूल उरई (जालौन)	2001	-	-

सूची क्रमांक 5 के आधार पर विश्लेषण एवं व्याख्या :-

शोधकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है, के अवलोकन से शोधकर्ता यह समझ पा रहा है, कि अध्ययन हेतु संकलित इन संस्थाओं में एक भी ऐसी संस्था नहीं रही, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त कर चुकी हो । इन संस्थाओं में जो भी संस्थाऐं आज इण्टरमीडिएट स्तर की हैं वे स्वतन्त्रता के बाद ही इण्टरमीडिएट स्तर पर पहुँचीं ।

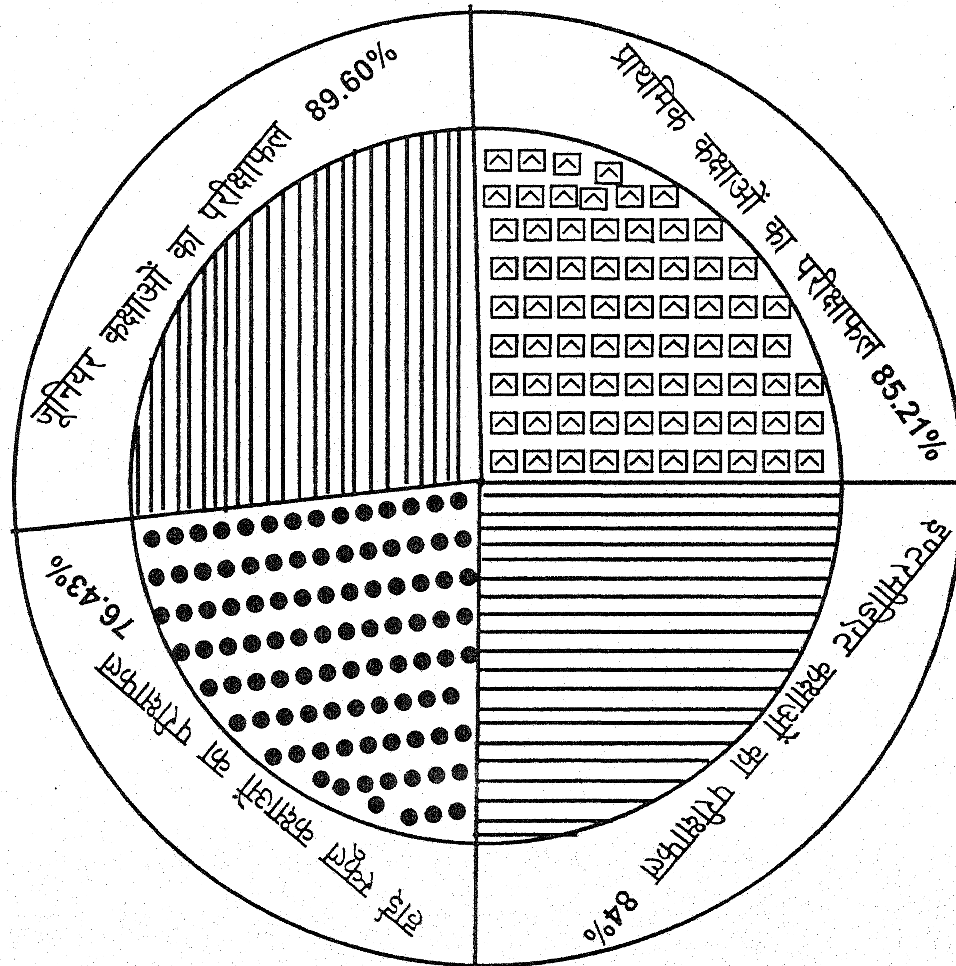
सूची से यह तथ्य भी उभरकर सामने आ रहा है कि संकलित विद्यालयों में सिर्फ **9** विद्यालय ही हाई स्कूल से उच्चीकृत होकर इण्टरमीडिएट स्तर के हो पाये हैं, शेष सभी विद्यालय जू०हा० स्कूल या प्राथमिक स्तर के ही हैं ।

शोधकर्ता सूची के अवलोकन से यह भी समझ पा रहा है, कि इन **9** इण्टरमीडिएट तक उच्चीकृत विद्यालयों में से तीन विद्यालय उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त हैं एवं पांच विद्यालय आई०सी०एस०ई० दिल्ली से एवं एक विद्यालय एंग्लो इण्डियन दिल्ली से मान्यता प्राप्त है । इन विद्यालयों में आई०सी०एस०ई० बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थाऐं अपने शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग एवं उ०प्र० बोर्ड इलाहाबाद से मान्यता प्राप्त संस्थाऐं हिन्दी माध्यम का प्रयोग कर रही हैं ।

सूची से यह भी स्पष्ट होता है, कि इन विद्यालयों में मान्यता वर्ष में औसतन छात्र संख्या (यदि सिर्फ नौ मान्यता प्राप्त विद्यालय ही लिए जायें तो) **506** छात्रों के लगभग रही, और यदि आंकलन हेतु सभी **23** विद्यालय लिये जायें, तो औसतन छात्र संख्या **198** रही । इन सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक सदैव ईसाई ही रहे, अन्य किसी धर्म का एक भी प्रधानाचार्य नहीं रहा ।

सूची क्रमांक - 6 का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के मिशनरी विद्यालयों में
सत्र **1999 - 2000** से **2001 - 2002** तक के
परीक्षा परिणामों का औसत प्रतिशत



संकेतः -

◻◻◻	प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल
‖‖	जू०हा० स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल
●●●	हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल
☰	इण्टरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षाफल

सूची क्रमांक - 6 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

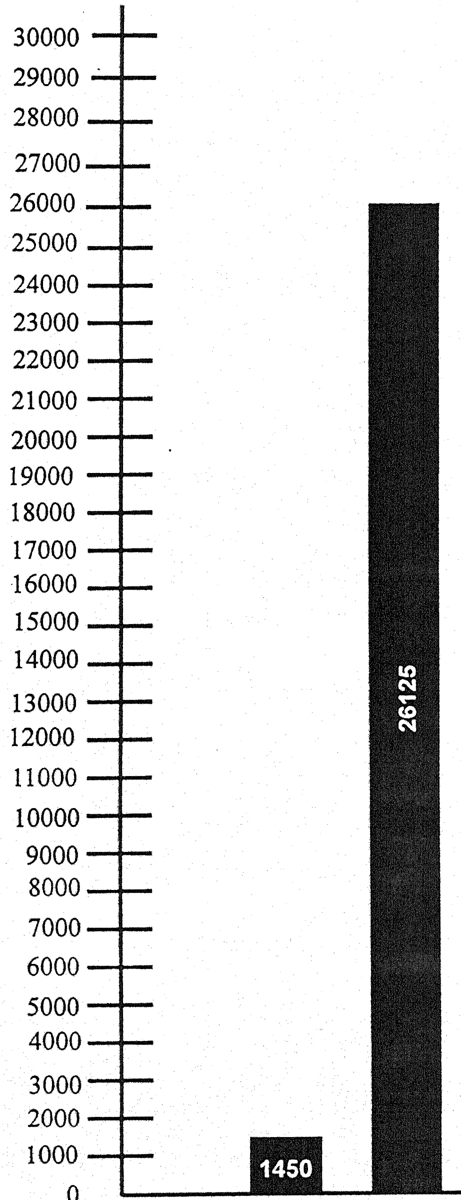
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों का सर्वेक्षण करने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है, कि यह शिक्षण संस्थाऐं अपने यहाँ प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक की कक्षाऐं चला रही हैं । इनमें से कुछ संस्थाऐं उ०प्र० जिला परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० द्वारा मान्यता प्राप्त हैं । किन्तु अधिकांश शिक्षण संस्थाऐं दिल्ली बोर्ड आई०सी०एस०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ।

इन विद्यालयों को यदि, परीक्षाफल की दृष्टि से देखें, तो सभी विद्यालय प्रतिवर्ष लगभग **85** प्रतिशत का परीक्षा परिणाम प्रदान कर रहे हैं । शोधकर्ता द्वारा इस बात को प्रस्तुत चक्राकृति द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है । इस चक्राकृति में इन विद्यालयों के विगत तीन वर्षों के यथा **1999 - 2000** से **2001 - 2002** तक का परीक्षाफल लिया गया है । यह परीक्षाफल यदि चक्राकृति में देखें, तो ज्ञात होता है कि उल्लिखित तीन वर्षों में प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल **85.21** प्रतिशत, जू०हा० स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल **89.60** प्रतिशत, हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल **76.43** प्रतिशत एवं इण्टरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षाफल **84** प्रतिशत रहा है ।

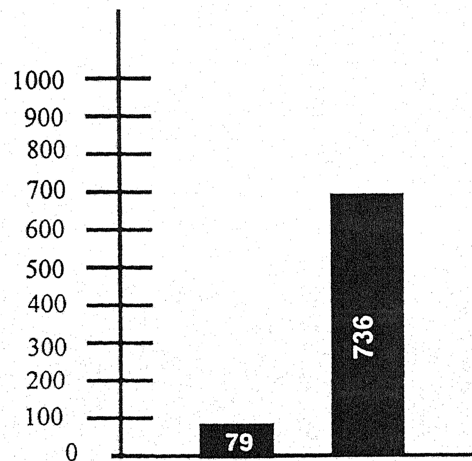
इन तीन वर्षों के परीक्षाफल को देखने से शोधार्थी को ऐसा आभास होता है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का स्तर कुछ अच्छा है । यही कारण है, कि औसत रूप से यहाँ तीन वर्षों के परीक्षाफल का प्रतिशत **85.34** के लगभग रहा है । इस अच्छे परीक्षा परिणाम का कारण शिक्षकों द्वारा किया जाने वाला परिश्रम एवं कुछ मात्रा में इन शिक्षण संस्थाओं का शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होना भी है ।

सूची क्रमांक - 7 का स्तम्भाकृति द्वारा विश्लेषण

स्थापना वर्ष से वर्तमान तक छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या में बृद्धि का प्रदर्शन-



(आकृति नं०-1)



(आकृति नं०-2)

पैमाना - एक उर्ध्वाधर खाने = 1000 छात्र (आकृति नं०-1)

पैमाना - एक उर्ध्वाधर खाने = 100 अध्यापक (आकृति नं०-2)

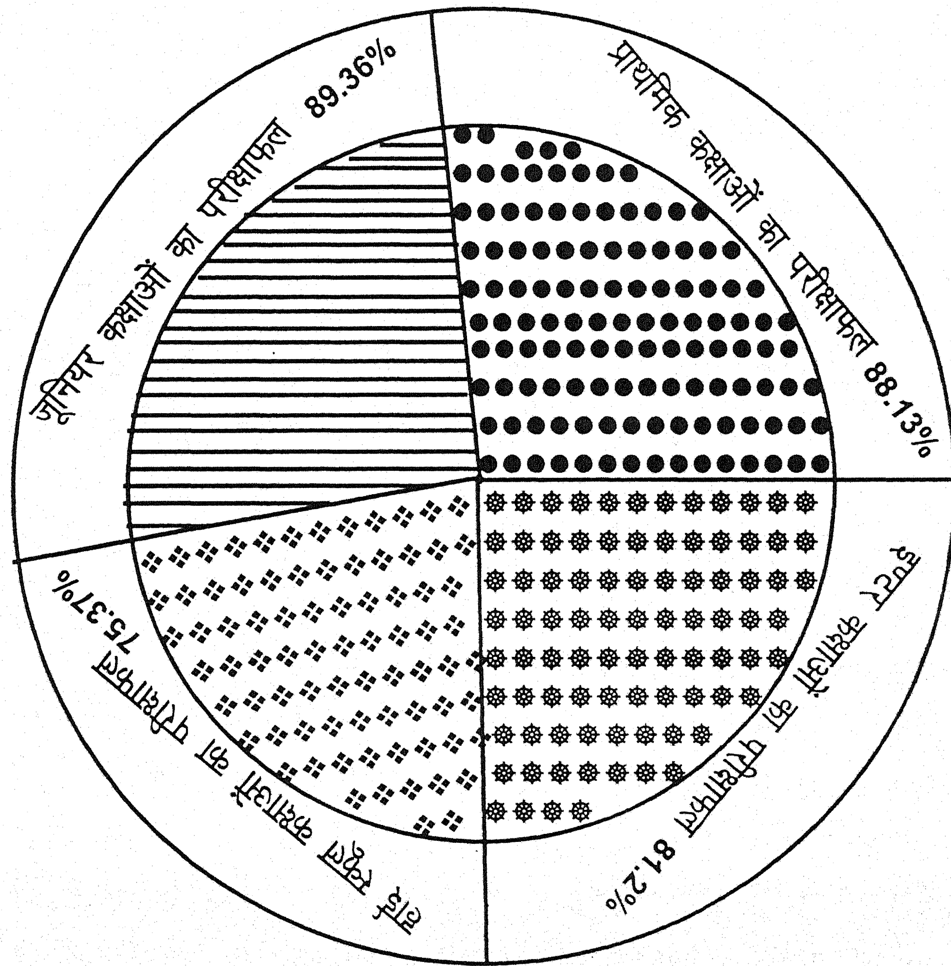
सूची क्रमांक - 7 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषणः-

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के जिन 23 मिशनरी विद्यालयों को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया है, उनसे प्राप्त सूचनाओं, आँकड़ों को देखने से एवं दण्डाकृति प्रदर्शन से यह भी प्रदर्शित हो रहा है, कि लगभग 100 वर्षों के अन्तराल में अध्यापकों की संख्या लगभग सौ गुनी बढ़ी है, इसी के साथ-साथ आँकड़ों की सूची एवं दण्डाकृति यह भी प्रदर्शित कर रही है, कि इसी अवधि में इन्हीं शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की संख्या लगभग दो सौ गुनी बढ़ी है ।

यह विश्लेषण यह स्पष्ट कर रहा है, कि जिस गति से छात्रों की संख्या में बृद्धि हुई है । उस अनुपात में इन शिक्षण संस्थाओं के अन्दर शिक्षकों की संख्या में बृद्धि नहीं हुई है, जो इस बात का संकेत प्रदान कर रही है कि इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के ऊपर कार्य का दबाव बहुत अधिक है । इसमें कुछ ऐसा आभास भी हो रहा है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक जाना पसन्द नहीं करते, शायद यह इसलिए है । क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान नहीं दिया जाता है, किन्तु कार्य ज्यादा लिया जाता है । अन्यथा छात्रों की संख्या में बृद्धि एवं अध्यापकों की संख्या में बृद्धि का अनुपात लगभग एक जैसा होना चाहिए था, जो प्रस्तुत सूची एवं दण्डाकृति द्वारा प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है ।

सूची क्रमांक - 8 का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के मिशनरी विद्यालयों में विगत कई वर्षों के परीक्षा परिणामों का औसत प्रतिशत



संकेतः -

●●● प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल

☰ जू०हा० स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल

❖❖❖ हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल

✵✵✵ इण्टरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षाफल

सूची क्रमांक - 8 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० में मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों क सर्वेक्षण करने के बाद, प्रस्तुत सूची से यह स्पष्ट हो रहा है, कि इन सभी मिशनरी विद्यालयों में एक बात परिलक्षित होती है, कि इन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम- प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट तक बहुत ही अच्छे रहे हैं । इस बात की पुष्टि उक्त सूची देखने पर होती है, जिसमें शोधार्थी ने प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक स्तर के, स्थापना वर्ष से अब तक के परीक्षा परिणामों का औसत प्रतिशत सूची में दिया है ।

सूची से यह भी स्पष्ट हो रहा है, कि इन विद्यालयों के सभी स्तरों के परीक्षाफल औसतन **85** प्रतिशत के लगभग रहे हैं, यह बात शोधार्थी ने चक्राकृति द्वारा भी प्रदर्शित की है । इस चक्राकृति में विगत कई वर्षों के परीक्षाफलों का औसत प्रतिशत दर्शाया गया है । यह परीक्षाफल यदि चक्राकृति में देखें, तो विभिन्न कक्षाओं के परीक्षाफल का औसत प्रतिशत निम्न रहा -

प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षाफल का औसत प्रतिशत - **88.13**
जूनियर कक्षाओं का परीक्षाफल का औसत प्रतिशत - **89.36,**
हाई स्कूल कक्षाओं का परीक्षाफल का औसत प्रतिशत - **75.37**
इण्टरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षाफल का औसत प्रतिशत - **81.2**

इन सभी परीक्षाओं में प्रत्येक विद्यालय का औसत प्रतिशत लगभग **85** रहा है ।

इन सभी परीक्षा परिणामों को देखने से, शोधार्थी को कुछ ऐसा आभास होता है कि इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का स्तर कुछ अच्छा है । यही कारण है, कि यहाँ औसत रूप से अच्छे परिणाम आ रहे हैं । इन अच्छे परिणामों का कारण शिक्षकों द्वारा किया जाने वाला परिश्रम और कुछ मात्रा में इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होना भी है ।

इन परीक्षा परिणामों के ऊपर इस बात का भी प्रभाव पड़ रहा है कि इन विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश एक प्रवेश, परीक्षा के उपरान्त ही दिया जाता है । जिससे इन संस्थाओं में सभी छात्र अच्छे मानसिक स्तर के ही प्रवेश पा पाते हैं । फलतः वे परीक्षाओं में अच्छे परिणाम देते हैं ।

सूची क्रमांक - 9 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के विभिन्न जनपदों में स्थित 23 मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों को देखने से यह परिलक्षित होता है, कि इन विद्यालयों के स्थापना समय के प्रारम्भ में 19 मिशनरी विद्यालयों में साक्षात्कार द्वारा प्रवेश दो विद्यालयों में सीधे प्रवेश, एवं तीन विद्यालयों में लिखित परीक्षा द्वारा प्रवेश होते थे, किन्तु पूर्व की सूची देखने पर यह बात स्पष्ट होती है, कि नब्बे के दशक में खुलने वाले विद्यालयों में जिनकी संख्या तीन है में ही लिखित परीक्षा प्रारम्भ से ही हुई है । अतः इस स्थिति को मानकर कि विद्यालयों ने प्रारम्भ में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साक्षात्कार या सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को ही अपनाया है, क्योंकि उस समय छात्र संख्या कम रही होगी, किन्तु जैसे-जैसे छात्र संख्या बढ़ी और शासन द्वारा कुछ वैध ाानिक जटिलताऐं खड़ी की गईं, उनको देखते हुए अधिकांश विद्यालयों ने अपने यहां प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ की ।

उक्त सूची से 23 विद्यालयों में से 17 विद्यालयों में लिखित परीक्षा द्वारा प्रवेश दिये जा रहे हैं । पाँच विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से एवं मात्र एक विद्यालय में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है ।

इससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि प्रारम्भिक अवस्था में छात्रों की संख्या बहुत ही सीमित या कम थी । किन्तु आज ज्ञान के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है । इसलिए इन शिक्षण संस्थाओं की छात्र संख्या में तीव्रता से बृद्धि हुई है । इस बृद्धि को देखते हुए एवं प्रवेश सीमित करने के लिए और पारदर्शिता बनाये रखने के लिए अधिकांश विद्यालय लिखित प्रवेश परीक्षा का प्रयोग कर प्रवेश प्रदान कर रहे हैं ।

सूची क्रमांक - 10 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोध कर्ता ने प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है, उसके अवलोकन से यह ज्ञात होता है, कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की लगभग इक्यानवे प्रतिशत मिशनरी शिक्षण संस्थाऐं सरकार अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हैं । वे अपने स्रोतों से अर्जित आय से ही चल रही हैं ।

यह स्थिति बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थित 23 विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों को देखने से परिलक्षित होती है । उक्त विद्यालयों में मात्र 2 विद्यालय ऐसे हैं, जो सरकारी अनुदान प्राप्त हैं । सूची से यह भी ज्ञात होता है, कि स्ववित्त पोषित विद्यालयों का आर्थिक स्रोत केवल फीस है ।

उक्त तथ्यों से शोधकर्ता को ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि स्ववित्त पोषित सरकारी अनुदान विहीन इन इक्यानवे प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के शुल्क के नाम पर काफी पैदा लिया जाता होगा । तभी इन संस्थाओं का खर्चा चल पाता होगा, जो इस बात का संकेत है, कि शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण होता है तथा इसका भार अभिभावकों के ऊपर पड़ता है ।

सूची क्रमांक - 11 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

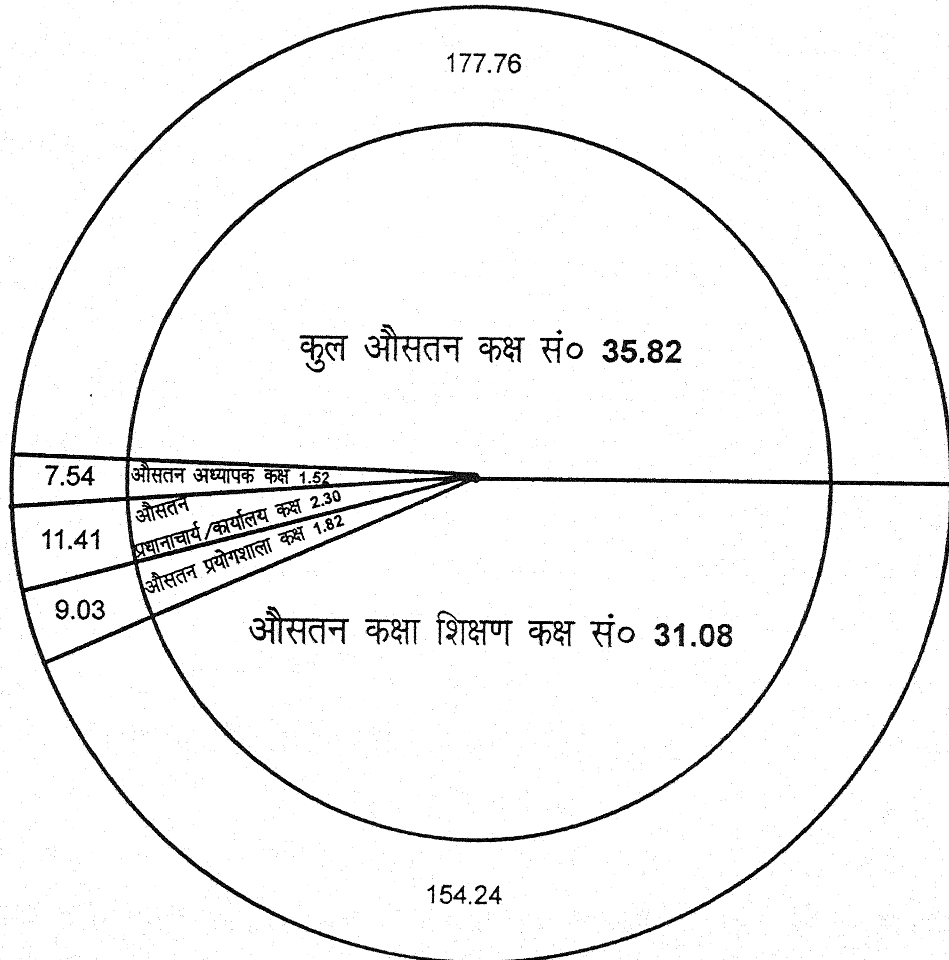
प्रदर्शित सूची देखने पर यह स्थिति उभर कर सामने आई है, कि प्रारम्भ में बुन्देलखण्ड क्षेत्र उ०प्र० में स्थापित किये गये विद्यालयों के भवनों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। या भवन की आज की अवस्था से प्रारम्भिक अवस्था अच्छी नहीं थी । सूची से स्थिति स्पष्ट है, कि स्थापना वर्ष में इन विद्यालय भवनों में साधारण भवनों की संख्या आठ, साधारण बंगला दो, खपरैल के मकान चार, किराये की एक, दो कमरे वाले भवन एक, तीन कमरे वाले भवन एक, हॉल एक, छोटी सी बिल्डिंग दो एवं एक साधारण चर्च बंगला था ।

प्रारम्भ में इन विद्यालयों के भवनों की स्थिति साधारण ही थी । चाहे वह विद्यालय किसी भी क्षेत्र में स्थित रहा हो । किन्तु आज वर्तमान स्थिति देखने से यह स्पष्ट होता है, कि इन विद्यालयों के भवनों का वर्तमान स्वरूप काफी भव्य है, और आवश्यकतानुसार सारी सुविधाऐं इन शिक्षण संस्थाओं ने अपने यहां जुटा रखी हैं । इन विद्यालय के भवनों की यह स्थिति पुनः हमारी इस सोच को सम्बल प्रदान करती है, कि इन विद्यालय भवनों की भव्यता विद्यार्थियों के आर्थिक शोषण के कारण ही आ सकी है । क्योंकि इन विद्यालयों के आय के अन्य कोई स्रोत नहीं हैं ।

अतः शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि इन विद्यालयों की भव्यता एवं संसाधनों को जुटाने के लिए बहुत अधिक धन व्यय हुआ होगा, एवं हो रहा होगा । चूंकि विद्यालयों के पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है । अतः इन सभी सुविधाओं को जुटाने के लिए विद्यार्थियों का ही आर्थिक शोषण किया जा रहा है ।

सूची क्रमांक - 12 का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण

समस्त विद्यालयों के कक्षों के औसतन वितरण का- चक्राकृति प्रदर्शन :-



सूची क्रमांक - 12 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के विभिन्न जनपदों में स्थित 23 मिशनरी विद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों को देखने से, यह परिलक्षित होता है, कि प्रारम्भिक अवस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक इन सभी विद्यालयों में भवन, फर्नीचर, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों की स्थिति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । यह सभी शिक्षण संस्थाऐं जहां प्रारम्भिक अवस्था में मात्र एक -दो कमरे या किराये के भवनों में प्रारम्भ हुई थीं। आज अपने वर्तमान स्वरूप में अच्छे भवनों से युक्त हैं । इनमें अच्छी प्रयोगशालाऐं हैं । फर्नीचर भी समुचित मात्रा में है । विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए समुचित पुस्तकालय कक्ष एवं पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध हैं एवं साथ ही आकर्षक कक्षा कक्ष हैं एवं प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक कक्ष भी उपलब्ध है ।

शोधकर्ता प्रस्तुत सूची के विवरणों को देखकर यह पाता है, कि इन सभी 23 विद्यालयों में औसत रूप से 36 कमरे उपलब्ध हैं । इनमें औसत रूप से 31 कमरें कक्षा शिक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं । प्रयोगशाला कार्य के लिए लगभग दो कक्ष प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हैं । प्रधानाचार्य एवं कार्यालय के प्रयोगार्थ औसत रूप से दो कमरे उपलब्ध हैं । प्रत्येक विद्यालय में औसत रूप से 1.5 कमरे अध्यापक कक्ष के रूप में प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

प्रस्तुत सूची के अवलोकन से शोधकर्ता यह भी समझ पा रहा है, कि इन सभी विद्यालयों में औसत रूप से फर्नीचर की संख्या छात्र संख्या के अनुरूप ही है, जो औसत रूप में लगभग 1600 डेस्क-कुर्सी हैं । विगत तीन वर्षों में प्रारम्भ की अपेक्षा फर्नीचन की स्थिति में तीव्रता से सुधार हुआ है । इन सभी विद्यालयों के पुस्तकालय सम्बन्धी आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि छात्रों के पठन पाठन के लिए पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । औसत रूप से इन विद्यालयों में लगभग 28500 पुस्तकें हैं, जिनमें औसतन 900 पुस्तकें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हैं, इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है, कि यह सभी शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां छात्रों को बैठने, पढ़ने की समुचित सुविधाऐं उपलब्ध करा रहे हैं, और इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर बृद्धि कर रहे हैं ।

सूची क्रमांक - 13 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोधकर्ता ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है, उसके अवलोकन से जो परिणाम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में निकाले हैं वह इस प्रकार हैं- सूची में लिये गये 23 विद्यालयों में सभी विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल (खेल का मैदान)की समुचित व्यवस्था है, एवं सभी विद्यालयों में लगभग एक क्रीड़ा कक्ष की भी व्यवस्था है इन विद्यालयों में छोटे बच्चों के लिए भी साधारण खेलों की व्यवस्था है, एवं बड़े बच्चों के लिए लगभग सभी खेलों की व्यवस्था है । इन विद्यालयों में छोटे-बड़े बच्चों के लिए उपलब्ध खेलों में विविधता भी दृष्टिगत होती है । इन खेलों में फुटवॉल, बॉलीवॉल, बास्केटवॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिन्टन, टैनिस, एथलैटिक्स आदि उपलब्ध हैं । इन खेलों के साथ ही सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन समय-समय पर होता रहता है ।

पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों में निबन्ध प्रतियोगिकता, वाद-विवाद, पिकनिक, वार्ता एवं सामुदायिक सहभागिता के कार्य समय-समय पर होते रहते हैं । जो छात्रों के ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन में सहायक होते हैं ।

सूची क्रमांक - 14 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोधकर्ता ने प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो सूची तैयार की है उनमें 23 विद्यालयों में से सिर्फ दो विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें शासन से निर्धारित वेतनमान एवं अन्य आर्थिक देय दिये जाते हैं, एवं दो विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें शिक्षकों को मात्र मूल वेतन दिया जाता है । शेष सभी विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन का कोई निर्धारित और सुनिश्चित मानदण्ड नहीं है ।

इन विद्यालयों में जहां वेतनमान की शर्तें नहीं मानी जा रही हैं, वहां शासन के नियमों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन भी नहीं हो रहा है । वे अपने-अपने ढंग से शिक्षण संस्थाऐं चला रहे हैं । परिणाम स्वरूप इन शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप अन्य उन संस्थाओं से सर्वथा भिन्न है, जिनमें शिक्षकों को निर्धारित वेतन प्राप्त होता है । इस व्यवस्था के कारण इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में संलग्न शिक्षकों की सामान्य सोच में भी अन्तर देखने को मिलता है । शोधार्थी यह अनुभव कर रहा है। कि अधिकांश शिक्षक इन कम वेतन वाली संस्थाओं को छोड़कर अनुदान प्राप्त संस्थओं में जाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, ताकि उन्हें शासन से निर्धारित वेतनमान एवं सुविधाऐं प्राप्त हो सकें ।

सूची क्रमांक - 15 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

सूची क्रमांक 15 को देखने से शोधकर्ता यह जान सका है, कि वेतन सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जैसे भविष्य निधि, अवकाश तथा अन्य शासकीय सुविधाओं से शिक्षकों को वंचित रखा जा रहा है । 23 विद्यालयों में से मात्र 8 विद्यालयों ने अपने यहां शासकीय सुविधाऐं देने का उल्लेख कराया । (जबकि एक ओर वेतन एवं भविष्य निधि शासन के अनुरूप नहीं है) एवं शेष 15 विद्यालयों में शासकीय सुविधाऐं नहीं मिलती हैं । सूची देखने पर, यह बात भी उभरकर सामने आ रही है, कि अवकाश की सुविधाऐं जिन विद्यालयों में शासन के नियमों के अनुरूप दी जाती हैं की संख्या 20 है जबकि 3 विद्यालय ऐसे हैं, जहां शासन के अनुरूप अवकाश देय नहीं है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिल रहा है कि 23 विद्यालयों में से मात्र 7 विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती का उल्लेख मिल रहा है, शेष 16 विद्यालयों में भविष्य निधि की कटौती नहीं की जाती है ।

उपर्युक्त विषमताऐं होने के बावजूद भी शिक्षक संतुष्ट हैं, ऐसा अनुभव सूची देखने पर हो रहा है । क्योंकि 20 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने यह सूचना दी है । जबकि 3 विद्यालयों में शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं । शोधार्थी को इन प्रश्नों के उत्तर सीधे केवल प्रधानाध्यापकों ने दिये हैं, और इन प्रश्नों के उत्तरों के लिए शिक्षकों के साथ सम्पर्क नहीं हो पाया और शिक्षकों के उत्तर प्राप्त नहीं हो सके । प्रधानाचार्यों ने वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर इन प्रश्नों के उत्तर दिये हैं । अतः विसंगति उभरकर सामने आ रही है, कि शासन के अनुरूप न्यूनतम वेतन व सुविधाऐं न मिलने पर भी शिक्षक संतुष्ट हों, जबकि कार्य का बोझ इन संस्थाओं के शिक्षकों पर अधिक है । ऐसा प्रतीत होता है, जैसे प्रधानाचार्यों ने वस्तुस्थिति छिपाने का प्रयास किया हो । इस बात से शोधकर्ता संतुष्ट नहीं है, और ऐसा अनुभव कर रहा है, कि इन विद्यालयों के शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं, किन्तु बेरोजगारी एवं आर्थिक मजबूरी के कारण अपने शोषण के लिए

विवश हैं । सूची से प्राप्त आंकड़ों को देखने पर यह भी ज्ञात होता है, कि जनता से इन विद्यालयों को पूर्ण सहयोग मिल रहा है । इस तथ्य के पीछे शोधकर्ता को यह कारण समझ में आ रहा है, कि यह शिक्षण संस्थाऐं अपने यहां आवश्यक संसाधन जुटाये हुए हैं एवं शिक्षा का स्तर भी ठीक है ।

इस प्रकार सभी आंकड़ों एवं सूचियों को देखने से शोधार्थी यह अनुभव कर रहा है कि, शिक्षकों के वेतन एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान करने में यह मिशनरी विद्यालय काफी कोताही प्रदर्शित कर रहे हैं ।

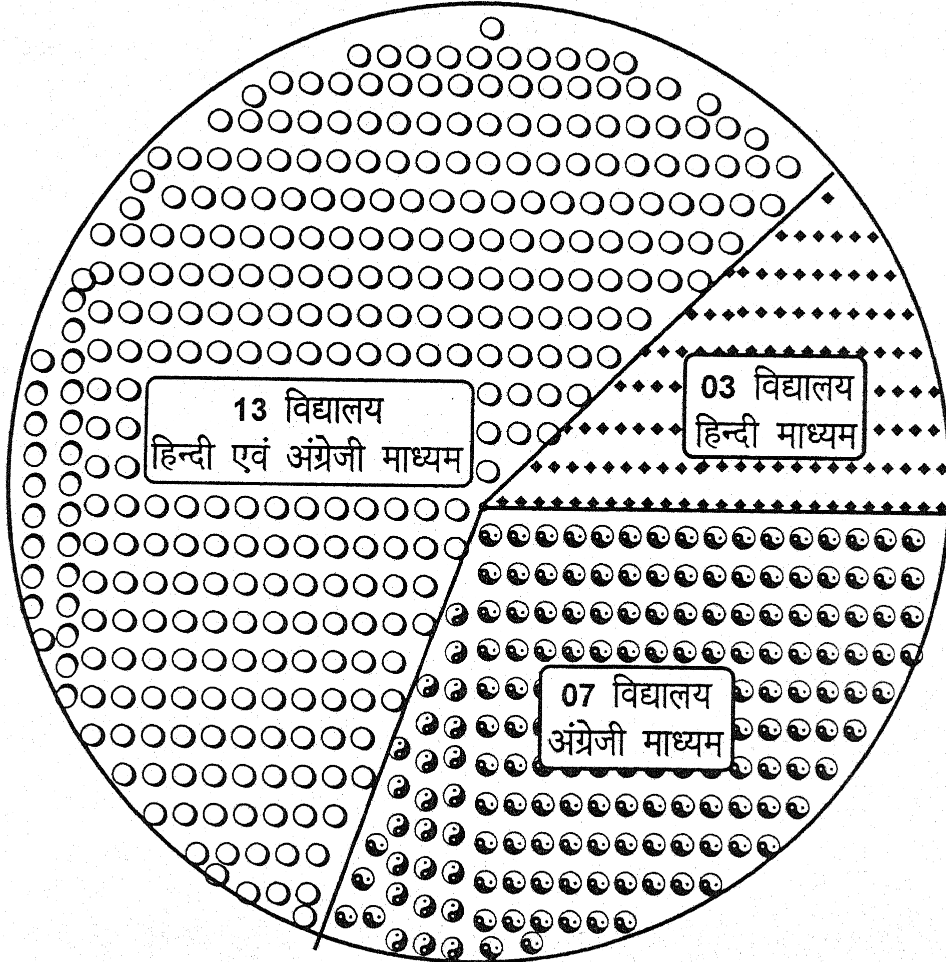
सूची क्रमांक - 16 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोधकर्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के जिन 23 मिशनरी विद्यालयों को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया है, उनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एवं सूची देखने से, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कि इन सभी विद्यालयों में धर्म को आधार बनाकर विद्यार्थियों के साथ भेद-भाव नहीं किया जाता है, न ही धर्म के आधार पर विद्यार्थियों में या अभिभावकों में इन शिक्षण संस्थाओं के प्रति कोई असंतोष परिलक्षित प्रतीत होता है । यह मिशनरी विद्यालय सभी छात्र-छात्राओं के साथ समान व्यवहार करते हुए शिक्षण कार्य में संलग्न दिखाई पड़ रहे हैं।

चूंकि इन विद्यालयों में धार्मिकता को लेकर किसी पक्ष में असंतुष्टि भाव देखने को नहीं मिल रहा है । यही कारण है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिकता को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी नहीं हो रही है, इसलिए इन संस्थाओं में धार्मिकता से उत्पन्न किसी भी कठिनाई को दूर करने के उपाय भी नहीं किये गये । यह बात सूची में दिये गये प्रश्न के उत्तर से भी स्पष्ट हो जाती है, जिनमें सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों ने प्रश्न संख्या 80, 81 और 82 के उत्तर क्रमशः हाँ-नहीं-नहीं में दिये हैं।

सूची क्रमांक - 17 का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण

बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के मिशनरी विद्यालयों के शिक्षण के माध्यमों का चक्राकृति द्वारा विश्लेषण :



संकेतः

- ◆◆◆ हिन्दी माध्यम
- ☯☯☯ अंग्रेजी माध्यम
- ○○○ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम

सूची क्रमांक - 17 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोधार्थी ने इन विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रश्न सूची के माध्यम से जो सूचनाऐं एकत्रित की हैं, उन से यह बात भी उभरकर सामने आ रही है, कि इन विद्यालयों के संचालन में राज्य सरकार किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है ।

शोधकर्ता ने यह भी पाया, कि इन शिक्षण संस्थाओं से **07** अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हैं । मात्र **03** संस्थाऐं हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हैं और शेष **13** संस्थाऐं हिन्दी/अंग्रेजी दोनों माध्यम से शिक्षा प्रदान करती हैं । जिससे यह स्पष्ट हो रहा है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का माध्यम प्रमुख रूप से अंग्रेजी है । किन्तु कुछ संस्थाओं में हिन्दी माध्यम से ही शिक्षण दिया जा रहा है । इसलिए छात्र यहां पर माध्यम के आधार पर किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं कर रहे हैं ।

शोधार्थी, सूची के आधार पर यह भी देख रहा है, कि प्रायः इन सभी विद्यालयों में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि दोनों का ही सम्मिलित रूप से शिक्षण में प्रयोग किया जा रहा है । जिन शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक से भी नीचे की कक्षाऐं हैं, वहां खेल विधि द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जा रही है । यद्यपि यह कक्षाऐं शोधार्थी के लिए शोध का विषय नहीं हैं । सूची से यह तथ्य भी सामने आया है, कि इन सभी विद्यालयों में छात्र शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण शैली से पूर्णतया संतुष्ट प्रतीत होते हैं, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों के परीक्षा परिणामों पर पड़ रहा है । जो सदैव सभी संस्थाओं में एक अच्छे स्तर का रहा है । जैसा कि पूर्व विवरण से स्पष्ट हुआ है ।

शोधार्थी ने विद्यालयों की संख्या के आधार पर शिक्षण माध्यम को चक्राकृति द्वारा भी प्रदर्शित किया है ।

सूची क्रमांक - 18 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

प्राप्त आँकड़ों द्वारा निर्मित सूची के आधार पर शोधार्थी यह समझ पा रहा है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में से 14 विद्यालयों में छात्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हैं, जबकि 9 विद्यालयों में ऐसी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी शिक्षण संस्थाओं में उ०प्र० शासन या केन्द्रीय शासन द्वारा किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाऐं संचालित नहीं की जा रही हैं। इन सभी शिक्षण संस्थाओं में से सिर्फ 2 शिक्षण संस्थाऐं ऐसी हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी शुल्क विद्यार्थियों से लिया जा रहा है शेष किसी भी विद्यालय में स्वास्थ्य शुल्क नही लिया जाता है।

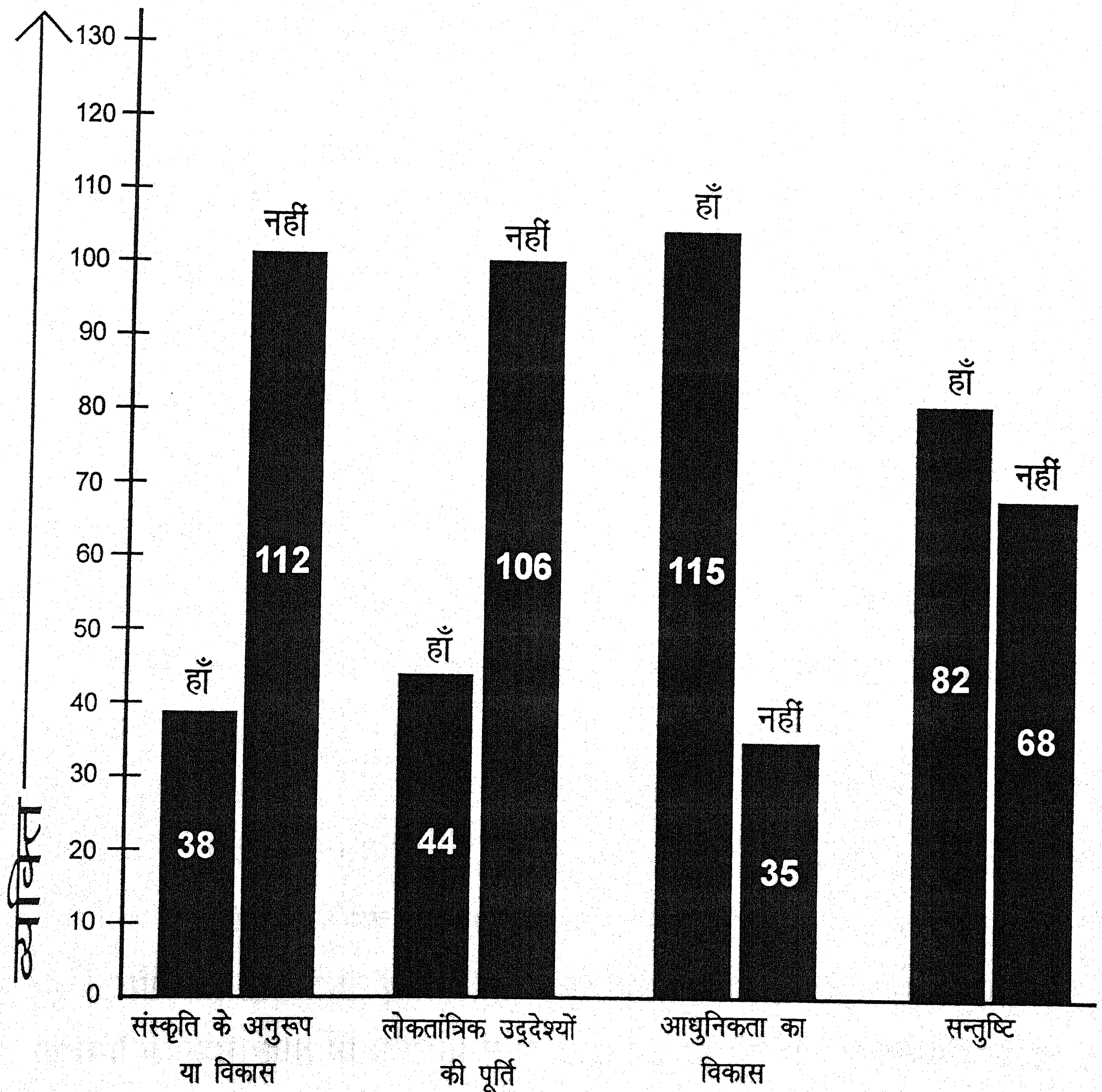
उक्त विवरण देखने से शोधार्थी ऐसा अनुभव कर रहा है, कि इन सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति न तो शिक्षण संस्थाऐं और न ही सरकार, विद्यार्थियों के प्रति सचेत है। दोनों में ही छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता दृष्टिगोचर होती है। जो अच्छी बात नहीं है।

शोधार्थी ने जिन 23 विद्यालयों को अपने अध्ययन का केन्द्र बनाया है, उन में से 13 विद्यालय नगर क्षेत्र में स्थित है, और 10 विद्यालय कस्बे स्तर या ग्रामीण स्तर के क्षेत्रों में स्थित हैं। प्रमुख रूप से इन सभी विद्यालयों में नगरीय अथवा नगरीय क्षेत्र के निकट की बस्तियों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। ग्रामीण अंचल से भी कुछ छात्र इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के लिए आते हैं। प्रवेश लेते समय ये शिक्षण संस्थाऐं किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं करती हैं। सभी छात्रों को धार्मिकता के स्थान पर सामाजिक आधार पर प्रवेश दिये जाते हैं।

शोधार्थी को इन तथ्यों को देखने से कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है, कि इन शिक्षण संस्थाओं में यद्यपि धार्मिक आधार पर प्रवेश दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। किन्तु यह इन मिशनरी स्कूलों की विवशता भी हो सकती है। क्यों कि समाज में ईसाई एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। अतः इन्हें सामाजिक आधार प्रदर्शित करते हुए सभी धर्मों और वर्गों से छात्रों को लेना पड़ता है, ताकि संस्था आर्थिक रूप से विकसित हो सके।

सूची क्रमांक - 19 का स्तम्भाकृति द्वारा विश्लेषण

विद्यालयों के सन्दर्भ में विभिन्न बिन्दुओं पर जनमत का - स्तम्भाकृति प्रदर्शन



पैमाना - उर्ध्वाधर 1 खाने = 10 व्यक्ति

सूची क्रमांक - 19 के आधार पर व्याख्या एवं विश्लेषण

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्य के लिए जनभावनाओं को समझने के लिए एक प्रश्नावली शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवं अशिक्षित वर्ग में लगभग 150 व्यक्तियों को वितरित कर उनके उत्तर हाँ, न में प्राप्त किये । इन प्रश्नों को चार श्रेणियों में यथा सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक, आधुनिकता और संतुष्टि, वर्गों में विभाजित किया गया । इसी के आधार पर शोधकर्ता ने एक सूची तैयार की तथा उस सूची के आधार पर एक रेखाचित्र तैयार किया है, जो पूर्व में प्रदर्शित है । इस रेखाचित्र के अवलोकन से शोधार्थी यह पाता है, कि सांस्कृतिक क्षेत्र में इन मिशनरी विद्यालयों के प्रति मात्र 38 व्यक्तियों ने हाँ तथा 112 व्यक्तियों ने न में उत्तर दिये हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि जनसामान्य के बीच यह प्रबल धारणा है, कि ये मिशनरी विद्यालय निरन्तर रूप से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं जिससे भारतीय संस्कृति हताहत होती प्रतीत हो रही है । बच्चों के संस्कार अद्योपतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वे श्रेष्ठता की कुण्ठाओं से ग्रस्त नजर आते हैं, वे बड़ों के प्रति आदरभाव प्रदर्शित करने से भी वंचित होते जा रहे हैं, और अनावश्यक रूप से कुण्ठाग्रस्त होते जा रहे हैं ।

शोधार्थी जब लोकतांत्रित उद्देश्यों की ओर देखने का प्रयास करता है । तो पाता है, कि इस क्षेत्र के प्रश्नों का 106 व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिया है जबकि मात्र 44 व्यक्तियों ने हाँ में उत्तर दिया है । पुनः यह आँकड़े यह प्रदर्शित कर रहे हैं, कि ये मिशनरी विद्यालय भारतीय लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल हो रहे हैं जिसका सीधा परिणाम विद्यार्थियों पर और अप्रत्यक्ष रूप से समाज के ऊपर देखने को मिल रहा है । विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर अपने आप में श्रेष्ठता का भ्रम पाले हुए है, और उन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करते प्रतीत होते हैं, जिन लोकतांत्रिक उद्देश्यों के ऊपर भारत का प्रजातन्त्र टिका हुआ है । इन मिशनरी विद्यालयों द्वारा यह हिलता हुआ प्रतीत होता है ।

शोधार्थी ने जब आधुनिकता के विकास सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का अवलोकन कर, उनका रेखाचित्र बनाया, तो पाया कि **115** व्यक्तियों ने इनके उत्तर हाँ में दिये हैं जबकि मात्र **35** व्यक्तियों ने नहीं में उत्तर दिये हैं, जो यह प्रदर्शित करता है, कि ये मिशनरी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को आधुनिकता अथवा भौतिकवाद की दौड़ में आगे ले जाने के लिए प्रयत्नरत हैं । जनसामान्य से चर्चा करने पर शोधार्थी यह अनुभव करता है कि इन विद्यार्थियों में यह आधुनिकता की अप्रत्याशित भावना, आधुनिक चल चित्रों, टी०वी० पर प्रसारित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव एवं इन विद्यालयों द्वारा दिये गये, संस्कारों का संयुक्त प्रतिनिधित्व है, जिसका विद्यार्थियों के माध्यम से समाज पर कुप्रभाव दिखाई पड़ रहा है, और अनेक सामाजिक विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं ।

शोधार्थी जब इन मिशनरी विद्यालयों के प्रति संतुष्टि भाव को समझने के लिए प्रश्नों के उत्तरों को देखकर रेखाचित्र रूप में परिणित करने का प्रयास करता है, तो पाता है कि **82** व्यक्तियों ने इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में दिये हैं और **68** व्यक्तियों ने इनके उत्तर नहीं में दिये हैं । रेखाचित्र द्वारा इस प्रकार का आभास कुछ विरोधाभासी सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जनसामान्य जब इन विद्यालयों को भारतीय संस्कृति विरोधी लोकतंत्र विरोधी मानता हो, तब इन विद्यालयों के प्रति संतुष्टि भाव प्रदर्शित करना शोधकर्ता के मन में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न करता है । सम्भवतः यह भ्रान्ति इस कारण उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आज अभिभावकगण यह अनुभव कर रहे हैं, कि इन विद्यालयों से निकलने वाले छात्र भले ही संस्कारयुक्त न हों, किन्तु वे आधुनिकता की दौड़ में लगे हुए हैं । यही उनके मन को एक झूठी संतुष्टि प्रदान कर रहा है । इसीलिए वे इन मिशनरी विद्यालयों से कुछ संतुष्ट होते प्रतीत हो रहे हैं ।



अध्याय - अष्टम्

अध्याय - अष्ठम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

शोधकर्ता अध्ययन में प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् निम्न निष्कर्षों पर पहुँचा ।

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के मिशनरी विद्यालय विभिन्न मिशनरियों द्वारा संचालित हैं ।
2. मिशनरियों द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या में बृद्धि विभिन्न जनपदों में बहुत धीमी गति से हुई ।
3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के अधिकांश विद्यालय कैथलिक मिशनरीज द्वारा संचालित हैं तथा कुछ विद्यालय प्रोटेस्टेन्ट मिशनरीज द्वारा संचालित हो रहे हैं ।
4. इन मिशनरी विद्यालयों की प्रगति में तीव्रता, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद परिलक्षित होती है ।
5. इन विद्यालयों का स्वरूप प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ही छोटा था । किन्तु वर्तमान में आज ये अपने भव्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं ।
6. सभी मिशनरी विद्यालयों में विद्यालयों के प्रधान ईसाई ही हैं । इस तरह संस्थाओं पर पूर्ण नियन्त्रण मिशनरी संस्थाओं का ही है, शासन का नहीं ।
7. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन मिशनरी विद्यालयों के स्तर में भी सुधार हुआ है, कुछ विद्यालय हाई स्कूल तथा कुछ इण्टरमीडिएट स्तर के हो गये हैं ।
8. परीक्षाफल की दृष्टि से प्राथमिक स्तर से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक सभी विद्यालय अच्छे परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं ।
9. इन मिशनरी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की संख्या में बृद्धि नहीं हुई है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि यहां पर अध्यापकों के ऊपर कार्यभार अधिक है ।

10. इन शिक्षण संस्थाओं में संलग्न शिक्षकों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान तथा अन्य सुविधाऐं पूर्णतया प्राप्त नहीं हो रही हैं ।
11. इन शिक्षण संस्थाओं में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण अधिक हो रहा है । उसी के आधार पर इन विद्यालयों के भवनों में भव्यता दिखाई दे रही है । क्योंकि इन शिक्षण संस्थाओं के पास शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं है ।
12. इन शिक्षण संस्थाओं में ईसाई मिशनरियों की प्रधानता होते हुए भी अन्य धर्मों के अनुयायी छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेद-भाव देखने को नहीं मिलता है ।
13. इन अधिकांश मिशनरी विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है एवं अधिकांश मिशनरी विद्यालयों में लिखित प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होने के कारण अच्छे मानसिक स्तर के छात्रों के पहुँचने से अच्छे परीक्षा परिणाम दृष्टिगत होते हैं ।
14. इन मिशनरी विद्यालयों में लगभग 91 प्रतिशत विद्यालय स्वावित्त पोषित हैं ।
15. इन मिशनरी विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता भी परिलक्षित होती है ।

शोधकर्ता द्वारा संकलित जनभावनाओं के आधार पर जो तथ्य उभर कर आये उनसे शोधकर्ता निम्न निष्कर्षों पर पहुँचा -

16. यह मिशनरी विद्यालय भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे हैं जिससे भारतीय संस्कृति हताहत होती प्रतीत हो रही है ।
17. यह मिशनरी विद्यालय लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल रहे हैं ।
18. यह मिशनरी विद्यालय छात्रों को आधुनिकता अथवा भौतिकवाद की दौड़ में आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं । इससे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है ।

सुझाव

1. प्रशासन की दृष्टि से जिस प्रकार का प्रशासन इन संस्थाओं में देखने को मिल रहा है, वैसा प्रशासन अन्य संस्थाओं में भी विकसित किया जाना चाहिए ।
2. जिस प्रकार ये मिशनरी संस्थाऐं सभी स्तरों पर अच्छे परीक्षा परिणाम प्रदान कर रही हैं । शासन का प्रयास होना चाहिए, कि अन्य शासकीय तथा अर्द्धशासकीय शिक्षण संस्थाआं में भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त करने की व्यवस्था करें ।
3. इन शिक्षण संस्थाओं में संलग्न शिक्षकों की सेवा की दशाओं में सुधार किया जाये, ताकि वे और मनोयोग से कार्य कर सकें ।
4. प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार को इन संस्थाओं के अपने निर्देशों, नियमों के पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए जिससे शिक्षकों में संतुष्टि भाव आवे ।
5. इन मिशनरी विद्यालयों में छात्रों एवं अभिभावकों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास करना चाहिए ।

अग्रिम शोध हेतु सुझाव

1. शोधार्थी ने जो कार्य अपनी शोध उपाधि के लिए लिया है वह केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र (उ०प्र०) के उपर किया गया है यदि इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश तथा राष्ट्र स्तर पर किया जाये तो इसके और भी अच्छे परिणाम दृष्टिगत होंगे ।
2. मिशनरी विद्यालयों को तुलनात्मक दृष्टि से शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विद्यालयों के साथ भी मूल्यांकित किया जा सकता है ।.



संदर्भ ग्रन्थ - सूची

संदर्भ - ग्रन्थ

अनुसंधान परिचय-षष्ठम् संस्करण, 1989	श्री पारसनाथ राय
बुन्देलखण्ड का इतिहास, संस्करण, 1980	श्री गोरेलाल तिवारी
बुन्देलखण्ड का ऐतिहासिक मूल्यांकन, संस्करण 1991	श्री मोतीलाल त्रिपाठी अशांत
बुन्देलखण्ड का इतिहास	डॉ० महेन्द्र वर्मा
अनुसंधान विधियाँ	डॉ० एच०के० कपिल
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ	प्रोफेसर जय गोपाल त्रिपाठी
शैक्षिक अनुसंधान के मूल्य तत्व	डॉ० एस०पी० सुखिया
भारतीय शिक्षा का विकास	डॉ० पी०डी० पाठक
भूगोल के देशीय राज्य अंक	
बुन्देलखण्ड की संस्कृति और साहित्य	श्री रामचन्द्र हयारण मित्र
सर्वे मैप ऑफ उ०प्र०	
सांख्यकीय पत्रिका झाँसी मण्डल झाँसी 1993	
बुन्देलखण्ड का एतिहासिक मूल्यकांकन	राधाकृष्ण बुन्देली-सत्यभामा बुन्देली
चंदेल और उनका राजस्व काल, वाराणसी	श्री के०सी० मिश्रा
बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास	श्री गोरेलाल तिवारी
झाँसी ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल	डॉ० एस०पी० पाठक
एटकिन्सन ई०टी० बुन्देलखण्ड गजेटियर	
इमपेरियर झाँसी सैटिलमेन्ट रिपोर्ट	डब्ल्यू०एच०एल० तथा मेन्सटन जे०एस०
इलाहाबाद 1892	
ए०आर्केलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट भाग- 21 वाराणसी 1969	कनिंघम
न्यू हिस्ट्र ऑफ मराठाज्	श्री जी०एस० सरदेशाई
ड्यूरिंग दि बिट्रिश रूल- 1987	डॉ० एस०पी० पाठक
रामानन्द विद्या भवन, नई दिल्ली	

काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी

सर्वे ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, मुम्बई- **1966** — के०एम० पन्निकर

इम्पीयल गजेटियर ऑफ इण्डिया, (सेन्ट्रल इण्डिया)

सुजाउद्दौला भाग- **1, 2 -1961**, आगरा — श्री ए०एल० श्रीवास्तव

फॉल ऑफ दि मुगल इम्पायर — श्री जे०एन० सरकार

एचीन्सन सी०यू० ट्रीट्रीज इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनद्, कलकत्ता- **1909**

स्टेपिस्टिकल डिस्क्रेप्ट मूमेन्ट एण्ड हिस्टोरिकल एकाउण्ट ऑफ इलाहाबाद, ऑफ बुन्देलखण्ड इलाहाबाद- **1874** — एन०डब्ल्यू०पी०

लाइफ ऑफ इण्डियन ऑफीसर्स — के० एण्ड मैलेसन

हिस्ट्री ऑफ बिट्रिश इण्डिया — रावर्ट्स पी०ई०

झाँसी गजेटियर, लखनऊ **-1965** — ई०वी० जोशी

नाना साहब पेशवा (लखनऊ) — ए०एस० मिश्रा

फॉरेन पॉल्टिकल कन्सलटेशन, **30** सितम्बर **-1859**

बुन्देलखण्ड पॉल्टिकल एजेन्सी रिकॉर्ड की भूमिका

वार्षिक पत्रिका- बुन्देलखण्ड कॉलेज, झाँसी

झाँसी गजेटियर — ड्रेक वॉकमैन डी०एल०

कैडिल ए० सेटिलमेन्ट रिपोर्ट ऑफ बाँदा, इलाहाबाद **-1881**

बाँदा गजेटियर, इलाहाबाद- **1909** — ड्रेक वॉकमैन डी०एल०

दि रिवॉल्ट ऑफ- **1857** — सिन्हा एस०एन०

हिस्टोरिकल स्कैच ऑफ दि इलाहाबाद डायोसिस, — डायोसिस कमेटी **1940**

क्रिटिकल इन्क्वायरी इन टू दि बुन्देलखण्ड, मसीही मित्र समाज वर्ग इन दि बुन्देलखण्ड एरिया रिसर्च पेपर — श्री रत्नाकर एण्ड राव

शिक्षा के सिद्धान्त — पी०डी० पाठक एवं त्यागी

भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याऐं — डॉ० एस०के० पाल

शिक्षा के सिद्धान्त — एल०एन० गुप्ता एवं मदन मोहन

इण्डिया मिशन की छठवीं वार्षिक रिपोर्ट- **1950**
सेंसस ऑफ इण्डिया भाग- **1** रिपोर्ट नं०- **122**
बुन्देलखण्डी फड़ साहित्य, संस्करण- **1987** — डॉ० गनेशी लाल बुधौलिया
स्वामी ब्रहमानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ, दिसम्बर **-1975** — श्री योगेश्वर प्रसार त्रिपाठी
मराठों का इतिहास — ग्रान्ड डफ
बुन्देलखण्ड का इतिहास — दीवान प्रतिपाल सिंह
बुन्देलखण्ड की प्राचीनता — डॉ० भागीरथ त्रिपाठी
बिन्ध्य प्रदेश का इतिहास — श्री रामप्यारे अग्निहोत्री
बुन्देलखण्ड का इतिहास, **1802-1858** ई० शोध ग्रन्थ — डॉ० काशी प्रसाद त्रिपाठी
बिन्ध्यांचल पत्रिका, छतरपुर
सर्वे ऑफ इण्डिया
वार्षिक पत्रिकाऐं- मिशनरी विद्यालय
दैनिक जागरण, झाँसी, झाँसी संस्करण
जालौन गजेटियर, इलाहाबाद- **1909** — ड्रेक वॉकमैन डी०एल०
फ्रेन्डस् इन बुन्देलखण्ड (इण्डिया) बाई मेरिल एम्पायर कापिना ओहिया फॉर मिशन वार्ड **1926**
सेन्सस ऑफ इण्डिया भाग-**1** उत्तर पश्चिम प्रान्त — डी०सी० बैली
झाँसी रिपोर्ट, दिनांक **23** अप्रैल **1858**
दि सेन्चुअरी ऑफ प्लॉटिंग (भूमिका)
ऑफिस रिकॉर्ड मिशन अस्पताल झोकन बाग, झाँसी
चर्च रिकॉर्ड शहर, सीपरी, मिशन कम्पाउण्ड एवं केन्टूनमेन्ट बोर्ड